राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–1 नवम् विधान सभा का प्रथम सत्र का सातवां दिवस संख्या–5

बुधवार,

दिनांक 21 मार्च, 1990

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री बुलाकीदास कल्ला।

बीकानेर नगर स्थित रानी बाजार रेल्वे फाटक का ऊपरी पुल

13. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर स्थित रानी बाजार रेल्वे फाटक के पास निर्माणाधीन रेल्वे ऊपरी पुल का कार्य उच्च न्यायालय के स्थगन के आदेशों के कारण रूका हुआ है? यदि हां, तो स्थगन आदेश को हटाने हेतु अब तक क्या क्या प्रयास किये गये?

(2) बीकानेर शहर के चार अन्य रेल्वे फाटकों की समस्या के समाधान हेतु क्या केन्द्रीय सरकार से कोई पेशकश की गई है? यदि हां, तो क्या प्रगति है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) :—

(1) जी नहीं। बीकानेर नगर स्थित रानी बाजार रेल्वे फाटक के पास रेल्वे ऊपरी पुल का कार्य उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण 90 मीटर की लम्बाई में रूका हुआ था। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 6-3-90 को हटा दिया गया है। अब इस लम्बाई में भी कार्य चालू करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। केन्द्रीय सरकार से अभी उत्तर अपेक्षित है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बीकानेर में कितने रेल्वे फाटक है, कितनी बार बन्द होते है और उससे कितने मानव दिवसों का नुकसान होता है? क्या इस सम्बन्ध में पूर्व मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को पचास प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से और पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार की तरफ से, बाकी रेल्वे फाटक की तरफ से, बाकी रेल्वे फाटक की समस्या को हल करने के लिए खर्च करने का वायदा किया था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुल पांच फाटक है और यह बात सच है कि इन फाटकों के कारण बहुत बड़ी असुविधा बीकानेर के नागरिकों को होती हैं। यह प्रश्न जब खड़ा हुआ तो दो प्रपोजल सामने आये कि या तो इन शेष चारों फाटकों पर भी ऊपरी पुलों का निर्माण कराया जाये या एक दूसरा प्रपोजल यह भी आया कि एक बाई पास बनाया जाय जो एक शहर के बाहर होकर बने।

श्री बुलाकी दास कल्ला : यही ठीक रहेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसमें लालगढ़ से घड़सीसर के बाई पास के द्वारा ज्वाइन करने का विचार था। इस दृष्टि से एक मीटिंग 16-10-1988 को हुई, और इस मीटिंग में इस सारी समस्या पर विचार किया गया उस मीटिंग में कुछ मुद्दे उभर कर आये, जो मुद्दे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में भी चारों फाटकों पर ओवरब्रिज बनाने से कई समस्याएं उत्पन्न होगी शायद जितना उपयोग हम चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा। और यह भी बात उस कमेटी के सामने आयी, और उस मीटिंग में जो मुद्दे निकल कर आयें, इस बाई पास बनाने की दृष्टि से उन मुद्दों की ओर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक मुद्दा तो यह आया कि लालगढ़ से बीकानेर रेल्वे लाइन को ऊँचा किया, जाये, जिसमें घड़सीसर स्टेशन का विस्तार शामिल न हो। दूसरा सम्पूर्ण प्रस्ताव की कीमत किसी तरह से कम की जाये। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खर्चा इन्वाल्व होता है। तीसरा, उपरोक्त बाई पास के लिए काम में ली जाने वाली भूमि की वित्तीय आधार पर समीक्षा की जाय, इन तीनों मुद्दों के बाद एक पत्र यहां से दिनांक 26-10-1988 को केन्द्रीय सरकार के रेल्वे मंत्री महोदय को लिखा गया। किन्तु उसके बाद में शायद कोई परश्यूएशन नहीं हुआ, इस कारण से उनका जवाब नहीं आ पाया है। प्रश्न यह है कि लालगढ़ से जो घड़सीसर बाई पास बनाना है इसमें घड़सीसर स्टेशन का ही विकास किया जाये, तो 25.22 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। किन्तु वहां की जनता का मत है और उनकी इच्छा है कि बीकानेर का जो मैन रेल्वे स्टेशन है, उसको मैन रेल्वे स्टेशन ही रखा जाय। यह विचार जब आया तो उस नाते से 14.15 करोड़ रु. की ही प्रस्तावित योजना रेल्वे विभाग ने अपने पास भिजवाई है। बार रेल्वे मन्त्रालय से या रेल्वे मंत्री महोदय से कोई पत्र आयेगा, राज्य सरकार भी यह प्रयत्न करेगी कि जो हमने यहां से पत्र दिया है, लगभग 5–6 माह पूर्व, उसका कुछ जवाब आ जाये या हमारी कोई मीटिंग हो जाये, और उस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मीटिंग से जो कुछ निष्कर्ष निकलेगा और वित्तीय दृष्टि से जो हमारी हालत रहेगी, उसके अनुसार इस बात पर विचार किया जा सकता है। अभी कुछ कहना संभव नहीं है, आज की स्थिति को देखते हुए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने न केवल एक इतिहास का पन्ना, जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ दिया। इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये गये है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बीकानेर में पांच रेल्वे के फाटक दिन में 52 दफा बन्द होते है और इनसे लोगों का 9 घंटे का समय प्रतिदिन जाया होता है। गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते है। समय पर कोई स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। समय पर कोई दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने रेल्वे का पुल मंजूर किया था उस पर स्थगन आदेश आ गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपकी बात को आपसे भी ज्यादा पुरजोर शब्दों में स्वीकार की है। इसकी डिटेल में जाने की जरुरत नहीं है, कृपया इसकी डिटेल में मत जाइये। आप अपना सवाल पूछिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सवाल कर रहा हूं। प्रतिदिन दो लाख मानव दिवसों की हानि होती हैं।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल नहीं है। यह बात आप जिन शब्दों में कह रहे हैं, उससे ज्यादा भारी शब्दों में उन्होंने स्वीकार किया हैं। आप आगे सवाल पूछिये।

श्री बुलाकदास कल्ला : मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जो पहले पुल हमने मंजूर किया है, उस पर हाई कोर्ट का स्थगन आदेश भी हट गया है वह कब तक बन जायेगा और दूसरा पूर्व मुख्य मन्त्री जी ने जो एक चिट्ठी लिखी थी कि 15 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि उन चारों पुलों के बाद जो डाइवर्सन लाइन बनेगी, उसमें पचास प्रतिशत राज्य सरकार अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है यह बात सही है। और जब वह हिस्सा देने के लिए तैयार है तो वित्तीय साधनों का प्रश्न कहां आता है। यदि आप चार पुल बनाते तो उसमें 8 करोड़ से ज्यादा राशि राज्य सरकार की खर्च हो जाती।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, या तो आप उत्तर समझ नहीं पाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं पूरा उत्तर समझ रहा हूं। मन्त्री जी ने इसको बिलकुल टाल दिया है कि वित्तीय स्थिति को देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी ने साफ शब्दों में बताया हैं कि किसी भी तरह से यह काम फिजिबल हो। उसके लिए जो उचित वित्तीय व्यवस्था करनी है, उसके लिए जो प्लान हम बैठकर डिस्कस करने वाले है। उसमें से हमारे वित्तीय साधनों को देखते हुए जो उचित होगा, वह करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सरकार ने यह आश्वासन दे रखा है पूर्व में, कि पचास प्रतिशत राशि जैसे ही केन्द्रीय सरकार प्रस्ताव को मंजूर करेगी, देने के लिए तैयार है। फिर सोचने विचारने की क्या बात है।

श्री अध्यक्ष : किसकी पचास प्रतिशत राशि।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हैं ?

श्री अध्यक्ष : किसकी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो चार पुलों को हटाने की डाइवर्सन लाइन बनेगी

श्री अध्यक्ष : वह तय होना बाकी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें सर्वे हो चुके है।

श्री अध्यक्ष : एक स्कीम 25 करोड़ की है। दूसरी 14 करोड़ की है। उसमें से 14 करोड़ तय होगी। या 25 करोड़ तय होगी उस राशि की 150 प्रतिशत होगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जिस मीटिंग का हवाला दिया गया हैं, उस मीटिंग में मैं मौजूद था।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। यह आपका सवाल नहीं है। आप सवाल पूछिये।

श्री बुलाकी दासकल्ला : मैं सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पचास प्रतिशत राशि देने के नियम की बात, आपकी सरकार ने तय कर दी। इसमें कोई किन्तु परन्तु नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन करता हूं कि यह पुल कब बनेगा ?

श्री अध्यक्ष : वित्तीय स्थिति 25 करोड़ या 14 करोड़ में से कौनसी योजना मंजूर होगी। उस पर निर्भर करेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 14 करोड़ की।

श्री अध्यक्ष : यह रेल्वे से डिस्कस करेंगे। वहाँ की जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर करेंगे। यह सारी बातें साफ कह दी हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपनी बला टाल रहे हैं। 10 साल तक तो कुछ किया नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जायें, कृपया आप बैठ जायें। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह पहला पुल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? और दूसरा यह रेल मन्त्री जी से मीटिंग करके कब तक फाइनल कर देंगे ताकि बीकानेर की समस्या का समाधान हो सके।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष जी, जो पुल का निर्माण हो रहा है उसकी दोनों एप्रोच रोड का कार्य राज-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

स्थान सरकार को करना है वह निश्चित रूप से हम 9 महीने में कर देंगे। जहां तक पुल का काम है रेल्वे के ऊपर बनाने का काम वह काम केन्द्र सरकार करती है। हमारा उनसे आग्रह होगा कि जिस समय 9 महीने में हम इस काम को पूरा करेंगे साईमिलटेनियसली वह काम भी पूरा कर देंगें किन्तु उस पर हमारा अधिकार नहीं है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम परस्यू करेंगे वह भी 9 महीने में काम को पूरा कर दे तो 9 महीने के पश्चात् सभी प्रकार की गाड़ियों के लिये मार्ग खुल जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दूसरा मैंने यह प्रश्न किया था कि जो चार फाटकों के लिये प्रपोजल्स गये हैं डाईवर्शन लाइन के वह कब तक फाइनल कर देंगे। दूसरी बात यह जो आपने एप्रोच रोड की बात कही है यह काम दो महीने में ही पूरा होने वाला था....

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आने दीजिये, आप धीरज रखिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरी बात सुन लें, जवाब की जरूरत ही नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनका जवाब आने दीजिये, इस प्रश्न की आप हत्या करना चाहते हैं तो आप बोलिये और आप जवाब चाहते हैं तो कृपया शांति से सुनिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 16-10-1988 को मीटिंग हुई और पत्र यहां से चला गया। आज एक साल पांच महीने हो गये, अब इसमें ठीक है आपकी कोई गलती नहीं बताता। हो सकता है मंत्री स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर कहीं पर परसुयेशन की देरी हुई हो, हम भी प्रयत्न करेंगे जल्दी से जल्दी रेल मंत्रालय के साथ या रेल मन्त्री महोदय के साथ इस विषय में मीटिंग एरेंज हो जाये और उसमें से कुछ हल निकल आये। हम परस्यू पूरा करेंगे। यही बात मैं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय केदार जी।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, जैसे बाई पास का नया आल्टरनेटिव पेश किया गया है। सेन्टर से रेल्वे से सम्बन्ध है जब तक उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाये जनहित की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, तब तक दूसरा कार्य शुरू करते हैं तो तकलीफ बढ़ जायेगी। इसलिये पहले इसको डिस्पोज ऑफ कर दें दस दिन में, पन्द्रह दिन में बीस दिन में अगर प्रेक्टिकल नहीं हो तो फिर जो आपने काम शुरु किया उस पर स्टे आर्डर वेकेंट हो गया, एप्रोच रोड 9 महीने में बना देंगे, सब काम हो जायेगा। जो दस साल में नहीं हो पाया, 9 महीने में आप कर देंगे तो मैं आपको शाबाशी दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री राम सिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना ही था चार पांच पुल

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बनाने हैं और करोड़ों रुपया खर्च होगा और बाई पास की बात जब चल रही है तो बाई पास की बात तय होने के बाद ही सारा काम शुरू किया जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो एक पुल की बात है यह एक पुल तो हमको तब भी बनाना पड़ेगा जब कि बाई पास बने। इस लिये इसको तो 9 महीने में कम्पलीट करने की बात कर दी। बाकी आपका सुझाव मैंने मान लिया चार पुलों का निर्माण कार्य नहीं करेंगे पहले इस काम को डिस्पोज ऑफ करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री राम किशोर सैनी।

बांदीकुई में राजकीय महा-विद्यालय का निर्माण

14. श्री रामकिशोर सैनी (बांदी कुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बांदी कुई में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य काफी समय से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस निर्माण कार्य को अब कब तक प्रारम्भ कराने का सरकार विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती सुमित्रा सिंह) : जी नहीं। माह जनवरी, 1990 से ही निर्माण कार्य बन्द है। यह निर्माण कार्य धनराशि के अभाव में बन्द है। जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी, महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य का प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

श्री राम किशोर सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि विद्यालय का कार्य लगभग एक वर्ष से बन्द है और वर्तमान में जो विद्यालय चल रहा है, पंचायती धर्मशाला में चल रहा है जहां पर व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, कमरे नहीं है। स्टाफ रूम नहीं हैं, लाइब्रेरी नहीं है, प्रिन्सीपल का चैम्बर नहीं है। यह महा विद्यालय शहर के अन्दर है जिससे जनता को परेशानी है और विद्यार्थियों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है। जो महा विद्यालय निर्माणरत है उसमें सात कमरे बने हुए है क्यों नहीं पंचायत से निकालकर उस महाविद्यालय को नई बिल्डिंग में शिफ्टकर दिया गया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नई बिल्डिंग में न तो पूरी छत है, न फर्श है, न दरवाजे हैं, न खिड़कियां हैं, शिफ्ट किया ही नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि जब यह विद्यालय खोला गया था उस समय तत्कालीन एम. एल. ए. ने अन्डर-टेकिंग दी थी कि हम भवन बनाकर देंगे। उन्होंने भवन बनाकर दिया नहीं इसलिये धर्मशाला में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री महावीर प्रसाद जैन।

टौंक जिले में पेयजल समस्या

15. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में पेयजल की भयंकर समस्या है ?

(2) यदि हां, तो उक्त जिले में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कहां-कहां पर क्या क्या योजनायें विचाराधीन हैं और उनको कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) टोंक जिले में पेयजल की समस्या है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि टोंक जिले में जो पानी की समस्या है और जो पहले कभी होती नहीं थी, ऐसे गांवों में भी अन्डर ग्राऊंड वाटर, जो पानी का नीचे का सोर्स था, वह बिल्कुल समाप्त हो गया है, कुएं ड्राई हो गये हैं और जो आपने हैण्ड पम्प डाले हैं वह भी ड्राई हो गये हैं। पश्चिमी राजस्थान से भी ज्यादा समस्या वहाँ उत्पन्न हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि आप इस दृष्टि से क्या प्रयास कर रहे हैं केन्द्र सरकार से राजस्थान सरकार शायद इस प्रकार के पूरे संसाधन जुटाकर समस्या का समाधान न कर पाये। ऐसी स्थिति से केन्द्र सरकार से तुरन्त ही कोई उनके पास प्रस्ताव भेजकर, पैसे का जुगाड़ बैठा कर कब तक इस समस्या का समाधान करने के लिये यह सारा किया जायेगा। हमारी प्राथमिक तौर पर क्या योजना है और हमारी दीर्घकालीन योजना क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आप सब की जानकारी में है कि वर्षा के अभाव में कुओं का जल स्तर भी नीचे चला गया है और इस कारण से जो पानी स्वतः मिला करता था उसके मिलने में भी कठिनाई है। टोंक जिले की भी यही स्थिति है अब आने वाले समय में कुछ कुओं को गहरा कराकर, या जहां हैण्ड पम्प संभव है वह लगाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सरकार और विभाग इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहये और शीघ्र ही हमने इस तरह के कदम उठाये हैं। कुछ हैण्ड पम्प तो हमने खोदना शुरू भी कर दिये हैं लेकिन समय इतना कम है उसमें जितना हो सकेगा वह निश्चित रूप से किया जायेगा, पानी की कमी है इससे मैं इन्कार नहीं करता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं है कि बरसात के अभाव के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या यह सही है कि बीसलपुर योजना जिससे हम अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर की जनता को पानी देना चाहते है, उस योजना को प्रारम्भ करने के कारण वहां पर जिस प्रकार का निर्माण कार्य शुरु हुआ तो यह बनास नदी के पानी के कारण कुओं में काफी पानी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

था। उसके कारण अब नीचे से पानी रूक गया है और यही कारण है कि जहां हम यह कहते हैं कि टौंक में केवल 96 गांव ऐसे हैं जहां पर आज तक और नौ सौ कुछ गांवों में आप कहते हैं कि वहां हमने कोई न कोई सोर्स दे दिया है लेकिन आधे गांवों से ज्यादा ऐसे हैं कि वहां पर आपने हैण्ड पम्प तो लगा दिये हैण्ड पम्प से पानी नहीं निकलता, हवा निकलती है। इतना ही नहीं है आधे गांव इस प्रकार के हैं जहां पर खारा पानी है, कड़वा पानी है, पानी पी नहीं सकते। इस प्रकार की स्थिति है तो वहां पर केवल बरसात के अभाव के कारण पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हुई है, यह नहीं है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर 90 लीटर पानी हमको दिया जाना चाहिये ग्रामीण क्षेत्र में 40 लीटर दिया जाना चाहिये, पश्चिमी राजस्थान में जहां पशुओं की गणना उसमें शामिल करते हैं पूर्वी राजस्थान में पशुओं की गणना हम शामिल नहीं करते और उसके बाद पशुओं के पीने के लिये पानी नहीं है, जानवरों के लिये और मनुष्यों के पीने के लिये पानी नहीं है। इसलिये यह कहना कि हम कुछ हैण्ड पम्प लगाकर समस्या का समाधान करेंगे मैं समझता हूं यह हमारी धारणा गलत है, जिस प्रकार पिछली सरकार ने केवल आश्वासन दिया, इस प्रकार का वायदा किया बजट भाषण में, और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पता नहीं कहां-कहां विभागीय घोषणाएँ की हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध करा देंगे लेकिन 15–20 लीटर पानी उपलब्ध होता है। आज तक ग्रामीण इलाके में पीने के पानी की कमी है। दो-दो कोस जाकर पानी लाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं, सवाल पूछिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त ही व्यवस्था की जाये। कौन सी योजना है। आपने यह लिखकर दिया है कि कुछ हैण्ड पम्पस् लगाये जायेंगे और निवाई की एक योजना स्वीकृत है उस पर प्रयास कर रहे हैं। केवल प्रयास से काम नहीं चलेगा। मैं इसके लिये निश्चित रूप से आश्वासन चाहूंगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह महत्वपूर्ण है। यह टौंक जिले से सम्बन्धित है परन्तु यह केवल टौंक जिले की ही स्थिति नहीं है यह पूरे राजस्थान की है। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जो हैण्ड पम्प एक दो साल पहले बोर किये गये थे, उनकी आज ऐसी स्थिति है कि 50 प्रतिशत हैण्ड पम्पस् में एक बूंद पानी नहीं है। एक गांव में जैसे चार हैण्ड पम्प हैं तो सूख गये हैं, पानी नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा है कि पर्याप्त वर्षा के अभाव में ऐसा हुआ है। तो क्या इन हैण्ड पम्पस को रि-बोर कराया जायेगा जिससे गांव के लोगों को पीने का पानी मिल सके। मंत्री महोदय को मेरा यह

(श्री परसादी लाल मीणा)

कहना है कि है कि नये हैण्ड पम्प लगाने के बजाय पुराने हैण्ड पम्प रि-बोर कराया जाये। इससे कम खर्चा आयेगा क्योंकि सारा सामान वहां पर लगा हुआ है। दस-दस, पन्द्रह फीट खोदने पर लोगों को पानी पिलाया जा सकता है तो आप नया हैण्ड पम्प क्यों लगाते हैं। मेरा यह सुझाव है और मांग है कि सब से पहले इन हैण्ड पम्प को रि-बोर कराया जाये। जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है उन को कब तक रि-बोर करवा देंगे? क्या आपकी रि-बोरिंग की योजना है या नये हैण्ड पम्प लगाने की योजना है? सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये वरना गर्मियों में लोगों को विशेष परेशानी पैदा हो जायेगी। एक गांव में चार हैण्ड पम्प खराब है। आप नया एक हैण्ड पम्प लगायेंगे और एक हैण्ड पम्प से पार नहीं पड़ेगी। मेरा यह सुझाव है कि नया जो एक हैण्ड पम्प लगायेंगे उसकी कीमत में चार हैण्ड पम्प रि-बोर हो जायेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की समस्या पीने के पानी की है। मेरी नैनवां तहसील और टौंक जिले को बीसलपुर बांध से जब पानी मिलेगा तब उससे फायदा हो सकता है वरना आज की तारीख में तबाह हो चुके हैं। हमें वहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है। नैनवां तहसील के कुओं में पानी नहीं है। मेरी तहसील में आज यह हालत है कि शायद ही कोई कुआं ऐसा हो जिसमें सिंचाई के लिये पानी बचा हो। सारे के सारे हैण्ड पम्प खराब और बेकार हैं। 5/7 पर्सेन्ट ही हैण्ड पम्प चालू हैं। टौंक जिले की टौंक तहसील और उनियारा तहसील बीसलपुर बांध से बर्बाद हो चुकी है। कुओं का पानी नीचे चला गया है। क्या सरकार हैण्ड पम्प की दूसरी योजना बनायेगी या पीने के पानी के लिये कोई दूसरी योजना बनाएगी। गर्मी का मौसम शुरु हो गया है। बरसात कम हो रही है। ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अहम मसला है, लोग प्यासे हैं और गांव छोड़ कर जा रहे हैं। पांच, पांच किलोमीटर तक पानी नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को देख कर पीने के पानी की व्यवस्था की जाये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): इसी के साथ मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मेहरबानी करके बिराजिये। पहले मंत्री जी जवाब देंगे। फिर मैं आपको मौका दूंगा, बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सवाल किये हैं उसका इस प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी यह अहम् विषय है। मेरे पास इस समय जो जानकारी है उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह जो समस्या है वह बीसलपुर बांध से बन रही है। नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने भी ऐसा संकेत दिया है। ऐसी कोई निश्चित जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन यह बात है तो यह चिन्ता का विषय होगा, विचार का विषय होगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : निश्चित जानकारी कब कर लेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इस से सम्बन्धित नहीं है। यह सारे राजस्थान का सवाल है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर बीसलपुर बांध बनता है उससे ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ इनके लाभ के लिये यह योजना बनी है। आपके जमाने में बनी है। सोच समझ कर बनी होगी। इससे दुष्परिणाम निकलते हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है यह विचार का विषय है। यह आपने कहा है उसके बारे में विचार किया जायेगा तब ही इस पर निर्णय कर पायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठिये।

श्री रामनारायण वर्मा : जवाब में नैनवां को भी शामिल किया जाये।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फर्माया है कि वर्षा की कमी से हमारा अन्डर ग्राउण्ड वाटर कम पड़ता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूं कि राज्य सरकार यह जो अन्डर ग्राउण्ड वाटर रिजर्वायर दिनों दिन कम होता जा रहा है और भविष्य में हमारा पेयजल इस पर निर्भर होगा, उसके बारे में सरकार क्या योजना बना रही है। इस पर कृपया प्रकाश डालें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह बहुत ही गंभीर चिन्ता का विषय है। दोनों तरफ के सदस्यों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है। गर्मी आ रही है....

श्री अध्यक्ष : इसीलिये आउट ऑफ वे जाकर अलाउ कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसीलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि 29/30 तारीख को सदन समाप्त हो जायेगा। इस विषय पर दो-तीन महीने तक, पूरी गर्मी हम मिलेंगे नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि सरकार पेयजल की व्यवस्था के लिये अगर सदन में चर्चा कर ले या वक्तव्य दे दे तो इससे सारी स्थिति साफ हो जायेगी। दोनों पक्षों के सदस्य इस विषय पर बहुत चिन्तित हैं। गर्मी आ रही है और पेयजल की समस्या पर दोनों पक्षों की चिन्ता है। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान में इस समय पीने के पानी का बहुत भारी संकट है। इस संकट का क्या कारण है मैं इसका विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस संकट का समाधान कैसे हो सकता है यह एक आवश्यक बात है। माननीय सदस्य ने वक्तव्य देने के लिये कहा है लेकिन मैं समझता हूं कि वक्तव्य देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आज हम ने मंत्री मण्डल की बैठक में इस समस्या के ऊपर विचार किया है और यह उचित समझा कि मंत्रीमंडल की एक उप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गठित की जायें। इस उप समिति के साथ विपक्ष के श्री पूनमचन्द विश्नोई, श्री शिवचरण माथुर और श्री चंदनमल बैद को इस समिति में शामिल किया जायें और सदन के सदस्य के रूप में श्री लालचन्द डूडी, श्री गंगाराम चौधरी शामिल होंगे। उप समिति श्री भंवरलाल शर्मा की अध्यक्षता में काम करेगी, जिसमें श्री नत्थीसिंह श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्रीमती सुमित्रासिंह, श्री दिग्विजयसिंह, सुश्री पुष्पा जैन और श्री विजयसिंह झाला इसके सदस्य होंगे। मेरी इच्छा है कि यह बैठक 24 तारीख को, मेरे रिप्लाय के बाद दूसरे दिन हो जाये और सारे विषय पर विचार कर ले सरकार की तरफ से मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जायेगी जितना धन हमारे पास उपलब्ध है वह निश्चित रूप से उपलब्ध करेंगे और विशेष आवश्यकता हुई और समिति की इस प्रकार की राय रही तो इस मसले को भारत सरकार के सामने भी प्रस्तुत करेंगे और वहां से कितनी सहायता तुरन्त प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार के साधन प्राप्त किये जा सकते हैं, उसके बारे में विचार करेंगे।

एक निवेदन और कर दूं। मैंने तीन दिन पहले इस मसले पर प्रधान मंत्रीजी से बात की है। उनसे निवेदन किया था कि राजस्थान में इस समय सब से बड़ा संकट पानी का है। इसके बाद मेरी केबिनेट सेक्रेटरी से इस बारे में चर्चा हुई और उन से मैंने कहा है कि हिन्दुस्तान की सरकार के पास जितने भी एक्सपर्टस् जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कुछ सलाह दे सके, उन एक्सपर्टस् को तुरन्त राजस्थान भेजें ताकि राजस्थान की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर इसका क्या समाधान किया जा सकता है उस पर राज्य सरकार को सलाह दे मुझे इस बात की खुशी है कि कल एक्सपर्टस् आ गये हैं। वे आज सरकारी अधिकारियों से मिल रहे हैं। इसी के साथ परसों मैंने श्री जी. के. मेनन से बातचीत की है। उनके पास भी कुछ ऐसे एक्सपर्टस् हैं जो किसी न किसी सर्वे के आधार पर हम को यह बता सकते हैं कि कहां से पानी उपलब्ध हो सकता है। उन से भी मैंने चर्चा की है। उन्होंने भी मुझे कहा है कि मेरे पास जो एक्सपर्टस् हैं उनको जल्दी भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि कल उनकी तरफ से एक एक्सपर्ट राजस्थान पहुंच जायेगा और हम सब मिल कर इस समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं। उसके बारे में व्यवस्था करेंगे। यही मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगरराम पंवार।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइये। कृपया विराज जाइये। पहले बैठिये। प्लीज सिट डाउन। आप पहले बैठिये। पहले आप मेहरबानी करके पहले अपने स्थान को ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये। मैं आपका सुझाव ले लूंगा। आप का सुझाव सुन लूंगा, पहले इनको सवाल पूछने दीजिये। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के इतना एग्जस्टिव स्टेटमेंट देने के बाद कोई सुझाव आपको देना है तो समिति बन गई है उस समिति को दीजिये।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय श्री डूंगरराम पंवार ।

रावतसर नगर पालिका से पृथक 104 चक

16. श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील रावतसर, जिला श्री गंगानगर के ग्राम रावतसर नगरपालिका से 104 चक सरकार द्वारा निकाल कर चार ग्राम पंचायतें बना दी गई हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या भी सही है कि उन 104 चकों के पंचायतों में आने पर भी उन किसानों की अपनी कृषि भूमि पर चार गुना कीमत लगा रखी हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उन 104 चकों में किसानों पर लगी चार गुना कीमत हटा कर समान कीमत लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री नत्थी सिंह) : (1) जी हां । ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की अधिसूचना संख्या 15 (29) ग्राविप/पुनर्सीमा/83 दिनांक 8-8-86 द्वारा 104 चकों की चार पंचायतें बनाई गई हैं।

(2) वर्तमान नियमों के अनुसार कीमत ली जा रही है ।

(3) जी नहीं ।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो गंगानगर जिले में रावतसर कस्बे की ग्राम पंचायतें थीं उसमें सरकार ने बिना सीमांकन किये ही नगरपालिका घोषित कर दिया। रावतसर का रकबा 85 हजार बीघा है । करीबन नहीं बता रहा रिकार्ड की बात है । 85 हजार बीघा है । वह सारा का सारा उस नगरपालिका में आ गया । इस आधार पर उन किसानों की कृषि भूमि पर चार गुना कीमत पिछली सरकार ने किसानों का शोषण करने के लिये लगा दी अब 1986 में इतने बड़े क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो सकता । वह तो गलती की सरकार ने । पूरे पंचायत क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर दिया तो उसमें वह सारा एरिया आ गया । अब 86 में तत्कालीन सरकार ने इसमें से 104 चक नगरपालिका से निकाल कर ग्राम पंचायत घोषित कर उनका चुनाव करा दिया । अब नगरपालिका सीमा नहीं है, वह ग्राम पंचायतें हैं । अब उन किसानों से अपनी कृषि भूमि पर चार गुना कीमत ली जाय तो उन किसानों के साथ अन्याय है । इतनी कीमत भर सकेंगे । पिछली सरकार ने किसानों का शोषण करने के लिये, उनको लूटने के लिये इतने षड्यंत्र बनाये । प्रथम तो यह नियम बनाया कि कृषि भूमि, कमांड भूमि पर जिस कस्बे की एक लाख आबादी होगी उसकी चार गुना कीमत होगी, मंडी की 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले की । सिर्फ गंगानगर के सिवाय गंगानगर की कोई भी कस्बे की एक लाख आबादी नहीं मिली तो सोचा कि यह तो पकड़ में नहीं आये, निकल गये ना । फिर इन्होंने मंडी से 8 किलोमीटर

(श्री डूंगरराम पंवार)

की परिधि पकड़ी। उसमें भी 8 किलोमीटर की परिधि में एक दूसरी मंडियां जोइंट हो जाती है, कोई भी किसान बच नहीं पाता उस चार गुना कीमत से। बोले, यह भी फिट नहीं बैठा। मुझे अच्छी तरह से याद है, नगरपालिका क्षेत्र को पकड़ा कि नगरपालिका क्षेत्र में चार गुणा कीमत ली जायगी, उसको यानि बहुमुल्य भूमि मानी जाय चाहे वह सैंडी लैण्ड हो। उनको यह पता नहीं है भूमि अपनी उपजाऊ ताकत से बहुमूल्य होती है न कि मंडी से नजदीक होने से। मंडी के 8 किलोमीटर कहते हैं, एक किलोमीटर तो ऐसी है जिसमें एक मन बीघे के दाने भी नहीं होते, बिल्कुल टीबे हैं, सैण्ड है।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है?

श्री डूंगरराम पंवार : मेरा सवाल यह है कि इन्होंने अपनी पंचायत की जमीन पर चार गुना कीमत लगाई है वह हटाई जाय जो अभी बरकरार है। खण्ड तीन में यह कह दिया कि जी नहीं इंकार कर दिया सरकार ने।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आपका सवाल मैं बताता हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : किसानों को लूटने के लिये षड्यंत्र किया है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मैं समझ गया। आप बिराजिये, बिराजिये। मैं समझ गया।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, किसान उजड़ जायेंगे। दे नहीं पायेंगे। अगर नहीं देंगे तो उनकी कृषि भूमि खारिज होगी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ना।

श्री डूंगरराम पंवार : बहुत गंभीर मसला है, मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, इनका सवाल यह है कि जब नगरपालिका थी उस वक्त चार गुना कीमत लगाई गई थी, अब चूंकि आपने उनको पंचायतें बना दी हैं तो क्या वही कीमत चालू रखेंगे या पंचायत क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन करेंगे। यह सवाल है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं, यह प्रश्न दो भागों में है। 1983 तक यह नगरपालिका में थे। उस वक्त रावतसर नगर पालिका की आबादी 25 हजार से अधिक थी उस वक्त चार गुना कीमत औरों से और जो अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं उनसे रिजर्व प्राइस से दुगुनी कीमत लेने का प्रावधान था। 1986 में पंचायतें बनी हैं लेकिन यह 104 चक 1983 से नगरपालिका से अलग हो गये हैं। 1983 से जब से अलग हुए हैं तब से जो अलाटमेंट हुए हैं उनमें को चार गुना कीमत नहीं ली जा रही, उनमें सिर्फ रिजर्व प्राइस ली जा रही है। लेकिन 1983 तक जो हुए हैं उनमें चार गुणा कीमत ली जा रही है। इसलिये यह कहना कि पंचायत बनने के बाद जमीन से जो अलाटमेंट हुए हैं उन से चार गुणा कीमत ली जा रही है, गलत है। 1983 के बाद केवल रिजर्व प्राइस ली जा रही है, 1983 से पहले के अलाटी से निश्चित रूप से चार गुना और दुगुना ली जा रही है।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यक्ष से मन्त्री जी को यह बतला दूं कि आपके पास रिपोर्ट आई है कि 1988 के बाद इतनी कीमत नहीं ली जा रही है, यह रिपोर्ट आपकी गलत है, इसकी जांच करवा लें। दूसरा, मैं यह भी निवेदन करूं जिनको बहुत थोड़े समय के लिये नगरपालिका एरिया में ले लिया उसके एक दो साल बाद उसको बाहर निकाल दिया। तो एक दो साल नगरपालिका एरिया में जो रह गया उनके ऊपर चार गुना कीमत देने की पैनल्टी क्यों? उन पर वही कीमत लगे। अगर ले ली गई है तो बाकी की कीमत रिफण्ड की जाय, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, इस पर विचार कर लें। इस पर जितने सजेशन हैं, आप विचार करलें।

श्री नत्थीसिंह : आपने जो कहा है, बात सही है। एक इन्होंने कहा, जांच करा लेंगे और यह पुर्नविचार की बात कह रहे हैं 1986 के उस पर भी पुर्नविचार कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : मैं यही कह रहा था। नैक्स्ट, माननीय श्री अमीन खां।

बाड़मेर, जैसलमेर जिलों के उप केन्द्रों में रिक्त पद

17. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कौन-कौन से उप केन्द्रों में कौन-कौन से पद अभी तक रिक्त हैं?

(2) रिक्त पदों की कब तक पूर्ति कर दी जायेगी?

चिकित्सा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (1) जिला बाड़मेर तथा जिला जैसलमेर में क्रमशः 166 एवं 3 उप केन्द्रों पर प्रसाविकाओं के पद रिक्त हैं। उप केन्द्रों की सूची जहां पद रिक्त हैं, सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह महसूस करते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में जहां-जहां 15–15 मील के फासले के बीच में है, कोई भी इलाज की छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है। 166 सब सेन्टर बिल्कुल बंद हैं। जिनके लिये कोई समय नहीं बताया जा रहा है कि कब तक इनको भरा जायगा। क्या यह सरकार महसूस करती है कि वहां के लोगों के साथ ज्यादती हुई है? नम्बर दो, आपने यह बताया कि अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर पूर्ति की जायगी। सरकार के पास यह कोई समय है, पाबन्द है कि कब तक यह अभ्यर्थी उपलब्ध हो जायेंगे ताकि इन लोगों को राहत मिले?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वर्तमान में प्रसाविकाओं के कुल पद 7166 हैं उनमें से 1150 पद वर्तमान में रिक्त हैं। अप्रेल 1990 तक 960 प्रसाविकाएं अपनी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

ट्रेनिंग पास करके निकलेंगी और अगस्त, 1990 में 660 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा के पश्चात् उपलब्ध होंगे। इस तरह से 1620 प्रसाविकाएं हमको उपलब्ध हो जायेंगी। 1150 पद रिक्त है। कुछ और नये क्रियेट होंगे। इसलिये मुझे आशा है कि अगस्त मास तक इसमें बहुत बड़ा कोटा पूरा हो जायगा आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ जिले ऐसे हैं विशेषकर रेगिस्तानी और पर्वतीय जिले, उनमें जो ट्रेनिंग केन्द्र हैं उनमें लोग प्रवेश तो ले लेते हैं किन्तु होते हैं वह दूसरे जिलों के इसलिए ट्रेनिंग पास के पश्चात् उनका यह प्रयास रहता है कि लगातार कहीं से दबाव डलवायें, कहीं से प्रभाव बता कर ट्रेनिंग तो प्राप्त करते हैं बाड़मेर, जैसलमेर और पहाड़ी क्षेत्रों में और जाने की कोशिश करते हैं भरतपुर और अलवर की। इस कारण से बहुत बड़ी समस्या इन क्षेत्रों में आकर खड़ी हो जाती है। मैं माननीय सदस्य की जो समस्या है उसको निश्चित रूप से गम्भीर मानता हूं कि इस क्षेत्रों में प्रसाविकाओं के पद ठीक रूप से भरे जाने चाहिए और इस विषय में तुरन्त चार्ज लेते ही मैंने डी. एम. एच. एस. और सैकेट्री से बात की और रेगिस्तानी और पर्वतीय इलाकों में जो रिक्त स्थान होते हैं उनकी समस्याओं के बारे में मैंने कहा है कि आप प्रस्ताव भेजिए जिसके कारण इन क्षेत्रों में इनकी न्यूनता न आये। मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव जो आये हैं, मैं माननीय सदस्य और सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इन प्रस्तावों पर गम्भीर विचार हो रहा हो रहा है। वह प्रस्ताव ऐसे हैं कि प्रशिक्षत केन्द्रों में, जो इन जिलों में हैं, पर्वतीय और रेगिस्तानी इलाकों में, वहां इन्हीं जिलों तथा बाड़मेर जैसलमेर और वन-वासी जिलों में इन जिलों के निवासियों को ही प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाय। इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो उन्हें 10 प्रतिशत बोनस मार्क्स देकर प्रवेश हेतु इनकी वरिष्ठता को अधिक वजनदार बनाया जा सकता है। दूसरे, जिस जिले में प्रशिक्षण दिया जाय उसी जिले में प्रशिक्षित लोगों की नियुक्ति की जाय तीसरे, प्रशिक्षण के समय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से अनुबन्ध करवा लिया जाय कि उसे कम से कम 5 वर्ष तक राज्य सेवा में उसी जिले में रहना होगा। चौथे, जिलेवार वरिष्ठता सूची बनाई जाय और उनका प्रमोशन इस प्रकार की पोस्ट के लिए वहीं किया जाय, उनको बाहर नहीं भेजा जाय। पांचवें, प्रशिक्षण काल में एक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे प्रशिक्षण संस्थान में उनका तबादला नहीं किया जाय। पहले तो प्रवेश ले लें और बीच में ट्रेनिंग के चले जांय दूसरी जगह। यह पांच प्रस्ताव इन दोनों की ओर से मेरे पास आये हैं सरकार इन प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और मेरी धारणा है कि इन प्रस्तावों के बनने के पश्चात् प्रर्वतीय क्षेत्र और रेगिस्तानी इलाकों में जो न्यूनता है उसको हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। ऐसा मेरा आश्वासन है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं यह सवाल वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और मंत्री जी ने जो कदम उठाने की बात कही है वह इस बात की साक्षी है कि, बड़ी गम्भीरता से सरकार इस सवाल को ले रही है और इसमें आगे सवाल की कोई गुंजाइस नहीं हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आज से दो वर्ष पूर्व ट्रेनिंग में राजस्थान की मिडिल शिक्षा प्राप्त लड़कियों की व्यवस्था थी लेकिन भूतपूर्व सरकार ने इसको काट कर मेट्रिक कर दिया। गांवों में मेट्रिक लड़कियां मिलती नहीं और राजस्थान की लड़कियों को ट्रेनिंग में प्रवेश मिलता नहीं, बाहर से आती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह जो बात कही है यह बड़ी आवश्यक है इस पर आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पहले तो यह बात सच थी किन्तु आज जो प्रसाविकाएं हैं उनका नाम हो गया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। उनकी ड्यूटीज बहुत अधिक हो गई हैं। उस उप केन्द्र पर सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन की यही हैं। इसलिए मैं कहता हूं इसमें इनकी जो ड्यटीज है उनको देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि 8 वीं पास महिला इस काम को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए मैं पुरानी सरकार को दोष नहीं देना चाहता निश्चित रूप से उन्होंने इसका अध्ययन किया है और उसके बाद 10 वीं कक्षा का निर्णय उचित लिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को-एक, जच्चा-बच्चा की देखभाल करनी पड़ती है, गर्भवती महिलाओं की समय-समय पर जांच करके टैटनस से बचाव के टीके लगाने पड़ते हैं, आइरन की गोलियां देनी पड़ती है, सुरक्षित प्रसव कराना पड़ता है। (2) टीकाकरण का काम उनका है। तीसरा काम, मलेरिया बुखार के मामलों की जांच करना, खून की फिल्म बनाना, क्लोराक्विन की गोली देना, चौथा काम है संचारी रोग, इलाकों में महामारी फैलने की सूचना तुरन्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर देना (5) परिवार नियोजन की सलाह (6) रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज करना और इनको वेतन भी बहुत अच्छा दिया जा रहा जा रहा है। इस कारण से जैसा आपने कहा, यह बात सच है, कठिनाई थोड़ी उपस्थित होती है किन्तु जो 10 प्रतिशत मार्क्स बोनस की बात कही है। मैं समझता हूं 10 वीं कक्षा पास करके आना आवश्यक है और उससे ही फायदा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : सरकार कन्या पाठशालाएं ज्यादा खोले तो अच्छा होगा। नेक्स्ट श्री राजेन्द्र गहलोत।

सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री

18. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री कब से बन्द है और क्यों तथा इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

(2) इस फैक्ट्री को चालू करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या-क्या प्रयास किये ?

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा कार्यशील पूंजी साख सुविधा वापस लिये जाने के कारण सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री जुलाई, 1987 से बन्द है। वर्तमान में प्रकरण बी.

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

आई. एफ. आर. के निर्णय पर ही पुनर्चालन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फैक्ट्री का पुनर्चालन बी. आई. एफ. आर. द्वारा पुनर्संस्थान पैकेज अनुमोदित करने पर ही सम्भव हो सकेगा।

(2) इस फैक्ट्री को चालू कराने के लिए राज्य सरकार रुग्ण इकाइयों के लिए भारत सरकार द्वारा गठित बी. आई. एफ. आर. को जुलाई, 1987 में प्रसंग किया गया 196.95 लाख रुपये की प्रत्याभूति कम्पनी के पक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता, कुछ पूछना है ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं सन्तुष्ट हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज जिसके नेता भैरोंसिंह जी शेखावत है उन्होंने सवाई माधोपुर के चुनावों में भाषण दिये और बार-बार कहा कि सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को निश्चित रूप से चलवाएंगे। मैं सरकार को सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस फैक्ट्री को सरकार कब तक चालू करवा देगी ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा है।

श्री अध्यक्ष : उजला जी, पहले उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस सीमेंट की फैक्ट्री को लेकर के सारे राजस्थान में एक गलत बात रही कि किसी तरह फैक्ट्री पिछली सरकार चालू करवा दे। पिछली सरकार ने इसे चालू करवाने के लिए तात्कालिक रूप से कोई खास कदम नहीं उठाये। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कि वह इसको तात्कालिक रूप से चालू करवाने के लिए अपनी ओर से क्या प्रयत्न कर रही है और वह प्रयत्न अब तक क्या हो चुके हैं और कब तक इसका समाधान हो जाएगा यह फैक्ट्री कब तक चालू हो जाएगी, यही मैं जानना चाहती हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सभी लोगों और खास तौर से सदन के नेता भैरोंसिंह जी को इस बारे में अच्छी तरह से सारे प्रकरण की पूरी जानकारी है और मैं सोचता हूं कि जब वहां सवाई माधोपुर के श्रमिकों का बहुत बड़ा आन्दोलन चला। जयपुर में भी काफी दिनों तक धरणा दिये हुए बैठे रहे, भूख हड़ताल चलती रही उस समय भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए कई सदस्यों का काफी बड़ा समर्थन था इस आन्दोलन को। मैं सोचता हूं, अब सारी जिम्मेदारी सदन के नेता भैरोंसिंह जी पर आ पड़ी है क्योंकि इस आन्दोलन की अगुवाई करने के लिए उन्हीं के काफी लोग थे और भैरोंसिंह जी स्वयं ने भी कई बार कहा कि सरकार के बीच में बैठकर जब तक समस्या का हल नहीं करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अब सारी जिम्मेदारी

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

सदन के नेता भैरोंसिंह जी पर आ चुकी है । मैं सोचता हूं, वह कब तक इस फैक्ट्री को चालू करवा देंगे । कम से कम एक समय घोषित कर दें । तीन महीने लगेंगे । या 6 महीने लगेंगे । क्योंकि वहां के श्रमिक काफी बेरोजगारी की स्थिति में ही नहीं बल्कि यहां तक कि उनको खाने-पीने के भी लाले पड़ रहे हैं । ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं बहुत बड़ी जिम्मेदारी भैरोंसिंह जी पर है इसलिए मैं सोचता हूं जल्दी ही इसको ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हरि कुमार जी ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, अभी एक प्रश्न सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री का आया किन्तु राजस्थान में 4–5 ऐसे बड़े-बड़े उद्योग हैं जो पिछले कई वर्षों से बन्द पड़े हैं । मेरा निवेदन करना इतना सा है कि किसी उद्योग को अगर समाप्त करना हो या कोल्ड स्टोरेज में डालना हो तो इसके लिए बी. आई. एफ. आर. बहुत उचित स्थान है । यह ऐसा है जहां जाने के बाद कोई सुधि लेने वाला नहीं है । दो साल दस साल तक भी सम्भालते नहीं है । तो मेरा उद्योग मन्त्री जी से निवेदन है कि सरकार की तरफ से इस तरह की कोई पहल चालू की जायगी क्या । जो राजस्थान में पांच बड़े-बड़े उद्योग हैं । सवाई माधोपुर का है, कृष्णा मिल है । ओ. पी. सी. है गोपाल इंडस्ट्री की सुदर्शन मिल है । इस प्रकार जहां पर आज भी हजारों मजदूर बेरोजगार हैं । उस इलाके की अर्थ व्यवस्था चरमरा रही है । तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या सरकार इस तरह के कोई कदम उठायेगी क्या कि कम से कम समय में यह इंडस्ट्रीज चालू की जाय ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी का और माननीय उद्योग मन्त्री जी का ध्यान क्योंकि उस आन्दोलन से थोड़ा बहुत मैं भी जुड़ा था और माननीय कृष्ण कुमार गोयल और माननीय भैरोंसिंह जी ने उस आन्दोलन को काफी गति दी थी और मुझे याद है वह मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था या तो इस चिमनी से धुआं निकलेगा नहीं तो इस सरकार का धुआ निकाल देंगे । मुझे खुशी है कि एक बात तो पूरी कर दी कि सरकार का, बहानेबाजी सरकार का धुआ निकाल दिया ।

एक माननीय सदस्य : हमारा धुआ तो निकल गया पर अब चिमनी का धुआ कब निकलेगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह कोरे वायदे थे जनता को....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोरे वायदे नहीं थे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो इसके पूरा करो ना ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 5 हजार श्रमिक परिवारों का सवाल है ।

एक माननीय सदस्य : अब चिमनी आपकी है, धुआ भी आपका ही है और सरकार भी आप ही की है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह केवल वायदे नहीं है, यह उनके दर्द की बात है। सारे मंत्रिमण्डल में आज जो लोग बैठे हैं वह सारे लोग उस आन्दोलन को चलाने में अगवा थे।

श्री अध्यक्ष : आप तो सवाल पूछिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं कहता हूं कि 5 हजार लोग हैं, आज उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, कई लोग तो इस संसार को छोड़ चुके हैं। मैं तो यह कहता हूं कि एक तो यह प्रस्ताव किया था कि सहकारिता के आधार पर उसको चलाने के लिए वहां के श्रमिक तैयार है। तो क्या को ऑपरेटिव बेसिस पर और जिस भी प्रकार से यह फैक्टरी जल्दी से जल्दी चालू की जाय। लोगों को आशाएं और अपेक्षाएं हैं कि इसको तुरन्त प्रारम्भ की जाय। लोग यह नहीं देखना चाहते कि आप कहां पर गये और कहीं पर विचाराधीन मामला है लोग चाहते है कि फैक्ट्री चलें और जिस प्रकार से पूर्व सरकार का धुंआ निकला है। सकता है। उसी प्रकार से इस फैक्टरी का धुंआ निकलना चाहिये नहीं तो लोगों का विश्वास टूट जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल जी।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाई माधोपुर की सीमेण्ट फैक्टरी के बारे में सवाल है। आधा हिस्सा खण्डार निर्वाचन क्षेत्र में भी लगता है। मैं समझता हूं कि आज तक मजदूरों को जो बिजली और पानी की सुविधा दे रखी थी

श्री अध्यक्ष : आप तो सिर्फ सवाल पूछियेगा।

श्री चुन्नीलाल : और सरकार उस बिजली पानी को भी समाप्त करने जा रही है और मजदूरों के सामने भूखमरी की समस्या तो है ही लेकिन बिजली और पानी जैसी आवश्यक चीज को भी इस समय सरकार दो घण्टे दे रही है और कम से कम लगातार 8 रोज तक मेरे पास में फलौदी फैक्टरी के श्रमिक आये। एक्स. ई. एन. से, एस. ई. कलक्टर से और ए. ई. एन. से इन सब से मैं मिला हूं लेकिन उस बिजली और पानी के मामले में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। वैसे मुख्य मन्त्री काफी जागरूक हैं। क्या उद्योग मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेण्ट फैक्टरी कब तक चलाने जा रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट के साथ-कृष्णा मिल का सवाल जोड़ा जाय। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेण्ट फैक्टरी के साथ-साथ कृष्णा मिल, ब्यावर को भी विषय ले लिया जाय, यही मेरा कहना है। उसकी भी स्थिति यही की यही है। वहां के मजदूर भी बेरोजगार हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मदान साहब।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मात्र, हालांकि लाखेरी की सीमेण्ट फैक्टरी से थोड़ा मेरा भी लगाव रहा है लेकिन जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आया हूं वहां पर कम से कम आज 50 पर्सेण्ट से ज्यादा

(श्री अर्जुनदास मदान)

स्माल स्केल, लार्ज स्केल की फैक्टरियां बन्द है। ओ. पी. सी. का उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, साथ ही साथ सुदर्शन टैक्स टाइल जिसको पहले नागपाल के नाम से पुकारा जाता था उसका भी उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर आज श्रमिकों की ऐसी स्थिति है कि वे अपने बाल बच्चों को रोजी रोटी की तो बात छोड़िये, वे आज इस अधेड़ उम्र की अवस्था में अपने बच्चों को लेकर चौराहे पर खड़े हैं। न तो वे अपने बच्चों के लिए रोजी जुटाने में, न ही वे किसी प्रकार से उनका पालन कर सकते हैं जिसको उन्होंने जन्म दिया है। मैं केवल मात्र इतना ही निवेदन करना चाहूंगा उद्योग मंत्रीजी से कि कोटा के आसपास जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें कम से कम 50 और 60 पर्सेण्ट फैक्टरियां बन्द पड़ी है और चरमर्रा रही है। केवल मात्र मेरी याचना है कि उनके ऊपर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए विशेष कर जब तक रोजी रोटी के सवाल के साथ-साथ लाइट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था बरकरार रहे। साथ ही साथ ऐसे समस्त उद्योगों के बारे में भी सोचा जाय जो बन्द है। आज नये उद्योग खुल नहीं रहे है और जब पुराने उद्योग बन्द हो जायेंगे तो रोजी रोटी के लिए नये लोगों को कहां से रोजगार मिलेगा। इसके लिए मेरा उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार सवाई माधोपुर फैक्टरी के मजदूरों का प्रश्न पैदा हुआ है, ब्यावर की कृष्णा मिल कई वर्षों से बन्द है। आज सदन के तीन माननीय सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे और.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : सदन के नेता कल बीच-बीच में उठकर वक्तव्य दे रहे थे। हम चाहते हैं कि सीमेण्ट फैक्टरी के ऊपर सदन के नेता वक्तव्य दे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया या तो आप हाथ मत उठायें, आप सारे हाथ उठा रहे हैं जबकि मैं सभी को मौका दे रहा हूं।

श्री जुबेर खां : इस सीमेण्ट फैक्टरी में कृष्णा मिल कहां से आ गयी। जब सीमेण्ट फैक्टरी पर चर्चा चल रही है तो उसी पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस सदन में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में उस समय के श्रम मंत्री माननीय हनुमान प्रसाद, इस सदन के नेता माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत थे। यह निर्णय लिया गया था कि ब्यावर की कृष्णा मिल किसी न किसी प्रकार किसी बैंक को देकर या और कोई तरीका अपना कर बहुत जल्दी प्रारम्भ कर दी जायेगी और उसका जो उत्पादित माल पड़ा है, करोड़ों लाखों का उस माल को बेचकर कोर्ट के आदेशानुसार जितने भी श्रमिकों की बकाया राशि है उसका भुगतान किया जायेगा। आज 1600 परिवार हैं। इस कारखाने के बन्द

(श्री हीरासिंह चौहान)

होने से लोग तबाह हो चुके हैं। बहुत सारे परिवार के लोग मर चुके हैं। बहुत सारे श्रमिकों का बकाया है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर कृष्णा मिल को पुनः चालू करने के लिए जिस प्रकार से सीमेण्ट फैक्टरी की व्यवस्था की जाती है उसी प्रकार से इसकी भी व्यवस्था की जाय।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर सीमेण्ट फैक्टरी का एक बहुत ही अहम सवाल है और इस मामले में विपक्ष के नेता महोदय, और इनकी पूरी पार्टी ने एक आन्दोलन किया था और आज के लोक सभा के माननीय सदस्य किरोड़ीलालजी भी थे। उन्होंने यह कहा था कि हमारी केन्द्र में सरकार बनते ही हमारे धुंआ निकलना शुरू हो जायेगा जब इसका भी धुंआ निकाल देंगे। उन्होंने उल्टी बात कही महावीरप्रसादजी ने तो। मेरा यह निवेदन है, चाहे सीमेण्ट फैक्टरी को चलने में एक साल लगे, जो पिछली सरकार जवाब देती थी वहीं जवाब इस सरकार के उद्योग मन्त्रीजी ने दिया है। फर्क कहीं भी नहीं है। पर मेरा एक सवाल है कि क्या अब सीमेण्ट फैक्टरी को साल, दो साल भी लग सकता है पर उन मजदूरों को एक दो साल तक आप किस प्रकार से उनकी सहायता करेंगे? उनको कहीं पर रोजगार देंगे या उनको आर्थिक सहायता देंगे या उनका कोई पुराना बकाया देंगे? इस मामले में सदन के नेता महोदय बतायें कि उन मजदूरों को किस प्रकार से सहायता देना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये, आपको जवाब.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं आपके माध्यम से कि सीमेण्ट फैक्टरी के मसले पर जिस प्रकार से यह सदन चिन्तित है और जिस प्रकार से भिन्न-भिन्न सदन के सदस्यों ने भी प्रश्न उठायें हैं। मैं यह चाहता हूं कि अविलम्बनीय लोक महत्त्व का प्रश्न मानते हुए इस पर आधे घण्टे की चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाय नियम 49 के तहत। (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष जी ऐसा है, आज सदन के नेता माननीय भैरोंसिहजी हैं उस समय विरोधी पक्ष के नेता भी थे। अपनी ओर से उन्होंने एक डाक्यूमेण्ट तैयार किया था, काफी अच्छे प्रपोजलस थे, फैक्ट्स एण्ड फिगर्श थी, साउण्ड फटिंग पर आ सकता है, को-ऑपरेटिस बेसिस का भी था। वह पेपेर्स जो आपके पास हैं उसका कोई एग्जामिन आपने या पूर्व सरकार ने किया होगा, उसके बारे में क्या राय थी पिछली सरकार की और आपकी मौजूदा सरकार की।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री जी का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, तो प्रश्न करते रहें। 12 बजे से आगे टाइम नहीं मिलेगा। देखिये, मैंने पहले दिन ही कहा था कि समय का प्रतिबन्ध आपको मानना पड़ेगा। प्लीज सिट डाऊन।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में सारे सदन ने जो चिन्ता व्यक्त की है, सरकार भी इसे चालू कराने के लिये उतनी ही चिंतित है और प्रयत्नशील है। जैसे माननीय सदस्यों ने अपने अनेक सुझाव दिये उसकी अंतिम स्थिति यह है कि बी. आई. एफ. आर., बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रीकंस्ट्रक्शन द्वारा इस सारे मामले को सीज किया हुआ है और उसकी जो आपरेटिंग एजेंसी है IRBI ने इस सारे प्रश्न पर कि यह फैक्ट्री किस प्रकार चालू हो सकती और कितने समय में चालू हो सकती है, इसे चालू होने में और कितने रूपये चाहिये और हर तरफ से कितना-कितना सेक्रिफाइस इसमें इन्वोल्व होगा, वह पैकेज इन्होंने तैयार किया है और तैयार करके वापस वह सारा उन्होंने बी. आई. एफ. आर. को दे दिया है। आज 21 तारीख को ही उस सम्बन्ध में मीटिंग थी। चूंकि राज्य सरकार इस प्रश्न को, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर जाकर के कोल्ड स्टोरेज में पड़ जाता है, वह कोल्ड स्टोरेज में नहीं पड़े और सरकार इस फैक्ट्री को किसी भी प्रकार से चालू करने की स्थिति में ला सके, इस नाते हमने आज समय मांगा है उनसे और उस सारे प्रश्न पर सरकार, गंभीरता से चिंतन कर रही हैं। क्या व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाया जा सकता है, जिसके आधार पर फैक्ट्री जल्दी से जल्दी चालू हो सके, इस नाते हम प्रयत्नशील हैं। जहां तक, अभी कहा कि को-ऑपरेटिव बेसिस पर, उसके अन्दर बोर्ड के सामने स्वयं मजदूरों ने अपनी को-आपरेटिव के आधार पर इस फैक्ट्री को चला सकते हैं, इस पर कितना पैसा इन्वोल्व होगा, वह सारा का सारा उस पैकेज के अन्दर है और उस पर विचार हो रहा है और शीघ्र ही उस पर निर्णय होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है....मैं प्रश्न से आगे नहीं जा सकता।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय केदारजी ने जो प्रश्न उठाया है, वह काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि विपक्ष के नेता जब वह पहले थे, उस समय उनके पास सारे डॉकुमेंट्स बने हुए है। अध्यक्ष महोदय, यह बडा गंभीर प्रश्न है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं और पूरा सदन इस पर चिंतित है और अभी नेता महोदय के पास इसके सारे डॉकुमेंट्स हैं, उन को मालूम है, उनके पास उनकी योजना है, अच्छा होगा, वह दो शब्द बोल दें।

श्री अध्यक्ष : आपकी व्यवस्था होगी या नियमों की व्यवस्था होगी ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, सदन चाहता है कि आप प्रश्न काल के समय आधा घंटे की चर्चा इस पर करवा दीजिये। जवाब देना चाहते हैं, आप देने दीजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : हम चाहते हैं कि इसका जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटे की चर्चा की प्रक्रिया है। इसका तरीका है, आपके यहां प्रश्न काल का तरीका है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस पर आधा घंटे की चर्चा करें। उस फैक्ट्री को चलाने के लिये जरूरी है, लोगों की भूख ज्यादा बड़ी है या सदन का समय। सदन का समय बढ़ाइये।

श्री अध्यक्ष : मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इस समय अपनी बात कहें।

श्री रामस्वरुप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन मजदूरों के ऊपर झूठे कैसेज लगाये जा रहे हैं, कम से कम उन कैसेज को तो वापस लिया जाये। उस फैक्ट्री को वापस चालू करवाया जाये, यह मेरा निवेदन है, झूठे कैसेज लगाये जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष ने सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री पुनः चालू करने के सम्बन्ध में चिंता प्रकट की है। मैं यह भी खुशी प्रकट करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जब आंदोलन चला था, उस समय सत्ता पक्ष से मेरी और आंदोलनकर्त्ताओं की कई बात बातचीत हुई थी। उस समय की सरकार ने यह स्पष्ट कह दिया था कि हम इस फैक्ट्री को नहीं चला सकते। परन्तु, उस फैक्ट्री को, हमने मांग की थी, जैसा प्रोफेसर केदार ने कहा कि उस समय ज्ञापन तैयार किया था ज्ञापन मेरे पास भी है और ज्ञापन सरकार के पास भी है। ज्ञापन के अनुसार हम चाहते थे कि सरकार इस फैक्ट्री को बंद करे, उससे ज्यादा अच्छा है कि यहां के श्रमिक कोई को-आपरेटिव बेसिस के आधार पर और खास तौर से राजस्थान में मेटल इंडस्ट्री जिस प्रकार से कार्पोरेटिंग इंडस्ट्री बना कर, उसके आधार पर उन्होंने उसको चालू कर रखी है, उसी पैटर्न के ऊपर सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का काम चालू किया जा सकता है। सरकार ने उस समय फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बताये। लेकिन हमने प्रयत्न करके लेबर की और से बी. आई. एफ. आर. के सामने लेबर को-आपरेटिव सोसाइटी किस प्रकार से इस फैक्ट्री को चला सकती है, एक लेबर की ओर से योजना प्रस्तुत की थी। लेबर की और से योजना प्रस्तुत हुई है और बी. आई. एफ. आर. ने अपनी तरफ से जो एजेंसी नियुक्त की थी उस एजेंसी ने भी बी. आई. एफ. आर. को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। आज उस सम्बन्ध में चर्चा होने वाली थी, लेकिन इस सारे प्रश्न के ऊपर जितना विचार करने में समय लगना चाहिये, उतना समय हमारे पास नहीं था। हमने बी. आई. एफ. आर. से रिक्वेस्ट किया है कि हमको और एक्सटेंशन दिया जाये। जहां तक फैक्ट्री को चलाने का प्रश्न आता है, मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जो यह चाहे कि फैक्ट्री बंद हो जाये। दुर्भाग्य से राजस्थान में कई उद्योग बंद पड़े हैं और उन उद्योगों का एक रास्ता यह निकाल लिया कि जो भी उद्योग बंद होता है या मजदूर उद्योग चालू करने के लिये मांग करते हैं, वहां पर हम बी. आई. एफ. आर. को भेज दें। मैंने इस एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा और पढ़ने के बाद में मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी राय यह बनती है कि बी. आई. एफ. आर. एक शक्तिहीन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संस्था है, यह केवल सलाह देती है। कोई भी पार्टी इसकी सलाह को माने या नहीं माने, जो भी कंसर्न्ड पार्टी हैं, सब, जब तक नहीं मानेगी, तब तक बी. आई. एफ. आर. भी कुछ कर सकेगी, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में में विपक्ष के नेता के रूप में भारत सरकार को भी पत्र लिखा था कि यह बी. आई. एफ. आर. एक इस प्रकार की संस्था नहीं बन जाये कि रुग्ण उद्योग उसमें चले जायें और जाने के बाद में मामला कई दिनों तक टाला जाता रहे और कोई सक्रिय कार्यवाही इस पर नहीं होगी। उसका पत्र तो नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से भी मैं बात करना चाहूंगा कि यह सारी रुग्ण इकाइयां यदि बी. आई. एफ. आर. के सामने कोई पैकेज प्रोग्राम को लेकर हम चलें, तो मुझे मालूम है कि कई मामले कई राज्यों के ज्यों ही बी. आई. एफ. आर. का कुछ अवार्ड आया और उस अवार्ड के अगेंस्ट में कोर्टस में चले गये और मामले कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, न राज्य सरकार कुछ कर सकती है न लेबर कुछ कर सकता है, न उद्योग लगाने वाले कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि बी. आई. एफ. आर. को जो राज्य सरकार की और से केस प्रस्तुत किया है, उसको भी मैं देखूंगा लेबर को-आपरेटिव बना कर जो उन्होंने एक पैकेज प्रोग्राम बनाया है, उसको भी मैं देखूंगा और देखने के बाद में सरकार की यह इच्छा होगी कि यह फैक्ट्री चले। दूसरा प्रश्न आया था कि वहां पर जितने भी श्रमिक थे, उनके सामने बिजली, पानी की समस्या है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब तक फैक्ट्री के बारे में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो जाये, मजदूरों को जो भी असुविधा हो, उस असुविधा को दूर करने की सरकार कोशिश करेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सोजत क्षेत्र में विद्युत् कनेक्शन

13. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 में विधान सभा क्षेत्र सोजत में कितने कृषि एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये गये तथा कितने कनेक्शन दिये जाने विचाराधीन हैं? उन्हें अब कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा?

(2) उक्त क्षेत्र में कितने ग्राम विद्युतिकृत हैं? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें सरकार द्वारा आगामी वर्षों में इस क्षेत्र में कितने ग्रामों का विद्युतिकरण किये जाये जाने का विचार है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में वर्ष 1989-90 में अब तक 98 कृषि

(ऊर्जा मन्त्री)

कनेक्शन एवं 1662 घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं। उक्त क्षेत्र में कृषि के 1118 व घरेलू कनेक्शन 3044 के आवेदन लम्बित हैं जिन्हें उपलब्ध वित्तीय संसाधन व वार्षिक योजना में लक्ष्यों के अनुरुप कनेक्शन दिया जाना संभव होगा।

(2) सोजत विधान सभा क्षेत्र में कुल 114 ग्राम तथा एक कस्बा सोजत रोड़ सम्मिलित हैं। ये सभी ग्राम एवं कस्बा विद्युतिकृत किये जा चुके हैं। सूची "अ" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

तहसील रामगढ़ (अलवर) में सिंचाई

14. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले की रामगढ़ तहसील के कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है ? इस क्षेत्र में कितने बांध निर्मित किये जा चुके हैं और कितने बांध निर्माण का प्रस्ताव है ?

(2) निर्माणाधीन बांधों के निर्माण के बाद कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी तथा कब तक इनसे सिंचाई प्रारम्भ हो जायेगी ?

(3) क्या बेरे (रामगढ़) के बांध का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी राशि व्यय होगी तथा यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) रामगढ़ तहसील में, पेटाकाश्त व नहरों द्वारा कुल 1500 एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग के 8 बांध निर्मित हैं व इस क्षेत्र में कोई भी नये बांध के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

(2) इस क्षेत्र में कोई भी नई योजना प्रस्तावित नहीं है और न ही कोई निर्माणाधीन है। अतः इस कारण कोई नई सिंचाई प्रारम्भ होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) बेरे बांध नाम की कोई योजना सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है तथा न ही प्रस्तावित या निर्माणाधीन है।

मरुस्थल कॉम्पलेक्स योजना

15. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पर्यटन विकास से संबंधित मरुस्थल कॉम्पलेक्स योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति की दिशा में कार्य कब से प्रारम्भ करवाकर कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(2) मरुस्थल के इलाकों में विभिन्न किलों को फ्लड लाइट से कब तक सुसज्जित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) यद्यपि मरुस्थल कॉम्पलेक्स नाम

(पर्यटन मंत्री)

से कोई विकास योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है, तथापि मरुस्थल क्षेत्र के बीकानेर, जौधपुर और जैसलमेर पर्यटक स्थलों का एक पर्यटक परिपथ बनाकर सम्पूर्ण परिपथ को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने का विचार है, जिसके अनुसार जैसलमेर में एक शिल्प ग्राम, जौधपुर में एक यात्री निवास, रामदेवरा में एक यात्रिका, ओसियां में एक केफेटेरिया, केलाना (जिला जौधपुर) में एक पर्यटक परिसर निर्माण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। राज्य योजनान्तर्गत गुलाब बाग, जौधपुर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन है। सभी कार्य वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर ही क्रियान्वित किये जा सकेंगे।

(2) जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की फ्लड़ लाइटिंग की जा चुकी है तथा बीकानेर एवं जैसलमेर के किलों की फ्लड़ लाइटिंग के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए है। ये कार्य स्वीकृति प्राप्त होने पर चालू किए जा सकेंगे।

ग्राम गिराब (चैत्रोड़ी) जिला बाड़मेर में 33 के. वी. लाइन

16. श्री अमीन खां (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के ग्राम गिराब (चैत्रोड़ी) में 33 के. वी. विद्युत लाइन लगाने का 3 साल पूर्व लक्ष्य निर्धारित था ? यदि हां, तो अभी तक कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ ?

(2) समय पर कार्य पूर्ण नहीं किये जाने में कौन-कौन अधिकारी दोषी है एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, बाड़मेर जिले के ग्राम चेतरोड़ी के लिये एक 33 के. वी. लाइन रामसर-चेतरोड़ी के निर्माण का कार्य वर्ष 1987-1988 की वार्षिक योजना में कार्य हेतु स्वीकृत किया गया था। इसका प्रारम्भिक कार्य उसी वर्ष शुरु कर दिया गया था। इस लाइन के पोल खड़े करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा तार डालने का कार्य प्रगति पर है, जिसको सामान की उपलब्धता व वित्तीय संसाधनों के अनुसार शीघ्र ही पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) वार्षिक योजना मद में इस कार्य हेतु प्रावधान की सीमितता एवं मैचिंग मैटिरियल उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य में यह विलम्ब हुआ है। अतः इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

टौंक जिले में सड़क निर्माण

17. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्धारित मानदण्ड के अनुसार टौंक जिले के किन-किन ग्रामों को सड़कों से जोड़ दिया गया है और कौन-कौन से

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

ग्राम शेष हैं और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) शेष ग्रामों को सड़क से जोड़ने की क्या योजना है और इसकी क्रियान्विति कब तक करने का विचार है ?

(3) उक्त जिले में विभिन्न योजनाओं के विभागीय कार्य के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 से वर्ष 1989-90 तक सड़क निर्माण पर प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार व योजनावार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार टोंक जिले में 51 गांव (सूची-1 अ) 1500 की जनसंख्या से ऊपर (जनगणना 1971) तथा 34 गांव (सूची-1 ब) 1000 से 1500 तक की जनसंख्या के है जिनको सड़क से जोड़ दिया गया है शेष 1500 की जनसंख्या से ऊपर के 16 गांव (सूची–2) तथा 1000 से 1500 तक की आबादी के 23 गांव (सूची–3) बचे हुए है। धनाभाव के कारण ये गाँव सड़कों द्वारा जोड़े नहीं जा सके हैं।

(2) उपरोक्त 16 गांवों में से 5 गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना स्वीकृत है (सूची–4)। ये सभी सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन स्वीकृत सड़क कार्यों को तथा शेष गांवों को जोड़ने की सड़कों के कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(3) जिले में विभिन्न योजनाओं एवं विभागीय कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न है (सूची-5) ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

राज्य के शहरों में सफाई व्यवस्था

18. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान की अधिकांश नगरपालिकाओं व नगर परिषदों की आर्थिक, स्थिति खराब हालत में है जिससे नगरपालिकाएं विकास के कार्य, सड़कों व नालियों की मरम्मत व सफाई आदि की व्यवस्था पर पर्याप्त राशि खर्च नहीं कर पा रही है ?

(2) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के विषय में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि नगरों की सीमा बढ़ने से व कच्ची बस्तियों के बढ़ने से सफाई कर्मचारियों की संख्या आबादी के अनुपात में कम है ? इनकी संख्या में वृद्धि के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) जोधपुर शहर में 1981 में क्या आबादी थी व सफाई कर्मचारियों की संख्या क्या थी ? अब आनुपातिक आबादी के

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

सन्दर्भ में, सफाई कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

उत्तर

(1) राजस्थान की कुछ नगर परिषद्/नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण विकास कार्यों पर पर्याप्त राशि खर्च नहीं हो पा रही हैं।

(2) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राज्य स्तर पर विशेष साधन जुटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(3) सफाई कर्मचारियों की संख्या में आबादी के अनुसार वृद्धि करने हेतु नगर-परिषद्/नगरपालिकाओं से प्राप्त प्रस्ताव पर उनकी आर्थिक स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए स्वीकृति हेतु विचार किया जाता है।

(4) जोधपुर शहर में 1981 में 5,06,345 आबादी थी। सफाई कर्मचारियों की संख्या सन् 1981 में 1,832 थी तथा अब 2032 हैं।

बीसलपुर परियोजना

19. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर परियोजना कब स्वीकृत हुई ? परियोजना का ब्ल्यू प्रिण्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) बीसलपुर परियोजना में सन् 1986 से वर्ष 1990 तक प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी राशि मुख्यतः किस-किस काम के लिये स्वीकृत हुई एवं प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी राशि किस-किस मुख्य कार्य में व्यय की गई ? संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु बजट प्रावधान के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) योजना आयोग से परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा इस योजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ-3 (8) ए. एस/आई/सेल/82/1230-36 दिनांक 14/10/86 द्वारा रुपये 52 करोड़ की प्रदान की स्वीकृति परियोजना के प्रावधान (ब्ल्यू प्रिन्ट) के अन्तर्गत बीसलपुर ग्राम के पास बनास नदी पर क्रेस्ट लेवल तक बांध का निर्माण किया जा रहा है। जिससे अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, सरवाड़ एवं केकड़ी शहरों को पेयजल की सन् 2001 तक की आपूर्ति की जा सकेगी।

(2) परियोजना पर सिंचाई विभाग द्वारा बांध का कार्य कराया जा रहा है। परियोजना पर वर्ष वार बजट आवंटन व व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

(सिंचाई मंत्री)

बजट आवंटन वर्षवार व व्यय का मानचित्र (लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट आवंटन			व्यय		
	निर्माण कार्य मय साधारण पुर्जे व मशीन और उचंत मद	संस्थापन	योग	निर्माण कार्य मय साधारण पुर्जे व मशीन और उचंत मद	संस्थापन	योग
1986-87	70.13	19.87	90.00	78.32	12.68	91.00
1987-88	650.36	44.64	695.00	646.23	48.60	694.83
1988-89	1165.53	84.47	1250.00	1180.50	69.46	1249.96
1989-90	1701.95	198.05	1900.00	1076.09	105.43	1181.52
				(माह फरवरी तक का व्यय)		
योग-	3587.97	347.03	3935.00	2981.14	236.17	3217.31

(3) परियोजना के बांध का कार्य माह नवम्बर 1987 से शुरू किया गया था तथा वर्ष 1988-89 तक बजट आवंटन के अनुरुप उपयोग कर प्रस्तावित कार्य किये गये है। वर्ष 1989-90 में आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो सकेगा। इसका मुख्य कारण नदी के भाग का कार्य जिस ठेकेदार को आवंटित किया गया था, उसके द्वारा कार्य का प्रारम्भ नहीं करना है। इस ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर दूसरे ठेकेदारों को कार्य आवंटित करने में समय लगने के कारण आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि यथा संभव प्रयास किये जा रहे हैं कि अगले वर्षों में कार्य की कमी को पूर्ण कर लिया जावेगा ताकि बांध में, योजना अनुसार वर्ष 1991 की वर्षा ऋतु के पानी को संग्रहित किया जा सके और पेयजल के लिये उपलब्ध कराया जा सके।

अतारांकित प्रश्न संख्या 20
(स्थगित)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में किसानों

(श्री अध्यक्ष)

को दिन में बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(2) श्री गोविंद सिंह गुर्जर, श्री बुलाकीदास कल्ला और श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले के पीसांगन कस्बे में हुए साम्प्रदायिक दंगे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से कल सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा, अतः मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में विशेषकर पचपदारा विधान सभा क्षेत्र में अकाल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति लालसोट के गांव में पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पिछली सरकार द्वारा भीलवाड़ा व राज्य के अन्य जिलों में नवें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत नये प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि में भेदभाव बरतने और उसका दुरुपयोग होने की संभावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जिले में माही डैम के दाई मुख्य नहर की कन्डाव माइनर की आर. डी. नं. 14 हजार मुखिया माइनर निकलवा कर साढ़े चार हजार बीघा सूखी पड़ी भूमि को माही डेम का पानी सप्लाई करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामप्रताप कासनिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीलीबंगा, गंगानगर, सूरतगढ़ व टीबी क्षेत्र में शेम की समस्या से फसल नष्ट होने की समस्या के समाधान व मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के करोली क्षेत्र में पीने के पानी की भारी कमी के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मंडी समिति में किसानों की उपज की उचित कीमत दिलाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, राजस्थान विधान सभा की ओर से सीकर शहर में पीने के पानीकी समस्या के सम्बन्ध में।

(10) श्री जुबेरखां, सदस्य, विधान सभा की ओर से कश्मीर घाटी से भाग कर, राजस्थान आये परिवारों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामकरण सिंह।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर। यह कहा गया कि सरकार पीसांगन कस्बे में जो दंगा हुआ है परसों रात को, उसके बारे में कल वक्तव्य देगी। परसों रात को दंगा हुआ, कल और आज दो दिन····

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : आप चिन्ता मत करो, मैं आज भी दे सकता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज दे दीजिए, ऐसे महत्वपूर्ण मामले में····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी दे रहा हूं, तैयार खड़ा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ठीक है, आज दे दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी मांग होनी चाहिए कि हम तो एकोमोडेट करते हैं कि आपने कहा और तैयार हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे भरोसा था। आज कब देंगे, समय बता दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य की बैचेनी का समाधान कर सकूं।

श्री कालीचरण सराफ : यह आप वाले मुख्य मंत्री नहीं हैं····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आपका नाम बोला है तो आपका नम्बर आयेगा।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अगर आसन यह कहता है कि एक दफा इजाजत देने के बाद में दोबारा मुझे बैठा रहा है तो यह आसन की परम्परा देख लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : यह दोनों अधिकार मुझे प्राप्त हैं इसलिए आप बिराजिये।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, दोनों अधिकार हैं लेकिन एक जगह कुछ व्यक्ति मरे उसका इतना महत्त्व नहीं है जो पूरे हिन्दुस्तान में राष्ट्र का एक किसान मरता है, किसान तो राष्ट्र को जिंदा रखने वाली एक ऐसी चीज है उसके बारे में आपको चिंता नहीं है, यह बहुत अफसोस की बात है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय मुख्यमंत्री।

शासकीय वक्तव्य

पीसांगन ग्राम में साम्प्रदायिक दंगा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से दिनांक 19 मार्च, 1990 को शीतलाष्टमी पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली की गैर गांव पीसांगन, जिला अजमेर के मुख्य मार्गों से रात्रि को साढ़े दस बजे सामान्य तौर पर गुजर रही थी। यह गैर तेलीपाड़ा में गागोरिया चौक पर पहुंची तो एक समुदाय विशेष के मकानों की ओर से गैर के लोगों पर पथराव किया गया। फलस्वरुप गैर में भगदड़ मच गई और भारी मात्रा में दोनों ओर से पथराव प्रारम्भ हो गया। गैर के जुलूस के साथ मौजूद दो पुलिसकर्मी इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके। पुलिस थाना पीसांगन पर भी पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। जिला मुख्यालय को सूचना दी गई, वहां से सूचना मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक (देहात), अजमेर व उप महा निरीक्षक पुलिस, अजमेर भी मोके पर पहुंचे। भीड़ को तितर-बितर करने हेतु पुलिस ने दस राउण्ड हवा में फायर किये। हवाई फायर किये जाने के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश, अजमेर व अतिरिक्त पुलिस बल भी पीसांगन पहुंच गया व स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया। परन्तु इस दौरान उपद्रवी भीड़ ने निम्न लिखित नुकसान किया :–

1. एक व्यक्ति की रजाइयों में आग लगा दी।

2. उपरोक्त स्थान के पास के मकान के पास कांटे की बाड़ व कुछ घास में आग लगा दी।

3. एक लकड़ी की थड़ी, जिसमें किराने का सामान बेचा जाता था, में आग लगा दी गई।

यह घटना देर रात को लगभग एक-डेढ़ बजे हुई। उस समय तक फायर ब्रिगेड अजमेर से पीसांगन पहुंच चुका था एवं आग तुरन्त बुझा दी गई। इस आगजनी में मामूली क्षति हुई है। थड़ी वाले को दो हजार रुपये की सहायता राशि दे दी गई है। उपरोक्त घटना में दो पुलिस कर्मियों सहित 11 व्यक्तियों को पथराव के कारण चोटें आई हैं। सभी चोटें साधारण हैं एवं किसी की भी स्थिति गम्भीर होना नहीं बताया गया है। उपरोक्त घटना के विषय में 44 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया। इस घटना के सम्बन्ध में अपराध, मुकदमा नं. 12/90 धारा 147, 148, 149, 336, 436, 323 व 307 आई. पी. सी. के अन्तर्गत पुलिस थाना पीसांगन में पंजीबद्ध किया गया। धारा 144 सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिया गया। उप महा निरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज अजमेर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधीश मौके पर मौजूद हैं एवं आयुक्त भी दिनांक 20-3-90 को पीसांगन चले गये। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल पीसांगन में मौजूद है। स्थिति यद्यपि उपरोक्त घटना की वजह से तनावपूर्ण है परन्तु पूर्णतया नियंत्रण में है।

इस घटना की उत्पत्ति के विषय में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बताया गया कि दिनांक 18 मार्च, 1990 की एक समुदाय के लड़के ने दूसरे समुदाय के लड़के के गुलाल लगा दी जिससे इनमें आपस में कहा-सुनी व थापा-मुक्की हुई और 6 व्यक्तियों को साधारण चोटें आई। परन्तु दोनों पार्टियों ने पुलिस थाने में जाकर राजीनामा कर लिया व कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। इस कारण कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दिनांक 19 मार्च, 1990 को जिन लोगों के बीच झगड़ा हुआ था, सम्भवतया वह दिनांक 18 मार्च, 1990 के उपरोक्त झगड़े से सम्बन्धित लोग हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम पीसांगन में साम्प्रदायिक झगड़े का कोई पूर्व इतिहास नहीं रहा। माह सितम्बर, 1988 में कब्रिस्तान की भूमि के बारे में कुछ तनाव रहा था किन्तु हिंसा या अन्य कोई घटना घटित नहीं हुई। शीतलाष्टमी की गैर हर वर्ष निकाली जाती रही है, उसमें कभी कोई साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं हुआ। गैर निकालने की स्वीकृति नहीं दी गई थी तथा हैड कांस्टेबल को, जो उस समय थानाधिकारी के रूप में कार्यरत था, उस दिन यानि दिनांक 19-3-90 को सायंकाल 4 बजे सूचना दे दी गई कि हम गैर निकालेंगे। इस घटना में एक हैड कांस्टेबल, जो तत्कालीन थानाधिकारी था, जो कर्तव्य विमुख था और लापरवाही के लिए निलम्बित कर दिया गया है। साथ में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य में कानून और व्यवस्था सम्बन्धी मामले में और विशेषकर साम्प्रदायिक मामलों को निपटने के लिए एक महा निरीक्षक पुलिस पद के अधिकारी को विशेष तौर से जिम्मेदार बनाया जाय ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कल्लाजी। केवल सवाल पूछेंगे आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, घटना परसों साढ़े दस बजे घटित हुई, उसके कितनी देर बाद वहां पुलिस पहुंची? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दो पुलिस कर्मी घायल हुए, हमारी सूचना के आधार पर 13 पुलिस कर्मी घायल हुए। केवल मात्र एक व्यक्ति को आपने दो हजार रुपये दे दिये, बाकी लोगों को आपने कितनी सहायता देनी है? उसके साथ-साथ सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ? गोविन्दगढ़ और आस-पास के कस्बों में भी तनाव है। क्या इस दंगे को देखते हुए आपने पूरे राजस्थान में रेड-अलर्ट कर दिया है ताकि भविष्य में इस प्रकार के दंगे न हो सकें? अध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही इस सदन में यह बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद अपराधी निर्भय हो गये हैं। उस समय बीस-पच्चीस सदस्यों ने खड़े होकर व्यवधान डाला और यह नतीजा आपके सामने है। क्योंकि हमारा यह स्पष्ट चार्ज है कि भारतीय जनता पार्टी में एक-दो लोगों को छोड़ दीजिए आप, बाकी प्रायः जो लोग हैं, वह संकीर्ण विचारधारा+++ के हैं....(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशनुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि भविष्य में दंगे न हो और इस दंगे की न्यायिक जांच करवाई जाय ताकि दंगे में शामिल लोगों के बारे में पता लग सके.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : संकीर्ण विचारधारा जो शब्द है, एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सदस्य अपने शब्द वापस लें। यह कैसा आरोप लगाया है कि संकीर्ण विचारधारा के हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

एक माननीय सदस्य : कहने का अवसर दिया जाय — (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय कल्ला जी, दस साल आपने इस विधान सभा में रह कर भी कुछ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हीरालाल जी देवपुरा।

श्री देवीसिंह भाटी : आप भड़काने वाली बात न करें, आप तो बहुत ही समझदार, मतलब, बढ़ने वालों में हैं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सत्ता पक्ष ने राजस्थान की जनता का अपमान किया है।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : बौखला रहे हैं विपक्ष में बैठ कर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तेजित न हों।

श्री अचला राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, संकीर्ण विचारधारा शब्द आया है, यह शब्द एक्सपंज किया जाय।(व्यवधान) यह स्पष्ट आरोप है, संकीर्ण विचारधारा। हम सब पर आरोप लगाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस शब्द को वापस लिया जाय एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब नाराजगी से नहीं दिया जायेगा। बैठिये आप।

श्री हीरासिंह चौहान : आप व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हीरासिंह जी, बैठिये आप।

श्री हीरासिंह चौहान : आप व्यवस्था कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान) आप बैठिये। कृपया विराजें। माननीय सदस्य, जब मैं खड़ा हूं तो आपको उठना नहीं चाहिए, यह नियम है। हाउस का डेकोरम मेण्टेन करिये। माननीय श्री परसराम जी मदेरणा।

श्री कालीचरण सराफ : कांग्रेस (आई) हार गयी। इस हार से बोखलाकर यह कांग्रेस वाले दंगा करवा रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : पहले तो कल्ला साहब माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा। आप बैठिए।

श्री हीरासिंह चौहान : पहले इसकी व्यवस्था दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजेंगे तब तो व्यवस्था दूंगा ना। व्यवस्था का मौका आयेगा तब व्यवस्था दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस सदन में बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप बहुत सीनियर हैं, आप केवल सवाल करें। मैं इसको अलाऊ नहीं करूंगा आप केवल सवाल करें।

श्री परसराम मदेरणा : क्या अलाऊ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं करूंगा कि आप उत्तेजित करें या चार्ज लगायें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये ना, मैंने कहा आप सवाल पूछिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कुछ बोले ही नहीं और आप पहले ही चेतावनी देने लगे।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कहा कि आप सवाल पूछिए। आप पहले से रिमार्क्स क्यों कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप मुझसे पूछते कि मैं क्या पूछ रहा हूं? आपने आभास कैसे कर लिया।

श्री अध्यक्ष : माफ करिये। मैंने आपको सवाल पूछने की इजाजत दी है। आप सवाल पूछिए।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न संख्या एक। मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य में इस बात का उल्लेख है कि 18 मार्च, 1990 को इसी जगह पर, पीसांगन में झगड़ा हुआ था जिसमें 6 आदमियों को चोटें आयी थीं। अगर यह तथ्य है तो आपने गवर्नर एड्रेस में पूर्व सरकार पर चार्ज लगाया है कि समय पर एडीक्वेट स्टेप्स नहीं लिये लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचवेशन मेण्टेन करने में। लोग घायल हो गये, पुलिस स्टेशन में गये, 18 तारीख को झगड़ा हुआ। फिर आपने लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचवेशन मेण्टेन करने की सतर्कता पीसांगन में क्यों नहीं बरती? प्रश्न संख्या–दो, मिस्टर स्पीकर, मुख्य मंत्रीजी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि कई राउण्ड गोलियां चलीं। यह राउण्ड गोलियां किसने चलायीं? क्या स्थिति इतनी खराब थी? गोली चलाने से कोई घायल हुआ क्या? गोली किसके आदेश से चली? मजिस्ट्रेट उपस्थित था या

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं ? या स्थिति को काबू में लेने के लिये, नियंत्रण में लेने के लिये पुलिस के अधिकारियों ने गोली चलायी या पुलिस के कांस्टेबल ने गोली चलायी या सब इन्सपैक्टर ने गोली चलायी। जब 18 तारीख को यह झगड़ा हो गया था तो क्या मुख्य मंत्रीजी यह समझते हैं कि लोकल प्रशासन ने, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने एहतियात तौर पर एडीक्वेट स्टेप्स लिये थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य में भी यह बात स्पष्ट कर चुका हूं कि 18 तारीख की घटना के सम्बन्ध में वहां थाने पर केवल एक हैड कांस्टेबल था और बाकी कान्स्टेबल थे। हैड कान्स्टेबल के सामने जब रिपोर्ट आयी तो दोनों पक्ष वहां चले आये और दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया, दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। हैड कान्स्टेबल ने यही गलती की कि उसने इस सारी घटना की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी और इसी कारण उसको निलम्बित किया गया है।

जहां तक एहतियात बरतने का सवाल है। 10 तारीख को पूरे जिले में हर सब इन्सपैक्टर के पास यह सूचना भेज दी गयी थी कि कहीं भी दंगे की सम्भावना हो या इस प्रकार की स्थिति बनती है तो तुरन्त ही जिला प्रशासन को वह प्रकार की इन्फोर्मेशन दें। वह सूचना नहीं दी। वहां का सब इन्सपैक्टर नागौर में एक तारीख पेशी में गया हुआ था। दो दिन तक तारीख पेशी थी और बीच में वह छुट्टी पर चला गया इस कारण सब इन्सपैक्टर वहां नहीं था।

माननीय कल्ला साहब की बात पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा 13 कान्स्टेबल वही थे....

श्री बुलाकीदास कल्ला : 13 कान्स्टेबल के लगी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 13 के लगी होती तो ज्यादा से ज्यादा 100 के करीब होंगे जिनमें से 13 चोटें आयीं। 13 आदमी होते तो शायद दंगा ही नहीं होता। आदमी केवल दो थे और दो उस सारी भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। भीड़ जब काबू से बाहर जा रही थी उस समय पुलिस अधिकारियों ने हवाई फायर किया ताकि भीड़ डर जाये और शांति और व्यवस्था कायम हो जाय। मैं समझता हूं किसी ने किसी प्रकार की गलती नहीं की। जिसने गलती की है उसको निलम्बित किया गया है। आपने यह भी कहा कि आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। हम ने एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में प्रबन्ध किये हैं और मुझे विश्वास है कि इस इन्तजाम के बाद इस प्रकार की घटना नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरा एक प्रश्न तो माननीय परसरामजी ने पूछ लिया। मैं तो मुख्यमंत्रीजी से यही जानना चाहूंगा की अभी आपने माननीय मदेरणा साहब के प्रश्न के उत्तर में कहा कि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

10 तारीख को आपने पर्टीक्यूलरली अजमेर जिले में यह हिदायत दी थी कि इस प्रकार की घटना कोई हो तो जिला प्रशासन को सूचना दे देनी चाहिए। मतलब यह हुआ कि 10 तारीख से आप विजिलेंट थे इस बात के लिये कि स्टेट में कहीं भी साम्प्रदायिकता के दंगे नहीं हों, यह आपकी बात से झलकता है। लेकिन जब 18 तारीख को प्रकार की घटना हुई और उस घटना पर इन्तजाम न करना। यह घटना वहां रंग डालने के कारण हुई है, आपने बताया कि और भी फैक्ट्स हैं। इसके साथ-साथ गैर का कार्यक्रम आगे चलता है। तो केवल इसलिए कि वहां पर समझौता हो गया दोनों पार्टियों में राजीनामा हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन यह समझे कि आगे कोई उत्तेजना पैदा नहीं होगी और आगे कोई घटना नहीं होगी। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी भूल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक बार में पूछ लें सब फिर सबका जवाब दे दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक ही सवाल पूछना है अध्यक्ष महोदय, इस मामले में दो बात हुई। जब जुलूस निकल रहा था पत्थरबाजी हुई ऊपर से, उसके बाद आगजनी की घटना हुई हानि भले ही कम हुई लेकिन आगजनी की घटना हुई दोनों पक्षों के खिलाफ केसेज कायम किये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वह कौन हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रख दें। बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, क्या पीसांगन में कोई एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पोस्ट है, तहसीलदार या कोई ? अगर है तो थाने से ऊपर के लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया और नहीं किया तो छोटा सा पीसांगन है क्या कार्यवाही की गयी ? क्या वहां पर हैड कान्स्टेबल और कान्सटेबल दो ही पद हैं और होली जैसे त्यौहार में दो कान्स्टेबल रहना.... नहीं। शीतला अष्टमी जैसे त्यौहार पर दो ही कान्स्टेबल रहें तो एक तरह से जैसा होता रहा है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहा गया दो कान्स्टेबल थे तो दो ही क्यों थे इसके बारे में कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : सामान्यतः जिन लोगों ने एडजोर्नमेण्ट मोशन दिये हैं उनको ही सवाल पूछने का अवसर दिया जाता है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ऐसा है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

प्लीज हीयर मी फर्स्ट। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारे पास प्रश्न के अलावा है ही क्या ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इस तरह की व्यवस्था देकर आप यह कह रहे

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

हैं.... जब कोई वक्तव्य सदन में आ जाता है तो वह सदन की प्रोपर्टी हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस तरह से.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अध्यक्ष महोदय पर कार्यवाही नहीं थोप सकते हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सदन के अन्दर कोई भी प्रश्न आ जाता है तो सदन की प्रोपर्टी हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते ? आप मुझे सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। बोलिए बोलिए। आप बोलिए एक साथ खड़े हो जायं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : बोलेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप सदन के गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी गरिमा तो आप तब रखेंगे जब रखेंगे। मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही आप ऐसे खड़े हो गये जैसे कोई नया सदस्य हो। आप बहुत ही संजीदा हैं। बड़े पुराने लोग हैं। मैं आपसे बड़ी अपेक्षाएँ रखता हूं। मगर मुझे खेद है यह कहते हुए कि आज आप मेरी अपेक्षा पर कुठाराघात कर रहे हैं।

मैं निवेदन यह कर रहा था, सामन्यतः प्रश्न वह ही पूछते हैं या जो नेता जिनको मैं अलाऊ करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसको इतना जनरलाइज कर दिया जाय कि हर माननीय सदस्य को मैं अलाऊ कर दूं, इसकी एक सीमा है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि जब भी आप सवाल पूछें तो कृपया मुझे किसी तरह का इशारा तो करें। हाथ उठाने में संकोच करते हैं तो अंगुली से या किसी तरह से पर आपतो खड़े होकर के यह समझ लेते हैं जैसे इजाजत मिल गयी है। मैं समझता हूं कि इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। यह नियमों के विपरीत है। मुझे आप पूछ लिया करें। मैं आपको अलाऊ कर रहा हूं, सबको बराबर करता जा रहा हूं। आपकों मैंने निवेदन किया आपको मैंने मना नहीं किया लेकिन व्यवस्था रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप बोलने की सूचना तो देंगे। अगर मेरी गरिमा पर कुठाराघात करते जायेंगे तो गरिमा नहीं रहेगी। गरिमा तब रहेगी जब आप मेरी गरिमा रखेंगे, आसन की गरिमा रखेंगे और मैं आपकी गरिमा रखूंगा और आप खड़े होकर पूछेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से आसन की पूरी गरिमा रखी जानी चाहिए और रखी जाती है, रखी जाती रही है। सवाल यह था कि आपने यह कहा था कि स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रश्न होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अभी आपने दुबारा कहा उस वक्त इसमें भी स्पष्ट हो गया। वाक्य पूरा नहीं हुआ समझ गया मैं। लेकिन आपने अभी कहा उसमें भी मुझे कुछ निवेदन करना है। यह स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न नहीं था अध्यक्ष महोदय, यह मुख्यमंत्रीजी के वक्तव्य नहीं देते और केवल स्थगन प्रस्ताव पर बात होती आप जो कह रहे हैं वह सही था लेकिन वक्तव्य दे दिया। वक्तव्य पर प्रश्न पूछे जायेंगे यह सारे सदन का अधिकार है कि प्रश्न पूछे यह सवाल था।

श्री अध्यक्ष : आप लोगों ने सवाल पूछे मैंने किसी को मना नहीं किया लेकिन जो सीमायें है, पूरे हाऊस के सदस्यों को तो मैं अलाऊ नहीं कर सकता कि प्रश्न पूछे। आप तय कर लीजिए। हर माननीय सदस्य सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है सदन यदि इस बात से सहमत हो कि जो उपस्थित माननीय सदस्य हैं हर आदमी सवाल पूछें और मैं बैठा रहूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं आप तय कर लीजिए। मैं यही कह रहा हूं इसलिए मुझे कहीं न कहीं प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। या तो यह है कि अपना नाम लिख कर भेज दे कि मैं पूछना चाहता हूं या आप इशारा करें कि मैं पूछना चाहता हूं। एक साथ पांच-पांच आदमी खड़े हो गये और एक साथ पूछ रहे हैं यह सवाल पूछने का तरीका नहीं है। इस विषय को मैं समाप्त करता हूं। गहलोत साहब आप सवाल पूछ रहे थे, आप पूछिये।

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अंगुलियां उठाने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आई कैच करने का है। आई कैच करने का कोई तरीका आप निकालें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति प्रतिपक्ष सर्वोच्च सम्मान रखता है और आसन का दायित्व है कि आप प्रतिपक्ष के अधिकारों का संरक्षण करें। इस हाऊस की बैठक का तीसरा दिन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि आप सत्ता पक्ष की ही तरफ देखते हैं हम यदि कहें तो कैसे.... (व्यवधान)

आप मेरी आई को कैच करें। मेरी तरफ देख रहे हैं इसलिए आप कभी-कभी इस तरफ भी देख लिया करिये ताकि हम लोग भी कुछ कह सकें।

श्री अध्यक्ष : यह मेरा दुर्भाग्य है कि आपके यहां कोई ऐसा आकर्षित चेहरा नहीं है जो मेरी आंखें देखे। माननीय गहलोत साहब।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उन परम्पराओं की बात तो कहना नहीं है। देवपुरा और मदेरणा साहब ने कह दिया है प्रश्न यह है मेरा मुख्यमंत्री जी से पहली बात तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यहां पर पहले कहीं इस प्रकार का दंगा कभी हुआ नहीं है यह उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शीतला अष्टमी का यह मेला

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

हर वर्ष भरता है क्या पहली बार तो नहीं भरा अगर हर बार भरता है तो वो वहां की सुरक्षा की व्यवस्था तथा वहां पर नियन्त्रण करने की प्रशासन की जिम्मेदारी अपने आप स्वतः ही बनती है।

दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पीसांगन थाने की पुलिस कान्सटेबल की कुल स्ट्रेन्थ कितनी हैं? और तीसरी बात, जो मदेरणा साहब ने कही थी उसका जवाब भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया कि जो हवाई फायर हुये वह किसके आदेश से हुये इस बात का जवाब अभी तक साफ नहीं कहा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्ला जी मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि मैं आपको दुबारा मौका नहीं दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा अधिकार है मौका देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय हेतराम जी पूछिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने जवाब दिया उसमें एक चीज स्पष्ट नहीं है यह जो दंगा हुआ यह जो पहले राजस्थान में दंगे हुये इसी तरीके के साम्प्रदायिक दंगे, उसमें एक चीज और देखने को मिली कि कुछ लोगों ने षड़यंत्र करके दो समुदायों को लड़ाने के लिए दंगा करवाया। यह जो लोग है पीसांगन के, पेपर्स में कुछ समाचार इस तरीके आये है कि कुछ हथियार, कुछ तलवारें, कुछ चीजें बरामद हुई है। क्या यह दंगा भी इसी तरह का कोई षड़यन्त्र कुछ लोगों का है या लोग जुलूस को देखकर पहले घटनायें हुई थी उससे प्रभावित हो गये। मैं यह स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री महोदय से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पहले दंगा हुआ उसके ढाई घंटे बात फिर दुबारा लोगों के मकान जलाये गये। पहले कितने लोग घायल हुयें, बाद में कितने लोग घायल हुये और तब तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न था कि थाने की स्ट्रेन्थ कितनी थी और कितने आदमी वहां पर मौजूद थे। थाने की कुल स्ट्रेन्थ है एक एस. आई., एक हैड कान्सटेबल और 12 कांसटेबल तीन कान्सटेबल छुट्टी पर थे। एक ड्यूटी पर गया हुआ था बाहर, दो लोग पुलिस लाइन में ट्रेनिंग के लिए गये थे। एक बीमार था। सन्तरी ड्यूटी पर दो थे और वायरलैस ड्यूटी पर एक आदमी था इस सारी स्ट्रेन्थ में दो आदमी सम्भव हो सके जो उस गैर के साथ गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दूसरा प्रश्न आपका था कि 18 तारीख को यह घटना हो गयी और उस 18 तारीख की घटना की जानकारी मिलने के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्यवाही क्यों नहीं की। मैं ऐसा समझता हूं कि 18 की घटना की जानकारी मिलने के तारीख की इन्फोरमेशन हैड कान्सटेबल दे देता तो शायद यह घटना घटित नहीं होती। लेकिन 18 तारीख की सूचना नहीं दी गई इसी कारण से हैड कान्सटेबल को मुअत्तिल किया गया। वहां अगर सूचना मिलती तो पीसांगन कोई दूर नहीं है। फोर्स जा सकती थी। इस मामले को नियन्त्रण में रखा जा सकता था। लेकिन उसने यह समझ लिया कि 18 तारीख को घटना हुई दोनों पक्ष बैठ कर राजीनामा कर गये अब कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन वह यह अन्दाजा लगा लेता कि इस कारण किसी प्रकार और झगड़ा हो जाय वह अन्दाजा नहीं लगा सका उसने उसकी सूचना नहीं दी उसी कारण उसको सस्पैण्ड किया गया तीसरी बात यह पूछी गयी जैसा माननीय कल्ला साहब ने पूछा कि किस-किस आदमी के चोटें लगी और किस समय लगी। तो मैं कल्ला साहब माफी चाहूंगा कि मेरे पास इस प्रकार का रिकार्ड नहीं है और ना ही मैं तैयार करवा सकता हूं कि 11 बज कर 15 मिनट पर किसके चोट लगी और सात मिनट पर किसके चोट लगी और 12 मिनट पर किसके चोट लगी। आप चाहेंगे तो मैं प्रयत्न करूंगा लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इस प्रयत्न में मैं सफल हो पाऊंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक प्रश्न था कि जिन सैक्शन्स में कैसेज कायम हुये क्या दोनों पक्षों के खिलाफ कैसेज कायम हुये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, अगर आप सूची चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह बताना उचित नहीं समझता कि किस समुदाय के कितने लोग गिरफ्तार हुये। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब रहा यह सवाल कि 10 तारीख वाली बात किसी माननीय सदस्य ने उठाई कि 10 तारीख को यह क्यों किया गया। मैं समझता हूं कि होली के त्यौहार पर इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। उसके एहतियात के रूप में और शीतला अष्टमी पर इस प्रकार का कोई विवाद नहीं खड़ा हो जाये उस दृष्टि से सब जगह इस बात की सूचनायें दे दी गयी थी कि कोई भी मामूली सा विवाद खड़े होते ही प्रशासन को सूचना दी जाय और प्रशासन को निर्देश दिये गये थे कि यहां पर राजस्थान सरकार को सूचना दी जाये जिस सूचना के आधार पर उनको बताया भी जा सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना। माननीय मदेरणा साहब ने पूछा कि गोली किसके आपके से चली ? वहां मौके पर डी. आई. जी. भी थे डी. वाई. एस. पी. भी थे और कांस्टेबल भी थे। हवाई फायर किये हैं और भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए किये गये है। इसमें मजिस्ट्रेट से आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती जो भी अधिकारी थे उन्होंने....

श्री परसराम मदेरणा : अगर पीस एण्ड ट्रांक्यूलिटी इस्टेबलिश करनी थी तो

(श्री परसराम मदेरणा)

कोई सिच्यूएशन को मीट आऊट करके हवाई फायर किये जा सकते है। मेरी यह जानकारी है मुख्य मंत्री जी कि वहां के पुलिस स्टाफ ने डी. वाई. एस. पी. और दूसरे लोगों ने और कांस्टेबुलरी ने हवाई फायर करने से इन्कार कर दिया और सिच्यूएरेशन डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए डी. आई. जी. स्वयं ने फायर किया। मुख्य मंत्री महोदय, आपको मैं यह जानकारी दे दूं कि फायर डी. आई. जी. ने किये हैं। डिप्टी जनरल हॉफ पुलिस, अजमेर रेन्ज ने फायर स्वयं ने किये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक और अर्ज कर दूं मेरी जानकारी में डी. वाई. एस. पी. ने और बाकी नीचे के स्टाफ ने फायर किये हैं। लेकिन थोड़ी सी देर के लिये मान भी लें कि डी. आई. जी. ने फायर किये हैं तो आपत्ति क्या है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर डी. आई. जी. का हुक्म डी. वाई. एस. पी. ने नहीं माना तो उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी जानकारी के लिये कह दूं परसराम जी मदेरणा साहब ने जो बात कही है वह नयी है। इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं थी और न भविष्य में स्थिति उत्पन्न होगी उसमें आप भी सहयोग करेंगे। पुलिस बेड़े में एक ऊपर के अधिकारी का कहना नीचे के अधिकारी नहीं मानें यह हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी यदि इस प्रकार की स्थिति बन जाये। लेकिन मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। भीड़ को नियन्त्रित करने के लिये यह सारी बातें कही गयी।

माननीय सदस्य हेतराम जी ने कहा कि इसमें कोई किसी प्रकार का षड़यन्त्र था, मैं समझता हूं अब तक की जानकारी के अनुसार न तो किसी प्रकार का षड़यन्त्र पाया गया और किसी प्रकार के हथियार पाये गये। राजस्थान में पिछले वर्ष दंगे हुये हैं उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। मैं समझता हूं कि आज यह कहना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है यह इस कारण ही दंगे हुये है, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, नहीं यह नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर किसी ने नहीं कहा, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता, मैं इस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। (व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : कल्ला जी ने जो शब्द कहे हैं वह शब्द वापस लिये जायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंह जी, दो मिनिट बोलें आप ज्यादा नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : संकीर्ण विचारधारा के आरोप है, एक तरह से गाली है। एक्सपंज करना चाहिए इसको।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : रामकरण सिंह जी आप बोलिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, यदि मुझे दो ही मिनिट बोलने के लिये इजाजत दी जाती है और जिन किसानों के पीछे यह सदन के माननीय सदस्य बैठे हैं उनके बारे में आपको चिन्ता नहीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि दो मिनिट बोलने की बजाय मैं बैठ जाना ही उचित समझता हूं या मुझे टाइम ज्यादा दीजिये । एक केवल पांच या छः व्यक्तियों के मरने पर आप इस तरह से आधा घण्टा लिया जा सकता है सदन में और उन किसानों को जो हजारों, करोड़ों रात को बिजली देने से जाड़े से, सर्दी और जहरीले जानवरों से मरते हैं उसके बारे में सदन को चिन्ता नहीं । मुझे तो केवल एक ही मिनिट बोलना है माननीय विद्युत मंत्री जी या माननीय सदन के नेता यह कह दें कि किसानों को हम रात को ही बिजली देंगे, दिन को नहीं देंगे । चलो मैं बैठ जाता हूं यहीं कहलवा दीजिए आप ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।
(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं..

श्री रामकरण सिंह : दूसरे को नहीं बोलने दूंगा साहब, मेरा अधिकार है । या विद्युत मंत्री महोदया बोलें, माननीय सदस्य कोई नहीं बोल सकेगा इस बारे में । यह मेरा अधिकार है, इस अधिकार को मैं भी पहचानता हूं । (व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : हमारा भी ध्यानाकर्षण दिया हुआ है ।

श्री रामकरण सिंह : मेरा अधिकार है, मुझे जनता ने दिया है आपकी पार्टी ने नहीं दिया और जनता के अधिकार से आया हूं । उन किसानों ने मुझे मेरा अधिकार दिया है जिन किसानों के बलबूते पर मैं जीतकर यहां आया हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, प्लीज सिट डाऊन । मंत्री जी बोलिये आप ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, यह तो आसन को चैलेन्ज कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी बोल रही हैं । आप बोलिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली के आने वाले माननीय सदस्य को जितनी चिन्ता है किसानों की, उन किसानों की चिन्ता, उनकी आवश्यकता क्या है इसकी सरकार को भी चिन्ता है और पिछले दो दिन से लगातार यह सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही थी मुझसे कुछ जनता दल के सदस्य भी मिले थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ चुने हुये विधायकों ने मुझे कहा कि किसानों की बिजली के बारे में कोई इन्तजाम करें और हमने यह फैसला किया है, राजस्थान की सरकार ने....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : फैसला बाद में सुनाना, पहले जो आपने चैलेन्ज किया है कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आप पूरा करिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पहले फैसला यह होगा कि आसन के आदेश को चैलेन्ज किया है।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग नहीं बोल सकते। माननीय सदस्य दूसरे बोलेंगे नहीं बोलने दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अपनी बात पूरी करिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस भाषा में इतना रोष करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोलने का मौका दिया है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सारी स्वतन्त्रता मिल गयी।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरा अधिकार है। मुझे जनता ने और उन किसानों ने दिया है। मैं किसी की रियायत से यहां नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये. मैंने आपको मौका दिया है। (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकता.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : × × ×

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप सदन में शान्ति रखिये, आप सदन चलाना नहीं चाहते। एक मिनिट बैठेंगे, सदन में शान्ति होने दीजिए। (व्यवधान) आप सदन चलने देंगे कि नहीं। बिराजिये आप। आप सदन चलाना नहीं चाहते।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा पॉइंट आफ आर्डर है। आपका पॉइंट ऑफ आर्डर सुनूंगा मैं, पहले आप बैठिये। माननीय सदस्य आप बैठ जाइये।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मजबूर हूं, उनको बैठाइये।

श्री अध्यक्ष : वह तो बैठ रहे हैं आप भी बैठिये।

श्री रामकरण सिंह : पहले उनको बैठाइये, मेरा अधिकार है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड मत कीजिए, कुछ भी रिकार्ड मत कीजिए।

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं रामकरण सिंह जी किसानों के बारे में बोल रहे हैं वह अपना भाषण समाप्त कर लें, हमको कोई आपत्ति नहीं है उसके बाद चुन्नीलाल जी बोल लें और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय उसका उत्तर दे देंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है वह बोल लें। पहले वह बोल लें। किसानों के बारे में, बिजली के सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं दो मिनट बोल लें।

श्री रामकरण सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदया यह कह दें कि....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ऑन ए पॉइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : हां बताइये, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने बिजली से सम्बन्धित किसी मामले के अन्दर कुछ कहना चाहा आपकी इजाजत से उसके बाद माननीय सदस्य श्री चुन्नीलाल इंदलिया ने भी आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहा। फिर आपकी यह व्यवस्था रही कि मंत्री महोदय कुछ कहें। इस बीच में कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में यह कहा कि मेरे अलावा व मंत्री जी के अलावा इस मामले में कोई माननीय सदस्य बोल नहीं सकता, बोलने नहीं दूंगा। नम्बर दो, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि जब तक दूसरे माननीय सदस्य नहीं बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन की परम्परा बनाये रखने के लिए, गरिमा कायम रखने के लिए और आपके जो आदेश निर्देश थे उनमें बीच-बचाव करने के लिए यह जरूर कहा कि पहले यह बोल लें। लेकिन मेरी आपत्ति है। आप इसमें व्यवस्था दीजिए, वरना सदन की गरिमा कायम नहीं रह पायेगी। हर माननीय सदस्य जो अपनी बात कहना चाहता है वह हर माननीय सदस्य को कार्नर में रखना चाहेगा, माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था को ताक में रखना चाहेगा। अगर इस तरह की व्यवस्था को चलाकर किसी भी माननीय सदस्य की इस तरह की आपत्ति को स्वीकार करते जायेंगे तो मैं समझता हूं, सदन की गरिमा कायम नहीं रह पायेगी। आप इसमें व्यवस्था दीजिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी सम्बन्ध में प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर पर पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता। आपका पाइण्ट आफ आर्डर है, आप व्यवस्था सुनिये मेरी।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(६८)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पाइण्ट आफ आर्डर पर पाइण्ट आफ आर्डर नहीं कह रहा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह यही व्यवस्था पूछ रहे हैं और आप उस व्यवस्था को बिगाड़ते रहे हैं। पाइण्ट आफ आर्डर पर पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता।

माननीय सदस्य ने जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है, मैं समझता हूं, उसका सामान्यतः नियमों से तो कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन उसका सम्बन्ध किसी सदस्य के आचरण से जरूर है। मुझे इसमें कोई नयी व्यवस्था देने की जरूरत नहीं। यह व्यवस्था तो परम्परा से, जब से पार्लियामेण्ट और असेम्बलीज बनी है तब से आयी है। कोई भी सदस्य स्वेच्छा से यहां पर कुछ भी बोलें, यह अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में सदन की प्रक्रिया के मुताबिक अध्यक्ष और आसन की मर्यादा और इजाजत के साथ बोलने का ही नियम है। यही मेरी व्यवस्था है कि नियमानुसार ही यहां काम होगा। प्रक्रिया के मुताबिक आप यहां सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया को अलग रखकर, मनमाने तरीके से एक-दूसरे को डिक्टेट करना या अपनी बात को मनवाने के लिए जोर-जबर्दस्ती या या ऐसी भाषा का प्रयोग करना न केवल असंसदीय है, किसी भी माननीय सदस्य के आचरण के लिए उपयुक्त भी नहीं है। यही मेरी व्यवस्था है।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया गया उसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : उस बारे में मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, नहीं, लेकिन आपने मुझे खुद अधिकार दिया था खड़े होकर बोलने के लिए, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे अधिकार है, मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

श्री रामकरण सिंह : जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया गया उस बारे में भी मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने गलत उठाया है और उनको यह अधिकार पाइण्ट आफ आर्डर उठाने का....

श्री अध्यक्ष : क्या अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद आपको बोलने का अधिकार है? कौनसे नियम में है, बता दीजिए। नियम बताइये मुझे आप।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यह कौनसी व्यवस्था है कि आप एक दम हा-हुल्लड़ करके, जिस तरह मेले में नाचने लगते हैं? वैसे नाचने लगे है।

श्री अध्यक्ष : किसी ने कोई लांछन नहीं लगाया आप अपने विषय पर बोलिये।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा उसको आपने गम्भीर नहीं माना। गम्भीर नहीं मानने का, मैं कहता हूं कि कारण ही क्या हो सकता है? किसान आपको अन्न देता है, राष्ट्र को उद्योगों के लिए कच्चा माल देता है उसको दिन को बिजली नहीं मिलकर रात को मिलती है। जाड़े में उनको

(श्री रामकरण सिंह)

निमोनिया हो जाता है। हर घर में बीमारी के मारे जेवर बेचकर, कर्जा लेकर दवा-दारू से उनका इलाज करवाते हैं। उसके बाद भी सैकड़ों-हजारों मौतें होती हैं। इसके अलावा गर्मी में जब रात को पानी दिया जाता है तो सांप, बिच्छू, घोरे इकट्ठे होकर उनको काटते हैं और वे मरते हैं। उस बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे भी, सम्मानपूर्वक कहूंगा कि इसको गम्भीर नहीं माना और सदन भी इसको बड़े मजाक और हल्के वे में ले रहा है। यह बहुत ही अहम् मसला है, गम्भीर मसला है। किसान को जरा-सी बात के लिए आप राहत देकर अपना और राष्ट्र का भला नहीं करवा सकते और माननीय सदस्य इसको मजाक में टालते हैं। मुझे बड़े अफसोस और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है। इस बारे में सदन के नेता कह दें, माननीय मंत्रीजी कह दें या दूसरे केबिनेट स्तर के कोई भी मंत्री कह दें, उनका मैं सम्मानपूर्वक आदर करूंगा कि भाई, दिन में हम किसान को बिजली नहीं देना चाहते। बस, मेरा तो यही एक अहम् मसला है। वर्ना मुझे बताइये कि कौनसी ऐसी चीज है, किसान ने ही कौनसा पाप किया है? उद्योग तो बिलकुल एक बाड़े में चलते हैं, कमरे-मकान में चलते हैं। जाड़े के दिनों में भी वह चलाये जा सकते हैं, वहां हीटर और गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। गर्मी के दिनों में भी पंखे और कूलर से उद्योग चल सकते हैं। लेकिन किसान जहां गर्मी में सांप और बिच्छू का शिकार होता है वहां सर्दी में भी उनकी यह हालत होती है। तो क्या इस बारे में यह सदन नहीं सोच सकता, क्या माननीय सदन के दोनों पक्ष के सदस्य इस बारे में नहीं सोच सकते? माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े सम्मानपूर्वक आपका आदर करता हुआ निवेदन करता हूं कि इसे गम्भीर मानकर स्वीकार कीजिए और इस बारे में जवाब दिला दीजिए मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं नाम के लिए नहीं बोल रही हूं। मुझे तो यह आपत्ति है कि सब माननीय सदस्यों को इन्होंने इस ब्रेकट में ले लिया कि ये तो बड़े हितैषी हैं और कोई और हितैषी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये। आप मेहरबानी करके बिराजिये। व्यवस्था मैं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम तो बैठ जाते हैं, आपका अनुशासन मानकर बैठ जाते हैं लेकिन इनकी यह शब्दावली निकाली जाय, जो हम पर लागू नहीं होती।

श्री रामकरण सिंह : मैंने किसानों की मांग की है, कोई किसी को गाली नहीं दी है। मैंने किसानों की पैरवी की है। (व्यवधान) आपको क्या मालूम किसान कौन होता है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, रामकरण जी ने जो बात

(श्री हेमराज मीणा)

कही है उसको शब्दावली से निकाला जाय।

श्री रामकरण सिंह : मैं नहीं निकालने दे सकता, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, आप अपने शब्दों को संतुलित कीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी बोलेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य को छूट है कि जब मर्जी आये, बोल लें ?

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दीजिए पहले। इसका जवाब दे दिया जायेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : छूट दे रहे हैं तो हर माननीय सदस्य बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय चुन्नीलाल जी बोल रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : सारे माननीय सदस्यों के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने बिजली पर अपना एक स्थगन प्रस्ताव रखा। वह सारे राजस्थान के चाहे गांव हों, सब लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। अध्यक्ष महोदय, इस सवाल में बहुत गम्भीर मसला है, जिसमें हमने अपने आप को शामिल करने की चेष्टा की। बहुत से और लोग बोलने वाले थे। अध्यक्ष महोदय, यह मामला आज की तारीख में ऐसा बना हुआ है राजस्थान में, चाहे पीने के पानी की स्कीम हो चाहे खेती के कुएं हों, सारे राजस्थान में इनकी व्यवस्था को एक तरह से ठप्प कर रखा है। इस ओर राज्य सरकार ने समय रहते यदि ध्यान नहीं दिया तो मशीनरी में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी हालत चुनाव के नतीजों के बाद से बिगड़ रही है। वह चाहते हैं कि हालत हमारी सुधरे और राज की व्यवस्था बिगड़े। मैं कहना चाहूंगा कि आज बिजली देने का समय आपका कुछ है ही नहीं। कम से कम 10–12 घण्टे आपको किसान को बिजली देनी चाहिए। पीने के पानी की जो स्कीम है उनमें पावर डिम होने से मेरे क्षेत्र बीकानेर, चूरू और अड़ौस-पड़ौस के सारे कुओं की सारी मशीनें जल चुकी हैं। इसका जिम्मेदार कोई है तो आपका विद्युत विभाग है। मंत्रीजी 8 घण्टे, 10 घण्टे या 12 घण्टे जो मुकर्रर करना है एक तो खेती के लिये समय मुकर्रर कीजिये। दूसरा पावर कम कर रहे हैं, मशीनें जली हुई पड़ी हैं, 15 दिन से सारे कुछ बन्द हैं, गाये और पशु बिना पानी के मर चुके हैं। ऐसी हालत है। अगर आप नहीं देखेंगे तो राज की बदनामी होगी, समाज को बहुत बड़ी भारी नुकसान होगा।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राज्य सरकार से मांग करता हूं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

कि इस ओर ध्यान दें और तत्काल बिजली की ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि कुवे भी चल सकें, खेती के काम भी हो सके ।

दूसरी मांग करूंगा आसन से कि सदन में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अनपढ़ और पढ़ा लिखा डिग्रीधारी हो सब को बराबर का अधिकार है । माननीय सदस्य ने जिस तरह से टोका है, मुझे खेद है इस बात का । इसलिये मैं आसन से चाहूंगा कि आइन्दा इस तरह से माननीय सदस्य सदन में अपने आपको खुदा न समझें सब को बराबर समझें ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल जी यादव ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली से सम्बन्धित मसला चल रहा है उसमें मै भी अपने आपको शरीक करते हुए आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें । मुझे इस बात की तो खुशी है कि किसानों के बिजली के मसले पर कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य जब बोल रहे थे, इससे पहले भी आप सदन में रहे हैं, मेरे साथ भी रहे हैं, किसानों की समस्या इन्होंने भी उठायी हैं और मैंने भी उठायी है लेकिन सबसे बड़ी खुशी आज यह हुई है कि जो विपक्ष आज यहां बैठा है वह किसानों की बात पर मेजे थपा-थपा कर किसान की बात को समझने लगा है । मुझे बहुत बड़ी खुशी है । मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि जो विपक्ष आज किसान की बात पर मेजे थप-थपा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विपक्ष सत्तापक्ष में जब था, किसानों की समस्यायें हमने यहां उठायी थीं, हर विपक्ष में जो माननीय सदस्य बैठते हैं वह उठाते हैं लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि यह सत्तापक्ष से विपक्ष में आ गये लेकिन इस तरह की बिजली बोर्ड में परम्परायें छोड़ कर गये हैं कि किसान बिजली के कनेक्शन्स के लिये जैसे महाजन की दुकान के ऊपर सौदा खरीदा जाता है इस तरह इन्होंने यह व्यवस्था उस बिजली बोर्ड के अन्दर कायम कर दी है कि 5 हजार, 10 हजार रुपये के बिना कनेक्शन नहीं मिल सकता है । इन्होंने बिजली बोर्ड के अन्दर जो ट्रान्सफार्मर्स की और खरीद घोटाले की व्यवस्था कर रखी है उसके भारी परिवर्तन की आवश्यकता है ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पद ग्रहण के तुरन्त बाद इस बात की घोषणा की थी कि बिजली बोर्ड में भारी परिवर्तन करना पड़ेगा, भारी सुधार करना पड़ेगा । मैं उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर निश्चित तौर से किसान को कितने घण्टे बिजली मिले, इस बात को चाहे आज या दो रोज में आप बिजली बोर्ड से राय मशविरा करके, आपके मंत्रिमण्डल में राय मशविरा करके इंगित करें । लेकिन साथ ही मैं मुख्य मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि पूर्व मुख्य मंत्रियों ने जैसे-जैसे बिजली के बारे में घोषणायें की थीं कि हम 10 घण्टे

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

बिजली देंगे। आमेर के चुनाव में माननीय जोशी जी ने कहा था कि हम 10 घण्टे बिजली देंगे, किसान उपभोक्ता संघर्ष समिति का जो आन्दोलन हुआ उसके अन्दर सरकार ने एक वायदा किया, एक अनुबन्ध किया लिखित में, डाकुमैण्ट लिखा कि हम किसान को इतने घण्टे बिजली देंगे और 10 घण्टे की बजाय 4–5–6 घण्टे बिजली दी गई। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि मुख्य मंत्रीजी जो सदन को अवगत करायेंगे, राजस्थान की जनता को अवगत करायेंगे कि वह पूरी बिजली देंगे।

इसके साथ ही मैं यह भी चाहूंगा बिजली के बारे में सरकार को यह भी विचार करना चाहिये कि कल्टीवेशन के पूर्व यह घोषणा होनी चाहिए कि अगले वित्तीय वर्ष में इतने घण्टे बिजली देंगे ताकि किसान अपना कल्टीवेशन उसी अनुरूप कर सके। साथ ही में यह भी कहना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के अन्दर कनेक्शन्स देने की प्रायोरिटीज पिछली सरकार ने जो कायम कर रखी है जिससे भ्रष्टाचार का एक अड्डा, एक मुख्य केन्द्र बन गया है उसको समाप्त करने के लिये कनेक्शन्स देने की प्रायोरिटोज जो इन्होंने तय की हैं उनमें मूल-भूत परिवर्तन करने को आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार करेगी और निर्णय लेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण जी दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों के लिये बिजली एक चिन्ता का विषय है। कांग्रेस के शासन में बिजली की कमी के कारण हजारों काश्तकारों की फसल चौपट हो गई। मैं आज सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि बिजली की जो विकट समस्या काश्तकारों के लिये हो गयी है इस समस्या के निदान के लिये मंत्री महोदय सदन को आश्वस्त करें कि काश्तकारों को कम से कम 10 घण्टा बिजली उपलब्ध करायेंगे यह मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अमृतलाल जी परमार। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अगर स्मृति में भ्रम नहीं है तो एक सप्ताह पूर्व सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की घोषणा की है कि है कि किसानों को 8 घण्टा बिजली मिलेगी। क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : यह मंत्रीजी बोलेंगी तब आपको बता देंगी। हां, बोलिये अमृतलालजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्रीजी बोलेंगी तब बता देंगी।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों

(श्री अमृतलाल परमार)

की जो समस्या है, वह वास्तव में राजस्थान में अहम् समस्या है। इसके बारे में पूर्व में भी जो कांग्रेस राज रहा उनके खिलाफ भी हम काफी आन्दोलन कर चुके हैं। क्या अभी जो अपने मंत्रीजी हैं यह कहेंगे कि जब वास्तव में फसल पकने आ रही है, फसल पकने वाली है किसान मुंह देख रहा है तो क्या ऐसी हालत के अन्दर उनको समय पर बिजली नहीं दी गयी या 10 घण्टे बिजली नहीं दी गई तो जो उनकी बची हुई फसल है वह भी चौपट हो जायेगी। तो मंत्रीजी क्या यह आश्वासन देंगी कि बिजली बराबर 10 घण्टे दी जायेगी?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो बिजली के बिल आये हैं। नियम चार्जेज के, मिनिमम चार्जेज एक अहम् समस्या बनी हुई है किसान की अकाल पड़ने के कारण हालत वैसे ही खराब है क्या मिनिमम चार्जेज के लिये आप आदेश देंगी कि मिनिमम चार्जेज खतम किया जाय। क्योंकि हमारी पूर्व में जो मीटिंग्स हुई थीं या सभायें हुई थीं, तो हमारे ही लोगों ने यह घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम कुछ न कुछ किसानों के लिए करेंगे। तो क्या अपनी सरकार और अपने मंत्री महोदय यह कह सकेंगी कि मिनिमम चार्ज बढ़ाया जाय या नहीं बढ़ाया जाय या बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगी? इसकी हमको सूचना दी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) मेरे पास जिनके नाम नोटिस में है उन्हीं को मैं बुलवा रहा हूं। आपका कोई नोटिस नहीं है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस मामले को....

श्रीमती सुमित्रा सिंह (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग जिस बात के लिये चिन्तित हैं उसका जबाब सुन लें उसके बाद कोई बात हो तो....

श्री हरिसिंह : मेटे इससे बहुत ताल्लुकात रहे हैं, में इस मामले में दो मिनिट बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप डाक्टर साहब बिराजें। जिन्होंने नोटिस लिखित में दिया है उन्हीं को बोलने को इजाजत दी है आपका कोई नोटिस नहीं था।

श्री हरिसिंह : इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मामले में कृपया कर दो मिनिट मेरे को बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनिट बोल लीजिये।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो चार्जेज लगाये हैं चौमू से आने वाले माननीय सदस्य ने कांग्रेस के खिलाफ, मे याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जिस ढंग से बिजली की व्यवस्था की है ज्यादा से ज्यादा किसान के पक्ष में की है। जहां तक माननीय सदस्यों को याद होगा कि देश के उप प्रधान मंत्रीजी यह कह गये हैं कि मैं हरियाणा से बिजली भेज दूंगा और किसानों को 24 घण्टे

(श्री हरि सिंह)

बिजली देंगे, जो मंत्रीजी हैं वह अपने क्षेत्र में कह कर आयी हैं कि मेरे को चुनाव में जिता दो मैं 24 घण्टे बिजली दूंगी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गलत बात । असत्य बोलते हैं । आई नेवर सेड । गलत बात कह रहे हैं। आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं, जिम्मेदारी से आपको बोलना चाहिये । गलत बात करते हैं आप ।

श्री हरिसिंह : सुनिये तो सही । जहां तक किसानों का सवाल है इस सरकार से तो किसान कुछ आशा कर नहीं सकते । क्योंकि किसान यह सन् 1977 में आये थे । इस सरकार में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत चीफ मिनिस्टर थे, किसानों पर आंसू गैस और....

श्री यदुनाथ सिंह : आप कहां थे ?+++

श्री हरिसिंह : मैं तो किसानों के साथ था ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो उन गोली चलाने वालों के साथ थे ।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष जी, किसानों को इस सरकार से न्याय नहीं मिल सकता है....(व्यवधान)

यह किसानों को न्याय नहीं दे सकती । यह तिलकधारी किसानों को न्याय नहीं दे सकते । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । आप नोटिस दीजिए । आप विराजिए, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा । मेरे पास जिनके नोटिस हैं, उन्हीं को इजाजत दे रहा हूं । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करे । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आसन पर बैठने के बाद वह आदमी निष्पक्ष होता है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप व्यवधान डाल रहे हैं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : पाइण्ट ऑफ आर्डर । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य ने, अपने भाषण के अन्दर एक शब्द का उपयोग किया है कि आसन पर बैठने के बाद "निष्पक्ष" होता है । मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया हैं यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है । इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : "निष्पक्ष" संसदीय शब्द हैं । "निष्पक्ष" कोई बुरा शब्द नहीं है । (व्यवधान) आप सुनिये,

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी इस बात को फिर दोहराना चाहूंगी कि किसानों के बारे में उनके हितों की, उनकी आवश्यकताओं की जितनी चिन्ता माननीय सदस्यों को हैं और कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशनुसार अपलोपित किया गया ।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है, उन्हें है, उन्हें है, उससे कई ज्यादा चिन्ता इस सरकार को है और मुझे तो ताज्जुब हुआ, स्थगन प्रस्ताव भी रखा, मैं फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य को और जो लोग कह रहे हैं, एक बात और निवेदन करना चाहती हूं। किसान के घर में जन्म लेने से किसान नहीं हो जाता, किसी के घर में जन्म ले, यदि इन्सान संवेदनशील नहीं है। कमाऊ के प्रति, मेहनकश के प्रति, और गरीबों के प्रति, तो वह किसी भी घर में जन्म ले, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए केवल अपने आपको किसान के घर में जन्म लेने की दुहाई मत दो। यह सरकार पूरी संवेदनशील है, मेहनतकश के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, सबके लिए संवेदनशील है। मैं निवेदन करना चाहूंगी। ज्यादा अच्छा होता यह स्थगन प्रस्ताव जो कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है। वह यदि बिजली की बढ़ोतरी के लिए कहते हैं, वह यदि जो कनेक्शन कट रहे हैं उनके लिए कहते हैं। किसानों और कन्जूमर्स से ट्रान्सफारमर का पैसा वसूल किया जायेगा उसके लिए कहते तो ज्यादा अच्छा होता, अब तो गर्मी का मौसम आ गया है। आपने रात में बिजली देने की बात कही है। अब रात में बिजली दो या दिन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। किसानों की फसल पकने को है। आज आवश्यकता पानी की है, चाहे दिन में दो या रात में इसलिए आपको स्थगन प्रस्ताव इस बारे में देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी अपना स्थगन प्रस्ताव दिया। सदन के माननीय सदस्यों की आम राय और किसानों के हितों और आवश्यकताओं की चिन्ता को देखते हुए, मैं पिछले दो दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रही हूं और कल ही हमने इस बात का निर्णय लिया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था और उन्होंने मुझे कहा था। मैं तो चाहती थी उनसे कि आप आज घोषणा कर दो, आप के बिना स्थगन प्रस्ताव लाये हैं। लेकिन अच्छा हुआ आज स्थगन प्रस्ताव आ गया और इस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है, घोषणा करते हुए, हालांकि आपने इन मुद्दो को नहीं उठाया, लेकिन आज भी जो अपने इलाके में गये है वह जानते हैं कि आर. एस. ई. बी. लोगों की वसूली के लिए कनेक्शन काट रहा है। आपको मालूम है यह बात। इसलिए हमने फैसला किया है कि 15 अप्रेल के पहले कोई कनेक्शन नहीं कटेगा, जब तक किसान की फसल बाजार में नहीं आयेगी, तब तक किसी का विद्युत कनेक्शन जो कृषि के उपयोग का है, नहीं कटेगा दूसरा फैसला हमने यह किया है, आप लोगों को यह भी मालूम नहीं है केवल किसानों की लगते हो कुछ भी आपको नहीं मालूम हैं कि आज जो प्रायोरिटीज के जो कैसेज हैं उसमें (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : बैठ जाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसानों के हितों की बात हो रही है तो भी बीच में बोल रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : हमको क्या मालूम नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके लिए नहीं कह रहे हैं, बिराजिये । माननीय सदस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें । (व्यवधान)

माननीय सदस्य, जब मंत्री जी महत्वपूर्ण घोषणा किसानों के सम्बन्ध में करने जा रही हैं, मैं समझता हूं उस बात को सुनने से पहले बीच में व्यवधान डालना सदन की मर्यादा तो नहीं है ।

श्री परसादीलाल मीणा : ऐसे शब्द क्यों सुने, आप हम सब को मौका दो ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरा अपमान कर सकते हैं तो अपमान कोई भी सदस्य कर सकता है । मैं खड़ा हूं, आप फिर खड़े हो रहे हैं । आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप आसन का अपमान करेंगे और अपना सम्मान चाहेंगे, यह दो बातें साथ नहीं चल सकती । आप फिर खड़े हो गये हैं, आप चुप रह नहीं सकते, आप शांति से बैठ नहीं सकते, आप अपने मुंह से दस दूसरा कोई छोटी बात भी कहे तो उसको सहन नहीं कर सकते और फिर शिकायत अध्यक्ष से करते हैं कि हमारा अपमान कर दिया गया अपने आप पर आप नियंत्रण करिये.... (व्यवधान)

आप फिर खड़े हो गये । मैं आपके द्वारा आसन का अपमान करने की घटना को नोट कराना शुरू करूंगा, जब अध्यक्ष अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी भी सदस्य का खड़ा होना या इधर-उधर जाना यह सब आसन का अपमान है । यह आप करते क्या हैं और शिकायत भी करते है, यह दो बातें साथ-साथ नहीं चलेंगी । आप पहले अपने आपको नियंत्रण में रखिये, किसी का अपमान मैं नहीं होने दूंगा । लेकिन जब आप एक दूसरे को गाली गलौच पर उतर आयेंगे तो मेरे हाथ में कोई डंडा तो है नहीं । आप जरा शान्ति रखिये, उनकी पूरी बात सुन लीजिये । उनकी बात को सुनने के बाद आपको कोई बात कहनी है तो तसल्ली से अपनी आपत्ति कर सकते है । बीच में बोलना उचित नहीं है, जब मैं खड़ा हूं आप फिर खड़े हो रहे हैं और और कह रहे हैं मेरा अपमान हो रहा हो रहा है । इसलिए यह तो ठीक नहीं है मंत्री जी की बात पहले शान्ति से सुन लीजिए, उसके बाद में कोई बात हो तो कहिए ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह कह रही हैं कि आपको यह मालूम नहीं है, आपको यह मालूम नही है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया, बार-बार यह कह रही हैं कि आपको यह मालूम नहीं है, आपको यह मालूम नहीं है, इस तरह की बात कहना मैं समझता हूं, सदस्यों का जनरल अपमान करना हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे । (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्र सिंह : माननीय सदस्यों ने चूंकि यह बातें उठाई नहीं है । मैंने तो आपको संवेदनशील बताया है । आप फालतू उत्तेजित हो रहे हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे तो मालूम नहीं है लेकिन सबको भी मालूम नहीं है क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह माननीय सदस्यों को मालूम होता— (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमें नहीं मालूम यह तो समझ में आ सकता है, सत्ताधारी सदस्यों को भी मालूम नहीं है, यह सबको कह रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, कि जो मैं किसानों के लिए और कृषि उपभोक्ताओं के लिए कुछ इस तरह की घोषणाएँ करने रही हो, उसे माननीय सदस्य सुनना भी नहीं चाह रहे।

श्री चन्दनमल बैद : सम्मानपूर्ण भाषा में कहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिलकुल सम्मानपूर्ण बोल रही हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रही कि इस समय आर. एस. ई. बी. की व्यवस्था यह हैं कि प्रायोरिटीज के कनेक्शन के अलावा एक पोल और दो पोल के कनेक्शन भी दिये जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक पोल और दो पोल के कनेक्शन की धनराशि और कहां-कहां कनेक्शन ट्रान्सफार्मर्स ओवर लोड है। वहां ट्रान्सफार्मर्स की धनराशि भी उपभोक्ताओं से चार्ज कर रही है। ऐसा जब मेरे ध्यान में लाया गया तो मैं इस बात की भी घोषणा करती हूं कि भैरोंसिंह जी के नेतृत्व वाली या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार, ऐसा नहीं है कि कहे कुछ और करे नहीं, वह वही करेगी जो कहेगी और इस लिए ऐसा नहीं है कि चुनाव के दिनों में आपने 10 घंटे बिजली देने की बात कही और बिजली दी नहीं। मैं आपको फिर घोषणा करती हूं कि ऐसे तमाम कृषि उपभोक्ताओं से जिनके एक पोल और दोपोल के कनेक्शन जिन्हें विदाऊट प्रायोरिटी, आऊट आफ प्रायोरिटी लेने हैं, उनसे पोल धनराशि तो वसूल की जायेगी लेकिन ट्रांसफार्मर का पैसा उनसे वसूल नहीं किया जायेगा, धनराशि तो वसूल की जायेगी लेकिन ट्रांसफार्मर का पैसा उनसे नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

यह हाथ करने से नहीं होगा। मुझे मालूम है लोग डिमाण्ड नोटिस लेकर मेरे पास आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि बिजली के बारे में भी जहां बिजली चूंकि किसानों की फसल पकने पर आई है और उसे इस समय पानी की अत्यन्त आवश्यकता है इस बार तो वर्षा हो गई इस लिए फसल फिर भी ठीक रह गई वरना 8 घंटे की बिजली के भरोसे तो कुछ नहीं होता। तो सरकार ने यह फैसला किया है कि 8 घंटे की बजाय नियमित रूप से कल से 10 घंटे बिजली कृषि उपभोक्ताओं को दी जायेगी, 15 दिन के लिये कृषि उपभोक्ताओं को 8 घंटे की बजाय 10 घंटे, दो घंटे ज्यादा बिजली दी जायेगी....

एक माननीय सदस्य : सिर्फ 15 दिन के लिये ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फसल पक जायेगी, उसके बाद किस लिए जरूरत है आपको

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह इस फसल की व्यवस्था है उसके बाद नये सिरे से, आज बोर्ड की क्या हालत है, क्या पोजीशन है, यह फसल पकने के बाद फिर नये सिरे से सारे मामले में पूरी बातचीत होकर जिसमें शायद आपको भी सम्मिलित किया जाये, नई बात उसके बाद करेंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : मैं बाड़मेर जिले में जिले में विशेषकर पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में अकाल से उत्पन्न विकट स्थिति का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में इस वर्ष अधिकांश गांवों में सूखे की स्थिति है। मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में स्थिति अत्यन्त ही भयावह है। गिरदावरी रिपोर्ट जिसमें पचपदरा तहसील में शत-प्रतिशत सूखा बताया गया है वास्तव में लगातार घंटे वर्ष भी भयंकर अकाल की स्थिति है। ग्रामीणों की क्रय शक्ति समाप्त हो चुकी है। क्षेत्र का मुख्य धंधा पशुपालन का था, वह भी कांग्रेसी सरकार की अनदेखी के कारण क्षेत्र के पशुधन का ह्रास हो रहा है। जिससे क्षेत्र का आर्थिक आधार अत्यन्त ही कमजोर हो गया है। रेगिस्तान क्षेत्र में पदपदरा के बाद सवाऊ मूलराज तक एवं कारण बड़नाता तक सड़क मार्गों पर रेत जमा हो रही है। सड़कों की हालत अत्यन्त ही दयनीय है। पैदल चलना भी कठिन हो गया है। बसें बंद हो रही हैं....
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सदन में शांति रखें। आपस में आवाज नहीं करें।

श्री चम्पालाल बांठिया : यदि अतिशीघ्र कोई प्रबन्ध नहीं किया गया तो क्षेत्र का आवागमन बंद हो जायगा।

पेयजल पर करोड़ों रुपये व्यय करने के पश्चात् भी आज ग्रामीण क्षेत्रों में बूंद-बूंद पानी के लिए ग्रामीण चिल्ला रहे हैं। नल योजनाएं अधिकांश बंद पड़ी रहती हैं। लूनी नदी में अनेक वर्षों से बाढ़ नहीं आने तथा पर्याप्त वर्षा के अभाव में जल स्तर काफी गहरा चला गया है। कुएं सूख गये हैं। बनाऊ में जहां मीलों तक पाइप लाइन बिछाई गई हैं, टंकिया तथा होदियां बनाई गई हैं, अब जल विभाग ने अचानक कह दिया है कि नल कूप में पानी नहीं है। जबकि निजी कुओं पर लोग कनेक्शन मांग रहे हैं। जिससे आज कोरण-बागावासा सिमरखिया पंचायत मुख्यालय जिनको इस योजना से जोड़ा गया है का क्या होगा? पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण करोड़ों रुपयों के अपव्यय के पश्चात् प्रायः सभी जल प्रदान योजनाओं की स्थिति विकट बनी हुई है।

गिरदावरी रिपोर्ट कभी आ गई थी। पिछली सरकार ने इसी पावन सदन में घोषणा की थी कि 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले गांवों में टेस्ट वर्क प्रारम्भ करने को जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं। यह बिल्कुल असत्य था।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

(म. प. 1.25)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

आज दिन तक शत प्रतिशत सूखा होने के पश्चात् भी एक भी मजदूर नहीं लगाया गया है। साधारण विभागों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी घटा दी गई है। लगभग 450 से अधिक पाइण्ट्स पर पेयजल टैंकर्स से पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। टैंकर्स कम हैं और जो भी हैं, बेकार पड़े हैं। मरम्मत मांग रहे हैं। 10 लाख रुपया अविलम्ब चाहिये। अनेक स्थानों पर यह टैंकर्स जा भी नहीं सकते, जाएंगे तो टूट-फूट होगी। समय तथा धन की बर्बादी होगी। इसलिये निशान गाड़ी तथा टट्टू गाड़ी और ऊंट ठेले पर पेयजल की अविलम्ब व्यवस्था की जाये। कालायल पाटोदी के अनेक गांवों की भी यही स्थिति है।

अधिकांश क्षेत्र में अकाल राहत के काम जैसे वन विभाग खड़ीन तालाब नाड़ियों का कोई काम सम्भव नहीं है। वहां पर कोई काम हो ही नहीं सकता है केवल रास्तों को खुला रखने हेतु रेत हटाने एवं सड़कों पर मूड बिछाने का काम ही हो सकता है। मैटल सड़कें अनुपयोगी हैं। यदि पक्का स्थाई काम करना है तो डामर की सड़कें बनाने का ही है। नहीं तो 50 वर्ष से भी पुरानी सड़क मार्ग थोवर आगोलाई एवं पाटोदी से गिड़ा का डामरीकरण किया जाये। जहां सरकार के अधिकांश विभागों के महत्वपूर्ण कार्यालय तथा पंचायतों के मुख्यालय स्थित हैं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदया, माननीय सदस्य कोई पत्रावली पढ़ रहे है, इसकी अनुमति नहीं दी जाये।

श्री सभापति : यह 295 की प्रक्रिया में ही है।

श्री चम्पालालजी बांठिया : वही है। गत वर्षों के अकाल में जिस प्रकार से पूर्व सरकार एवं नेताओं नेताओं ने जमकर अकाल के पैसे की लूट की है और परिणामस्वरूप पशुधन आधे से भी कम रह गया है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिली। 1 रुपया, 1.50 रुपया और 2.50 रुपया ही मिला। आज भी लाखों रुपया बकाया है। टांकों का रुपया भी बाकी है। पशु-चारे में जिस प्रकार का गबन और घोटाले हुए, पूर्व जिलाधीश श्री राजेन्द्र जैन और जिला गौ सेवा समिति ने जमकर चारे को तथा अकाल में कर रहे मजदूरों की मजदूरी को खाया है, दण्डनीय अपराध हैं और सारे मामले स्पष्ट हैं। विधान सभा में स्वीकार करने के पश्चात् भी आज तक कुछ नहीं हुआ। दोषियों को दंडित किया ही जाना चाहिये। अविलम्ब राहत कार्य प्रारंभ किये जायें। 50 टैंकर्स और भेज कर और मरम्मत के लिए कम से कम 10 लाख रुपये स्वीकृत किये जायें। ग्रेवाल जो पड़ा है उसे सड़कों पर बिछाया जाये। अधिक ग्रेवल से सड़कों व पटरियों का निर्माण करवाया जाये और मजदूरी समय पर और पूरी मिले, इसके लिए अतिरिक्त ओवरसियर एवं हर पंचायत समिति पर एक-एक कनिष्ठ अभियन्ता लगाया जाये। पेयजल योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा किया

(श्री चम्पालाल बांठिया)

जाये, अन्यथा भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी, लोग भूख और प्यास से मरेंगे। पूर्व कांग्रेसी सरकार के पाप को धोकर कहीं से भी भीख मांगकर भी प्रबंध करना पड़ेगा।

माननीय प्रभारी मंत्री जी इस विषय तथा विषय परिस्थितियों पर कुछ अवश्य कहें। वह स्वयं इस हालत को देखकर आयी हैं और उन्हें लोगों ने बताया भी है। मैं आपका और सदन का ध्यान इस विषम परिस्थिति पर दिलाते हुए अविलम्ब राहत हेतु याचना करता हूं। माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस बारे में कुछ कहें।

श्री सभापति : श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत पंचायत समिति लालसोट के गांवों में पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि पंचायत समिति लालसोट के गांवों में पीने के पानी का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। पिछले 7-8 वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण कुओं का जल बिल्कुल सूख गया है तथा दो वर्ष पहले सरकार द्वारा जिन गांवों में हैण्ड पम्प लगाये गये थे उनमें से 60 प्रतिशत हैण्ड पम्पों का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पंचायत समिति लालसोट के गांवों की आबादी अधिकतर ढाणियों में बसी हुई है। जो ढाणियों में निजी कुए बने हुए हैं ये उन सभी कुओं में पानी की एक भी बूंद नहीं है जिसके कारण ढाणियों में रहने वाले लोगों को पीने के पानी का गम्भीर संकट पैदा होगया है।

अतः सरकार से निवेदन है कि आने वाली गर्मियों से पहले जो हैण्ड पम्प बेकार पड़े हुये हैं उन सभी हैण्ड पम्पों के स्थान पर नवीन हैण्ड पम्प लगाये जायें तथा सभी ढाणियों का सर्वे करवाकर आने वाली गर्मियों से पहले हैण्ड पम्प लगाकर जनता के पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जाये। आशा है सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर विभाग को सब खराब हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प शीघ्र लगाने के निर्देश देगी और पीने का पानी उपलब्ध करायेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री वंशीलाल पटवा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 295 के तहत जिस समय माननीय सदस्य समस्याओं को सदन में रखता है तो संबंधित मंत्री महोदय को सदन में रहना चाहिये। अफसोस है कि जो माननीय सदस्य विपक्ष में बैठते थे तब वे इस नियम का पालन कराने के लिये कहते थे परन्तु अब वे स्वयं यहां विद्यमान नहीं है।

श्री सभापति : मंत्री गण हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जलदाय विभाग के मंत्री नहीं है।

श्री सभापति : सरकार की ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है। सरकार के एम्बेसिज हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय यह तो मैं भी जानता हूं लेकिन आसन की यह व्यवस्था है कि 295 के समय संबंधित मंत्री को यहां रहना चाहिये।

श्री सभापति : ऐसी कोई आसन की व्यवस्था नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय कल्ला साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप जब यहां विराजते थे आपकी तरफ से इन प्रश्नों का जवाब नहीं आता था। हमने एक व्यवस्था तो की है। आप तो सात दिन भी जवाब नहीं देते थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 99 परसेन्ट नियम 295 के प्रश्नों का जवाब आ गये थे आपके पास।

श्री दिग्विजय सिंह : आज दिन तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। जो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा था।

श्री सभापति : अब तो आप खुद ही जवाब देते हैं।

माननीय श्री बंशीलाल पटवा। आर्डर प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, मैं नियम 295 के तहत पिछली सरकार ने राज्य की अलग-अलग पंचायतों को जो कुछ फण्ड आवंटित किये थे उसके बारे में चर्चा कर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है राजस्थान में पिछले चुनाव के दौरान····

श्री सभापति : मुख्य सचेतक महोदय बाहर की व्यवस्था दिखवाये।

आर्डर प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा निवेदन यह है कि पिछली सरकार ने विधान सभा चुनाव के दौरान पूरे राजस्थान में अलग-अलग जिला परिषदों को डी. आर. डी. की मार्फत पंचायतों को प्रत्येक पंचायत में एक-एक लाख रुपये स्कूल की दृष्टि से नामजद आवंटित किये हैं। इसमें इस तरह की स्कूलें ले ली गई हैं जहां भवन अधूरे हैं और उन अधूरे भवन को पूरा करना जरूरी है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया पढ़े। जो आपने नियम 295 के अन्तर्गत लिखा है उसको पढ़ना होगा। भूमिका की आवश्यता नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं संक्षेप में वही बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : आपने जो नियम 295 में लिखा है, उसको ही पढ़े। ऐसी ही प्रक्रिया है।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं तो इसको और संक्षेप में कर रहा हूं। मैं पढ़ा कर सुना देता हूं। आसन की व्यवस्था के अनुसार।

(श्री बंशीलाल पटवा)

राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन नियम के उपनियम 295 के अन्तर्गत चर्चा उठाने हेतु निवेदन है कि पिछली सरकार ने विधान सभा चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से नवें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत भवन सहित नये प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति विशेषाधिकारी के पत्र के अनुसार भीलवाड़ा जिले और राज्य के अन्य जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में भवनों के निर्माण हेतु प्रत्येक भवन के लिए।

श्री सभापति : बीच में पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता····

श्री परसराम मदेरणा : यह नियम 295 के सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी है। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने नोटिस दिया है 295 के अन्तर्गत, इसमें जिस बात का उल्लेख है, जो कारण दिये हैं, केवल उसी को पढ़ना है लेकिन नियम 295 का यह मन्तव्य नहीं है। माननीय सभापति महोदय, नियम 295 बहुत क्लीयर है :

"A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the house together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it. Hecan raise it verbally also. or he may read it out.

श्री सभापति : इसकी नियम समिति में बात कर लेंगे। अभी तक प्रक्रिया यही चलती रही है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रक्रिया तो मुझे मालूम नहीं लेकिन He can raise it.

श्री बंशीलाल पटवा : हमारे बुजुर्ग और पुराने साथी ने परम्पराओं का हवाला दिया है। हाउस प्रक्रिया पर चलता है और वे स्वयं भी इस तरह की चर्चाओं में भाग लेते रहे हैं····

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो आपके आर्ग्यूमेन्ट को स्ट्रेन्थन कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं रेज करने का आपको अधिकार है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा : एक-एक लाख रुपये की धनराशि जो आवंटित की गई उसमें पिछली सरकार ने राजनीति भेद बरतने के साथ-साथ विद्यालयों के अधूरे भवनों को पूर्ण कराने के लिये आवंटित न कर भेद पूर्ण नीति अपनाई जिससे धन का सही उपयोग न होकर अधूरे भवन ही रहने वाले हैं। साथ ही जहां जहां पर भवन नहीं बन पाये हैं वहां पर भी छोटे-छोटे बालकों को विद्याध्ययन में भवन के अभाव में कठिनाई बनी रहेगी।

प्राथमिक विद्यालयों के नाम पर पिछली सरकार ने जो धन राशि भेदपूर्ण तौर तरीकों से आवंटित की उससे साफ

(श्री बंशीलाल पटवा)

जाहिर है कि पिछली सरकार ने प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण में यथार्थता की अनदेखी करते हुए आदेश दिये हैं। यदि ऐसी भेदपूर्ण आवंटित धन राशि की क्रियान्विति को न रोका गया और पुनः समीक्षा कर अधूरे भवनों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने तत्काल कदम न उठाये तो राज्य में आवंटित करोड़ों की धनराशि का खुला दुरुपयोग होकर तकनीकी खामियां बनी रहने के साथ-साथ ऐसे हाथों में धन चला जायेगा जिनके हाथों में धन के दुरुपयोग का पूर्ण सन्देह है।

अतः निवेदन है कि कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मुझे सदन में उक्त विषय पर चर्चा उठाने की स्वीकृति प्रदान करावें।

मेरा इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है कि फिर से समीक्षा कि जाकर फिर से इसका एक्जीक्यूशन कराया जाये अन्यथा जहां पहले ही भवन है वहां पर धनराशि लग जायेगी, जहां पर अधूरे हैं, जहां पर प्राथमिक विद्यालय भवन नहीं है, वहां नहीं बन पायेंगे। यह पूर्वरूप से भेदपूर्ण आदेश चुनाव में केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये दिये अब एक्जीक्यूशन शुरु हुआ है क्योंकि आवंटित धन पंचायतों को नहीं पहुंचा है। इसलिये राज्य सरकार इसको रोक ले, समीक्षा कर के जहां अधूरे भवन हैं, जहां नहीं बने हैं, नीतिगत आधार पर इसका उपयोग करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री नवनीतलाल नीनामा।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : सभापति महोदय, मैं जिला बांसवाड़ा के माही डेम की जो नहरें बनी हैं, इन नहरों की व्यवस्था ढंग से न होने की वजह से पानी का दुरूपयोग हो रहा है उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जिला बांसवाड़ा में माही डेम की दाई मुख्य नहर की कन्डाव माइनर की आर. डी. नम्बर 14 हजार पर भूखिया माइनर निकलवाकर साढ़े चार हजार बीघा सूखी पड़ी भूमि को माही डेम का पानी सप्लाई करने से वंचित रखा गया है। उस पर नियम 295 के तहत प्रस्ताव के अन्तर्गगत निवेदन है कि बांसवाड़ा में माही डेम की दाई मुख्य नहर की कन्डाव माइनर की आर. डी. नं. 15 हजार पर भूखिया नाम की एक नहर माही प्रोजेक्ट द्वारा निकाली गई है। मगर यह नहर काफी नीचे निकाली जाकर माही विभाग के अधिकारियों द्वारा 4500 बीघा भूमि पर्याप्त पानी के बावजूद पानी से वंचित कर दी है जो निम्न प्रकार सारणी से ज्ञात है :

1. मौजा जगपुरा का भूखिया पाड़ा की जमीन	2000 बीघा
2. मौजा कुण्डली की जमीन	500 बीघा
3. मौजा दुदका की जमीन	1000 बीघा
4. मौजा कुण्डला की जमीन	1000 बीघा
योग : भूमि माही पानी नहर कमी से वंचित	4500 बीघा

(श्री नवनीतलाल नीमामा)

यह भूमि वंचित रह गई है । अतः मैं मांग करता हूं कि दांई मुख्य नहर की कुण्डाल डिस्ट्रिब्यूटरी की आर. डी. नम्बर 15 हजार पर निकाली नहर से उक्त भूमि पानी से वंचित रह गई है, इसे दुबारा माही प्रोजेक्ट द्वारा सर्वे करवाकर जाकर आर. डी नम्बर 14 हजार गांव कुण्डली में दूसरी माइनर श्री नानजी भाई, सरपंच पंचायत रूजिया, के घरके पूर्व भाग में निकाली जाकर भुखिया पाड़ा गांव जगपुरा की जमीन को माह डेम का पानी पहुंचाया जावे व 14 हजार आर. डी. पर निकलने वाली नहर जगपुरा तालाब में पानी से संबंध करवा कर आदिवासी व हरिजन किसानों को राहत पहुंचायी जावे ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को नियम 295 के तहत प्रस्तुत कर राज्य सरकार से मांग करता हूं कि माही डैम के पानी का सही उपयोग करने के बाबत तुरन्त विचार किया जावे । जय भारत ।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनिया ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : आदरणीय सभापति महोदया, मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र व इसके अलावा जिला गंगानगर के सूरतगढ़ तथा टी. बी. क्षेत्र में सेम की समस्या बहुत ही जटिल हो गई है क्योंकि इस क्षेत्र में घग्घर फ्लड के डिप्रेशन्स व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सूरतगढ़ शाखा से करीबन 50 ग्रामों की बहुमूल्य कृषि भूमि नष्ट हो गई है व मकान भी धराशायी हो गये हैं, जिससे न तो रहने के लिये मकान ही रहे हैं और ना ही खाने के लिये अनाज है और ना ही पशुओं के लिये चारा है । इन क्षेत्रों के ग्रामों के किसानों व मजदूरों की हालत दयनीय है । इसलिये इन किसानों को भूमि का मुआवजा आज तक दिलाया जावे व इस समस्या का स्थाई समाधान क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की राय से किया जावे तो उचित होगा । अतः इस पर गम्भीरता से विचार किया जाकर शीघ्र ही किसानों को राहत दिलावें तथा इनके तमाम सरकारी कर्जे माफ किये जावें । इस समस्या का समाधान सरकार कब तक करेगी, वक्तव्य दें । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैंने सवाईमाधोपुर जिले के करौली क्षेत्र में पीने के पानी की भारी कमी के संबंध में प्रस्ताव पेश किया है ।

राजस्थान प्रदेश में पिछली बार वर्षा वर्षा की कमी के कारण पानी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है । राजस्थान के सभी इलाकों में इस समय गंभीर पानी का संकट आ चुका है, जबकि अभी गर्मी प्रारम्भ हुई नहीं है । सवाई माधोपुर जिले के करौली क्षेत्र में काफी क्षेत्र पथरीला व डांग का एरिया पड़ता है । वहां पर पीने का पानी बिल्कुल उपलब्ध न होने के

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कारण मवेशी अभी से काफी संख्या में मरने लग गये हैं एवं वहां का जनमानस बिगड़ता जा रहा है। बल्कि वहां के नागरिकों को मवेशी को अपने भविष्य में पानी न मिलने के डर से इधर उधर पानी ढूंढने के लिये दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा है। बहुत से नागरिकों को आसपास के इलाके में पानी की तलाश करने के उपरान्त पानी न मिलने से राजस्थान छोड़कर मध्यप्रदेश व उत्तर-प्रदेश की सीमाओं में भी घुसना पड़ रहा है। यही नहीं जन-जीवन बिना पानी के रह नहीं सकता, और कई मीलों तक पीने का पानी नागरिकों को नहीं मिल रहा है। जो हैण्ड पम्प लगे हुए थे उनमें 90 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। उनकी दुरुस्ती के लिये सरकार की ओर से तुरन्त प्रभाव से कदम उठाने की आवश्यकता है। जो हैण्ड पम्प ड्राई हो गये हैं उनके एवज में दूसरे हैण्ड पम्प, वैकल्पिक व्यवस्था कर लगाने की सख्त आवश्यकता है। गांवों में ही नहीं, बल्कि करौली शहर में भी आज पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लोगों को शहर की सड़कों को तोड़कर 8-8, 10-10 फीट के गड्डे करके नलों के नीचे एक-एक बूंद पानी इकट्ठा करके घड़ा भर कर रोजमर्रा के कामों की पूर्ति करना मुश्किल हो गई है। इन्हीं सब हालात को अगर समय रहते पूरा नहीं किया गया तो बड़ी कठिन परिस्थति हो जायगी। उसे पूरा करना नितान्त आवश्यक है।

करौली शहर की पानी की जो योजना बनी थी वह आज 25-30 साल पुरानी हो चुकी है। उसकी अब क्षमता इतनी नहीं रही है कि करौली के नगरवासियों को पूरा पानी दे सके। जब यह योजना बनी थी उस समय करौली की आबादी करीब 10 हजार थी और वह बढ़कर 40 हजार से ऊपर हो गई है। उस पुरानी योजना के तहत पानी का जो स्टोरेज किया जाता था उससे पूरा नहीं किया जा सकता इसलिये तत्काल प्रभाव से राजस्थान सरकार को नई योजना बनाकर करौली शहर के चटीकने मौहल्ले में और एक नई टंकी इसी प्रकार करौली शहर के बाहर बना कर समस्या का स्थाई हल ढूंढने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार गांवों में भी पाताल तोड़ कुओं की नई योजना बनाने की आवश्यकता है और कुओं को गहरा कराया जाने के लिये भी कोई योजनाबद्ध तरीके से एक अभियान के रूप में राज्य सरकार को चलाने चलाने की दिशा में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है।

पानी की समस्या एक लोक महत्व की गंभीर समस्या है, उसे राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से हल कर करौली को पानी के अभाव से बचाकर वहां के नागरिक की जीवन की रक्षा करे। मेरा मानना है कि राज्य सरकार पानी जो कि हर नागरिक को जिन्दा रखने के लिये सबसे आवश्यकता है, उसे दिलाकर लोगों को जीवित रखने में सहयोग प्रदान करेगी। वैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज कहा है, देखो मेरे ख्याल से कुछ हो।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत कृषि उपज मंडी समिति भीनमाल में किसानों की उपज की उचित कीमत दिलाने के संबंध में एवं किसानों द्वारा फसल गुजरात प्रान्त की ऊंझा मंडी में ले जाने के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जालौर जिले के भीनमाल उपखण्ड में कृषि मंडी भीनमाल 'बी' क्लास मंडी है। जालौर जिले में जीरा, घोड़ा जीरा एवं रायड़ा अधिक मात्रा में उत्पादित होता है लेकिन नगरपालिका चुंगी, मंडी शुल्क, सैल्स टैक्स, सैन्ट्रल सैल्स टैक्स अधिक होने से यह फसलें पास के प्रांत गुजरात की मंडियों में चली जाया करती थीं। मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं हमारे पिछले सत्र के मुख्य मंत्री एवं कांग्रेस सरकार का, विशेषकर श्री हरिदेव जोशी का, जिन्होंने जालौर व बाड़मेर जिले की मंडियों का जीरा एवं घोड़ा जीरा बहुतायत से पैदा होता है उस पर किसानों को राहत देने के उद्देश्य से टैक्स में रियायत दी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : आप जो पढ़ रहे हो इसमें है क्या ?

श्री सभापति : आपने जो लिख कर दिया वही पढ़ रहे हैं ना ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : वही पढ़ रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : जो पढ़ रहे हैं वही है क्या ?

श्री ... हिया : वही पढ़ूंगा, साहब, ज... ... हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : पीछे का पैराग्राफ क्यों बोल रहे हैं ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : अब मैं आगे वही पढ़ूंगा जो लिखा है।

राजस्थान सरकार के कांग्रेस शासन के दौरान उक्त मंडी को अंतर्राज्यीय मंडी बनाने की ओर कदम उठा कर नगरपालिका चुंगी जीरे एवं घोड़ा जीरे पर माफ कर दिया गया। मंडी शुल्क भी घटाकर 1.25% से मात्र 0.10% कर दिया गया। इसी प्रकार सैल्स टैक्स व सैन्ट्रल सैल्स टैक्स में भी राहत दी गई।

सरकार ने किसानों की उपज को वेयर हाऊसिंग गोदामों और मंडी के गोदामों में रखकर उपज के एवज में 75% राशि आवंटित करने हेतु एक को-आपरेटिव बैंक खोलने का निर्णय लिया था। लेकिन आज तक उक्त बैंक न खुल पाने से किसानों को बैंक एडवांस राशि नहीं दे पाने के कारण, उपरोक्त शुल्कों में रियायत के भी, उपरान्त किसानों को पुनः गुजरात प्रांत की ऊंझा मंडी में अपनी फसल बेचने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है।

राज्य सरकार ने एक आदेश निकाल कर वेयर हाउसिंग बोर्ड, स्थानीय अधिकारी को उपज के एवज में एडवांस राशि देने के निर्देश दिये थे, लेकिन वह सुविधा मात्र 3 माह के लिए ही है जब कि एडवांस राशि देने का मूल उद्देश्य किसानों को उपज का अधिक से अधिक बाजार भाव दिलाना

(श्री प्रेमसिंह दहिया):

है। 3 माह में किसानों को मजबूर होकर जो भी भाव देने होंगे उसके अनुसार फसल बेचनी होगी। अतः को-आपरेटिव बैंक की शाखा व्यावसायिक लोन हेतु अतिशीघ्र खोली जावे।

इसी प्रकार राजफेड द्वारा घोड़ा जीरा (इसबगोल) खरीदने हेतु भी सुविधा है, लेकिन राजफेड क्षेत्र के किसानों से सीधा घोड़ा जीरा नहीं खरीद कर आढ़तियों के माध्यम से खरीद रहा है जहां राजफेड के अधिकारी बिचौलियों द्वारा खरीद कर अपना हित साध रहे हैं। यहां तक कि राजफेड के अधिकारी गुजरात की ऊंझा मण्डी से उक्त उपज खरीद रहे है जबकि घोड़ा जीरा की उपज का 80% जालौर जिले में उत्पादित होता है।

इसबगोल की फैक्ट्री सरकार या सार्वजनिक संस्थान द्वारा आबूरोड़ में स्थापित की गई है जिसे वहां से हटा कर जालौर जिले के भीनमाल शहर में स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि सिरोही जिले के आबूरोड़ में फसल नाममात्र को होती है।

उपरोक्त असुविधाओं के कारण व्यापारी मण्डी में अपना व्यवसाय स्थानान्तरित नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों को मण्डी में ट्रेड शिफ्ट करने में अन्य सुविधाओं जैसे केन्टीन, भवनों में शौचालय की कमी आदि असुविधाओं के कारण परेशानी हो रही है और व्यापारियों को मण्डी एवं शहर में अलग-अलग दूकानें लेनी पड़ती हैं और दोहरी मार पड़ती है।

उपभोक्ताओं, किसानों व व्यापारियों की मांग के अनुसार अविलम्ब समस्त मण्डी सम्बन्धी व्यापार मण्डी प्रांगण में अविलम्ब शिफ्ट किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदया, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर नगर की सफाई की अव्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। जैसा कि आपको विदित है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल टूटे आज छठा दिन है। प्रयत्नों के बाद भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। जगह-जगह पर कूड़े और कचरे के ढ़ेर पड़े हैं। हर गली मौहल्ले में गन्दगी का साम्राज्य है। प्रशासक महोदय ने तात्कालिक रुप से सफाई कराये जाने और कूड़ा उठाये जाने में असमर्थता प्रकट की है। उनके अनुसार छः हजार कर्मचारी सफाई कार्य में लगे हैं। काफी संसाधन कचरा उठाने के ट्रेक्टर, ट्राली आदि लगे हैं। पर लगता है कि यह अपर्याप्त है। अगर यह पर्याप्त है तो कार्य हो जाना चाहिए और अगर अपर्याप्त है तो भर्ती खोली जानी चाहिए और काम का मानदण्ड स्थापित किया जाना चाहिए।

पूर्व सरकार ने जयपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से ऊपर होकर ठीक चुनावों के दिनों में मांगों के प्रति बेरूखी रख कर हड़ताल को प्रोत्साहन दिया था। वह इसलिए कि जब भी चुने जाने वाले विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में सम्पर्क हेतु जायेंगे वहां उन्हें गली व मोहल्लों में लोग सफाई हेतु टोकेंगे और ऐसे अवसर पर कांग्रेस के लोग यह कहेंगे कि आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हमें वोट दो, हम सफाई करवायेंगे । जनता ने फिर भी कांग्रेस को नकारा । हालांकि चुनावों के अंतिम दिन तक भी मांगों के प्रति उपेक्षा बरती जाती रही, यह बात कितनी निन्दनीय थी जिसमें निर्वतमान सरकार ने समाधान के लिए स्वयं को असमर्थ पाया है ।

चुनावों के बाद मंत्री महोदय ने सम्मानजनक ढंग से हस्तक्षेप करके उचित कार्य किया और यह मामला सुलटाने के लिए उचित निर्णय लिया । मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं । परन्तु अभी भी मामला हड़ताल का तो सुलट गया लेकिन सफाई का नहीं सुलटा । कूड़ा शीघ्र ही उठाया जाना चाहिए । गारबेज यानि सड़ा-गला कूड़ा शीघ्र ही उठाया जाना चाहिए जिससे मक्खी, मच्छर, दुर्गन्ध से इस शहर को बचाया जा सकें । गर्मियां आ गई हैं । मूल सफाई तो छोड़ दीजिए, गन्दी गलियों की सफाई भी नितान्त आवश्यक हो चुकी है । तात्कालिक रुप से इन पक्की और कच्ची गलियों में युद्ध स्तर पर सफाई की जानी चाहिए और निकले हुए गारबेज को सूखते ही उठाने का उपक्रम किया जाना चाहिए ।

अभी थ्री-टायर सिस्टम सफाई का चल रहा है । इससे मालूम ही नहीं पड़ता कि सफाई की या नहीं । एक नाली साफ करने वाला है, एक गली साफ करने वाला है और एक कचरा उठाने वाला है । इसे वन-टायर सिस्टम किया जाना चाहिए ।

यद्यपि जयपुर नगर की यह 35 दिन की हड़ताल मंत्री महोदय को विरासत में मिली है लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि लोग बेहद परेशान हैं और दूसरी ओर कूड़े के ढ़ेर न केवल गलियों में बल्कि मुख्य मार्केट में भी पड़े हैं जो उठाये जाने की प्रतीक्षा में हैं । यह कूड़ा पहले खाद के कारखाने में डाला जाता था जो गोपालपुरा बाई-पास से आगे है । अभी इसे जमवा-रामगढ़ रोड़ पर जयपुर से आगे 14 कि. मी. दूर ढूंढ़ नदी पर डाला जाने लगा है । इसी ढूढ़ में जलदाय विभाग ने कुछ कूए बनाये हैं । इन कूओं को जयपुर की जल सप्लाई से सम्बद्ध करके जोड़ा जाएगा । अगर यह गला सड़ा कूड़ा वहां पड़ा रहा तो जल प्रदूषण होगा और इससे स्पष्ट है कि नागरिकों के शरीर पर दुष्प्रभाव होगा । इसे ढूंढ़ नदी पर डालने से तत्काल बन्द दिया जाना चाहिए । यह कूड़ा, कचरा, गन्दगी ढूंढ़ नदी के पास न डाल कर अन्यत्र डाला जाना चाहिए ।

दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगी कि इस हड़ताल के कारण नालियां भी कचरे से भर दी गई हैं । छोटी-बड़ी नालियां, गहरी नालियां, व पन्नीगरों के नाले जैसे बडे नाले कूड़े से भरे पड़े हैं । जिनमें कूड़ा सड़ रहा है । इन्हें तत्काल साफ कराया जाना चाहिए जिससे गन्दगी, मैल, दुर्गन्ध मिटे । सड़कों पर गन्दा पानी नहीं फैले और गन्दगी नहीं बढ़े ।

इतना ही नहीं, अनेक जगह गटर लाइनें भरी पड़ी हुई है और मैला बाहर बह रहा है । यह गन्दा पानी न फैले इसके

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लिए तत्काल बन्द गटर लाइनों को खुलवाया जाना चाहिए जिससे गन्दगी और मच्छरों से बचाव हो सके।

वर्तमान स्थिति तो वास्तव में बहुत भयावह है। सुधार की काफी अपेक्षा रखती है। यदि शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो जनता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और जनता में आक्रोश भी बढ़ेगा।

जयपुर नगर के उत्तरी क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण के आमेर से लगते हुए भाग में ट्रीटमेंट प्लाण्ट बनाया गया था। इस ट्रीटमेंट प्लाण्ट में जो कूड़ा निकलता है गारबेज के रूप में उससे खाद बनाई जाती है। यह खुली गन्दगी चारों तरफ गन्दगी और दुर्गन्ध फैलाती है। दुर्गन्ध भरी हवा में यहां के नागरिकों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।

इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि सफाई की व्यवस्था के साथ-साथ जब तक पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो, डी.डी.टी. छिड़कवाई जाय और फोगिंग की गाड़ी जो मच्छरों को मार सके, वह दवा भी छिड़कवाई जाय जिससे शहर में सुचारू व्यवस्था हो।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, भयंकर समस्या है इसका समाधान सरकार और मंत्री महोदय तत्काल खोजें। प्रशासक महोदय अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। मैं समझती हूं यह और भी खराब बात है। इस पर ध्यान दिया जाय।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पीने के पानी की समस्या के बाबत, माननीय महोदया, आज पीने के पानी की समस्या किसी क्षेत्र विशेष की न रह कर पूरे राजस्थान की भीषणतम समस्याओं में से एक है जो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को तो अभिशिप्त किये हुए है बल्कि पिछले सालों के अकाल ने इसकी भीषणता और बढ़ा दी है।

इसी समस्या के साथ जुड़ा हुआ है शेखावाटी अंचल। शेखावाटी क्षेत्र में पिछले अकाल में सीकर की जनता को पीने के पानी के लिए जिस तरह जार-जार रूलाने के लिए बाध्य किया है उसके स्मरण मात्र से ही आगे आने वाली गर्मी के सीजन का भय लगने लगा है।

आज गर्मी मौसम में जहां पानी के उपयोग की अधिक आवश्यकता होती है, आज भी पानी की विकट समस्या बन कर मुंह बाये खड़ी है। इस अकाल ने पानी के स्तर को बहुत नीचे पहुंचा दिया है जिससे पानी की सप्लाई जो थी वह भी कम हो गई है। जल स्तर जहां सारे क्षेत्र में 40–50 फीट नीचे चला गया है वहां कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां कुए पूर्ण रुप से सूख चुके हैं।

सीकर शहर में जलदाय विभाग द्वारा जहां पिछले काफी सालों से कोई नई लाइन नहीं डाली है वहीं नये कनेक्शन की प्रचुरता रही है। 2–2 की पाइप पर 60–60

(68)

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कनैक्शन हो गये हैं जिससे केवल नाम मात्र के कनेक्शन ही हैं। पानी के लिये तो अन्य स्रोतों पर ही निर्भर रहना पडता है। 25–25 रुपये देकर पानी की टंकी जो 15–20 घड़ों की मात्र होती है रोज खरीदनी पड़ती है। पानी के मैन पाइप इतनी दूर हैं कि 300-400 फीट दूर से कनेक्शन लेने पडते हैं जिससे प्रेशर नाम से ही नहीं बनता व मुश्किल से पानी के कुछ घड़े मिल पाते हैं जिससे संतोष करना पड़ता है।

पी. एच. ई. डी. जहां दोनों समय कानूनन जल वितरण को बाध्य थी वहां आज एक समय भी पानी की किल्लत है। हालत यह हो गयी है कि पानी के लिये लोगों को घरों के बाहर काफी गहरे गडढे खोदने पड़ते हैं जिससे कुछ पानी तो मिल सके।

कांग्रेस सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये हैण्ड पम्प, ट्यूब वैल, पब्लिक वैल्स को टेक ओवर करने की व्यवस्था की थी जिससे पानी की सप्लाई बढ सके। लेकिन आज वे कुएं जल स्तर के नीचे चले जाने से बेकार साबित हो रहे हैं और लोगों को केवल घर में कनेक्शन है इसी बात का बिल भरना पड़ता है भले पानी आये या नहीं आये, जो बड़ा अन्याय है। ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव के दौरान जहां मुझे जाने का काम पड़ा वहां बूढ्ढी मायें मुझे पकड़ कर रो पड़ी और कहने लगी बेटा भगवान तेरा भला करेगा तू गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करवा दे, यहां तक कहा कि इस पानी की कमी से गांव में बेटी व्यवहार ही बंद हो गया है और यह सब सुन करके मेरा दिल रो पड़ा।

श्यामगढ़, भगोवा, सिकराय, राजपुरा, हात्याज, हरिपुरा, जुराहड़ा आदि पहाड़ी इलाका है जहां जल स्रोत पहले ही नगण्य थे और इस अकाल ने तो रही सही कमी भी पूरी कर दी। पुराने कुएं सब सूख गये पहाड़ों से बह कर जो जल एकत्रित हो जाता था जिससे मानव एव पशु दोनों अपनी प्यास बुझाते थे वे भी सूखे पड़े हैं। आज यह सबसे बड़ी महती आवश्यकता है कि पीने के पानी की व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जाये।

शहरी क्षेत्र में जहां कुएं सूखे हैं उन्हें और गहरा किया जाय। ट्यूब वैल व हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जाय एवं पुरानी पाइप लाइनों को बदल कर जहां छोटी लाइन है उन्हें बढ़ा किया जाये ताकि अधिक कनेक्शन का भार बंट सके। जब तक सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से पानी की समस्या से निपटने के लिये व्यवस्था नहीं की गई इस समस्या का समाधान बड़ा मुश्किल है।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जहां पहाडी इलाका है यथाशीघ्र पानी के स्रोत का पता लगा कर वहां ट्यूब वैल, हैण्ड पम्प आदि की व्यवस्था की जाये ताकि समय रहते इस भीषण समस्या से निजात पा सकें।

सीकर के पास ही एक स्थान शीतोलाब है जहां पिछले कुछ वर्षों में पानी के लिये

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सर्वे हुआ था वहां यह पाया गया कि पानी का विपुल भण्डार वहां है, यह एक अण्डर ग्राउण्ड मीठे पानी की झील है। यदि सरकार किसी योजना के तहत इस विपुल भण्डार का सदुपयोग कर सके तो मेरी मान्यता है कि सीकर ही नहीं बल्कि जिले के अन्य क्षेत्र भी इस सुविधा का लाभ ले पायेंगे। सरकार को चाहिये कि इस क्षेत्र का दुबारा सर्वे करवा कर, इस सदन को इसकी जानकारी दिलवाये जाने की व्यवस्था फरमायें। क्या इस झील से सीकर को पीने का पानी देना सम्भव है। पानी की समस्या एक बहुत ही महती समस्या है इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। इसलिये यह सरकार का पूर्ण दायित्व भी बन जाता है कि हम अपने क्षेत्र के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मुहैया करवाये। माननीय महोदय से निवेदन है कि इस समस्या को जनहित में लेते हुये यथाशीघ्र कुछ उपाय करें ताकि आगे आने वाली गर्मी के त्रास से मुक्ति पा सकें।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : सभापति महोदया, मैं नियम 295 के तहत कश्मीर घाटी से भाग कर राजस्थान आये परिवारों को राहत पहुंचाने के बाबत यह मुद्दा उठाना चाहता हूं।

जम्मू कश्मीर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। घाटी में आतंकवादियों के कारण एक सम्प्रदाय विशेष का रहना दूभर हो गया है। वहां के लोग जान बचा कर भाग रहे हैं। इनमें से कई परिवार राजस्थान भी आये हैं। यह परिवार जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा एवं आम शहरों में किसी तरह दिन गुजार रहे हैं। वे इतने भयभीत हैं कि किसी को अपना नाम, पता भी बताना नहीं चाहते। इन परिवारों का कहना है कि उग्रवादियों का जाल इस कदर बिछा हुआ है कि उनकी जान को राजस्थान में भी खतरा है।

सभापति महोदया, इस संवेदनशील मुद्दे पर राजस्थान भाग कर आये कश्मीरी परिवारों की सुरक्षा एवं उनको सहायता दिलाने के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन परिवारों के रहने इत्यादि की उचित व्यवस्था की जाय और यह भी निवेदन सदन से करना चाहता हूं कि कश्मीर की हालात पर सदन में एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा जाय और यह प्रस्ताव सर्वदलीय सहमति के आधार पर पारित होना चाहिये। जय हिन्द।

समितियों का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री सभापति : वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदया, मैं आपकी आज्ञा से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

(1) जन लेखा समिति, 1990-91

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 1990-91 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(2) **प्राक्कलन समिति (क) 1990-91.** इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 (1) के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (क), 1990-91 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(3) **प्राक्कलन समिति (ख)** इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (ख), 1990–91 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(4) **राजकीय उपक्रम समिति, 1990-91.** इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 ख (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1990–91 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

श्री सभापति : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की चार वित्तीय समितियां अर्थात जन लेखा समिति, 1990– 1, प्राक्कलन समिति (क), 1990–91, प्राक्कलन समिति (ख), 1990–91 तथा राजकीय उपक्रम समिति, 1990–91 के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित है—

(1) मनोनयन पत्र प्रस्तुत करना	: 22 मार्च, 1990 से 23 मार्च, 90 तक म. पूर्व 11 बजे से म.प. 1 बजे तक ।
(2) मनोनयन पत्रों की जांच	: 23 मार्च, 1990 को म. प. 2.00 बजे,
(3) मनोनयन वापस लेना	: 26 मार्च, 1990 के म. प. 3.00 बजे तक ।
(4) मतदान यदि आवश्यक हो	: 27 मार्च, 1990 को म. पूर्व 11.00 बजे से म. प. 3.00 बजे तक ।
(5) मत पत्रों की गणना	: 27 मार्च, 1990 को म. प. 3.00 बजे तक ।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरः स्थापन
राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री सभापति : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदया, आपकी आज्ञा से मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990

आपकी आज्ञा से, सभापति महोदया, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री सभापति : प्रस्ताव यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री सभापति : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद....

व्यवस्था का प्रश्न
उप-मुख्य सचेतक की नियुक्ति

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न रूल 294 के अन्तर्गत है :

"A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as to regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

माननीय सभापति महोदया, मेरा जो व्यवस्था का प्रश्न है,

Rajasthan Legislative Assembly Officers & Members emoluments and pensions Act, 1956 के सेक्शन-5 के संबंध में है । विधान सभा के सचिवालय

(श्री परसराम मदेरणा)

ने इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को बुलेटिन दो के अनुसरण में 16-3-90 को यह सूचना दी है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो इस सदन में हैं, उनमें जनता दल के नेता श्री नत्थीसिंह जी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता श्री हरिदेवजी जोशी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री हेतराम जी बेनीवाल हैं। लेकिन 17 तारीख को जो अधिसूचना प्रसारित की गयी है, विधान सभा सचिवालय से, राजस्थान विधान सभा भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल के नेता ने अपने पत्र संख्या अ–पी. ए डी–95 4–6, दिनांक 14 मार्च, 90 द्वारा सूचित किया गया कि उन्होंने श्री ओमप्रकाश गुप्ता, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को, राजस्थान विधान सभा में सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। अतः श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सदस्य विधान सभा, राजस्थान विधान सभा अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ एवं पेन्शन अधिनियम 1956 की धारा–5 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के भाग–2 के अन्तर्गत सरकारी मुख्य सचेतक होंगे और सभापति महोदया, उसी दिन 17 तारीख की अधिसूचना उप मुख्य सचेतक के सम्बन्ध में है। मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि इस एक्ट का जो सेक्शन-5 का एक्सप्लेनेशन है, जिसका उल्लेख इस अधिसूचना में है।

"For the purpose of this Section the Government Chief Whip or Deputy Government Chief Whip means that a member of the Rajasthe an Legislative Assembly who is the Chief Whip or the Deputy Chief whip for the time being in the Assembly of the party in Government having the greatest numerical strength in that Assembly"

माननीय सभापति महोदया, इस सदन में जो ग्रेटेस्ट न्युमेरिकल स्टेंन्थ जिस पार्टी की हैं, उसके नेता माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, और इस सदन में एक दूसरी पार्टी है, जिसके नेता श्री नत्थी सिंह जी हैं, लेकिन यह जो अधिसूचना निकली है, इसमें दोनों पार्टियों का नेता, माननीय सदन के नेता ने अपने आप को मान करके और विधान सभा सचिवालय को सूचित किया है। ऐसा करने का उनको कोई अधिकार नहीं था एक। दूसरा, सरकारी चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप उसी पार्टी के नियुक्त किये जा सकते हैं, जिसकी इस सदन में ग्रेटेस्ट न्युमेरिकल स्टेंन्थ हो। इसमें यह बात तो सही है कि सरकारी चीफ व्हिप भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनकी स्टेंन्थ यहां पर ग्रेटेस्ट है. लेकिन डिप्टी चीफ व्हिप जो हैं, वह जनता दल के हैं, उनकी ग्रेटेस्ट न्युमेरिकल स्ट्रेंथ इस सदन में नहीं है। इसलिये उन की नियुक्ति कानूनन इल्लीगल है और इस सदन के सम्माननीय नेता को यह अधिकार नहीं है कि वह दोनों पार्टीयों की तरफ से, क्योंकि दोनों पार्टियां अलग-अलग हैं, और उनके अलग-अलग नेता हैं, उनके नेताओं का निर्वाचन हुआ है और उसके आधार पर ही जनता पार्टी के नेता हैं, वे सरकार में सम्मिलित हैं, यह बात, तथ्य, सही है। लेकिन वे दोनों पार्टियां एमलगमेंट हो कर के या दोनों पार्टियों ने साथ मिल कर के इन को नेता

(श्री परसराम मदेरणा)

भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, इसलिये यह पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट से इस प्रकार की कोई भी सूचना इस सदन के सचिवालय को देकर के इस प्रकार की अधिसूचना निकलवाना यह Rajasthan Legislative Assembly Officers & Members emoluments and pensions Act, 1956 की धारा 5 के एक्स प्लेनेशन प्रतिकूल हैं और मैं इस पर, माननीयसदस्या आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदया, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है, उस आपत्ति का अर्थ वह भी समझते हैं मैं समझता हूं और सदन भी समझता है। आपने स्वयं इस बात को माना है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की मिली जुली सरकार है, तो मुख्य संचेतक चाहे भारतीय जनतापार्टी का हो, चाहे जनता दल का हो, कोई भी मुख्य सचेतक नियुक्त किया जा सकता है और कोई भी उप मुख्य सचेतक नियुक्त किया जा सकता है। इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। आप जानते हैं मिली जुली सरकार है और मिली जुली जुली सरकार होने के नाते ही एक प्रकार से बहुमत बनता है। हमारी संख्या इतनी नहीं है कि अकेली पार्टी सरकार बना सके, इसलिये दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है और उस दृष्टि से मैं समझता हूं आपने आपत्ति की है, वह तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस आपत्ति में कोई सार नहीं है। इसलिये आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि मिली जुली सरकार की व्यवस्था में इसी प्रकार की व्यवस्था होनी बहुत ही आवश्यक है और उसी आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही यह किया गया है। जहां तक नियमों का प्रश्न है कि कौन-कौन उप मुख्य सचेतक होंगे, यह नियमों के अन्तर्गत या कानून के अन्तर्गत नेता को अधिकार दिया गया है। और उसी पार्टी के नेता श्री नत्थीसिंह जी इस सरकार में शामिल हैं। जो नियुक्ति की गयी है, वह शामिल में की गई है, वह अलग-अलग नियुक्ति नहीं हुई है और इसलिये मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस आपत्ति पर ज्यादा जोर नहीं देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : या तो इस एक्सप्लेनेशन का अमेंडमेंट होना चाहिये, अगर इसका अमेंडमेंट नहीं होता है, तो आप दूसरी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को गवर्नमेंट डिप्टी चीफ व्हिप नहीं बना सकते हैं। अगर आपकी न्युमेरिकल स्टेंन्थ ज्यादा है, इसलिये चीफ व्हिप तो बना सकते हैं, आपकी पार्टी का बनता तो मुझे एतराज नहीं होता, वह जरूर है कानून के एक्स्प्लेनेशन में, कानून के अनुसरण में हुआ, लेकिन जब कानून, एक्सप्लेनेशन और लॉ आपको परमिट नहीं कर रहा है, तो मिली जुली होने से क्या होगा ? या मिली जुली के लिये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्योंकि मिली जुली का जब मामला आयेगा या स्पीकर को जहां पर डाउट है, वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, उस संबंध में एक्स्प्लेनेशन में साफ लिख दिया है। जहां दोनों पार्टियां हैं more parties in oppoition to the

(श्री परसराम मदेरणा)

Government having the same numerical strength. लेकिन यह सेम न्युमेरिकल स्टेंथ का प्रश्न नहीं है। वह एक्सप्लेनेशन अगर दिया हुआ है, यह स्पीकर को रिकोग्नाइज करना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। लेकिन यहां पर दोनों पार्टियों की मिली जुली सरकार तो हो सकती है लेकिन सरकारी चीफ व्हिप और सरकारी डिप्टी चीफ व्हिप उसी पार्टी के हो सकते हैं जिसकी इस सदन में न्युमेरिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो और आपकी सबसे ज्यादा है, इसलिये भंवरलाल जी शर्मा को जो आपने डिप्टी चीफ व्हिप अपाइंट किया है। और वह नियुक्त करके आपने यहां पर सदन को इन्फार्म किया है, इस प्रकार का प्रावधान इस एक्ट के सेक्शन 5 में नहीं है और जो आप ने किया है, वह इल्लीगल है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह जो अभी आपने पाइंट ऑफ आर्डर उठाया, मैं सोचती हूं, उसका काफी एक्सप्लेनेशन हो गया, यह एक आपसी अंडरस्टेंडिंग से हुआ है। मैं सोचती हूं कि अगर आपसी अंडर स्टेंडिंग है, तो आपके नियमों में, जब तक कि दूसरी पार्टी की आपत्ति नहीं हो, व्यवधान नहीं आना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : एतराज तो मैं कर रहा हूं। इस सदन के हर एक माननीय सदस्य को जो रूल का इंफ्रिजमेंट हो रहा है, उसको राइट है यहां पर रूल के इंफ्रिजमेंट को पाइंट आउट करके का। एक्स में प्रावधान साफ है कि यह आपसी मिलाजुली की बात तो इनकी लॉबी में बैठ कर हो सकती है, लेकिन यहां जो कुछ भी आपने अपाइंटमेंट किया है, वह एक्ट के नीचे किया है और एक्ट में प्रावधान साफ है। कि न्यूमेरिकल स्ट्रेन्थ जिसकी सबसे ज्यादा होगी उस पार्टी का सरकारी मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक होगा, तो फिर इनको अधिकार किसने दिया था ? यह एक ही पार्टी के लीडर हैं। या आप 16 तारीख की जो बुलेटिन है, उसको आप सुपरसीड कीजिए कि दोनों पार्टियां एमलगेमेट हो गई हैं और एमलगेमेट होने के बाद में यह एक ही पार्टी है और इसका नाम मोर्चा-वोर्चा कुछ दे दीजिए आप। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के तो नेता रहना चाहते हैं और दूसरे नेता को आप अपने पास बैठा रहे हैं और उनकी पार्टी के आदमी को आप डिप्टी चीफ व्हिप ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है और एक्ट का प्रावधान है। यह कोई रूल्स बने हुए नहीं हैं। मैं समझता हूं, रूल्स का यह फ्लेगरेंट वायोलेशन है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : हमने इसमें शामिल होने से पहले सदन के नेता को अपना नेता माना है और इस कानून के तहत जो नेता को अधिकार है वह इस्तेमाल करने का आपको अधिकार है। पार्टी व्हिप, डिप्टी व्हिप का चयन करना, नियुक्ति करना आपके अधिकार में है। हमारी पार्टी, के तौर पर अलग है, सरकार के अन्दर हम लोग कोइलिशन के रूप में बैठते हैं। इसलिए हम भी उनमें शामिल हैं जो भी सरकार फैसले होते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमारी यहां

(श्री केदारनाथ)

पर सेपरेट एन्टिटी सरकार के नाते नहीं है, पार्टी के नाते जरूर है। इसलिए जो आपने 294 के पार्ट सेकण्ड में उठाया है इसको, वह है आपका-अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस, हाउस के साथ सम्बन्ध रखता है और उसमें जैसा सेक्शन 5 का आपने हवाला दिया....

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसका हवाला नहीं दे रहा हूं। पॉइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया है....

श्री केदारनाथ : 294 जो आपका, पाइन्ट ऑफ आर्डर जो रेज किया है आपने वह मेंटीनेन्स ऑफ बिजनेस के ऊपर उठाया है आपने, अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस, पार्ट सैकण्ड ...

श्री परसराम मदेरणा : मैं जो आपको उल्लेख कर रहा हूं वह एक्सप्लेनेशन के सम्बन्ध में है, सैक्शन 5 का, जो एक्सप्लेनेशन है उसके सम्बन्ध में कर रहा हूं। पार्ट-2 का तो मैंने हवाला ही नहीं दिया है 294 का, 291 का हवाला दिया है कि मैं 291 के अन्तर्गत यह पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज कर रहा हूं। यह पाइन्ट ऑफ़ आर्डर जो रेज किया है मैंने, लेकिन मुझे आप यह बताइये कि एक्सप्लेनेशन रहते हुए आपको डिप्टी चीफ व्हिप किसी दूसरी पार्टी का अपॉइन्ट करने का अधिकार एक पार्टी के नेता को है क्या ? और नहीं है तो आपने अलग अपना नेता क्यों चुना ? फिर आप अपना नेता नहीं चुनते। माननीय नत्थी सिंह जी को दोनों ही पार्टियां मिलकर जो हैं, मुख्य मंत्री जी को आप नेता चुन लेते। उसके बाद में उनको यह अधिकार रहता। दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जो मिली-जुली की बात कह रहे हैं, यह अपाइन्टमेंट करने का प्रावधान इस एक्ट में नहीं है। यह अपाइन्टमेंट करने का प्रावधान आपके पार्टी कांस्टीट्यूशन में हो सकता है, वह बात कांस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। पार्टी कांस्टीट्यूशन कांग्रेस पार्टी का भी है, उसमें यह है कि जो भी व्हिप होगा उसका नोमिनेशन और उसकी नियुक्ति हमारी पार्टी का लीडर करेगा और उस तरह से उन्होंने करके सदन को इन्फोर्म कर दिया श्री हरिदेव जी जोशी ने। वह पार्टी कांस्टीट्यूशन का प्रश्न है। यह पार्टी कांस्टीट्यूशन है यहां नहीं, यह तो सदन का पारित किया हुआ गवर्नर की कन्सेन्ट दिया हुआ एक्ट है और एक्ट के अन्दर प्रावधान है। उन प्रावधानों के अनुसरण में जब यह नियुक्ति नहीं हुई है तो यह नियुक्ति कानून-सम्मत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता था कि माननीय सदस्य इस बात से संतुष्ट होंगे। लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनेशन के ऊपर जोर दिया है, एक्सप्लेनेशन यह है कि for the purpose of this Section Government Chief whip or the Deputy Government Chief whip means that a Member of the Rajasthan Legislative Assembly who is Chier whip or Deputy Chief whip for the time being in the Assembly of the party in Government.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह तो आप मानेंगे। मैंने इसको छिपाया भी नहीं, मिली-जुली सरकार है।

श्री परसराम मदेरणा : आप इसको बाइफरकेट मत करिये, यहां कोमा लगा हुआ नहीं है Party in Government having the greatest numerical strength. पूरा पढ़िये, आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पार्टी इन गवर्नमेंट और न्यूमेरिकल स्ट्रेन्थ में दोनों पार्टी....

श्री परसराम मदेरणा : ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेन्थ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बताया न आपको। उसमें आगे यह वर्ड्स हैं जो आप कह रहे हैं Assembly having the greatest numerical strength in that Assembly. दोनों की मिला-जुला कर हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेन्थ है और इस पार्टी के नाते इस पार्टी ने मुझे लीडर चुना है तो मुझे चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप नियुक्त करने का भी अधिकार है। दूसरा प्रश्न प्रोफेसर केदार जी ने उठाया, उसको आप शायद साइडट्रेक कर रहे हैं। उसमें यह है सैकण्ड में कि आपने पाइन्ट ऑफ आर्डर 294 के अन्दर उठाया है लेकिन इस सैकण्ड में यह है कि "A point of order may be raised in relation to the business bofere the House at the moment.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय नेता महोदय, यह तो दूसरे में है, यह इसमें भी उठाया जा सकता है और नं. एक में भी उठाया जा सकता है। इसलिए मैं पाइन्ट ऑफ आर्डर बिजनेस के सम्बन्ध में नहीं उठा रहा हूं। मैं enforcement of the rules or Article of the Constitution यानि कानून की जो खिलाफत की है उसके सम्बन्ध में उठा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कानून की कोई खिलाफत नहीं की।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, दो में उठा सकते हैं और एक में भी उठा सकते हैं दोनों में ही उठा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उठा लीजिए, तीन में उठाइए।

श्री सभापति : श्री मदनलाल सैनी।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था नहीं हुई।

श्री सभापति : अगर आप इन्सिस्ट करते हैं? Do you want to ins.st on it?

श्री परसराम मदेरणा : आपने कोई व्यवस्था ही नहीं दी, आपने तो मिली-जुली कुछ बात कह दी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इतने एक्सप्लेनेशन के बाद अगर इस पर इन्सिस्ट करते हैं तो फिर इसकी रूलिंग रिजर्व रखते हैं और अगर आप इन्सिस्ट नहीं करते हैं....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं इनसिस्ट कर रहा हूं। रिजर्व रख लीजिए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री मदनलाल सैनी ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा मालानी) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं । पिछले दस वर्षो का यदि हम इतिहास देखते हैं तो हमें लगता है कि प्रदेश में और जनता शासन के दौरान जो महंगाई को रोकने का प्रयास हुआ था वह महंगाई निरन्तर बढ़ती गई, ढाई रुपये की चीनी अठारह रुपये की बिक गई । चाय अस्सी रुपये किलो तक बिक गई । पिछले समय में, दस वर्षो में जो बेरोजगारी है इसमें भी 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बेरोजगारी निरन्तर बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है । पिछली विधान सभा में आठवीं विधान सभा में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के बड़े नमूने आये हैं पाइप घोटाला काण्ड हुआ है, इसी प्रकार से नहर का काण्ड हुआ है । हम देख रहे हैं कि जमीन के विक्रय में जमीनों के कई प्रकार के घोटाले किए गए हैं । इन सारी स्थितियों में हम यह देख रहे हैं कि पिछले दस वर्ष में अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंची है, साम्प्रदायिक दंगे बड़ी संख्या में हुए हैं । इस क्रम में अपराधियों को खुली छूट पिछले दस वर्षों में मिली है । देश में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या 36 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हुई है । यही नहीं, जो केन्द्रीय पूंजी निवेश होना चाहिए था प्रदेश में, पिछली सरकार के प्रयास पूरे न होने के कारण से पूंजी निवेश डेढ़ प्रतिशत हुआ जो यहां की आबादी के हिसाब से छह से लेकर आठ प्रतिशत तक होना चाहिए । उसके कारण प्रदेश का विकास नहीं हुआ । और भी इस प्रकार के काम हुए जिनको हम यह कह सकते हैं कि जनता उस समय असुरक्षा की भावना महसूस कर रही थी, उसी का परिणाम हुआ कि जनता ने पिछले चुनाव में और इन नीतियों से तंग आकर कांग्रेस से छुटकारा लिया । माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बड़ी अच्छी बात आई है मुख्य मंत्री जी की सलाह से और मुख्य मंत्री को भी लोकायुक्त की जांच के घेरे में जो रखा गया है, वास्तव में एक बहुत बड़ा सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है । महोदय, हमने भी देखा है कि मुख्य मंत्री महोदय ने अपने आप को जो जांच के घेरे में रखा है वह एक बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने किया है । पिछले दस वर्षो के समय में जब चुनाव नजदीक आये । 10 वर्षो में कुछ कर नहीं पाये और जब चुनाव नजदीक आये उस समय इस प्रकार का प्रयास किया गया जैसे हारती हुई सेनाएं असला और बारूद, पुल, वगैरह उडाकर चली जाती है कि किसी के काम नहीं आ सके, कोई लाभ नहीं ले सके, सके, इस प्रकार की घोषणाएं की गयीं कि जिन घोषणाओं का लाभ आज तक किसी को नहीं मिला । सत्ता जाने से दो महीने पहले जो घोषणाएं की गयीं विकलांगों को यात्रा की सुविधा देने की बात की गयी, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात की गयी, इसके साथ साक्षात्कार में जाने वाले लोगों को रियायती दरों की बात की गयी । उसका किसी का

(श्री मदनलाल सैनी)

भी उपयोग उनके शासन के दौरान किसी को नहीं मिला। यह सारी घोषणाएं महज इसलिए की गयी कि जनता भ्रमित हो और जनता को भ्रमित करके मत प्राप्त किये जायं। मैं समझता हूं कि जनता को धोखे में रखकर अपराधपूर्ण प्रयास यह किया गया है। इस प्रकार के प्रयास में जो खर्चा हुआ उसका एक हिसाब लगाया जाना चाहिए कि जो आदेश निकाले गये, यह आदेश आज जनता गवर्नमेण्ट यदि पूरा करती है तो उस पर कितना पैसा लगेगा। मुख्य मंत्री महोदय, इस पर श्वेत पत्र जारी करें और जो दोषी लोग हैं, इस प्रकार की कार्यवाही करने को उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह एक प्रकार का जनता के साथ अन्याय है।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा पीनल आफेंस कमिट किया है अगर जनता की भावनाओं का आदर करते हुए जनहित में घोषणाएं की है तो पीनल आफेंस किया है क्या?

श्री मदनलाल सैनी : जो घोषणाएं की गयी वह यह जानते हुए की कि वातावरण हमारे खिलाफ जा रहा है, सारे लोग जिस प्रकार के कुशासन से तंग आ गये हैं। उसके बावजूद भी ऐसी घोषणाएं करने की, डूबते हुए आदमी जैसे सिवाड़ को हाथ डालते हैं और बीच में कोई सहारा मिल जाये। इस प्रकार का प्रयास करने की कोशिश की। यह देश का सौभाग्य था और आपका दुर्भाग्य था कि बीच में कोई सहारा थोथी घोषणाओं का सहारा नहीं बन सका और डूबने के अलावा और कोई चारा नहीं था।

पिछले समय शिक्षा जो इस प्रकार का क्षेत्र है, जिसमें देश का भविष्य निर्भर है। उसमें देश के युवा नागरिकों का निर्माण होता है। उस शिक्षा को पिछली सरकार ने गलत ढंग से पंचायतों और पंचायत समितियों के अण्डर में देकर एक इस प्रकार की अव्यवस्था फैला दी है कि कहीं बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग कहीं बनी है तो उसमें अध्यापक नहीं है, इस प्रकार की जो अव्यवस्था की है, मैं यह चाहूंगा कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था है उच्च प्राथमिक विद्यालय पंचायतों को दिये हैं पंचायतों से लेकर, पंचायत समितियों से लेकर सरकार उसकी व्यवस्था करे ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई हो सके, देश में अच्छे प्रकार के नागरिकों का निर्माण हो सके।

मैं यह भी चाहूंगा कि आज दूसरा एक गड़बड़ काम किया है वह सवाल भी उठा पेयजल की चिन्ता की गयी, मैं चाहूंगा कि हैंड पम्पस् जो एक छोटी व्यवस्था, तुरन्त व्यवस्था करने का प्रयास सरकार कर रही है वह हैंड पम्प खराब पड़े हैं। उनको ठीक कराने का काम पंचायतों का है। उसके कारण से राजनैतिक आधार पर वहां भी गड़बड़ियां हो रही हैं। यह जो व्यवस्था है यह व्यवस्था डिपार्टमेण्ट के थ्रू यदि करवायी जायेगी तो पी. एच. ई. डी में इस प्रकार के कर्मचारी हैं जिनको उपरोक्त काम मिले तो वह काम कर सकते हैं। पंचायतों के पास इस प्रकार के मिस्त्री भी नहीं मिलेंगे जो हैंड पम्प ठीक कर सकें और उनके अल्प साधनों में वह ठीक भी नहीं होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है, मेरा मानना है कि हैण्ड पम्प पंचायतों, पंचायत समि-

(श्री मदनलाल सैनी)

तियों से ठीक न कराकर डिपार्टमेण्ट के माध्यम से ठीक कराने चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। पंचायत समितियों ने इन दिनों जाते-जाते कुछ इस प्रकार के प्रयास किये हैं ताकि जो लोग अपने साथ लगे हुए थे वह कहीं सेवा में आ जायें, नौकरी में आ जायें नौकरी में आ जायं इसलिए जाने से पहले कई प्रकार के इण्टरव्यू कॉल किये गये, इन इण्टरव्यू में भयंकर अव्यवस्थायें हुई हैं तो इस प्रकार के इण्टरव्यू जो हाल ही में 5–10 दिन में लिये गये हैं वह इण्टरव्यू केंसिल करने चाहिए दुबारा इण्टरव्यू लेने चाहिए ताकि जिन लोगों ने हजारों रुपये वसूल किये हैं, वह लोग जो योग्य थे लेकिन उनकी पूछ नहीं थी, वह पैसे नहीं दे सकते थे, इस प्रकार के योग्य और गरीब लोग अपनी योग्यता के अनुसार लाभ प्राप्त के कर सकें। इसलिए उनके इन्टरव्यू को केंसिल करना चाहिए।

महोदय, आज पेयजल की समस्या के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं जीतकर आया हूं वह पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से पानी जमीन में और झरने का पानी मिलता है। राँकी एरिया बड़ी संख्या में वहां है, वहां पर पानी नहीं मिलता है। यह तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय को विद्युत मंत्री महोदय को कि उन्होंने एक इस प्रकार की घोषणा की है जिसके कारण किसानों को राहत मिलेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वहां पर आज यह स्थिति है पानी दो घण्टे बाद सूख जाता है, कुआ सूख जाता है, किसानों को फिर रुकना पड़ता है, फिर पानी इकट्ठा होता है, फिर वह चलाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए पाताल तोड़ कुओं का निर्माण होना चाहिए और पाताल तोड़ कुओं में किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। ताकि किसान अपनी जमीन का पूरा उपयोग कर सके, वह पानी पर्याप्त प्राप्त कर सके। इस की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मैं संरकार को और मुख्य मंत्री महोदय का भी किसानों की ओर से आभारी हूं कि उन्होंने किसानों के लिए जो कुएं खुदवाये हैं उस कुएं में पानी कई बार पास में नहीं मिलता है, ज्यादा गहरा खुदवाना पड़ता है, इस प्रकार की व्यवस्था में उनका बीमा कराने का निर्णय लिया है, यह सरकार का बड़ा स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि उनके कुएं धसक जाते थे। राजस्थान के किसान इस सरकार के इस कदम को कभी भूल नहीं सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदया, मैं यह भी चाहता हूं मेरे क्षेत्र में में जो सीकर से और दिल्ली जाने वाले वाया उदयपुर वाटी और कोटपूतली लिंक है, नेशनल हाइवे का निर्माण करवाना चाहिए। स्कूलों में जिन अध्यापकों के पद खाली पड़े है वहां पद भरे जाने चाहिए। और दूसरे श्रम जगत में जो मजदूरों की छंटनी हो रही है उसको रोका जाना चाहिए। छंटनी के साथ जो बंद उद्योग हैं, उनको चालू करना शेखावाटी क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, सलादीपुर का खाद कारखाना चालू करने से वहां हजारों को काम मिलेगा और इस समस्या का समाधान भी हो जायेगा।

(श्री मदनलाल सैनी)

इस प्रकार की स्थिति है। मैं पुनः जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चन्दनमल बैंद।

श्री चन्दनमल बैंद (तारानगर) : सभापति महोदया, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के माध्यम से हमारे मुख्य मंत्री जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं वह निहायत आपत्तिजनक है और जिनको मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी प्रकार भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इस सदन में बैठ कर आज से पहले 25 अभिभाषण राज्यपाल महोदय के सुन चुका हूं और यह 26 वां अभिभाषण मैंने सुना है। मैंने कोई भी अभिभाषण ऐसा नहीं देखा जिसमें गाली गलौच जैसी भाषा का उपयोग किया हो। सभापति महोदया, मैं थोड़ा सा पढ़ कर आपको बताना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि इस परिवर्तन से देश में लोकतन्त्र के शासन में गिरावट आई है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि सन् 1980 में जब आप हारे थे तब क्या इस वास्ते हारे थे कि आप में भ्रष्टाचार बढ़ गया था या इस वास्ते हारे थे कि जनता से अलग हो गये थे या उस समय जब 1980 में आप हारे थे और 1985 में आप हारे थे तब प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत नहीं हुई थी। प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत जब होती हैं जब आप जीत कर आवें। हम जीत कर आवें तो प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। क्या आपका तरीका है, कौन मानेगा इस तरीके को और राज्यपाल महोदय से ऐसी बातें कहलवाना कि प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत हो गयीं। जब-जब भी चुनाव होते हैं प्रजातन्त्र की जड़ें तो मजबूत होती ही है। कभी आप हारते हैं तो कभी हम हारते हैं। आप ज्यादा हारते हैं हम कम हारते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा भ्रष्टाचारी है और हम कम भ्रष्टा-हैं। इसका मतलब यह है कि जनता एक बदलाव चाहती है उसने हमको दस वर्ष तक देखा है देखने के बाद वह चाहती थी आपके हल्ले गुल्ले के कारण से आपके भाषणों के कारण से, आपने जो आन्दोलन किये उसके कारण से, इतने हल्ले मचा रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं इनको भी एक बार देखो और जनता एक जादू देखना चाहती थी और आप अगर वह जादू दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं जानता हूं कि 1977–80 के बीच में आपने जैसा....

श्री सम्पत राम : उस समय वह अपनी फूट की वजह से हारी थी, भ्रष्टाचार, करप्शन गिरावट की वजह से नहीं हारी थी।

श्री चन्दनमल बैंद : आप खुद कह रहे है आपने खुद कहा है आपके शब्दों को ही मैं आपके ऊपर डाल रहा हूं मेरे शब्द नहीं है। आपने राज्यपाल

(श्री चन्दनमल बैद)

महोदय से जो बातें कहलवायी हैं उन्हीं बातों का हवाला देकर मैं आपको कह रहा हूं लेकिन इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता चाहती थी कि अगर यह इतना हल्ला मचा रहे हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। एक मौका दो। मुख्य मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पहले वाली सरकारों को बुरा भला कहने के बजाय आप हमने जो एक लाइन दीवार पर खींच रखी है उससे बड़ी लाइन खींच कर दिखाइये तब तो आपकी तारीफ है नहीं तो आप हमको बुरा भला कहते रहें, विरासत को झुठलाते रहे उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। 1977-80 में आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं। तीन साल में जिस तरीके से आप भाग कर चले गये मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी उस तरीके से भाग कर मत चले जाइये हमारी मन्शा यह नहीं है कि हम आपका शासन बीच में डिगाये। हम चाहते हैं कि इस बार अगर उस बार तीन साल आपने राज किया तो हमको 10 साल का राज जनता ने दिया इस बार आप पांच साल राज करेंगे तो जनता हमको बीस साल का राज देने वाली है। हम जानते हैं कि आज आपके पास सिवाय हमको बुरा भला कहने के कोई दूसरी बात नहीं। आपके मंत्री जब भी जवाब देते हैं एक ही जवाब देते हैं आपकी सरकार ने यह किया आपकी सरकार ने वह किया। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया वह हम भोगेंगे आप क्या करना चाहते हैं यह बताइये। राज्यपाल महोदय के मार्फत इस तरह की बातें कह कर मैं समझता हूं कि आपने वह काम किया है जो आज तक राजस्थान में किसी ने नहीं किया और इसके लिए मैं कहता हूं कि आपकी यह पुस्तक राजस्थान के इतिहास में एक काली पुस्तक के रूप में जायेगी इसको याद रखेंगे। राज्यपाल महोदय से आपने कहलवाया है कि स्पष्ट जनादेश मेरा है। मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि स्पष्ट जनादेश क्या होता है। दिल्ली में आपकी सरकार बनी है 140 आदमियों के मार्फत। 1530 के हाऊस में आपने 140 के मार्फत सरकार बनायी है और आप कहते हैं कि स्पष्ट जनादेश मिला है और यहां पर क्या हालत है। मैं बताना चाहता हूं। आपको कांग्रेस को मिले है 49, 53908 वोट और माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी पार्टी को मिले हैं 37 लाख 77 हजार 3 वोट यह स्पष्ट जनादेश है। जनता दल अलग अपना अस्तित्व रख रहा है वह कहते हैं हम अलग है और जनता दल को मिले है 31 लाख 66 हजार 4 सौ 12 वोट। यह जनादेश है आपका स्पष्ट जनादेश। सभापति महोदया, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मिल जुल कर बहुमत में नहीं है यह मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय से आप जो यह कहलवा रहे हैं कि हमको स्पष्ट जनादेश मिला है उसका मैं खण्डन करना चाहता हूं। आपको कोई स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है और मिल जुल कर जिस तरीके से आपने मिली जुली सरकार बनायी दूसरी पार्टी भी मिल जुल कर सरकार बना सकती है लेकिन यह कहना कि जनादेश स्पष्ट मिला है राज्यपाल महोदय के मुख से आपने गलत

(श्री चन्दनमल बैंद)

बात कहलवायी है जो आपको नहीं कहलवानी चाहिए। मैं, सभापति महोदया, और एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनता दल के लोग बार-बार यह कहते हैं कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए ठीक है। हमको तो आप उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए कल नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में 108 बार भैरोंसिहजी शेखावत का नाम लिया गलत नहीं किया व्यक्ति पूजा की। जिसका विरोध कर रहे हैं वह काम आपने किया। अब कुछ भी हो लेकिन यह व्यक्ति पूजा नहीं है क्या ?

एक माननीय सदस्य : कन्धे पर नहीं बैठाया है।

श्री चन्दनमल बैंद : सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकपाल के परव्यू की बात कही गयी। लोहपाश के पंजों में मुख्य मंत्री को लिया जायेगा और कहा क्या गया कि श्री भैरोंसिह जी शेखावत ने यह प्रस्ताव दिया। श्री भैरोंसिहजी शेखावत तो भाषण लिखने वाले है और राज्यपाल महोदय से तारीफ अपनी ही करवा रहे हैं। यह व्यक्ति पूजा नहीं तो क्या है ? आपने जो सुझाव दिये उसमें सरकार का और आपकी पार्टी का कोई हित नहीं है क्या। सरकार का पार्टी का, हित है तो सरकार का नाम लेना चाहिए था या पार्टी का नाम लेना चाहिए था। अपना नाम लेकर खुद भाषण लिखे, खुद ही अपनी तारीफ करे, मियां मिट्ठू हमने ऐसे बहुत कम देखे तो यह व्यक्ति पूजा, मियां मिट्ठूपन का काम तो आप करे और चार्ज हमारे ऊपर लगावें कि आप व्यक्ति पूजा करते हैं। सभापति महोदया, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे जो राजस्व मंत्री जी है वह अभी मौजूद नहीं है लेकिन मैं उस बात के लिए इनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जब हमारे अध्यक्ष महोदय का चुनाव हुआ तो अपने दल की एक अलग आइडेंटिटी रखी और जाकर उनको आसन पर बैठाने के लिए आये और अलग आइडेंटिटी उन्होंने अपने दल की रखी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह अलग आइडेंटिटी आपने उस समय रखी लेकिन जब यह भाषण लिखा गया था उस समय आपने अलग आइडेंटिटी क्यों नहीं रखी जिसमें प्रजातन्त्र का बराबर उल्लेख आया है। राजस्व मंत्री जी, आपके दल ने तो प्रजातन्त्र की जो हत्या की है उसके बाद आपको तो प्रजातन्त्र का नाम नहीं लेना चाहिए था। अमेठी में हमने कुछ नहीं किया और किया तो आपकी सरकार है आप जांच क्यों नहीं कराते हैं ? भ्रष्टाचार की बार-बार बात कर रहे है। 1980-90 के सारे प्रशासनिक अधिकारी जो 80-और 90 के बीच में थे आपके पास है क्यों नहीं आप जुडिशियल इन्क्वायरी करवाते हैं ? क्यों नहीं कमीशन बैठाते है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बात ही क्यों करते हैं।

एक माननीय सदस्य : इन्तजार कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैंद : इन्तजार नहीं कर रहे हैं हम तो बेसब्री से उसका इन्तजार

(श्री चन्दनमल बैद)

कर रहे हैं जब आप कोई चीज निकालेंगे। आपने कहा था कि 15 दिन के अन्दर बोफोर्स का भेद निकाल लेंगे आपके 6 खाते वहां है। आप वहां चले गये आपको सारे खाते मालूम है। आप बताते क्यों नहीं क्योंकि हमको गुप्त सूचना मिली है कि इन 6 खातों में आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों के नाम है।..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जानकारी होगी तो नाम भी मालूम होंगे।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं यह मेरे को तो जानकारी है लेकिन मैं तो आपकी जानकारी का इन्तजार कर रहा हूं और.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम बता दो।

श्री चन्दनमल बैद : मैं क्यों बता दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा गोपनीय है?

श्री चन्दनमल बैद : हां जब आप कहते हैं कि 15 दिन में हम इसको ले आयेंगे और आपने वहां जाकर खातों को सीज कर लिया उन खातों तक आप पहुंच गये तो आपको मालूम हो गया कि खाते किन-किन के हैं। उसके बावजूद भी उनके नाम अगर नहीं बता रहे हैं तो निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है। हम उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं। आप अभी कह रहे थे कि आप जांच का इन्तजार कीजिए, हम तो उस दिन का भी इन्तजार कर रहे हैं जिस दिन आप उन नामों को बतायेंगे और हम तो उस दिन का भी इन्तजार कर रहे हैं जिस दिन भैरोंसिंह जी शेखावत हमारे पर जुडिशियल इन्क्वायरी बैठायेंगे या कमीशन बैठायेंगे, हम तैयार हैं उसके लिये, हमारी सारी फाइलें आपके पास हैं। हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे साथ काम करते थे आज आपके पास है। आप इनक्वायरी कीजिए हम तो नहीं डर रहे हैं उससे फिर आप हमको धमकी क्यों दे रहे हैं कि आप समय का इन्तजार करिये, कर रहे हैं हम तो इन्तेजार। माननीय सभापति महोदया, उस लोकतन्त्र की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि मेहम में आपने अभय होकर के, दिन दहाड़े ओम का जाप करते हुए प्रकाश में जो लोकतन्त्र पर चोटें की हैं वह मैं कहता हूं इतनी घृणित हैं कि उसके सामने जलियांवाला बाग भी फीका पड़ जाता है। अब उसके बाद 8-10 साल जो पार्टी राज में है उस पार्टी के राज में रहते हुए आप प्रजातन्त्र की बात करते हैं। कम से कम आपको राज्यपाल महोदय को तो इस काम के लिये उपयोग में नहीं लेना चाहिए था जिसके लिये आपकी पार्टी के श्री लालकृष्ण आड़वाणी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी यह कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, बिल्कुल वही बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : लोक सभा में थोड़े ही हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : प्रजातन्त्र का हवाला दिया है इस वास्ते मैं बताना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र की हत्या किसने की है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : तारानगर में पब्लिक मीटिंग नहीं कर सके।

श्री चन्दनमल बैद : तारानगर की बात आप जाने दो, आप सरदार शहर की बात ही करो अगर आपके नेता जनार्दन सिंह जी गहलोत से हारे हैं तो इसमें शर्म की बात नहीं है। प्रजातन्त्र में हार जीत तो चलती ही रहती है। इसमें परेशानी की क्या बात है।

एक माननीय सदस्य : चालीस साल से हार रहे हो।

श्री चन्दनमल बैद : सदन के नेता जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि शिवचरण जी माथुर और श्री हरिदेव जी जोशी ने कितना नुकसान राजस्थान का कर दिया, कितने पैसे वहां से आये उन पैसों का उपयोग नहीं कर सके। मैं एक आपको सूचना देना चाहता हूं कि श्री हरिदेव जी जोशी और श्री शिवचरण माथुर ने नवीं फाइनेंस कमीशन के सामने जो अपना मैमोरेण्डम रखा उस मेमोरेण्डम के आधार पर आज राजस्थान को 6.15 सारे देश के रेवेन्यू का जो बंटवारा होगा उसमें से उसका हिस्सा मिलेगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : शिवचरण जी के साथ कौन गया था कमीशन से मिलने शेखावत जी थे।

श्री चन्दन मल बैद : शेखावत जी ने नहीं, मेमोरेण्डम हमने पेश किया था। आप वह भी सुन लीजिए भैरोंसिंह जी शेखावत ने जब 1977 में वह मुख्य मंत्री थे उस समय जो उन्होंने फाइनेन्स कमीशन को मेमोरेण्डम पेश किया उसके आधार पर आपको 4.33 हिस्सा मिला था।

श्री हरिकुमार औदिच्य : नहीं वह तो आप शिवचरण जी के नाम दुहाई दे रहे हैं ना इसलिए कह रहा हूं। भैरोंसिंह जी को साथ लेकर गये थे। नवें फाइनेंस कमीशन के सामने शेखावत साहब साथ थे।

श्री चन्दनमल बैद : उनके गलत मैमोरेण्डम के कारण से आपको 4.33 हिस्सा मिला था और जो ठीक मेमोरेण्डम श्री शिवचरण माथुर और श्री हरिदेव जोशी ने पेश किया उसके कारण से आपको सारे रेवेन्यू में जो बंटने वाली है, फाइनेंस कमीशन बांटने वाला है उसमें से 6.15 हिस्सा मिलेगा। यह इन्होंने आप पर उपकार नहीं किया है, राजस्थान का जो एक जायज हिस्सा था वह आपको दिलाया है उसके लिये आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए।

श्री केदारनाथ शर्मा: आन ए पॉइंट ऑफ माननीय सदस्य जो तारानगर से बोल रहे हैं उन्होंने फेक्ट्स पेश किये हैं नाइन्थ फाइनेंशन ने पावर्टी पोपुलेशन का बेसिस ना मानकर के अब बैकवर्डनेस मानी है। हमारे सदन के नेता जब भी उसके सामने पेश हुये मेमोरण्डम लेकर लगातार 10-15 साल से ही पेश करते आ रहे हैं। अगर राजस्थान की इकानोमी को आपको शेप करना था, संभालना है इसको, साऊंड

(श्री केदारनाथ शर्मा)

फूटिंग पर लाना है तो आपको पोपुलेशन का बेस समाप्त करके बैकवर्डनेस का बेस लाना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले लाबी क्रियेट की है तो माननीय भैरोंसिंह जी ने की है, जोशी जी का नाम तो बाद में आता है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं समझा नहीं आपने क्या फरमाया है इसलिए द्वारा अगर कह दें तो बड़ी कृपा होगी। (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा: निवेदन कर रहा था कि आप नाइन्थ फाइनेंस कमीशन की सैकिण्ड रिपोर्ट पेश कर रहे हो। हमारा 6.15 है। सारे देश में हमारा सैकिण्ड नम्बर है। पहले सातवां नम्बर था अब सैकिण्ड नम्बर आ गया है। पर इसकी बैक ग्राउण्ड यह है कि पहले बैकवर्डनैस का नाम बनाया जाये, लैण्ड बेस मानी जाये। उसकी एलोकेशन में यहां माननीय जोशी जी ने इसके लिये आवाज उठाई। यह रिकार्ड है। माननीय जोशी जी ने इसको बाद में पिक अप किया है। मैमोरेण्डम आॅफ रेफ्रेंस आपने पेश किया। पावर्टी लाइन के सारे नार्म्स बदल दिये आपने। मैं मानता हूं इस बात को, आपने बैकवर्डनेस को बेस कर दिया मगर नोरमेटिव एप्रोच की जाये इसमें बैकवर्डनेस को मेन क्राइटेरिया बनाया जाये। इसमें माननीय भैरोंसिंह जी ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की है।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सेवन्थ फाइनेंस कमीशन के लिये एक मेमोरेण्डम पेश किया था। उस मेमोरेण्डम के आधार पर जो एलोकेशन मिला वह 4.33 था। इस बार हमने जो फाइनेंस कमीशन को हमारा मेमोरेण्डम पेश किया है उस मेमोरेण्डम के आधार पर और हमारे प्लीडिंग के आधार पर हमको 6.15 का एलोकेशन मिला। यह मैं समझता हूं कि हमारे सबके लिये खुशी की बात है। यह कोई बहस की बात नहीं है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्य जब उधर बैठे हुये थे उनको भी राजस्थान के हितों की, राजस्थान के स्वार्थों की उतनी ही फिकर थी जितनी आप कर रहे हैं। इस वास्ते यह कहना कि उन्होंने हमारे हितों को बेच दिया या हमारा इतना नुकसान किया यह जायज नहीं है क्योंकि अगर यह बात जायज होती तो इतनी तरह की वह फाइट करके इस तरह से पैसा वह नहीं लाते। आज सारे हिन्दुस्तान में हमारा दूसरा नम्बर है और हमको आज सैकड़ो करोड़ रुपये, 1400 करोड़ रुपये ज्यादा हमको अनुदान के रूप में मिलेगा वह एक छोटी बात नहीं है 1400 करोड़ रुपये जिन्होंने प्राप्त किये हैं उनके लिये उनको हमको बधाई देनी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए बजाय इसके कि हम यह कहें कि उन्होंने हितों पर कुठाराघात किया।

माननीय सभापति महोदया, मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं जिसमें पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है और सन् 75 में उस दिक्कत को समझते हुये एक योजना

(श्री चन्दनमल बैद)

बनाई गई थी गंधेली साहवा योजना, पीने के पानी की जो इन्दिरा गांधी नहर से पानी को लाकर के उसको उठाकर के जमीन से और 340 गांवों में उस पानी को देने की एक योजना है। वह योजना एक बहुत बड़ी योजना है उसको पूरा होने होने में समय लगना स्वाभाविक था और भी कई कारण थे जिन कारणों में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन वह योजना इस हद तक पहुंच गई कि अब 140 गांवों में पहुंच चुका है और 200 गांवों में पानी पहुंचना है। पहला चरण उसका पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के लिये पैसे की मन्जूरी हो गई, टेक्निकल मंजूरी हो गई, प्रशासनिक मंजूरी हो गई और फाइनेंशल मंजूरी हो गई। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी योजना जब बनती है तो उसमें कई दिक्कतें-परेशानियां रह सकती हैं। नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल कहा कि पाइप फट गये, कुछ दीमक खा गयीं। बहुत बड़ी योजना बनती है तो कई परेशानियां होती हैं। उन 200 गांवों या 140 गांवों में जो पानी पहुंचा है, उनमें भी कहीं कम पानी पहुंच रहा है, कहीं महीने में 4 दिन, 5 दिन पानी पहुंच रहा है। कहीं पर बिजली की कमी से पानी नहीं पहुंच रहा है तो कहीं नहर बन्द होने के कारण पानी नहीं पहुंच रहा है। इन सारी दिक्कतों को ठीक करने का दायित्व अब नयी सरकार पर आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत ने दिल्ली में एक वक्तव्य दिया था कि इन्दिरा गांधी नहर के पानी का पहला उपयोग पीने के लिए होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं समझता हूं कि हमारे सदन के नेता मेरी इस खुशी को बरकरार रखेंगे और यह जो योजनायें बन रही हैं, जो अधूरी पड़ी हुई हैं, उनमें जो कमियां रह गई हैं उन योजनाओं को पूरा करेंगे, योजनाओं को पूरी तरह से पूरी करेंगे।

मुझे डर यह लग रहा है, सदन के नेताजी, मैं कह दूं, आप बुरा न मानें तो, कि 1977 में जब आप मुख्य मंत्री बने तब यह योजना शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस योजना को तीन साल तक आपने ठण्डे बस्ते में, फ्रीज में, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था। मेहरबानी करके अब ऐसा आप मत करना, क्योंकि जमीन के नीचे तो पानी है नहीं, फ्लो वाटर, सरफेस वाटर से ही हम आज पानी प्राप्त कर सकते हैं। जितनी दूर तक सरफेस वाटर जा सकता है उतनी दूर-गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर–तक इन्दिरा गांधी नहर का फ्लो वाटर जा सकता है, उतनी दूर तक हमें इस वाटर को पहुंचाना है, क्योंकि जमीन के नीचे का पानी कम हो गया है, धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं, अगर हमने इसका इसी तरह से दोहन किया तो पानी समाप्त हो जायेगा। इस वास्ते में आपसे प्रार्थना करुंगा। आपने जो कहा, मैं बिलकुल आपसे इत्तिफाक करता हूं कि सबसे पहले इन्दिरा गांधी नहर का पानी हमें पीने के लिए उपयोग में लेना चाहिए। इसके लिए जितना भी पैसा, खर्चा हम कर सकते हैं

(श्री चन्दनमल बैद)

हमको करना चाहिए, इसका हमें इन्तजाम करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री लालचन्द डूडी।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : सभापति जी, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर समर्थन का जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं उसके समर्थन में कुछ बोलूं, मैं राजस्थान की जो स्थिति बनी है और मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है कि प्रजातन्त्र की यहां हत्या हो गयी, प्रजातंत्र का सत्यानाश कर दिया गया, इस तरह की भाषा जो इन्होंने कही, उसके बारे में दो शब्द कह देना चाहता हूं।

(म. प. 3.03)

(श्री रामेश्वर दयाल यादव, सभापति, पदासीन)

आपने मेहम के बारे में चर्चा की। मेहम के चुनाव में प्रजातन्त्र की जिस तरह से हत्या हुई, उसके बारे में आपने चर्चा की। मैं, सभापतिजी, आपके माध्यम से यह बतला देना चाहता हूं कि अमेठी के अन्दर जिस तरह की प्रजातन्त्र की हत्या की गयी, मेहम के अन्दर वैसी बात नहीं थी। यह पहला मौका है कि मेहम के मामले के अन्दर जो कुछ भी बात हुई उसके बारे में वहां के मुख्य मंत्रीजी ने, जो खुद वहां से उम्मीदवार थे, सबसे पहले घोषणा की कि हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी जांच करवायी जाय। हमारी पार्टी ने साफ कहा कि अगर गलती हुई है तो दोबारा चुनाव करवा लिया जाय। हमने कहा भी और किसी तरह की वहां गड़बड़ी होने की कोशिश नहीं होने दी। अगर कहीं थोड़ी-बहुत कोई शंका भी थी, हम कह रहे हैं कि पूरी जांच करवाइये, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं थोड़ा-सा बैक जाना चाहता हूं कि हमारे....

श्री चन्दनमल बैद : मेहम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई ना?

श्री लालचन्द डूडी : अगर हुई है तो उसके जांच के लिए हमने सीधे हाई कोर्ट को कह दिया। हाई कोर्ट फैसला कर देगा जांच में कि गड़बड़ हुई है कि नहीं। आपके और हमारे कहने की जरूरत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : ज्यूडीशियल कमीशन की बात तो उन्होंने तीन दिन के बाद कही है, सबसे पहले की क्या बात कह रहे हैं आप? चौटालाजी ने ज्यूडीशियल कमीशन की जो बात कही वह तीन दिन के बाद कही।

श्री लालचन्द डूडी : तीन दिन कोई बहुत लम्बा समय नहीं होता।

श्री केदारनाथ शर्मा : पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने पहले कह दी थी। हमारे

(श्री केदार नाथ शर्मा)

सेण्ट्रल हाई कमाण्ड ने पहले कह दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अमेठी के मामले में तो आज तक नहीं की।

श्री हीरालाल देवपुरा : अमेठी के मामले को तो समझा ही नहीं गया। अमेठी के मामले में तो कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था। जो कुछ हुआ था, संजयसिंहजी ने पहले इनीशियेटिव लिया था।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति महोदय, पैरा दो में लिखा है, "पिछले 10 वर्षों से जनता और शासन के बीच एक खाई पैदा हो गयी है।" ....मैं 10 साल नहीं 15 साल की बात करूंगा। केवल खाई पैदा नहीं हो गई है, पिछले 15 साल से एक ऐसा तरीका चल पड़ा इस पूर्व सरकार का कि इन्होंने जानबूझकर इस देश को गरीब, असाक्षर, अशिक्षित रखने की एक योजना बनायी। आपने देखा होगा। यह इस बात से साबित होता है कि आज तक हमारे देश के प्रधान मंत्री ने इन्दिरा गांधी के बाद से अपना चुनाव लड़ने के लिए जो भी कान्स्टट्युएंसी चुनी वह हिन्दुस्तान की सबसे बैकवर्ड कान्स्टीट्युएंसी, सबसे गरीब कान्स्टीट्युएंसी, सबसे अनपढ़ कान्स्टीट्युएंसी आज तक चुनी।

एक माननीय सदस्य : विकास के लिए चुनी।

श्री लालचन्द डूडी : कोई विकास के लिए नहीं केवल इस वास्ते कि भोले-भाले आदमियों को किसी मौके पर, किसी भी मौके पर, किसी भी तरीके से करके उनको लिया जा सके। यह हमारे सामने है। 15 साल पहले माननीय चन्दनमलजी बैद भी यहीं थे, परसरामजी मदेरणा भी यहीं थे। आप 15 साल पहले की और आज की बात देखिये। आपने यहां 15 साल पहले एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन नाम की एक संस्था को खड़ा किया था कि किसानों का हम भला करेंगे। उस वक्त यह नीयत थी कि एग्रो इण्डस्ट्रिल कार्पोरेशन की मार्फत हम किसान को मशीन देंगे, हम किसान को थ्रेशर देंगे किराये पर, हम ट्रैक्टर देंगे किराये पर। हम सस्ते बनायेंगे ट्रैक्टर्स, हम सस्ते बनायेंगे थ्रेशर। पिछले 15 साल की आपकी नीति के अन्दर कहां गया आपका वह एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन? क्या काम कर रहे हैं वह? सारी स्कीम खत्म हो गयी आपकी। आपने 15-20 साल पहले एक योजना बनायी थी कि हम यहां वेयर हाउसेज बनायेंगे, जिसके अन्दर किसानों का माल रखा जायेगा ताकि किसान उस माल को जिस दिन उसकी मर्जी होगी बेच दे और उस माल पर बैंक से पैसा ले लेगा। आपकी पिछले 15 साल की नीति में क्यों इतना परिवर्तन आया कि आपने उस सारी स्कीम को फेल करके रख दिया और आज उन वेयर हाउसेज के अन्दर व्यापारियों का माल रखते हैं, किसानों का कहीं पर माल नहीं रख जाता। आपकी नीति गरीब बनाने की है।

बहुत सीधी-सी बात आपको बतला रहा हूं। अभी माननीय बैदजी कह रहे

(श्री लालचन्द डूडी)

थे। आप राजस्थान कैनाल के मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में इस सरकार में बड़ी हैसियत के रूप में रहे है, नोहर-साहबा लिफ्ट से वहां से पानी लाने की योजना आपने शुरू की, चुनाव से बिलकुल थोड़े समय पहले। कितना नाटक किया। उस वक्त की राजस्थान कैनाल की सारी की सारी मशीनरी लाकर वहाँ खड़ी कर दी सरदारशहर में और लोगों में यह इम्प्रैशन बना दिया कि बस इस नहर का काम तो अब शुरू हुआ, कल शुरू हुआ, परसों शुरू हुआ। यह नाटक थे और आज भी उसी तरह के नाटक हैं। कल ही मैंने हाउस के अन्दर कहा था। आपके प्रधान मंत्रीजी ने क्या किया? 5 अक्टूबर, 1989 को उद्घाटन करते है, सिद्धमुख कैनाल का। 40 साल पहले जो सिद्धमुख कैनाल थी, 40 साल से हर चुनाव के अन्दर चंदनमलजी बैद, आप हमारे एरिया के बिलकुल एडजाईनिंग रहे हैं, हमेशा हर चुनाव में आपने जाकर यह घोषणा की है कि आप हमारी पार्टी को जिताइये हम सिद्धमुख नहर लायेंगे। हर चुनाव में घोषणा की है। उसके आखिर में क्या हुआ? 5 अक्टूबर को उस वक्त के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी आकर शिलान्यास करते हैं सिद्धमुख कैनाल का। जिस सिद्धमुख कैनाल की न तो प्लानिंग कमीशन से मंजूरी है न आपके यहां कुछ है। यह झूठे नाटक किये गये। उस वक्त सिद्धमुख कैनाल अगर वहां आ गयी होती तो उस एरिया, चुरू जिला, गंगानगर, नोहर और भादरा तहसील की पीने के पानी की समस्या नहीं होती। एक और मैं बतलाऊं कि कितनी बड़ी विडम्बना है कि जितने भी इर्रिगेशन प्रोजैक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा सस्ती अगर कोई योजना है तो सिद्धमुख नहर और नोहर फीडर है। इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। एक लाख 97 हजार एकड़ जमीन को सिंचित करने वाली 33 करोड़ की योजना आप पूरी नहीं कर सकते आप गरीबी हटाने की बात कर रहे आप गरीबी के मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। आपसे इस गांव में रहने वाले हर आदमी को गरीब से गरीब करने की कोशिश की है।

अभी पीने के पानी की बात आ रही थी। क्या यह बात किसी से छिपी हुई है कि वह नोहर-गन्धेली की स्कीम थी जिसके लिये उस एरिया के तीन सौ और कितने गांवों को पानी देना था। उस गन्धेली स्कीम के अन्दर ऐसे पाइप लगाये हैं जिन पाइपों के अन्दर अगर पूरी कैपेसिटी का पानी छोड़ा जाय तो वह पाइप एक दिन भी नहीं ठहर सकते, एक मिनट भी नहीं ठहर सकते। सारे के सारे बर्स्ट हो जायेंगे। इस तरह के घटिया पाइप खरीद कर यह चाहते थे कि इन गांवों में पानी पहुंचे। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि नहर से पानी लेना है। नहर महीने में 10 दिन बन्द रहती है। क्या आपने कभी यह नहीं सोचा था कि 15 दिन और 20 दिन के लिये जिन दिनों नहर बन्द रहेगी उस वक्त पीने के पानी की आवश्यकता नहीं है? आपने किसी भी बेसिस पर 15 दिन के पानी का स्टोरेज रखने की आज तक कोई कभी कोई बात नहीं की, कहीं कोई स्टोरेज नहीं

(श्री लालचन्द डूडी)

बनाया जिसमें पानी रखा जाय और नहर बन्द हो उस पीरियड के लिये वहां से पानी सप्लाई किया जाये। इस तरह की आपने डिफेक्टिव स्कीम्स बनायी हैं। मैं आज बड़े उस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे मादरा क्षेत्र के ऐसे एरियाज हैं जिनके अन्दर कम से कम 10 करोड़ रुपया पीने के पानी के लिये खर्च किया जा चुका है लेकिन एक गांव ऐसा नहीं है मादरा तहसील के अन्दर जो यह कह दे कि हमें पूरा पानी मिलता है। यह आपकी स्कीम्स हैं। आपको विश्व बैंक से पैसा मिलता रहा, आपको दूसरी एजेन्सीज से भी पैसा मिलता रहा और उस पैसे को आपने बेदर्दी से, बेरहमी से खर्च किया, हिसाब से किया कि दुबारा न उसमें पैसा हो, न उसमें रिपेयर हो। सारी की सारी इस तरह की बेकारी हुई, इस तरह की बिगड़ी हुई स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया।

शिक्षा के बारे में आपने क्या किया? बड़ी घोषणायें की थीं कि हमने 600 स्कूल खोल दिये, हमने 900 स्कूल खोल दिये। हमने हायर सैकण्डरी को 10 × 2 में कन्वर्ट कर दिया, बड़ी दुर्दशा कर दी आपने, बड़ी जबर्दस्त काम कर दिया। क्या जोर आया आपको? उस स्कूल के अन्दर बच्चे हमारे पढ़ते हैं, उस स्कूल की बिल्डिंग्स हम गांव के लोग बनाकर देते हैं, गवर्नमैण्ट के जिम्मे केवल अध्यापक भेजना है उसकी तनख्वाह देनी होती है। मुझे बतलायें कि आपने कितने अध्यापक भेजे? एक अध्यापक का एपाइन्टमैण्ट आप मुझे बतला दीजिये आपने स्कूल में किया हो, स्कूल खोलने के बाद, आपने....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठने का प्रयास करें। कन्टीन्यू प्लीज।

श्री लालचन्द डूडी : गांव के स्कूलों के अन्दर पिछले साल जो लड़के पढ़ते थे, 10+2 के अन्दर उनका भविष्य आपने खतम कर दिया। 10+2 को वजह से जो स्कूल खुले, शहरों के अन्दर जो वैकेन्सीज पैदा हुयीं, गांवों में 2-4 जो अध्यापक होते थे वह भी ट्रांसफर करवा कर शहरों में आ गये और आज उन गांवों के बच्चे बिना अध्यापकों के बैठे हैं। वह माथुर साहब की घोषणाओं को रोयेंगे या किसकी घोषणाओं को रोयेंगे? उनका भविष्य खतम किया गया। इस तरह का आपने षड़यन्त्र से किया। सारा का सारा केलकुलेटेड षड़यन्त्र था, यह गांवों के लोगों को पिछड़ा रखने का षड़यन्त्र था। आपन जानते हैं कि लोक सेवा आयोग से कम्पीटिशन के बाद सर्विसेज मिलती हैं। आपने जब यह देखा कि गांव का लड़का पढ़कर नौकरी के अन्दर आने लग गया है उसको रोका कैसे जाय। उसका एक ही तरीका था आपके पास कि गांव के लड़कों को ऐसे स्कूल में रखा जाय जहां पढ़ाई न हो अपने गांव में जब स्कूल हो तो गांव का लड़का गांव छोड़कर बाहर नहीं जायेगा वह गांव में पढ़े और गांव के अन्दर कोई आपने अध्यापक पढ़ाने की सुविधा दी है? आज, सभापति जी, जब गांव का एक आदमी देखता है स्कूल की तरफ, प्राइमरी स्कूल की तरफ जिस स्कूल के अन्दर 5वीं क्लास में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और गांव का आदमी जब सुबह जाता है खेत

(श्री लालचन्द डूडी)

स्कूल के स्कूल के आगे से, सामने देखता है कि यह 300 बच्चे पढ़ रहे हैं पांचवीं क्लास में जिसमें एक अध्यापक पढ़ाने वाला है। वह क्या मन में सोचता है? उसके मन के अन्दर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, उसके अन्दर एक अविश्वास पैदा होता है कि यह सरकार षड़यन्त्र कर रही है उसकी आगे आने वाली पीढ़ी के खिलाफ जो कभी आगे सामने आने वाली है इस तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। यह स्थिति आपने शिक्षा के साथ कर दी। गांव का आदमी इस मामले में बिल्कुल पिछड़ जाय और सामाजिक स्थिति गांव-गांव में, घर-घर में आपने लड़ा कर खड़ा कर दिया, हरेक को आपस में लड़ाकर सभी जगहों पर, जाति के नाम पर धर्म के नाम पर यह क्या तमाशा है? कितने साम्प्रदायिक दंगे हुये उन स्टेट्स के अन्दर, केवल उन स्टेट्स के अन्दर जहां कांग्रेस का शासन था और जहां कांग्रेस का शासन नहीं था वहां पर एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। क्या तमाशा था आपने आपस में लड़ाने की कोशिश की। आपने शिक्षा की दृष्टि से इस देश को पीछे ले जाने की, आपने सामाजिक दृष्टि से इस देश को पीछे ले जाने की कोशिश की। उसके बाद आप कहते हैं कि प्रजातन्त्र का नाश हो गया। क्या प्रजातंत्र का बहाल अब नहीं हुआ लोगों ने यह देखकर कि आन्दोलन कर रहे हैं, इस वास्ते इनको वोट दें? लोगों ने यह देखकर वोट दिये कि आखिर कब तक जायेंगे, कहां तक जायेंगे इस 40 साल के शासन के अन्दर से नीचे से नीची जगह लाकर खड़ा कर दिया। अब इससे नीचे बदलो वरना कहीं कुछ नहीं होगा। किस तरह के हालात आप लोगों ने पैदा कर दिये।

इस स्थिति के अन्दर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की बात, ठीक है कि आप विरोध में बैठे हैं, आपको हमारा विरोध करने का हक है। लेकिन छाती पर हाथ रखकर देख लीजिये राजीव कल्चर भी जीत कर नहीं आयी है बैद जी, इस तरफ जीत कर आये हैं, राजीव कल्चर डवलप हो रही थी इस देश के अन्दर और इस देश का सत्यानाश करने पर तुली हुयी थी वह कल्चर आज भी जीतकर नहीं आयी है। चन्दनमलजी आप उस कल्चर के नहीं हैं, परसरामजी मदेरणा उस कल्चर के नहीं हैं; पूनमचन्दजी विश्नोई उस कल्चर के नहीं हैं, देवपुरा जी उस कल्चर के नहीं है, आपके बहुत से माननीय सदस्य उस कल्चर के नहीं हैं, जगन्नाथजी पहाड़िया उस कल्चर के नहीं है। वह कल्चर जो डवलप हो रही थी इस देश के अन्दर जो इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई थी उस कल्चर का सफाया होता जा रहा है। उस कल्चर को नहीं चाहते थे, विरोध पक्ष देश के अन्दर जीत कर आया है वह नारे से और आन्दोलन से जीत कर नहीं आया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बुलाकीदास कल्ला कल्चर नहीं है? (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : वह ताऊ कल्चर है।

श्री लालचन्द डूडी : इस तरह से मैं कह रहा हूं कि तकरीबन वही कल्चर है, जो राजीव गांधी के लोग इसमें नहीं हैं, इस तरह की स्थिति ताऊ ओरिजनल आदमी है आप जानते हैं। ताऊ 16 साल की उम्र के अन्दर अंग्रेजों से लड़ने लग गया था, ताऊ ने सारी जिन्दगी संघर्ष किया....

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो कल्चर की कह रहा हूं उनकी जीवनी नहीं पूछ रहा हूं।

श्री लाचचन्द डूडी : उसके कहीं मुकाबले में आप लोग जा नहीं सकते। उन्होंने इस देश के अन्दर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसी बात लाकर खड़ी कर दी आप उनकी बराबरी में जा ही नहीं सकते, उनकी जूती की होड़ नहीं कर सकते। आपने जितना भी ऊंचा पद प्राप्त किया है वह किसी के सहारे से पद प्राप्त किया है। आज ताऊ जिस स्थान पर पहुंचा है वह अपने संघर्ष, राइट और अपने साहस से ऊपर पहुंचा है किसी के सहारे से नहीं। हर जगह आप उनकी टांग खींच रहे हैं उनका आप कहां मुकाबला कर सकते हैं। आपके लिये तो भजनलालजी बहुत है। सभापति महोदय, इस सारी बातों के बारे में मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है मुझे जो बात इसके बारे में कहनी है अभिभाषण का मैं समर्थन करते हुये कुछेक बातें और कहना चाहता हूं। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि इतने बिगड़े हुये शासन को आप बहुत जल्दी से सुधार सकेंगे। मैं यह भी नहीं कहता कि इतना पैसा जिन योजनाओं पर खर्च हो चुका है, किया जा चुका है और वह योजनायें बिलकुल बेकार हो चुकी हैं, दुबारा उनके लिये हमें पैसा मिले या नहीं मिले मैं यह नहीं कह सकता लेकिन मैं यह कहता हूं कि कुछेक जो बेसिक चीजें हैं जो केवल ऐअर कन्डीशन्ड कमरों के अन्दर बैठकर योजनायें बनायी गयी हैं, जैसे पी. एच. ई. डी. के बारे में, शिक्षा के बारे में इनके बारे में खुले मन से सामने आकर पब्लिक की हालत देखें, उनको सुधारें। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा का सार मामला बदलना पड़ेगा। सारा मामला तो शायद आप नहीं बदलें लेकिन आप जितना हो सके, क्योंकि इन 40 सालों में जितना बिगाड़ हो चुका है उसको जल्दी से सुधारा तो नहीं जा सकता लेकिन आप शिक्षा के बारे में ध्यान देंगे, आप चाहें एक भी स्कूल और न खोलें लेकिन इन स्कूलों के अन्दर अध्यापकों के जो रिक्त पद हैं उनको तुरन्त भरने की व्यवस्था करे यह मैं आपसे निवेदन करूंगा पी. एच. ई. डी. के बारे में आपने सारा सुबह कह दिया इस वास्ते ज्यादा मुझे और कहने की आवश्यकता नहीं है, इस पक्ष के लोग और उस पक्ष के लोगों ने भी सारी पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में कह दिया, इसलिये बहुत कहने की जरूरत नहीं लेकिन उसके बावजूद भी इस बिगड़े हुये ढांचे को ठीक करने के अन्दर कुछेक मुश्किलात होंगीं उनको पार करें।

इन शब्दों के साथ मुझे आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद करते हुये इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है। मैं उस अभिभाषण को, अभिभाषण की संज्ञा न देकर के, जो कुछ सरकार ने लिख दिया और उनसे लिखवा दिया, उसे एक पुलिन्दा मानता हूं और उसका घोर विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि राजस्थान बहुत पिछड़ा इलाका है। बहुत पिछड़ा प्रदेश है। कांग्रेस के शासन में चम्बल नहर और राजस्थान कैनाल ही नहीं काफी कुछ काम हुआ है। ऐसी कोई बात अभिभाषण में नहीं कही गई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि साम्प्रदायिक दंगों के बारे में बात कही गई है। 15 दिन सरकार को नहीं हुये, पीसांगन में किसने लड़ाई लड़ी। किस प्रशासन की कमजोरी की वजह से लड़ाई हुई। साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण भंग हुआ। यह आपके सामने है। माननीय सभापति महोदय, इस शासन में जहां पर हड़ताल होती हैं, सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती हैं। मेरे नैनवां इलाके में सरकार द्वारा शासन सम्भालते ही नगरपालिका के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की। उन कर्मचारियों में ज्यादातर लोग वे हैं जो शासन के लोगों से मिले-जुले हैं। आज इतने दिनों के बावजूद भी स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सरकार द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा, कोई भी नोटिस नहीं लिया गया है। नैनवां नगर गंदगी से त्रस्त है। हमने कोशिश की कि सरकार उनके बारे में कुछ कार्यवाई करें। प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंग रही है उनकी मांगों के बारे में निवेदन करूं, माननीय सभापति महोदय, 1 अक्टूबर से कर्मचारियों को वेतन नहीं है। आज की तारीख तक उनको तनख्वाह नहीं दी गई, क्या किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को तनख्वाह में पांच पैसे कम लेने की आदत है। इतने दिनों से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। फोर्थ क्लास कर्मचारी परेशान है। उनके बर्तन, गहने उनके पास नहीं है। रोटी खाने के बर्तन भी बाजार में जा चुके है। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि उनको वर्दी दी जायें, यह नहीं कहना चाहता पेंशन और ग्रेच्यूरी के पैसे दिये जाय यह नहीं कहना चाहता—(व्यवधान)

मैं इन्टरवीन करने वाले माननीय सदस्यों की तरफ सभापतिजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम किसी को अपनी बात कहने का अधिकार देना चाहिए। बहुमत का मतलब यह नहीं है कि···· (व्यवधान)

श्री सभापति : आप कहिए।

श्री रामनारायण वर्मा : इसके साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह कहते हैं सबको समानता दी जायगी। ज्यों ही भारतीय जनता पार्टी ने शासन सम्भाला माननीय सभापति महोदय, छुआछूत शुरू हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी को लोग दरख्वास्तें देते हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मटकी से पानी नहीं पीने दिया जा रहा, क्या यह शासन हमारा है। यह शासन भी उनका है, शासन के लोग कर रहे हैं। गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है। खेम चन्द, शिड्यूल्ड कास्ट का जाटव है, पांच तारीख को छुआछूत बरती गई

(श्री रामनारायण वर्मा)

उसको मटकी से पानी नहीं पीने दिया गया। होम मिनिस्टर को माननीय मुख्य मंत्री जी को दरख्वास्त दे चुके हैं, उनसे उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। मेरे निवेदन के बाद में माननीय सभापतिजी के माध्यम से यह प्रार्थना पत्र है वह बाद में प्रस्तुत कर दूंगा।

माननीय सभापतिजी मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो सरकार की ओर से कुछ कहा गया है, उसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सबसे पहली बात सत्ता परिवर्तन की बात कही गई हैं। यह सत्ता परिवर्तन है? क्या जनता दल, जिसके नेता वी. पी. सिंह है, क्या भारतीय जनता पार्टी वालों के नेता है? क्या वी. पी. सिंह को माध्यम बनाकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है? जनता दल की स्थिति मैं त्रिशंकु वाली स्थिति नहीं कहना चाहता। माननीय सभापतिजी, मैं बुरे शब्द प्रयोग में नहीं लाना चाहता हूं। जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, बाकी बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जनता दल है। देश की जनता दल है। देश की जनता ने सोचा होगा कि जनता दल शायद कांग्रेस के नजदीक पहुंच जाय। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हिन्दुस्तान में और प्रदेश में नहीं दिया है। जनता दल वाले इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की रीति-नीति गरीबों के विकास की रीति-नीति है। कांग्रेस की रीति-नीति क्या है? यह सब जानते हैं। शासन में जो काम करेगा, उससे त्रुटि होना सम्भव है आज नहीं, जनता दल को कुछ महीने बाद में सोचना पड़ेगा हरियाणा के चुनावों के बारे में हमने जितना कुछ कहा होगा, उससे ज्यादा आदरणीय लालकृष्ण अड़वाणी ने कहा होगा, चौटाला स्तीफा दें, अटल जी ने और कुछ कहा होगा। यह मैं किन शब्दों में निवेदन करूं, माननीय सभापति जी स्त्री और पुरुष की शादी होती है, संबंध स्थापित होते है सामाजिक दृष्टि से तो क्या तलाक नहीं होता। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यह बात तो आज हमारे सामने हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अभिभाषण पर बोलें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा जहां तक ख्याल है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : असल में तो अनर्गल बात भी फैलाये। (व्यवधान)

आप तो अपनी बात कहो।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो स्थिति है, मैं नहीं कहूं यह इस सदन के सम्मानीय सदस्य, सभी पक्ष

(श्री रामनारायण वर्मा)

के सारी बात को जानते है। दिल में मानते हैं। मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था इस सरकार ने, जब से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश से अलग हुई है, शासन से अलग हुई है, क्या अकाल राहत कार्य खोले गये है ? मुझे याद है, माननीय सभापति महोदय नवम्बर-दिसम्बर में अकाल राहत कार्य शुरू हो जाते थे। मेरे नैनवां तहसील में 25 प्रतिशत आबादी नैनवां को छोड़कर जा चुकी है। क्या सरकार को मालूम नहीं है ? क्या प्रशासन को मालूम नहीं है ? आदिवासी और हरिजन समुदाय के लोग वहां के बैरवा और रैगर लोग दिल्ली में और जयपुर में पता नहीं कहां-कहां है। अकाल राहत कार्य क्यों नहीं खोले गये हैं ? क्या यह कह सकते है कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, जनता दल की सरकार है इसलिए पैसा नहीं दे रही है। किसी की भी सरकार हो जनता का ध्यान उनको रखना पड़ेगा। जनता का ध्यान रखना चाहिए। जनता का ध्यान रखने के लिए लोगों ने मेण्डेट दिया। अकाल राहत कार्य कब से खुलेंगे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मैं.... (व्यवधान)

माननीय सदस्य कुछ कह रहे है, मैं तो यह जानता हूं कि गर्मियां शुरू हो गयी गर्मी चल रही है गर्मी का एक महीना समाप्त हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं, प्यास से तड़प रहे है फिर भी हैंडपम्प अकाल के नाम पर, गर्मी के नाम पर नहीं दिया गया है और दिया भी गया होगा तो वह केवल कागजों तक ही सीमित है। जहां तक आर्डर्स की बात है, माननीय सभापति महोदय, कमीशन कमाने वालों की बात है मैं आपसे निवेदन करूं कालाबाजारी करने वालों के हौंसले उठ रहे है, उनका बोलबाला हो रहा है, मैं यह नहीं कहता कि सरकार का कौन मंत्री है जो पूंजीपतियों को प्रोत्साहित कर रहा है। मैं इतना जानता हूं कि आज की तारीख में कोई भी ऐसी कमोडिटी है जिसमें रेड करने की सम्भावना है, उसकी कोई डिलीवरी नहीं दे रहे हैं। स्टाकिस्ट स्टॉक फायदा उठाने के लिए कट रहे है यथा यह जिम्मेदारी हमारी है कर रहे है, सरकार के किस मंत्री ने किस अधिकारी ने इस बात को सोचा। इसके बारे में भी ध्यान दिया जाय। आप कमल एण्ड कम्पनी में चले जाइये, जो मिर्जा स्माइल रोड़ पर है और कुछ नहीं तो बजाज स्कूटर पर ब्लैक नहीं है, उसका पैसा नहीं ले रहे है। लोग ड्राफ्ट्स ले कर के वहां बैठे हुये है। हो सकता मैं किसी मंत्री की उन पर विशेष कृपा हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास ड्राफ्ट है, आप भिजवाना चाहें तो मैं माननीय मंत्री जी को दे सकता हूं क्योंकि इनके समायुक्त होने की सम्भावना है। सरकार की ओर से कोई इन्तजाम नहीं किया गया है कि जिससे उपभोक्ताओं को किसी तरह की सुरक्षा मिलें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय— (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के हो सकता है रिश्तेदारी हों, या संबंध हो— (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय कल्ला साहब। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य, इससे आपको मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठने का प्रयास करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, ये समय खराब कर रहे है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, जहां तक मुझे ध्यान है मैंने किसी माननीय सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगाया है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर इस सदन का सदस्य होने के नाते ज्यादा नहीं कहना चाहता मैं तब गुस्ताखी करता जब मैं इसको माचिस लगाकर जला देता। जितनी भी गालियां इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दीं गई है, इस किताब मैं कहीं गई हैं। लेकिन उस स्टेज तक नहीं गये हैं। माननीय सदस्य का किसी भी कम्पनी से संबंध हो किसी को कहीं से पैसा मिले जो इस सदन में हमको कहने का अधिकार है हम कहेंगे किसी को कहीं से बंदी मिले मैंने नहीं कहा। माननीय सभापति जी मैंने किसी सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगाया है मुझे कहने का अधिकार है। आसन मेरे अधिकार को सुरक्षित रखता है।

मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति जी, कि कांग्रेस शासन के स्वास्थ्य मंत्रीजी ने मेरे नैनवां क्षेत्र में एक्सरे मशीन भिजवाई थी। जब से शासन बदला उस एक्सरे मशीन को आज दिन तक भी नहीं लगाया गया है। वहां के लोग 65–70 किलोमीटर दूर बूंदी, या जयपुर या कोटा एक्सरे करवाने आते हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्रीजी को इस बात को कहने की जरूरत पड़ेगी? क्या स्वास्थ्य मंत्रीजी को, सरकार को इस बारे में ध्यान नहीं देना चाहिये? वहां की जो एम्बुलेंस गाड़ी है उसके लिये डीजल के पैसे नहीं दिये जा रहे हैं। सरकार की आंख भी है, कान है अफसर भी है सारा स्टाफ है मशीनरी है, क्या स्टाफ और मशीनरी को भी कहना पड़ेगा, क्या सरकार के स्वास्थ्य मंत्रीजी को इस बारे में ध्यान नहीं देना है? क्या जनता द्वारा सुविधायें और अफसर इसलिये दिये गये हैं? सभापति महोदय, यह सारी बातें इनको करने की हैं हमारे को कहने की नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर कहा था कि सरकार का काम सरकार में सदस्य जो सदन में नहीं पहुंच सकें हैं किसी कारण से जनता ने दुत्कार दिया वह लोग ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्टें बना रहे हैं। क्या ट्रांसफर और पोस्टिंग की सरकार रहेगी। यह सारी बातें है जिनकी तरफ मैं आसन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सरकार ने मैं आज भी कहता हूं लोगों को परेशान किया। आदिवासी हरिजनों की लिस्टें बन रही है यह कहा जा रहा है कि अमुक पार्टी

(श्री रामनारायण वर्मा)

की सरकार आई अमुक आदमी नेता हो गया । अमुक जाति के लोग उस अफसर की जगह पर लगेंगे, कांग्रेस ने कभी जातिवाद के आधार पर राज नहीं किया है । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है शायद आपकी चले न चले बाकी जो मैं कह रहा हूं आदिवासी हरिजनों के साथ क्या हो रहा है ! मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता माननीय सभापति जी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा सदन के नेता आसन मैं नहीं हैं लेकिन मैं उनकी रीति-नीति से भली भांति वाकिफ हूं मुझे पता है सदन के नेता जो कभी पहले मुख्य मंत्री रहे थे 1977 और 1980 के बीच मैं उन्होंने अन्त्योदय योजना चलाई जिसका बखान सत्ता पक्ष के सभी लोग करते हैं हम भी सुनते हैं । मैं भी उस टाइम में सरपंच हुआ करता था । उस जनता शासन के दौरान मुझे सरपंच चुना गया था । मुझे पता है उस अन्त्योदय योजना मैं क्या था । क्या अन्त्योदय योजना आदिवासी हरिजनों के खिलाफ नहीं थी । किसी भी सदस्य ने इस बात को नहीं उठाया और मैं पूरी ताकत के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि आदिवासियों हरिजनों के हितों के खिलाफ यदि पहली दफा यदि किसी ने कोई काम किया तो तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आज के मुख्य मंत्री ने, किया है । मैं माननीय सदस्य के सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि किस तरह से किया है लेकिन केवल कह कर ही इस बात को यहां ड्राप नहीं करना चाहता । सभापति महोदय, एक बात उन्होंने पैदा की, उनकी भावना थी कि आदिवासियों और हरिजनों को पूरा पैसा नहीं मिले । पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो पैसा दिया जाता था । माननीय सभापति महोदय, मैं सत्ता पक्ष मैं बैठे आदिवासी हरिजनों विधायकों के लिये भी उनको इस बात के लिये आगाह करना चाहूंगा कि वे इस बात के लिये सतर्क रहें, उनकी पार्टी में जो कुछ पनपने जा रहा है, जो कुछ होने जा रहा है उसको कानों से सुनें, आंखों मे यह कागजों को देखना चाहें वे देखें । माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा था आदिवासी और हरिजनों के नाम से जो पैसा दिया जा रहा था वह सीधा उनको मिलता था । मैं नहीं कहता कि कोई पैसा कहीं दें किसी सरकार में अफसर भ्रष्टाचारी नहीं करे लेकिन पैसा आदिवासियों हरिजनों के नाम से जा रहा था बैनिफिट आदिवासी और हरिजन हो रहे थे उसमें एक नया तबका जोड़ा गया । गरीब के नाम से । जाति का महाजन है जाति का कुम्हार है जाति का माली है उसको भी उसमें जोड़ दिया गया । पर मद कौन सा चला है आदिवासियों हरिजनों के नाम से समाज कल्याण विभाग में जो खाना है, हम तो शैडयूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब को बैनिफिट कर रहे हैं । पैसा मान लो खर्च हुआ 100 करोड़ उदाहरण के तौर पर, 50 करोड़ आदिवासियों और हरिजनों को नहीं मिले खर्चा उन पर 100 करोड़ रुपया बता दिया गया और उस बात का इतना ढिंढोरा पीटा गया, माननीय सभापति महोदय, कि उसकी दिल्ली तक चर्चायें की गई

(श्री रामनारायण वर्मा)

परन्तु आदिवासियों और हरिजनों के पांवों पर कुठाराघात किया गया। आज उसी योजना को दूसरे तरीके से पेश करने जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा क्या सरकार इसी तरह आदिवासी हरिजनों के हितों के खिलाफ दुबारा योजना ला रही है। आज की तारीख में अन्त्योदय योजना चालू करनी है तो करें। हम चाहते है गरीब का भला ब्राह्मण भी कोई गरीब हो उसको पैसा दिया जाये, उसको एड दी जाये उसके लिये कारखानें खुलवाये जायें लेकिन उसका मद अलग रखा जाये, शैड्यूल्ड ट्राइब के नाम पर जो खर्च होने वाले पैसे हैं, वह अलग रखे जायें। मैं तो, माननीय सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अनुसूचित जाति विकास निगम है, आदिवासियों के लिये एक ऐसा निगम होना चाहिये। आदिवासियों के लिए प्लान जो बनाये जा रहे हैं सभी जातियों को उससे फायदा होता है लेकिन नाम लिया जाता है आदिवासियों का विकास। गांव में सड़क बनाई जाती है। सड़क जो बनाती है, मैं माननीय जन-जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उनसे संबंधित मामला है वह भी इस बात को सुनें, किसी ट्राइबल एरिया में सड़क बनाई जाती है, क्या सड़क पर केवल आदिवासी चलते हैं? उस सड़क पर सभी लोग चलते हैं? माननीय सभापति महोदय, सरकार को इस बारे में विचार करना पड़ेगा। सरकार यदि विचार नहीं करेगी तो पूरे जोर से हम इस बात को उठायेगें। मैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए सभी माननीय आदिवासी विधायकों से निवेदन करूंगा कि उनके नाम पर, उनके समाज के नाम पर, जो पैसा खर्च किया जा रहा है, फायदा दूसरों को मिल रहा है, उस मद को अलग करने के लिये वह संघर्ष करें। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भी यहां बैठा हुआ, मेरे साथी भी यहां बैठे हुए, किसी भी वर्ग के, किसी जाति विशेष के हैं इस बारे में संघर्ष करेंगे। माननीय सभापति

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अन्त्योदय योजना जिस तरह से चालू की गई है, अन्योदय योजना का स्वरुप सुधारा जाये। आदिवासियों और हरिजनों के मद में लिखा गया पैसा सीधा आदिवासियों हरिजनों को मिले, सभी को नहीं मिले और औरों को मिले उसका मद अलग रखें। हमें किसी गरीब से कोई वह नहीं है, हम चाहते हैं गरीब का फायदा हो, गरीब का विकास हो, गरीब को पढ़ाई का पैसा भी दिया जाये लेकिन आदिवासी हरिजनों के नाम से नहीं दिया जाये अलग से मद रखकर के गरीब के नाम से दिया जाये, इन भावनाओं में सुधार किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में काफी कुछ कहा गया है। यह सही है कि किसी पार्टी का शासन हो, कांग्रेस का शासन रहा, जनता पार्टी का शासन रहा, क्या दस वर्ष में ही भ्रष्टाचार फैला है। माननीय सभापति महोदय,

(श्री रामनारायण वर्मा)

1977 से 1980 के बीच में जिस ढंग से अफसरों को परेशान किया गया, अफसरों के दिल दिमाग में बात आई। फाइलें मेनटेन करते हैं, गड़बड़ कहां होती है, उनको दबाने की कोशिश की गई 1977 और 1980 के बीच में जो अफसर निरंकुश हो गये जिनके लगाम नहीं रही वह अफसर ताबे में आने लग गये थे जनता ने दूसरा मेनडेट दे दिया। तो मैं निवेदन करूंगा भ्रष्टाचार पनपा सबसे पहले 1977 में जब स्टेज में ज्यादा पनपा। इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सुधार किया जाना चाहिये था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि सन् 1977 के बाद में भ्रष्टाचार पनपा में मेरी पार्टी का समय ले रहा हूं माननीय सभापति जी....

श्री सभापति : वह सूची भी आपकी पार्टी ने दी है।

श्री रामनारायण वर्मा : सभापति महोदय, जो कुछ भी हो, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं आदिवासियों के ऊपर बहुत से सशस्त्र अधिनियम मुकदमें चल रहे हैं टोपीदार बन्दूक से, माननीय सभापति महोदय, आप सत्ता पक्ष से मालूम कर लीजिये टोपीदार बन्दूक से कोई जुर्म नहीं होता है टोपीदार बन्दूक के मुकदमें सबसे ज्यादा चल रहे हैं आदिवासियों और हरिजनों के खिलाफ हैं। सरकार को चाहिये था कि ऐसे आदमियों के खिलाफ जितने भी झूठे मुकदमें चल रहे है पुलिस प्रशासन द्वारा जो झूठे मुकदमें चलाये जा रहे हैं वह विथड्रा किये जाये।

इस तरह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आदिवासियों के पक्ष में उनके हित में क्या किया जा रहा है ? केवल कह दिया कि इस बारे में विचार कर रहे हैं।

चूंकि बार-बार मुझे आदेश दिया जा रहा है इसलिये में दो मिनिट में निवेदन पूरा करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हर जिले में दो कालेज हैं। राज्यपाल अपने अभिभाषण में यह लिखते, शिक्षा के बारे में यह लिखते कि जिस जिले में एक ही कालेज है वहां दूसरा कालेज खोलने के बारे में विचार करेंगे। यदि ऐसा लिखा होता, इस तरह का सजेशन होता तो ज्यादा उचित होता। लेकिन इस तरह का कोई सुझाव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है। जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है उस बारे में यह नहीं है कि आदिवासियों को, महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। आज गरीब को शिक्षा लेना दुर्भर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामनारायण वर्मा : सभापति महोदय, कहने को बहुत कुछ है। सरकारी पक्ष ने जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण लिखा है, उस अभिभाषण को पुरजोर शब्दों में मैं अमान्य करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, उस पक्ष के

(श्री रामनारायण वर्मा)

जो सही विचारधारा के सदस्य हैं, उनको भी निवेदन करूंगा कि वे मुझे ज्वाइन करे और इस अभिभाषण को निरस्त करवाने में सहयोग करें। आशा है कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत धन्यवाद जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमंडी) : सभापति महोदय, 16 मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन को सम्बोधित किया। उनको इस सम्बोधन के लिये धन्यवाद अर्पित करने हेतु हम आज यहां चर्चा कर रहे हैं सदन की ओर से पारित किये जाने वाले इस धन्यवाद प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बड़ी व्यावहारिक बातें कही हैं। अब तक अभिभाषण में केवल आंकड़ों की बात होती थी। हम दो हजार किलोमीटर सड़क बनायेंगे, आई. टी. आई. कालेज खोलेंगे, इन्जीनियरिंग कालेज खोल देंगे। यह थोथी घोषणाएं हुआ करती थी। बाद में जनता को निराश होना पड़ता था। ऐसा पिछले पांच वर्षो से हम बराबर देखते आ रहे हैं। माननीय कल्ला साहब को मालूम है लेकिन इस बार राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वह, मैं समझता हूं ऐतिहासिक अभिभाषण है। उन्होंने जनता की भावनाओं को देखकर आने वाले एक वर्ष के लिये राजस्थान के शासन को दिशा-निर्देश दिया है। जनता की भावनाएं इसमें प्रतिबिम्बित होती है।

अभी मेरे से पूर्व विरोधी पक्ष के सदस्य बोल रहे थे, उनको चिढ़ हो रही थी कि अभिभाषण में गाली-गलौच किया गया है। सभापति महोदय, इसमें उनका दोष नहीं है। सत्य हमेशा कड़वा हुआ करता है। राज्यपाल महोदय ने जो बात कही है, मैं समझता हूं, वह जनता की भावनाओं के अनुकूल कहीं है। उनके भाषण की दो लाइन मैं पढ़ कर सुनाता हूं, पिछले चार महीनों में जनता ने दो बार स्पष्ट जनादेश देकर प्रदेश के राजनैतिक परिवेश को बदल दिया है।" अगर इस तथ्य को आप बदलना चाहते हैं तो बात अलग है। लेकिन उनकी बात सही है। जनता ने इस सरकार की नाड़ी देखी और इस सरकार को हटा दिया। राज्यपाल महोदय का 16 मार्च का अभिभाषण जनता की भावनाओं, जनता की आवश्यताओं के अनुरुप ही बनाया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें जो बात कही गई है उन बातों को आप बिना किसी राजनैतिक आधार के और सत्यता की कसौटी पर उतारना चाहें तो वह पूर्णतया सत्य है। उन्होंने बड़े-बड़े चार पांच मुद्दों को लिया है। भाई-भतीजावाद की बात उन्होंने कही है। माननीय सदस्य नाराज हो गये कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया है। उन्होंने बड़ी संजीदगी से भाई भतीजावाद की बात कही है। राज्यपाल महोदय ने यह नहीं कहा है कि किसी के भाई को चीफ इन्जीनियर बनाकर

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

दिया, किसी को पी. एस. सी. का चैयरमेन बना दिया। अभिभाषण में इतने निचले स्तर पर नहीं गये हैं वरना वे यह भी कह सकते थे। समझदार को इशारा काफी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के प्रशासन में पिछले पांच साल में भाई भतीजावाद पनपा है और वह राजस्थान की जनता ने देखा है। इस भाई भतीजावाद को समाप्त करने की बात उन्होंने कही है। राजस्थान को हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। आज भ्रष्टाचार के बारे में मैं समझता हूं जितनी आपको और मुझको जानकारी है उससे कहीं ज्यादा जानकारी राजस्थान की जनता को है। जिस राज्य के अन्दर डाक्टर की पोस्टिंग के लिये शफाखाने की जगह बिकती हो, जिस राज्य में थानेदार की नियुक्ति के लिये थाने बिकते हों, जिस राज्य में तहसीलदार, पटवारी के ट्रान्सफर के लिये पैसे लिये जाते हों, इन्जीनियर के ट्रान्सफर के लिये पैसे लिये जाते हों, वह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या क्या यह सदाचार है? इस बात के लिये यदि आप चाहें तो आपत्ति उठा लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक जानकारी हो तो जानकारी दें वरना यह वेग चार्ज नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अगर वास्तव में इस सरकार के लिये कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढना है तो वह होगा "भ्रष्टाचारी सरकार" यह राजस्थान का प्रत्येक नागरिक जानता है। माननीय कल्ला साहब, आप हम सदन में बैठे हुए हैं। आप उस किसान से जाकर मिलिये, जैसा अभी माननीय लालचन्दजी बता रहे थे, दस-दस, पांच-पांच हजार रुपये किसान से बिजली कनेक्शन के लिये जाते हैं। मैंने यह बात इस सदन में कई बार कही है। आप रीको में चले जाइये, आप आर. एफ. सी. में चले जाइये वहां लोन लेने वाले क्या कहते हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द आर्यवीर : और आपके एम. एल. ए. उसमें एजेन्ट थे, मिले हुए थे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है....(व्यवधान)

जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो मेहरबानी कर के दूसरा सदस्य उनको डिस्टर्ब न करे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापति महोदय, मैं भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहा था। मैंने कहा था कि इस राज्य के अन्दर पिछले पांच साल से, कोई महकमा आप खड़े होकर बता दीजिये, चाहे वह पुलिस का हो, चाहे रीको हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. हो, चाहे इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट हो, चाहे कलेक्टर का दफ्तर हो, वहां पर बिना पैसा दिये किसी का काम निकला हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अमुक मामले में भ्रष्टाचार हुआ हो तब तो आपकी बात चलेगी। आप वेग चार्ज नहीं लगा सकते। आप एक केस बताइये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

जब कोई माननीय बोल रहे हों तो मेहरबानी करके बीच में न बोलें। आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यह जवाब देने का काम सरकार का है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : यह तो आपके राजीव गांधी ने कहा है कि 85 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कम से कम सत्ता पक्ष के लोगों को इस तरह का बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य मुझसे पूछना चाहते थे कि किसने दिया। मुझसे पूछ रहे हैं आप। आप पूछेंगे कि झाड़ जल रहा है या नहीं। यह जल रहा है, दुनिया देख रही है। राजस्थान में भ्रष्टाचार कदम कदम पर था। पटवारी से लेकर तहसीलदार, कलक्टर और मंत्री तक पैसे लेकर काम होता था और आप पूछते हो कि मुझे। सबूत दो। बिना पैसे लिये किसी का काम हुआ हो तो यह सबूत दो आप तो मुझे बिना पैसे लिये किसी का काम नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है, आप नाम बतायें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं आप ही का नाम ले दूं तो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तैयार हैं हम।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूं वह हमारे हिन्दुस्तान के इतिहास में अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि श्री भैरोंसिह जी शेखावत के सुझाव पर मुख्य मंत्री को भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में लिया है। मैं समझता हूं इनको खुशी होनी चाहिये थी। लेकिन मेरे पूर्व वक्ता अभी बोल रहे थे कांग्रेस पक्ष से श्री बैद साहब, उनको इसी बात पर करंट लग गया कि भैरोंसिह जी का नाम कैसे आया। आप उस आदमी की निष्पक्षता देखो, उस आदमी की बहादुरी देखो उस आदमी की हिम्मत देखो जिसने खड़े होकर कहा कि किसी प्रकार की जांच हो तो मेरी भी जांच कराओ। आपको इस बात पर गिला है कि उनका नाम क्यों आया। हम उम्मीद करते थे विपक्ष के लोग जब भाषण देंगे तो भैरोंसिहजी को इस बात के लिये बधाई देंगे। वह तो उनके नाम से ही चिढ़ गये। अभी तो पूरे पांच वर्ष है, आप थोड़ी तसल्ली रखो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान पैदा न करें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

रहा था, इन्होंने कई मुद्दे रखे हैं जिन पर मैं और अलग से चर्चा करूंगा। हमारी पिछली सरकार ने कई ऐसी बातें विरासत में छोड़ी हैं। सबसे बड़ी जो आज इस सरकार के सामने समस्या है वह पेयजल की है। हमें दुख है इस बात का कि पिछले 40 वर्षों में ढाई साल जनता राज के निकाल देने के बाद भी इस सरकार को उस हैण्डपम्प के पानी में डूब मरना चाहिये था जो जनता को पानी तक नहीं पिला सकी। आज राजस्थान के अन्दर, मैं समझता हूं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां लोग पानी के लिये त्राहि-त्राहि नहीं कर रहे हों। जाली हैण्डपम्प लगाकर 200 की स्ट्रेन्थ बता कर 100 फीट पाइप लगाकर अधिकारियों ने पैसा भले ही खाया होगा। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा। तो यह खा गये होंगे। मेरे एक प्रधान हैं सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, उन्होंने एक ड्रिलिंग मशीन खरीद ली। उनका इंजीनियर मिलने वाला था। बोले, प्रधानजी, क्या किया आपने यह? बोले, इससे कमा खाऊंगा प्रधान न भी रहा तो। साहब, एक हैंड पम्प को खोदने के लिए पांच हजार रुपये एडवांस में हमको देने पड़ते है खोदने की परमिशन देंगे। जब खुला प्रधान तक से ऐसा कह सकते हैं तो अब बताओ, यह जो घोटाले किये हैं आज राजस्थान की जनता को आपने 10 वर्ष तक राज करने के बाद भी पानी से तरसाया। हैण्ड पम्प नहीं खुदा पाये। और तो और आप जोधपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें तो समझ में आती है लेकिन कोटा बूंदी झालावाड़ की बात करो जहां पानी के बिना लोग तरसते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं रामगंजमंडी क्षेत्र से चुन कर आता हूं, आपको याद है, आप भी पिछले पांच साल से इस सदन के सदस्य है कोई ऐसा सत्र नहीं गया यहां पर जिसमें मैंने रामगंजमंडी की पानी की समस्या के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया हो। आज वहां पर आहू नदी से पानी लिया जाता है। आहू नदी में फरवरी के आखिर में पानी सूख गया मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, तक वर्षा हो हैं पानी से का क्या हाल होगा? जो बड़ी-बड़ी खाने हैं कोटा स्टोन की उनके गड्ढों में से पानी पहुंचाया जा रहा है। उस पानी को पहुंचाने के लिये मैंने परसों इंजीनियर को टेलिफोन किया। वहां पूरा पानी पहुंचायें। आठ लाख लीटर पानी की आवश्यकता है और वहां पर एक लाख लीटर पानी पहुंच रहा है बोले, सरकार से अभी स्वीकृति नहीं आयी। तो मेरा निवेदन यह है कि जो सरकार पिछले दस साल में पानी उपलब्ध नहीं करा पाई, आज इस सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है। मैं निवेदन करूंगा, जब प्रसंग है तो मेरे वहां पर गत सरकार ने, जोशी जी ने तीन बार स्वयं इण्टरफियर करके, खड़े होकर मुझे आश्वासन दिया कि माननीय सदस्य, रामगंमंजडी की पानी की समस्या के लिये हम रावत भाटा से पानी ला रहे हैं। लेकिन वह रावतभाटा से पानी लाने की योजना मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी लागू नहीं कर

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

सके। महीने भर बाद तो पलायन करने की स्थिति आ जायगी वहां से लोगों की अगर पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो।

एक माननीय सदस्य : अब आप कर लेना।

श्री हरिकुमार औदिच्य : होगी अब तो, आप चिन्ता क्यों करते हो ?

तो जो बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कल लक्ष्मीगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अन्त्योदय योजना और दूसरी काम के बदले अनाज योजना और कुछ योजनाएं थी जिनका वह जिक्र कर रहे थे। बड़ी आलोचना कर रहे थे। मुझे बैठे-बैठे आया, यहां तो आलोचना कर लें लेकिन नीचे उतर कर और गांव में जाकर के आलोचना करेंगे तो उनके कपड़े साबुत नहीं बचेंगे। आज गांवों के जो भी कोई देन है, पिछले जनता राज के ढ़ाई साल की है आप गांवों में चले जाइये, चालीस साल के कांग्रेस राज की किसी उपलब्धि को लोग याद नहीं करते। आज किसी गांव में जाओ, ढाई साल में काम के बदले अनाज योजना में स्कूल बना होगा, पंचायत भवन बना होगा, खरंजा बना होगा, पटान बना होगा, कोई न कोई काम उस योजना का आपको मिलेगा। (व्यवधान)

आपने राजस्व अभियान लगाया। सभापति महोदय, वह आपको याद है, आपने देखा है जाकर। जो आदमी अपनी समस्या को लेकर गया, पटवारी से लगाकर कलक्टर वहां बैठता था। वह समस्या का निराकरण करके आता था। अभी आपने नाटक करा राजस्व अभियान का। हम भी चले गये दो चार अभियान में। दरख्वास्त लेकर आवें, तहसीलदार बोले कर क्या रहे हो ? बोले, साहब, पटवारी नहीं है। पटवारी नहीं है तो राजस्व अभियान किया क्यों था। राजस्व अभियान में आपने कैसेज की दर्ज करने की सूची जरूर अखबारों में दे दी होगी लेकिन राजस्व अभियान में जनता को राहत नहीं मिली। इस प्रकार का उदाहरण आप नहीं दे सके और नाटक किया। अब जब जनता पार्टी का फिर राज आया है, यह योजनाएं जब लागू कर रहे हैं तो आपको उसके अन्दर भी यह लगता है कि, साहब, यह योजनाएं खराब हैं। आप याद नहीं करते होंगे। आप याद करते होंगे तो मन में करते होंगे लेकिन गांव की जनता को उस समय के भैरोंसिंह शेखावत के राज की बहुत बड़ी देन थी अन्त्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना।

आपने किसानों को लूटने के अलावा किया क्या है ? आप लोन दिला दो किसान को 10 हजार रुपये, कुआं खोदो। वह बेचारा अपनी सम्पत्ति गिरवी रख कर कुआं खोदता था और कुएं में खोदते-खोदते पानी नहीं निकले तो उसके ऊपर 12 हजार का बैंक का डिमांड ड्राफ्ट आ जाता मय ब्याज के। आज राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना होगा, पढ़ा होगा कि किसान के कुएं से पानी नहीं निकलेगा तो सरकार की तरफ से उसको मुआवजा दिया जायगा। आखिरकार

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

आपने किसानों के लिये बड़ी-बड़ी बातें तो की हैं लेकिन यह पहला राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि राजस्थान की जनता के लिये, गांव में रहने वाली जनता के लिये 60 प्रतिशत अपने बजट का खर्च करेंगे। गांव का रहने वाले किसान और गरीब व्यक्ति ने पिछले चालीस वर्षों में इस बात का अहसास ही नहीं किया कि इस राज के अन्दर मेरी भी कोई भागीदारी है। राजस्थान का जो खजाना है उसमें गांव के रहने वाले लोगों की कोई भागीदारी है। जनता के राज में या तो ढाई साल में किया था और अब राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को जिसने पढ़ा है वह व्यक्ति भी करेगा कि वास्तव में इस दस साल के अंधकार के बाद पुनः राजस्थान के गांवों के अन्दर भ्रष्टाचार मिटेगा, लोगों की दिक्कतें खत्म होंगी और पानी की, बिजली की पूर्ति होगी।

सिंचाई योजनाओं की बात पर आओ। कौनसी नई सिंचाई योजनाएं आपने लागू की पिछले पांच वर्ष में कोई नहीं की। आखिरकार आपने गांव के लोगों पर ध्यान दिया कब? जब हम ध्यान दे रहे हैं तो आपको लगता है कि इसमें तो गाली-गलौच है। अब यह तो बुद्धि का फेर है, इसमें मेरा कसूर थोड़े ही है। केवल मात्र आंकड़ों के भ्रमजाल में नहीं पड़ कर राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के माध्यम से राजस्थान के प्रशासन को, राजस्थान की जनता को एक दिशा निर्देश दिया है कि हम आने वाले वर्ष के अन्दर राजस्थान के प्रशासन में किन किन बातों को करना चाहते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इसके अन्दर प्रशासन के अन्दर मितव्ययता की भी बात कही है। आज बहुत बड़ी जरूरत है इस बात की। आप यहां की बात बतायें सैक्रेटेरिएट की। आप जिले में जाइये। चार चार अधिकारियों के पास कार है। और जाये कहां, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। आप हिसाब लगाकर देखो, अधिकारियों का बड़ा लवाजमा है। यह सारे के सारे खुश करने के लिये, मेरा भाई है इसके लिये नई पोस्ट क्रियेट कर दो, यह मेरा भतीजा है इसको यहां लगा दो।

तो जितनी भी बातें राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यहां पर दी हैं, मैं समझता हूं, यह समय की मांग है, जनता की भावनाओं के अनुकूल है। मैं सामने बैठे मेरे सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजनैतिक विचार को छोड़ जो राज्यपाल महोदय ने एक दिशा निर्देश दिया है अपने अभिभाषण के माध्यम से, वह भी इस धन्यवाद प्रस्ताव में अपना समर्थन दें और मैं भी समर्थन करता हूं। यही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिशचन्द्र कुमावत।

श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नांवा) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं स्वागत करता हूं और इस पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

(श्री हरिशचन्द कुमावत)

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जनता की तकलीफों को देखा गया है और उनके निराकरण को जो दर्शाया गया है उसके कारण में इसका समर्थन करता हूं। साथ ही जो सत्ता पक्ष है उसकी सही दिशा और स्पष्ट नीति को दर्शाया गया है।

सभापति महोदय, इससे पहले जो आज विपक्ष में बैठे हैं और पहले सत्ता पक्ष में थे, उनका राज था और उस राज में उन्होंने जो पद और धन का दुरुपयोग किया उसके कारण से जनता ने तो उनको सजा दी है किन्तु उन्होंने ऐसी योजना उस समय बनाई जिसके कारण से जनता आज भी तकलीफ पा रही है।

विशेषकर पीने के पानी की समस्या आज पूरे प्रदेश में है और हमारे यहां भी पीने के पानी की समस्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय इस प्रकार की योजना बनाई जिससे उनकी जेब तो भरी गई किन्तु जनता को उससे लाभ नहीं मिला। हमारे नावां तहसील में लूणवां और गूढ़ा में अभी भी 20 साल से ओवर हैड टैंक बने हुए हैं और पाइप लाइनें डली हुई हैं किन्तु पानी की एक भी बूंद नहीं है। इसका कारण यह है कि ठेकेदारों को ठेका देकर ऐसी स्कीम तो बना दी गई जिसका उनको तो पैसा मिल गया लेकिन जनता को पूरा लाभ नहीं मिला।

इसी प्रकार से आज सिरसी में और वरजन में और कई गांवों में ऐसी टंकियां बनी हुई हैं जिनमें पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं है लेकिन टंकियां वहां आज भी बनी हुई हैं।

तो इस प्रकार की योजनाएँ उस समय बना दी गई जिसके कारण से उनका लाभ जनता को नहीं मिला और जनता पानी के लिए तरस रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो खर्चा सरकार ने कर दिया वह फिजूल खर्चा हो गया। वह किस प्रकार से काम में आ सकता है उसको काम में लाने के लिए जहां पर कूओं की आवश्यकता है वहां कूये बना कर पानी देने की योजना बनाई जाय ताकि उसका लाभ जनता को मिले।

मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी तहसील में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां नमक का एरिया है और नमक का एरिया होने के नाते वहां जमीन में खारा पानी है जिस कारण वहां पानी या तो दूर से पहुंचाया जा सकता है या टैंकरों से पानी पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि पीने के पानी की आज भी बहुत भयंकर समस्या है उसका भी सरकार को निदान करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इसी प्रकार से पीने के पानी की समस्या के साथ-साथ बिजली की समस्या की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिजली में भी उन्होंने ऐसी समस्या पैदा कर दी। उस समय के जो अधिकारी हैं वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कनेक्शन देने में जो प्राथमिकता तय कर रखी है उसमें भ्रष्टाचार बुरी तरह पनपा हुआ है। वहां आज भी ट्रांसफार्मर्स इतने जले हुए

(श्री हरिशचन्द कुमावत)

हैं। यह तो भगवान की देन थी, ईश्वर की कृपा थी कि लोक सभा चुनावों के बाद वर्षा आ गई और इस कारण से आज लोगों को धान पैदा हो गया। यदि वर्षा नहीं आती तो वहां सब काश्तकारों की फसल समाप्त हो जाती। वहां आज भी ट्रांसफार्मर्स जगह-जगह जले हुए हैं।

सभापति महोदय, हमारे यहां रेवासा मुहाणा, मींडा, नावां, मीठड़ी, लीचाणा, जाजनगर, जीणवार, वरजन, उल्हाणा और मारोठ में आज भी निश्चित रुप से ट्रांसफार्मर्स बहुतों में जले हुए हैं और वहां पीने के पानी की समस्या बनी हुई हैं। ट्रांसफार्मर्स जल जाने से कूओं में से पानी निकालना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्याओं का निराकरण अब किया जाय।

दूसरा मैं अनुरोध यह भी करता हूं इस सरकार से कि जो गांवों में पहाड़ थे उनको वन विभाग को दे दिया गया जिससे वहां के पशुओं को चराने की समस्या पैदा हो गई। साथ ही साथ गांव के लोगों को मकान और कूए बनाने के लिए पत्थर लाने की भी दुविधा उत्पन्न हो गई। सारे के सारे पहाड़ वन विभाग को देने से यह दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए कुछ पहाड़ों का हिस्सा छोड़ना चाहिए जिससे लोग अपना मकान बनाने के लिए पत्थर ला सकें और उनके मवेशी चर सकें। कुछ तो ऐसा एरिया होना चाहिए जो फोरेस्ट विभाग को नहीं देना चाहिए परन्तु पिछले समय में पूरा ही दे दिया। इस कारण से समस्या बनी हुई हैं।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण में प्रजातंत्र की बात भी कही गई है। सरकार चाहती है, कि नगरपालिकाओं के चुनाव भी हों किन्तु पिछली सरकार ने प्रजातंत्र के नाम पर यह अध्यादेश जारी करके नगरपालिकाओं के चुनाव को रोका वह अध्यादेश इसलिए जारी किया ताकि उन चुनावों को रोका जा सके और प्रजातंत्र की जो विरोधी सरकार थी, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अध्यादेश जारी किया उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात कही है। यह जो लिंग-भेद की बात कही है यह संविधान के प्रतिकूल है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को बराबर अधिकार मिले हुए हैं। इसमें लिंग-भेद की बात करके रिजर्वेशन की बात कही है वह बिल्कुल गलत है। इस अध्यादेश को समाप्त किया जाना चाहिए। इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए।

नगरपालिकाओं के चुनाव शीघ्र करने चाहिए। पहले से जो वार्ड बने हुए हैं उसमे यदि सुधार करना हो तो सुधार करना चाहिए और तुरन्त चुनाव कराने चाहिए। चुनावों को आगे नहीं खिसकाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं बिजली की समस्या के लिए एक और बात बता देना चाहता हूं। हमारे यहां एस. ई. आफिस अजमेर से हटा कर नागौर कर दिया गया। नागौर स्टोर होने से यहां से सामान जयपुर से ले जाकर पहले नागौर ले जाते

(श्री हरिशचद कुमावत)

हैं फिर वहां से कुचामन आदि में डिस्ट्रीब्यूशन किये जाने से 150 कि. मी. की दूरी बढ़ गई है। जो यहां से जाते हैं तो रास्ते में कुचामन सिटी पड़ता है। तो स्टोर कुचामन होना चाहिए ताकि आने जाने का खर्चा बच जाय।

दूसरा शिक्षा के बारे में जो पिछली सरकार है उसने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसने कुचामन को काफी तकलीफ दी है। हमारे यहां 30 साल से बी. एस. टी. सी. स्कूल चालू थी उसको नागौर ले जाने के लिए पहले सरकार में दामोदर दास जी मंत्री थे उन्होंने नागौर ले जाने के आदेश करवा दिये। उसके कारण से 30 साल पुरानी बी. एस. टी. सी. स्कूल की कुचामन सिटी के लोगों को तकलीफ हो गई। हालांकि वह आदेश हाई कोर्ट जाकर रुकवा दिया है लेकिन तकलीफ बनी हुई है। ऐसी स्कूलों के और भी आदेश हुए हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि उनको ज़िला मुख्यालय पर ले जाया जाय। बी. एस. टी. सी. जो शाहपुरा में थी उसको भीलवाड़ा जिले में इसलिए कर दिया कि वहां से शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री रहे जो एक प्रभावी नेता थे। इसी प्रकार जिला बांसवाड़ा में भी हरिदेव जी जोशी का इलाका था इसलिए राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, बाड़ीनगर जो जिला पाली की थी वह बाड़ी में है किन्तु कुचामन सिटी का विद्यालय को नागौर कर दिया। इस प्रकार हमारे साथ अन्याय किया। इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब अपनी सरकार बन गई है तो यह बी. एस. टी. सी. स्कूल जो 30 साल से जहां थी वहीं रहनी चाहिए ताकि जनता के साथ हुआ अन्याय दूर हो सके।

मैं अन्त में राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसका समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो हमारी समस्याए हैं उनको शीघ्र दूर किया जाय।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (ओसियां) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की ओर से दिशा निर्देश जो दिया गया है उसमें महत्वपूर्ण बातें जो उठाई गई है वह यह कि जनता को निष्पक्ष और सस्ता न्याय दिया जायेगा इस विषय में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी प्रशासन को प्रजातंत्र में चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका ये तीन महत्वपूर्ण अंग है। मैं आपके माध्यम से इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का वातावरण राजस्थान में न्यायपालिका और कार्यपालिका में फैला हुआ था उसके लिए अब हम को सभी पक्ष के लोगों को बहुत ही चिन्तित होकर विचार करना चाहिए। जब कभी भ्रष्टाचार की बात किसी भी पक्ष के सदस्य ने सत्ता पक्ष के सदस्य ने उठाई तो बहुत ही अफसौस की बात है कि ना पक्ष के सदस्यों ने उस

(श्री रामनारायण विश्नोई)

बात का एतराज किया जैसे कि राजस्थान में, हिन्दुस्तान में कहीं भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं सभापति महोदय, आपको बता देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी गांवों में वोट मांगने के लिए जाते थे जहां कहीं देश के वातावरण में जो प्रचार था वह यही था कि पिछले 10 साल मे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हर विभाग में फैला हुआ है उससे किसी तरह से आप हमारा पीछा छुड़वाइये। इससे बड़ी बात क्या होगी किसी गांव के किसी घर के बुजुर्ग की मृत्यु होने के बाद उसकी जमीन उसके लड़के के नाम चढ़वाई जाती है म्युटेशन पर उसमें भी तहसीलदार और दूसरे अधिकारीगण, पटवारी लोग मिलकर पैसा लिए बिना उसकी जमीन नामे नहीं चढ़ाते थे। इस प्रकार का जो वातावरण जिसको सुधार करने की कोशिश जनता शासन में राजस्व अभियान के जरिये की गई थी उस तमाम बात को मिटा कर फिर भ्रष्टाचार का वातावरण पैदा हुआ। उस वातावरण के लिए हमको एक बार फिर इस बात के लिए ध्यान दिलाना चाहिये कि संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ सरकार ने यह कदम उठाने का आश्वासन दिया है कि हम लोग भ्रष्टाचार को मिटा करके एक स्वच्छ प्रशासन देश की जनता को देंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ें राजस्थान के अन्दर इतनी गहरी हो चुकी है कि आप और हम दोनों के कोशिश करने के बाद इसको मिटा सकेंगे। हमारे मुख्य मंत्री भैरोंसिहजी ने एक साहसी कदम उठा कर उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसके लिए सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया कि उन्होंने भी अपने आचरण को लोकायुक्त के दायरे के अन्दर करने की कोशिश की है। पर इस बारे में एक बात में और निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय से और मौजूदा सरकार से कि अगर जिस प्रकार से लोकायुक्त के अन्दर उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को लोकायुक्त बना दिया तो फिर आपके लोकायुक्त के दायरे के अन्दर आचरण देने में मंत्री या किसी भी उच्च अधिकारियों के उसके आचरण के दायरे में देने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के व्यक्तियों को लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया जाय जिनकी छवि इतनी अच्छी हो जिनके प्रति कोई भी आदमी कुछ कह नहीं सके और जिनसे जनता को यह विश्वास हो कि जिन लोगों के आचरण की यह लोग परीक्षा करेंगे। यह लोग जांच करेंगे तो उन लोगों से सही निर्णय दिया जायेगा। इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर सब से ज्यादा भ्रष्टाचार जिस प्रकार हमने देखा है वह राजस्व विभाग के अन्दर है। राजस्व विभाग का सबसे बड़ा महकमा राजस्व मण्डल है। सभापति महोदय, आपसे छिपा हुआ नहीं है। आपके माध्यम से मैं इस सदन सदस्यों और सदन के नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज की तारीख के अन्दर राजस्व मण्डल के अन्दर इस प्रकार के सदस्य बैठे हैं जो रिश्वत लेकर के गरीब काश्तकारों के मुकदमे का फैसला करते हैं। इस प्रकार की शिकायतें राजस्व मण्डल के अन्दर

(श्री रामनारायण विश्नोई)

आयी हैं कि 10–10, 20–20 और 50–50 हजार की रिश्वत लेकर के और राजस्व मण्डल के अन्दर फैसला किया जा रहा है। राजस्व मण्डल के अन्दर राज्य सरकार के पक्ष को पैरवी करने वाले जिस प्रकार के सरकारी एडवोकेट्स नियुक्त किये गये हैं उन एडवोकेट्स की जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आयी है वह भी बड़ा भारी चिन्ताजनक है। राज्य सरकार के एडवोकेट्स हर छोटी-छोटी बात के अन्दर गरीब काश्तकारों से रिश्वत के बिना पेशियां तक नहीं बदलवाते हैं, रिश्वत के बिना बहस के लिए नहीं जाते हैं और राज्य सरकार के हितों की ओर किसी भी प्रकार से वे देखते नहीं हैं। इस प्रकार की जो समस्याएं है उसमें हमको और आपको इस तरफ ध्यान देकर के आगे बढ़ना पड़ेगा कि राजस्व विभाग सबसे बड़ा महकमा है। अगर उसके अन्दर कोई भ्रष्ट हो, अगर उसके अन्दर काम करने वाले राज की पैरवी करने वाले वकील भ्रष्ट हो तो उसका तो भगवान ही मालिक होगा और इस प्रकार से किसी भी प्रकार हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सस्ते न्याय का हम जनता को आश्वासन देकर उसकी हम पूर्ति कर पायेंगे। मैं निवेदन और करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति राजस्थान के अन्दर राजस्व मुकदमों की है उससे बदतर स्थिति आप कहीं नहीं पायेंगे। आज एक 212 की दरखास्त, एक टेम्परेरी इन्जंक्सन एक अस्थाई निपेक्षा की दरखास्त 10–10, 12–12 साल तक एक असिस्टेण्ट कलेक्टर या एस. डी. ओ अदालत के अन्दर फैसला नहीं होता है और चाहे उस प्रकार के आदेश दिये जाते हैं। एक पक्षकार जाता है तो पैसे देकर के कोई आदेश ले लेता है उसके बाद 2–2, 4–4 साल तक उसको निरस्त करवाने के लिए पेशियां पड़ती रहती हैं। इस प्रकार काश्तकार को, जिस प्रकार राजस्व, जिस प्रकार से भूमि सम्बन्धी सुधार के नियमन सम्बन्धी कानून की अवहेलना इस सरकार से जो की जा रही है उसके निवारण के लिए हमको बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और हमको इस बारे में विचार करना चाहिये। इस के अन्दर कोई न कोई संशोधन लाकर के और ऐसा नियम बनाना चाहिये, ऐसा कानून बनाना चाहिये कि किसी भी काश्तकार का कोई मुकदमा 12 महीने से ज्यादा पेंडिंग नहीं रहना चाहिये Justice delayed is justice denied अगर न्याय दिलाने के अन्दर देर होगी तो यह मान लीजिये कि वह न्याय उसे नहीं दिया गया। अगर किसी गरीब काश्तकार को उसको उसकी जमीन से बेदखल कर दिया जाय और वह बेदखली जमीन का वापस कब्जा लेने के लिए अगर 10–10, 12–12 साल तक मुकदमे चलेंगे तो उसकी 2–2, 3–3 पीढ़ियां खत्म हो जायेंगी तो वह अदालत किसी भी प्रकार से न्याय नहीं देगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से न्यायपालिका के अन्दर और कार्यपालिका के अन्दर जनता का विश्वास उठ गया तो यह समझिये कि प्रजातंत्र कभी भी इस देश में मजबूत रहकर नहीं चल सकेगा। इसका दूसरा उदाहरण और लीजिये कि जिस प्रकार से आपके मुकदमों का अम्बार देश के अन्दर बढ़ता जा रहा है,

(श्री रामनारायण विश्नोई)

जिस प्रकार से निर्णयों के अन्दर देरी होती जा रही है उससे भी देश की जनता बड़ी भारी चिन्तित है। आज जाता है आदमी किसी विश्वास के साथ बड़े लोगों के और जो बड़े आदमी तंग करने वाले हैं उनसे तंग होकर के गरीब आदमी न्याय की इच्छा लेकर के अदालत की शरण में जाता है और जाता है तो उसे यह विश्वास होता है कि उसे न्याय जल्दी मिलेगा। पर आप हालत यह देखेंगे कि साल, दो साल, चार साल, छह साल तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और जवाब यही मिलता है कि अदालत के अन्दर मुकदमे ज्यादा हैं, अदालत के अन्दर अधिकारियों की संख्या कम है, अदालत के अन्दर पीठासीन अधिकारी नहीं है इसलिए आप जाकर सरकार से कहो, निवेदन कीजिये। अधिकारी यह कहते हैं कि हम इसके अन्दर कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर एक बात का जरूर उल्लेख नहीं आया है और वह उल्लेख आना चाहिये था जिसका हमें बहुत खेद है कि न्यायपालिका के अन्दर और कार्यपालिका के अन्दर मुकदमों का जल्दी निस्तारण करने के लिए राज्यपाल महोदय ने एक भी शब्द नहीं कहा है जबकि यह कानून न्यायपालिका का और कार्यपालिका का आज के वातावरण के अन्दर एक महत्वपूर्ण अंग था। जनता का जिस न्यायपालिका के अन्दर विश्वास था उस विश्वास को अडिग रखने के लिए यह अगर राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर नहीं आया है तो इस और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। खास तौर से राजस्थान उच्च न्यायालय की जो आज स्थिति है। उच्च न्यायालय के अन्दर आज 22 न्यायाधीशों की जगह है और आज स्थिति यह है कि 17 न्यायाधीश ही कार्य कर रहे हैं। 17 न्यायाधीशों के अन्दर आप यह मान कर चलिये कि कभी कोई न्यायाधीश किसी एन्क्वायरी में चला जाता है, कभी किसी के पर्सनल काम हो जाते हैं। मुश्किल से 12–13 न्यायाधीश जयपुर और जोधपुर के अन्दर कार्य करते हैं। और जो न्यायाधीश हैं जो नये मुकदमों की संख्या है उनको निपटाने की स्थिति में नहीं हैं। पुराने मुकदमें 7–7, 8–8 और 10–10 साल से पड़े हैं और जिन लोगों की जमीनों के मुकदमें, जिनके नौकरियों के अन्दर, नौकरियों से हटा दिया गया है उन लोगों के मुकदमें हैं, मूल अधिकारों के बाबत मुकदमे है, राजस्व भूमि सम्बन्धी सुधार बाबत मुकदमे हैं उन मुकदमों की 10–10 साल तक सुनवाई नहीं होती है। पिछली सरकार को मैं इस बात के लिए जरूर दोषी ठहराऊंगा कि पिछले लगातार 5–7 साल के अन्दर कभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्दर न्यायाधीशों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की और यही हालत आज की तारीख में हो रही है। अभी 2–4 महीने के अन्दर राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्दर 3–4 स्थान और रिक्त होने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य कोई यह नहीं समझ ले कि मैं कोई इसके लिए इच्छुक हूं। मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि साल भर, छह महीने पहले मेरा नाम भी राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्दर जज

(श्री रामनारायण विश्नोई)

बनाने के लिए आया था, पर पिछली सरकार....

श्री नत्थीसिंह : अब तो यहां आ गये, वहां जरुरत ही नहीं है।

श्री रामनारायण विश्नोई : जो काम करने वाली सरकार थी उस सरकार के अन्दर साल भर तक, दो-दो साल भर तक फाइल और कागजात चलते रहे। अगर कोई किसी मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी का चहेता आदमी उस लिस्ट में चीफ जस्टिस से भेजा तो उसका अपाइंटमेण्ट नहीं होगा। अगर किसी दूसरे मुख्य मंत्री के चाहते वाले आदमी नहीं होंगे तो उनका अपाइंटमेण्ट नहीं होगा। इस प्रकार की जो कार्य प्रणाली थी हम को इस तरह की प्रणाली से दूर रह करके एक स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ तरीके के अन्दर योग्य जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को न्यायाधीशों के पदों पर लगाने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिये। यही आपके माध्यम से निवेदन है।

इसके अलावा मैं सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता था कि जिनका एक दो मैं उदाहरण दे दूं कि एक तो अल्सर एक्ट है जिसको अरबन सीलिंग एक्ट कहते हैं। इस अरबन सीलिंग एक्ट के अन्दर राजस्थान सरकार के अधिकारी को बड़ी से बड़ी भूमिधारी की जमीन एग्जेम्प्ट करने का अधिकारी दिया हुआ है और एक जो अधिकारी उस पोस्ट के ऊपर चला जाता है, अपाइंटमेण्ट हो जाता है। मानस तो इस एक्ट का यह था कि गरीब लोगों के लिए और मकानहीन आदमी थे उन लोगों के लिए मकान बनाने के लिए जमीनों का एग्जेम्पशन किया जाय पर होता क्या है कि आज जो भी एग्जेम्पशन अधिकारी एपाएन्टमेन्ट ले करके आ गया, वह 20–20, 30–30 और 40-40 लाख रुपये कमा करके चला गया और सरकार को आज की तारीख में एक इंच भी जमीन अरबन सीलिंग एक्ट में नहीं मिली। इस प्रकार के कानूनों को रखने से या इस प्रकार के कानून हमारे यहां चला करके भ्रष्टाचार फैलाने से किसी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के गंगानगर जिले के अन्दर राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत जिस प्रकार के संशोधन पिछले 10 साल के अन्दर लाये गये उससे वहां के काश्तकारों की लीज के अलावा कुछ नहीं हुआ वहां पर धारा 15 (अ) का तीन चार बार संशोधन धारा, 77 के अन्दर जब जनता सरकार आयी तो उस वक्त 15–(एए) ला करके हमारी सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश की थी कि जो काश्तकार सम्वत् 2012 से 15–10–55 से पहले काश्त करते आ रहे हैं, उनको खातेदारी के अधिकार दिये जावें। पर दुर्भाग्य से उस संशोधन के मुताबिक कार्य नहीं हो सका और वापस आपकी सरकार बदली तो नई सरकार के द्वारा इस प्रकार के संशोधन से, उन काश्तकारों को जिन को जमीनें अलाट कर दी गयी थीं, जिनको वापस खातेदारी अधिकार दे दिये गये थे, उनके तमाम कैसेज री-ओपन करके और उनसे मार्केट प्राइज बढ़ाने

(श्री रामनारायण विश्नोई)

की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा जिन काश्तकारों ने एतराज किया है, बार-बार कि साहब, हिन्दुस्तान के अन्दर कहीं भी नहीं है, राजस्थान के अन्दर गंगानगर जिले के अन्दर एक पुराने खातेदार काश्तकार को अपनी जमीन बेचने के लिये कलेक्टर या कमिश्नर के यहाँ बार-बार घूमना पड़े और उसकी परमिशन लेनी पड़े, इसके लिये भी काश्तकारों का इलाके में बड़ा भारी विरोध हुआ है और उस इलाके में चल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो एक रेस्ट्रीक्शन लगाया गया है कि काश्तकार को अपनी जमीन बिना कलक्टर की परमिशन के बेचने का अधिकार नहीं होगा, यह रेस्ट्रीक्शन बहुत ही अनरिजनेबल है। कलक्टर उन लोगों को ही परमिशन देता रहा है, जो वहां पर पैसा उनको देते हैं और जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, गरीब काश्तकार अगर अपनी जमीन बेचना चाहता है, तो परमिशन नहीं दी जाती है इस प्रकार से आप यह देखेंगे कि यह सब रजिस्ट्रार का महकमा जो है, रजिस्टर का कोर्ट के अन्दर परसेंटेज बंधा होता है। एक-एक सब रजिस्ट्रार साल भर में 20-20, 30-30 लाख रुपये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कमा कर जाते हैं इस प्रकार जो भ्रष्टाचार का वातावरण फैला हुआ है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस दिशा निर्देश और जिस इच्छा शक्ति के साथ हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर, उस पर बड़ी कठोरता से हम को काम करना पड़ेगा। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से ऐसे अधिकारी जो एक-एक जगह दस-दस साल से बैठे हुए हैं, वह जोड़ तोड़ कर के वापस आज के मौजूदा शासन करने वाले आदमी हैं या जो भी असरदार आदमी हैं, उनके पास में आ करके और किसी भी तरह कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सके और उन्हीं परिस्थियों के अंदर उन्हीं जगहों पर खाते और कमाते रहें, तो हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये, इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर, समर्थन नहीं दें आज की तारीख के अंदर मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि इस राज्यपाल के अभिभाषण में एक नया दिशा निर्देश नई सरकार द्वारा दिया गया है, इसके अंदर अगर कोई छोटी-मोटी इस प्रकार की बातें आ गयीं कि पिछली सरकार में यह कमी रह गयी, तो इसका कोई विरोध करने का कारण ना पक्ष के लिये नहीं होना चाहिये था। इस पर जरूर आप सजेशन दे सकते हैं कि यह बातें नहीं आयी हैं, यह बातें नहीं आयी हैं। पर, आज की तारीख में जब सरकार पांच-सात दस दिन पहले बनी हो और सरकार ने एक रास्ता बताया हो कि हम इस लाईन पर चलना चाहते हैं और उस रास्ते के अन्दर ऐसी एक भी बात किसी भी तरह की उन्हें नहीं बोलनी चाहिये कि इस के अंदर यह सरकार के दिशा निर्देश गलत

(श्री रामनारायण विश्नोई)

हैं। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार से इसका समर्थन न करने की बात थी, उसका कोई सार नहीं है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री जुबेर खां।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर कल से वाद-विवाद चल रहा है। बहुत से लोग समर्थन में बोल रहे हैं और बहुत से लोग विपक्ष में बोल रहे हैं। मुझे तो काफी आपत्ति है, बहुत सी बातों पर जो इस अभिभाषण में कही गयी हैं। इसलिये मैं इसके विरोध में बोलना चाहूंगा। क्योंकि इस अभिभाषण की शुरूआत ही गलत तरीके से राज्यपाल महोदय के माध्यम से सत्तापक्ष ने करायी। तमाम राजस्थान की जनता जानती है कि राजस्थान विधान सभा के कितनी सीटों के लिये चुनाव हुए और कितने पर बी. जे. पी. और जनता दल और कांग्रेस जीतीं। राज्यपाल जी से सरासर इन्होंने +++ बुलवाया है कि दो तिहाई बहुमत इन्हें दिया है, जो इसमें गलत दिया गया है, इसलिये शुरू में ही क्योंकि इसकी शुरूआत गलत हुई है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : +++ शब्द एक्सपंज किया जाता है। माननीय सदस्य, बोलिये।

दूसरी बात इस भाषण में कही गयी है कि प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। अगर आज इस भाषण में यह बात कही गयी है, तो बड़े दुख की बात है। जो बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया और प्रजातंत्र की नींव पड़ी और अगर हम दुनियां के नक्शे के अंदर जाकर देखें तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 42 साल से प्रजातंत्र मजबूत है और आज यह कहते हैं कि जड़े मजबूत हुई हैं। अगर प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत नहीं होतीं तो इतनी आसानी से सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता रहता। जनता ने जिस पार्टी को चुना वह सत्ता में आ गयी और जिस को दुत्कार दिया वह सत्ता से बाहर चली गयी। बगैर किसी विरोध, बगैर किसी खून खराबे के। प्रजातंत्र की यह पहले से जड़ें मजबूत हुई हैं। आज सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हम सिर्फ विरोध के लिये इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इसमें जो अच्छी बातें हैं, उनका हम स्वागत भी करते हैं। जैसे एक यह कहा गया है कि मुख्य मंत्री महोदय का आचरण भी लोकायुक्त कानून के अन्तर्गत लाये, यह स्वागत योग्य कदम है और जहां दूसरी बात जो जनतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने की बात कही गई है, यह भी स्वागत योग्य है, लेकिन जो कुछ बातें इसमें कही गयी हैं, ज्यादातर बातें राजनीति से प्रेरित हैं। तीसरी बात कही गयी है इसमें कि राजनैतिक परिदृश्य ही बदल गया है। तो मैं पूछना चाहूंगा सत्ता पक्ष के लोगों से, सभापति जी के माध्यम से,

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जुबेर खां)

कि क्या प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र आ गया है, समाजवाद आ गया है, यह बतायें ? हमें तो वही मंत्रिमण्डल लगता है, वही कार-बंगले लगते हैं, वही ब्यूरोक्रैसी लगती है, वही समाज लगता है। तो यह लोग कहां से कहते हैं कि राजनीति का परिदृश्य ही बदल गया है। इसलिये इस ज्ञापन का हम विरोध करते हैं। चौथी बात कही गयी है कि प्रजातन्त्र में जनता के प्रति जवाबदेही खत्म हो गयी। प्रजातन्त्र में तो जनता के प्रति एक ही जवाबदेही होती है कि निर्धारित समय के अनुसार सत्तापक्ष या कोई भी पक्ष जनता में जाता है, यह बात जनता के सामने रखता है, कोई सही करता है, या कोई गलत करता है, उस पर जनता निर्णय देती है। अगर जवाबदेही की बात नहीं होती तो जनता ने दस साल तक लगातार कांग्रेस को शासन नहीं करने दिया होता। जिस तरह से इनको ढाई साल में भगा दिया था, उसी तरह से कांग्रेस को भगा दिया होता। कुछ ++ + माननीय सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस....

श्री सभापति : + + + शब्द एक्सपंज किया जाता है।

श्री जुबेर खां : ने सत्ता को अपनी बपौती समझ लिया था। अगर कांग्रेस इस को बपौती समझती, तो समय पर क्यों चुनाव कराती ? और, जो जनता का निर्णय हुआ, आसानी से स्वीकार किया, है, 77 में भी किया है, 80 में भी किया है और इसको 84 के अन्त में भी किया है और राजस्थान में भी किया है। अब जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस को प्रजातंत्र के मूल को और जनता की भावनाओं का हमेशा आदर करती रही है, आगे भी करती रहेगी क्योंकि प्रजातंत्र की नींव इस देश में कांग्रेस ने डाली है। कांग्रेस के नेताओं ने डाली है। इस अभिभाषण और पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक इच्छा नहीं थी, पहली सरकार के पास और अब जो सरकार आयी है, इसके पास राजनीतिक इच्छा है। भाषणों के आधार पर कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, कोई बेईमानी खत्म नहीं हो सकती, चोरी डकैती खत्म नहीं हो सकती। भाषणों के आधार पर जनता में भी यही भाषण इन लोगों ने दिये थे और आज सदन में भी यही भाषण दिये जा रहे हैं। मैं तो नया इस सदन में आया हूं, बाहर था तो सोचता था कि विधान सभा में, जहां गरीब जनता के हजारों रुपये घंटे भर में खर्च होते हैं, कोई सही निर्णय लिया जाता होगा, सही मुद्दों पर विचार किया जाता होगा, लेकिन यह नई सत्ता जो आयी है, इसको तो पुरानी सत्ता की बुराई करने के अलावा इस भाषण में कोई बात ही नहीं कही है। यह लोग तो 80 से शुरू करना चाहते हैं, मैं तो उससे भी पहले 77 से शुरू करना चाहूंगा। माननीय नंदबई से आने वाले सदस्य ने कहा था कि जो भ्रष्टाचार हुआ, फिजूलखर्ची हुई, 77 से 79 के आखिर तक के आंकड़े देख लीजिए और फिर कहियेगा कि आपके शासन में क्या हुआ ?

+ + + शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित नहीं किया गया।

(श्री जुबेर खां)

जनता पार्टी ने अपने मेनीफेस्टो में लिखा था कि— The State Janta Party in their manifesto promised not to take resort to deficit financing as far as possible. The Janta Government presented three budgets for the year 1977-78, 1978-79 and 1979-80. According to the budget estimates of these years, the overall deficit was Rs. 24.22 crore, Rs. 34.22 crore and Rs. 56 core respectively. Never before in the histery of Rajasthan the deficits in the state budgets were so big.

जो आज बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि यहां बहुत बड़ा डेफीसिट बजट लाया गया है। दूसरा इन्होंने वायदा किया था कि—

The State Janta Party had undertaken to put a halt to the ever increasing expenditure on administration. The percentage of expenditure on administration, however, went up from year to year. Thus on this account, too the Janta Party failed to fulfil their promises.

उसके बाद यह कहते हैं सदन के नेता माननीय भैरोंसिंह जी जब सवाई माधोपुर जाते थे आन्दोलन कराके तो कहते थे कि मेरा तो दिल चाहता है कि मेरी सरकार नहीं है वरना तो मैं सवाई माधोपुर की धरती जब छोड़ूं, जब इस सीमेन्ट फैक्ट्री से धुंआ निकलने लग जाय और आज कहते हैं कि इसके ऊपर हमने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट चाही है। मंत्री महोदया आज सुबह कह रही थी कि नई सरकार की कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होता है। अगर करनी और कथनी में फर्क नहीं होता, यह अभिभाषण में कहना चाहिए था कि सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री चालू होगी कब तक और ब्यावर की कृष्णा मिल कब तक चालू होगी? जिसके लिए इन्होंने लगातार पांच साल तक आन्दोलन किये हैं। दूसरी बात यह कहते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर किसानों की सरकार आई है। हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि पर केपीटा इन्कम नीचे गई हो लेकिन जनता शासन में यह नीचे गई है। The per capita income in the State which rose from Rs. 969/- in 1977-78 to Rs. 1023/- in 1978-79 came down to Rs. 913/- in 1979-80.

क्योंकि दो साल में जो कुछ करना चाहिए था कर दिया और उसका असर यह पड़ गया कि हिन्दुस्तान की पर केपीटा इन्कम गिर गई, हमारे प्रदेश की गिर गई....

श्री नत्थी सिंह : यह किसमें से पढ़ रहे हो, जरा बता दीजिए।

श्री जुबेर खां : जहां से आपके माननीय सदस्यों ने पढ़े हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं जो आपके जनता शासन में सचिव रह चुके हैं और मेरे ख्याल से वित्त सचिव रह चुके हैं। उन्हीं के वहां से पढ़ रहा हूं, उन्हीं के कागजातों से पढ़ रहा हूं। अगर आप चाहें तो मैं पटल पर भाषण के बाद रख दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : हां रख दें।

श्री जुबेर खां : दूसरा, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था—एक नजारा जनता गवर्नमेन्ट का भी देख लीजिए कि भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान को कितना पानी मिला, राजस्थान के साथ कितनी ज्यादती हुई— The State suffered a set back in an inter-state dispute during the Janta rule. Punjab refused to allow Rajasthan the legitimate share of power in the Thein Dam project in clear violation of the inter-state agreement of 1955 and the commitments made by Punjab in this regard from time to time. और आज कहते हैं कि दिल्ली की सरकार से, हमारा बड़ा तालमेल है, उस टाइम क्या हुआ था ? The Government of India cleared the project without the concurrence of the Rajasthan Government and left the State in the Lurch.

यह इनके शासन में हुआ है।

श्री रामनारायण विश्नोई : यह कहां से कोट कर रहे हैं ?

श्री जुबेर खां : यह वहीं से कोट कर रहा हूं जहां से आप लोगों ने कोट किया था। अब यह कहेंगे कि इसके आगे के क्लॉज पढ़िये। अगर वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने आगे क्लॉज पढ़े होते तो मैं भी पढ़ता। क्योंकि परम्परा तो इन्होंने डाली है, इसलिए मैं जी वही करूंगा जो इन सदस्यों ने किया।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और डाकूमेंट कोट कर रहे हैं तो जब मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो सरकार को भी सुविधा होगी कि कौन से डोकूमेंट में से यह सारी बात कह रहे हैं।

श्री जुबेर खां : एक कमेटी गठित करा लीजिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह माथुर साहब का शोध संस्थान है न, उसमें से पढ़ रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : वह बोलने के लिए सक्षम है, आप विराज जाओ। खुद ही बोल लेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं इसलिए चाहूंगा कि हमारे रिप्लाई के अन्दर इस डाकूमेंट को हम भी रेफर कर लें।

श्री जुबेर खां : बाद में मैं दे दूंगा। आप चिन्ता मत करिये।

श्री दिग्विजय सिंह : पहले, सुन तो लें। ताकि जवाब देते वक्त हमारे लिए सुविधा रहे कि कौन सा डाकूमेंट है। वैसे भी सामान्य नियम है कि जब किसी डाकूमेंट को रेफर किया जाता है तो सभापति की स्वीकृति ली जाती है, फिर रेफर कर दें।

श्री सभापति : वे बोलने के बाद पेश कर रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापतिजी, शिवचरण माथुर साहब का जो शोध संस्थान है वहीं का है यह....

श्री जुबेर खां : कल से ही जब से यह वाद-विवाद शुरू हुआ है तभी से सत्ता पक्ष के सदस्यों के भाषणों से यह लगता है कि बड़ी ईमानदार सरकार देंगे, जनता के हित की सरकार देंगे और ऐसा लगता है कि अगर कहीं इनके शासन में कोई साम्प्रदायिक दंगा हो गया, कहीं पुलिस की ज्यादती हो गई, कहीं भ्रटषचार हो गया, कानून-व्यवस्था बिगड़ गई, लूटपाट हो गई तो इनके भाषण से तो यह लगता है कि यह इस्तीफा दे देंगे। अब मुझे पता नहीं कि यह कह रहे हैं और करेंगे क्या ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : पांच साल तक रहेंगे, पूरे पांच वर्ष।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, आप इनको मना करिये कि बीच में न टोकें।

श्री जुबेर खां : भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि जैसे सारा भ्रष्टाचार कांग्रेस के मंत्रियों ने बैठकर किया हो। भ्रष्टाचार तो जनता जानती है, आप भी जानते है लेकिन कहेंगे नहीं। भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा ठेकेदारों ने, इंजीनियरों ने, सरकारी अफसरों ने किया है। हमें तो नहीं लगता कि आप उसमें कोई सुधार ला रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उनसे कमीशन कौन लेता था ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, इनको मना करिये कि बीच में नहीं बोलें वरना हम इनको भी नही बोलने देंगे....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब भी हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बीच-बीच में बोलने लग जाते है, आप इनको मना करिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। सिट डाउन।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस तरह से बीच-बचाव करना शोभा नहीं देता....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। व्यवधान पैदा न करें। कन्टीन्यू.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डिजायर का धन्धा कौन करते थे ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज.... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया था....

श्री जुबेर खां : आपके लिए स्वीकार किया था कि + + +

श्री सभापति : मेरा माननीय सदस्यों से यह कहना होगा कि जब मनचाहे जो कुछ कहें, यह सदन की परम्परा नहीं है। जो बोलने वाले हैं उसको बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप उधर मुंह करके कहिए ताकि उनको भी कुछ तो समझ में आये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कन्टीन्यू....

श्री जुबेर खां : माननीय सभापतिजी, होना तो यह चाहिए था मेरी नजर में तो, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी से सीधा इस विधान सभा में आया हूं कि यह पता लगाया जाय इसके बजाय कि हम सारे सदन का कीमती समय इस बात में नष्ट करें कि पिछली सरकार ने यह बेईमानी की होगी। कुछ किया तभी तो आप सत्ता में आये। लेकिन आज इस बात को कहना चाहिए था कि भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जायेगा। जहां कागजों में सड़कें बन जाती हैं, सही मायने में नहीं बन पाती। कौन लोग दोषी हैं, इस बात पर यहां बहस होनी चाहिए थी, और यह मालूम करना चाहिए था कि जनता ने जिन आश्वासनों पर आपको चुना है, उनके प्रति-जवाबदेही हो, न कि कांग्रेस की सरकार की आप बुराइयां करते रहें। आप लोगों ने कहा कि साम्प्रदायिक सद्‌भाव आप बनाये रखेंगे। यह तो पूरे देश की जनता जानती है कि जहां भी साम्प्रदायिक दंगे हुए, दंगों में किसका हाथ रहा और आज तो यह सरकार में है। अगर दंगे रूके तो इसलिए रूकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत ठीक हो जायेगी। वह इसलिए नहीं रुकेंगे कि आपकी सरकार आ गई है क्योंकि पहले भी आप कराते चले आ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं.... (व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : दंगों में कांग्रेस का हाथ था। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : अगर सभापति महोदय, मुझे आदेश करेंगे तो मैं उसका प्रमाण दे सकता हूं। अलवर जिले की रामगढ़ विधान सभा का चुनाव हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, कांग्रेस का मैं था, सी. पी. आई. का एक ताराचन्द सरदारजी थे। सावरजी इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने क्या भाषण में कहा है चाहे तो टेप सदन में सुना सकता हूं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया तो यहां पाकिस्तान बनेगा और सी. पी. आई. के ताराचन्द को जिताया तो यहां खालिस्तान बनेगा। जो बातें कही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। अपनी बात समाप्त करें।

श्री मदनलाल सैनी : टेप आप ही नहीं जानते, टेप हमारे पास भी है हम भी सुना देंगे। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जुबेर खां : सभापति महोदय, मुझे अपनी बात के लिए दो मिनट का समय दीजिए। पुलिस व्यवस्था के बारे में नई सत्तापक्ष ने कहा कि पहले यह होता था अब तो अस्पतालों से कैदी भागने लग गये हैं अखबार उठाकर देख लो। आपके शासन में फाइनेन्स के बारे में, प्रजातन्त्र में हमने कभी नहीं सुना था तिजोरियों में रुपये भरे रहते हैं और बांटे जाते हैं यह तो प्रजातन्त्र में एक आर्थिक व्यवस्था होती है, विकासशील होती है। रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं। डेफिसिट अगर कहीं होता है तो नई मुद्रा मार्केट में लायी जाती है। आज यह बात इसलिए कह रहे हैं, आज श्वेत पत्र की बात इसलिए कह रहे हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि जो पिछली सरकार ने जनहित में जो घोषणा की है उनको लागू नहीं करना चाहते हैं इसलिए श्वेत पत्र लाकर उन नीतियों को रोकना चाहते हैं जो कांग्रेस सरकार ने चाही थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें।

श्री डूंगरराम पंवार : नीतियां कहां थी आपकी सारी अनीतियां थी।(व्यवधान)

श्री जुबेर खां : अकाल के बारे में सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि पांच साल से अकाल पड़ रहा है पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। हम पंचवर्षीय योजना इसके लिए बनायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना क्यों बनाते हैं आप ईयरली योजना के अन्दर लाइये। बजट में अकाल के लिए आप क्या करेंगे? आप आंकड़े उठाकर बता दीजिए पांच साल से लगातार अकाल पड़ा है कांग्रेस के शासन में अगर किसी व्यक्ति की जान गयी हो भूख या प्यास के कारण तो आप कहिये मगर ये बातें कहकर जनता को आप मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अकाल के लिए कुछ नहीं किया और आप योजनायें बनाकर कुछ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जुबेर खां : माननीय भैरोंसिंह जी जब विपक्ष में थे तो मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लेकर गाते फिरते थे, प्रेस कान्फ्रेन्स करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में मण्डल आयोग के बारे में क्यों नहीं कोई नीति लाये हैं? आप मण्डल आयोग की नीति को लागू करना चाहते हैं या नहीं, उसमें कौन-कौनसी सिफारिशों को लागू करना चाहते हैं....

श्री डूंगरराम पंवार : उसमें आपका नम्बर नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खां : आज बेरोजगारी की भयंकर समस्या प्रदेश में है। मेरे बहुत से नौजवान साथी जिन्होंने विश्वविद्यालयों की राजनीति की है, छात्रों के विपक्ष के

(श्री जुबेर खां)

बीच रहे हैं और इस सत्ता पक्ष में भी मौजूद हैं। माननीय भैरोंसिंह जी जब जाते थे सदन के नेताजी कहते थे भयंकर बेरोजगारी फैल रही है। सत्ता परिवर्तन कर दो तब सब हाथों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा लेकिन इस अभिभाषण पत्र से कहीं नहीं लगता कि आपकी नई सरकार की कोई मंशा है कि कहीं रोजगार आप देंगे। आपने तो यहां तक इसमें नहीं कहा कितने शिक्षित बेरोजगार हैं, कितने अशिक्षित बेरोजगार हैं। कितनी नौकरियां आप प्राइवेट सैक्टर में देंगे कितनी नौकरियां आप सरकारी दफ्तरों में देंगे और कितनी व्यवस्था आप रोजगार की करेंगे? यह भी बात इसमें आपने नहीं कही है और जो लोग यह कहते हैं कि राजीव जी ने कहीं यह माना था कि शत-प्रतिशत भ्रष्टाचार है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री जुबेर खां : उन्होंने कहा था कि 85% है। क्योंकि इस व्यवस्था में नीचे नहीं पहुंच पाता है बीच में फाइलों में खर्चा होता है, तनख्वाओं पर खर्च हो जाता है और दूसरी चीजों पर खर्च होता है। यह कहीं नहीं कहा था कि भ्रष्टाचार में 85% खर्च हो जाता है लेकिन आप यह कह रहे हैं....एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इन्दिरा जी कभी एक क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ी....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। आपको बीस मिनिट हो चुके हैं कृपया बिराजने का कष्ट करें।
(व्यवधान)

श्री शान्तिलाल चपलोत : सात-सात बार घंटियां बज गयी हैं फिर भी बोले जाते हैं सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसन का भी नियम है....
(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठें।

श्री जुबेर खां : आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सच्चाई को अगर आवाज से दबाया जायेगा तो सदन के नेता ने जो भाषण दिया था कि इस बात की परम्परायें डालनी हैं, प्रजातन्त्र को बहाल इसमें रखना है इसमें एक अच्छा आचरण रखना है अगर आप लोग ऐसे करेंगे और सत्ता पक्ष के लोग संख्या के आधार पर सच्चाई को दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूं सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चलेगी। धन्यवाद, जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री अचला राम ।

श्री अचलाराम (देसूरी) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करते हुये निवेदन करता हूं कि जो गत पिछले 10 वर्षों में भ्रष्ट सरकार और अविवेकता से काम करने वाली सरकार, अपने पद का दुरूपयोग करने वाली सरकार, तबादलों में घिरी हुई सरकार, को उठाकर जनता ने उनको बदला है । महोदय, इसी के साथ-साथ जब नई सरकार स्थापित हुई और नई सरकार से जनता ने भारी आशायें रखी हैं और राज्यपाल के अभिभाषण में भी यह बहुत सारी बातें कही गयी हैं कि महिला शिक्षा, महिला शिक्षाओं के लिए निवेदन कर रहा था कि जगह-जगह जो प्रोढ़ शिक्षायें खोली जा रही है उसमें महिलाओं को पर्यवेक्षक बना कर उनको अधिक से अधिक शिक्षित बनाया जाय । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग के जो बांध बनते हैं और बड़े-बड़े बांध बना दिये जाते हैं जिससे कुओं का लेबल है जो ऊंचा पानी नहीं होने के कारण ऊपर नहीं आ पाता है इसलिए अरावली की तलहटी में जितने भी बांध हैं उनमें जो नये बांध बनाये जायें उनको इतना ऊंचा नहीं बनाया जाय कि नीचे के कुओं का लेवल ऊपर नहीं आ पावे । सभापति महोदय, जलदाय विभाग की जो पेयजल समस्या है वह खास कर देसूरी क्षेत्र के अरावली के तराइन में हालांकि पानी नीचा है किन्तु इनकी नदियों के कारण रेत आ जाती है और इसके कारण हैण्ड पम्प सफल नहीं हो पाते हैं उनके लिए विशेष पेयजल व्यवस्था की जानी चाहिए । सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता था कि पिछली सरकार ने जो शिक्षा को पंचायत समितियों के जरिये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चलाने के लिए उन्हें अधिकार दिया था । जिसके कारण शिक्षा पिछड़ी है । वहां पर बहुत सारी स्कूलें तो खोल दीं किन्तु विद्यालयों में अध्यापक नहीं है और वह स्कूलें वापस शिक्षा विभाग को दी जाय ताकी उनमें ठीक व्यवस्था हो सके ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार ने जिस तरीके से तबादले किये हैं । इन सरपंचों को और जिला परिषदों को जो स्कूलें दी हैं और उन्होंने जगह-जगह प्रस्ताव करके तबादले किये है उससे तबादलों की राजनीति बढ़ी और अध्यापक स्थिर नहीं रहे और इससे शिक्षा का स्तर गिरा है । मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाह रहा था कि आयुर्वेद जो बहुत ही चिकित्सा पद्धति है उसमें न तो दवाइयां हैं न ही पर्याप्त वैद्य हैं । इसलिए उनके रिक्त पदों को भी भरा जाय ।

(श्री अचलाराम)

सभापति महोदय, सन् 1977 में एक अन्त्योदय योजना चलायी गयी थी जिसके जरिये गरीब को राहत मिली थी और हर गांव से पांच-पांच सदस्य चुनकर के अन्त्योदय करते थे। उसी योजना को वापस प्रभावी रूप दिया जाना चाहिए। ताकि हर गरीब तक राहत पहुंच सके। मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि आज वन विभाग का विकास तो हो रहा है लेकिन किसानों का विनाश हो रहा है। वह विभाग में गेम सैन्चुरी के नाम से पाली जिले में अरावली पर्वतों में खोल दी गयी है जिसके कारण जंगली जानवर छोड़ दिये गये हैं और वे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान रात को नींद भी नहीं ले पा रहे हैं और हम यह नहीं कहते हैं कि उन जानवरों को मार दिया जाय लेकिन उनको पाबन्द करने के लिए या तो सैन्चुरी पर ऊंची-ऊंची दीवार बनायी जाय या तारबंदी करके उनको रोका जाय। जहां जंगली जानवर जो सुअर और नील गाय हैं किसानों को बुरी तरह परेशान करते हैं और खेती का भारी नुकसान करते हैं, खेती को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह नुकसान पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वह खेती को खाते तो कम हैं लेकिन बैठ जाते हैं या लेट जाते है जिसके कारण खेती का भारी नुकसान हो रहा है और पैदावार में कमी हो रही है। सभापति महोदय, उन जंगली जानवरों को पाबन्द करके किसानों को राहत दिलायी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करने जा रहा था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों, नगरपालिकाओं और सहकारी संस्थाओं, बोर्ड और राज्य सभा के लिये जो अनुसूचित जाति के लिए प्रतिनिधित्व की कमी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इन लोगों के हौसले बुलंद हो सकें और अपने समाज की बात भी कह सकें और समस्याओं का निराकरण भी हो सके।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार उन्मूलन की कड़ी में जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने अपने आपको लोकायुक्त के कटघरे में लाने की बात कही है कि जो मुख्य मंत्री भ्रष्ट है उसको लोकायुक्त के कटघरे में लाया जा सकता है और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के लिए भी यह बात लागू होनी चाहिए ताकि उनको भी ध्यान रहे कि हम ने यह भ्रष्टाचार किया है और उसके लिये वे पश्चाताप कर सकें।

सभापति महोदय जिन नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति बहुत बुरी है, और हरिजनों को जो समय पर तनख्वाहें भी नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण नगरों में सड़ांध पैदा हो रही है ऐसी नगरपालिकाओं को भंग करके पंचायतों के रुप में बदल देना चाहिए ताकि सफाई की सुचारु रूप से व्यवस्था हो सके।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाह रहा था कि रोडवेज में बसों की कमी के कारण यातायात में भारी असुविधा हो रही है। रोडवेज में बसों की संख्या बढ़ायी जाय ताकि यातायात की सुविधा ग्राम लोगों को मिल सके।

(श्री अचलाराम)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि जहां पर पक्की सड़कें हैं जहां सड़कों के ऊपर डामरीकरण हो चुका है उन सभी सड़कों के ऊपर रोड़वेज की बसें चलायी जाय ताकि पथ परिवहन निगम का जो घाटा है वह पूरा हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाह रहा था कि पाली जिले में पेयजल की भयंकर समस्या है और पाली जिले के जवांई बांध का पानी जोधपुर को जाता है या हेमावास बांध का पानी जोधपुर को जाता है वह पेयजल के लिए पाली जिले को दिया जाय और जोधपुर के लिए इंदिरा गांधी नहर से पानी लाने की व्यवस्था हो ताकि जोधपुर को भी राहत मिल जाये और पाली जिले को भी पेयजल के लिए तरसना न पड़े।

सभापति महोदय, किसानों के लिए जो खाद समय पर नहीं दिया जाता है। जैसे गत वर्ष खाद समय पर नहीं आ पायी जिसके कारण किसानों की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्हें खाद और बीज समय पर दिया जाय ताकि फसल ठीक समय पर बोई जा सके और फसल का उत्पादन ठीक हो सके। यह बात ध्यान में रखकर आप जनता को सुविधा दिलाने की कृपा करें ताकि हम यह आशा रख सकें कि आम जनता को सुविधा मिल सकेगी।

सभापति महोदय, यही बात कहकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं बैठूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में दिया और उस के सम्बन्ध में जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं पूरे मन से समर्थन करता हूं। वह अभिभाषण न केवल समर्थन योग्य है अपितु स्वागत योग्य भी है।

एक माननीय सदस्य : पूजनीय भी है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : और जैसी कि सरकार की मंशा है उस अभिभाषण का पूरा क्रियान्वयन हुआ तो वह पूजनीय भी निश्चित रूप से हो जायेगा।

सबसे उल्लेखनीय बात मुझे यह लगी जिसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब केन्द्रीय सरकार अपने बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की है उससे भी एक कदम आगे बढ़कर राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 60 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की है। यह निश्चितरूप से एक स्वागत योग्य कदम है। पिछले साल के बजटों की तुलना में, पिछली सरकारों के कामों की तुलना इससे की जाय तो यह राई के सामने पहाड़ के समान है। इसलिए इस पर धन्यवाद देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

इसके बाद मैं चर्चा करूंगा उस समस्या की जो राज्य की जनता के सामने बहुत ही भयंकर रूप में सुरसा की तरह मुंह

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बायें खड़ी है वह समस्या है पेयजल की समस्या। पेयजल राजस्थान के अधिकांश गांवों में तो समस्या बनी हुई है अनेक शहरों में भी यह समस्या बनी हुई है और यह समस्या जहां नहीं बनी हुई थी वहां अब बनने जा रही है। क्योंकि भू-गर्भिय जल दिनों दिन समाप्त होता। जा रहा है। कारण यह कहा जा सकता है आसानी से कि वर्षा नहीं हुयी। वर्षा क्यों नहीं हुयी। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं और संस्कृत में नीति पुस्तकें हैं जो चाणक्य नीति और विदुर नीति। उनमें यह कहा गया है श्लोक पढ़ूंगा तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आयेगा इसलिए मैं अर्थ बता रहा हूं। आप भाव से ही काम चला लें। जिस राज्य का राजा नीति पूर्वक शासन करता है उस राज्य में, प्रजा पर समस्त देवी देवताओं की कृपा रहती है, भरपूर वर्षा होती है भरपूर सुख चैन होता है। पिछले 10 वर्षों का इतिहास उठाकर देख लीजिए 10 में से कितने सालों में अकाल रहा है। अब तुलना कर लीजिए उस समय राज्य कैसा रहा होगा। जहां अनीतिपूर्ण राज्य चलाया गया तो सूखा पड़ा और उसका दण्ड जनता को भोगना पड़ा। अब जैसा कि मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, मेरे क्षेत्र की बात नहीं कह रहा हूं शासन बदला है, नीति पूर्वक शासन चलेगा तो अब भरपूर बरसात होगी। जनता को अकाल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। (व्यवधान)

वर्षा जो होती है और जो पानी जमीन तक पहुंचता है उसमें से अधिकांश भाग बह जाता है अनावश्यक रूप से जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। यह बात अनेक लोगों ने, अनेक माननीय सदस्यों ने इस धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उठाई है। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा फलौदी से पधारे माननीय सदस्य, वरिष्ठ-तम सदस्य उम्र में भी, ज्ञान में भी और अनुभव में भी हम सबके लिये बहुत ही वरिष्ठ हैं। मेरी तो जितनी उम्र है उससे कहीं अधिक उनको विधान सभा का अनुभव है और इसलिए उन्होंने जो सुझाव दिये मैं उन सब सुझावों का हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत ही सराहनीय सुझाव थे। उन्होंने तालाब की पद्धति अपने गांवों की, उसको विकसित करने पर जोर दिया, पन घट पद्धति, उन सब पर उन्होंने जोर दिया और वास्तव में मैं तहे दिल से स्वागत करने के बाद, सभापति महोदय, उन माननीय सदस्य से एक प्रश्न करना चाहता हूं हालांकि वह इस समय सदन में उपस्थित नहीं है। उनसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जब-जब आप आसन के बांई तरफ बिराजे हुये हैं तब आपको यह अच्छे-अच्छे सुझाव लगातार एक के बाद एक याद आ-रहे हैं इतने साल जब आप शासन में थे, जब आपके हाथ में पावर था कुछ करने का, उस समय यह सारे सुझाव कहां गये थे, उस समय यह सारे लागू क्यों नहीं किये गये।"

"पर उपदेश कुशल बहुतेरे" उपदेश देना बहुत आसान होता है यह करना चाहिए, वह करना चाहिए लेकिन जब करने की बारी थी आपकी आप

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कुछ नहीं कर सके, बैठे रहे और मजे लेते रहे और जनता ने उसकी सजा दी आपको।

वर्षा के जल की बात कर रहा था मैं, वह वर्षा का जल अनावश्यक रूप से न बहकर अधिकतम भूमि के अन्दर उतरे। जितना भूमि के ऊपर संग्रहित किया जा सके वह संग्रहित किया जाये और बाकी में से अधिकांश भूमि के अन्दर उतरे यानि भू-जल री-चार्जिंग हो। इस सम्बन्ध में मैं एक आदर्श उदाहरण सदन के सामने रखना चाहूंगा। भरतपुर जिले में रूपारेल नदी है, बहुत पुराने समय से, आजादी के भी बहुत पहले से उसमें एक व्यवस्था थी उस नदी में काफी लम्बी दूरी तक लगातार एक के बाद एक 170 बांध बने हुए थे। पहले ऊंचे फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे। इस तरह से उन बांधों के कारण वह पानी थोड़ा-थोड़ा अटकता हुआ, ठोकर खाकर बहता था और उसके कारण जमीन में ज्यादा उतरता था और वह व्यवस्था जब तक सुचारू रूप से चली भरतपुर जिले में पानी की कोई कमी नहीं थी। मीठा अमृत जैसा पानी हर समय हर जगह उपलब्ध था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में माननीय विश्नोई साहब के इन सारे सुझावों के बावजूद उस पद्धति की उपेक्षा हुई और वह बांध धीरे-धीरे करके क्षतिग्रस्त हुये उनको वापस ठीक नहीं किया गया और अब भरतपुर जिले में जो मीठा पानी था वह धीरे-धीरे करके कड़वेपन में बदल रहा है। पानी की कमी होती जा रही है। यह सब उस पद्धति की अवहेलना के कारण हुआ और इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि उस व्यवस्था का अध्ययन किया जाये, विशेषज्ञों से विशेष रूप से उसका अध्ययन करवाया जाये और वह पद्धति प्रान्त की हर नदी में लागू की जाये ताकि भू-गर्भ जल का स्तर बढ़े, जो स्टोरेज अपना है वह बढ़े और भू-जल की कमी नहीं आये।

एक माननीय सदस्य : राजस्व मंत्री कृपया यह बताये कि कौनसी नदी की चर्चा हो रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपनी बात जब कहें तब कहना आप। कंटीन्यू इट।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सदस्य जानना चाहे तो सदन के बाहर मुझसे मिल लें। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नये कुएं जो खुदते हैं उनमें से जो सफल नहीं हो पाते उनके बीमे की बात की है यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नये कुओं के बारे में तो आपने सोचा है लेकिन जो पुराने कुएं हैं, वर्षों से, परम्परा से थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे लेकिन भू-जल स्तर में गिरावट के कारण पिछले कुछ वर्षों में चार-पांच सालों में जो सूख गये हैं और बिल्कुल बेकार हो गये हैं उन किसानों का क्या होगा इस बारे में सोचा, उन पर भी बैंकों के कर्जे हैं और कुओं में पानी नहीं होने के कारण उन कर्जों का भुगतान नहीं हो पायेगा तो इस बारे में जरा गम्भीरता पूर्वक यदि विचार किया जाये तो उन किसानों का भला हो सकेगा।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कुओं के सूखने की बात चली है तो एक तथ्य मुझे याद आ गया। कुएं सूख गये हैं, खेती नहीं हो रही है उनसे गिरदावरी इसका सबूत है कि पिछले कुछ वर्षों से उसमें खेती नहीं हुई उसके बावजूद हमारे यहां, हमारे प्रान्त में भूतपूर्व सरकार का चलाया हुआ एक नियम है बिजली के कनेक्शन के बारे में मिनि चार्ज का, वह वज्रपात की तरह किसानों पर पड़ रहा है। किसानों ने एक दाना नहीं बोया कुओं में, एक बूंद पानी नहीं है लेकिन चूंकि उसने कनेक्शन ले रखा है इस अपराध का दण्ड उसको यह मिलता है मिनिमम चार्ज उसको भरना पड़ता है और नहीं भरे तो उसका कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है। उस पर कोर्ट में कार्यवाही हो रही है, उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति गांव-गांव में पैदा कर दी है.... (व्यवधान)

यदि कनेक्शन कटवा देते तो फिर आपकी उस पद्धति में दस साल तक उसको नया कनेक्शन नहीं मिलता....(व्यवधान)

पानी कभी तो आयेगा उसमें और जब भी पानी आयेगा उसमें तुरन्त आप नया कनेक्शन देने की गारण्टी लेते हैं क्या। कनेक्शन की बात चली तो एक बात याद आयी, जनता शासन में 1977 से 80 में ढाई साल में 78 हजार कनेक्शन हुये यानि एक साल के तीन हजार से ज्यादा कनेक्शन उसके बाद के दस सालों के इतिहास उठाकर देख लीजिए किसी भी साल में यदि इसका आधा भी आंकड़ा छू पाये हो तो आप बोलिये। आप केवल घोषणाएं करते रहे कि एक साल में पचास हजार कनेक्शन देंगे और देते हैं 12 हजार, 13 हजार, 14 हजार। सदन के पटल पर और जनता के सामने इस तरह की असत्य घोषणाएं केवल कुछ वर्षों में हुई।

बिजली की समस्या के हल के लिये मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से उन योजनाओं की तरफ दिलाना चाहूंगा। धौलपुर, मांडलगढ़ की जो ताप बिजली योजनाएं हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाये।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसके अलावा एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने इण्टर स्टेट डिस्प्यूट पर जो-जो समझौते किये, बार-बार यह बात उठ रही है कि हमने प्रान्त के हितों का बहुत ध्यान रखा है। इस विषय पर मैं सदन से और सभापति महोदय से मांग करता हूं कि यह जितने इण्टर स्टेट डिस्प्यूट पर समझौते हुए, पानी पर हो चाहे बिजली पर हो, इस सारे पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाये ताकि सदन को और जनता को पता चल सके कि वास्तव में जनता के हितों का कितना संरक्षण किया गया है। यह मैं सदन के सामने मांग रखता हूं और इसके साथ ही मैं एक बार पुनः धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय पण्डित रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय

(श्री रामकिशन)

सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसके मैं समर्थन में खड़ा हुआ हूं। खास तौर पर आज हमारे भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं अगर उनको हमने नजरअंदाज कर दिया तो हम आलोचना तो करते रहेंगे, लेकिन जो कुछ हम बनाना चाहते हैं, इस हिन्दुस्तान को नहीं बना पायेंगे, राजस्थान को नहीं बना पायेंगे। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि नये मूल्य और नयी व्यवस्था के लिए परिवर्तन है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं, लेकिन सत्तारूढ़ दल से यह भी चाहूंगा, हालांकि मैं भी उसका एक अंग हूं, कि नयी व्यवस्था का स्वरुप क्या हो। आखिर इस तरह की चर्चाएं, निराकार चर्चाएं इस देश में बहुत हुई हैं, लेकिन हमें कुछ स्वरुप चाहिए, ठोस स्वरुप चाहिए कि हम कैसा नया समाज बनाना चाहते हैं और उस समाज परिवर्तन का हमारा आधार जो है उसके लिए हम क्या करेंगे। हमने लोकतन्त्र की बात कही, हमने समाजवाद की बात कही। हमने अहिंसा की बात कहीं, हमने राष्ट्रीयता की बात कही। हमने साम्प्रदायिकता सद्भाव की बात कही। 40 साल से इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, सत्ता पक्ष भी करता रहा है और हम लोग जब विपक्ष में थे हम भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम सब चीजों पर एक साफ दृष्टिकोण रखें। साफ दृष्किोण रख कर ही हम एक नये समाज का निर्माण कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में इतनी-सी बात कहनी है....

(5.12 म. प.)

(श्रीमती विद्यापाठक, सभापति, पदासीन)

....कि दुनिया में दो प्रणालियों के प्रयोग हो चुके हैं, एक तरफ पूंजीवादी प्रणाली और दूसरी तरफ साम्यवादी प्रणाली। आज साम्यवादी प्रणाली के दोष भी सामने आ गये और पूंजीवाद तो इस दुनिया का का कभी कल्याण कर ही नहीं सकता। जब यह सारी स्थितियां हैं तो फिर हमारे मन में झिझक क्या है? साफ तौर पर बताये कि हम किस प्रकार का समाज-निर्माण करना चाहते हैं? राज्यपाल महोदय ने संकेत दिया है, सत्तारूढ़ दल ने इच्छा प्रकट की है, लेकिन उसका स्वरूप जब तक साफ नहीं होगा तब तक उसमें भ्रम ज्यादा होंगे, कल्याण जनता का कम होगा। इस शब्द के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा।

दूसरी बात मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करनी है कि हमने अपने कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। राज्यपाल का अभिभाषण एक प्रकार से हमारे कार्यक्रम का संकेत है। हमारी दिशा, हमारा मन क्या है, हम किस प्रकार का काम करना चाहते हैं, उसका संकेत मात्र है। उसमें विस्तार से नहीं जाया जा सकता, विस्तार से जाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है खास तौर पर राज्य सरकार ने जो अपना इरादा जाहिर किया है साम्प्रदायिकता को समाप्त करने का। आज हमारे देश में अगर गरीबी के बाद विदेशी राष्ट्रों के दखल के बाद कोई सबसे बड़ा

(श्री रामकिशन)

खतरा है हिन्दुस्तान के टूटने का, तो वह है साम्प्रदायिकता। लेकिन इस साम्प्रदायिकता का हम कैसे मुकाबला करेंगे? हम सिर्फ यह कह दें कि हम कुछ लोगों को मुआवजा दे देंगे, कुछ लोगों को हम दण्ड दे देंगे, इस से साम्प्रदायिकता समाप्त नहीं होगी। पिछले सात-आठ सौ सालों से हिन्दुस्तान में हिन्दुओं और मुसलमानों के सम्बन्ध बहुत बिगड़े हुए हैं। मुसलमान और हिन्दू चाहे एक जगह बैठते हों लेकिन उनके मन में कई प्रकार की शंकाएं और कई प्रकार के डर हैं। मैं समझता हूं कि जब तक उन डर और शंकाओं को साफ नहीं किया जायेगा, हम साम्प्रदायिकता का मुकाबला नहीं कर पायेंगे। आज दुनियां में बहुत से कष्ट हैं, लेकिन इतिहास उनमें एक बड़ा कष्ट है। हमारा इतिहास जिस प्रकार का है, जिस प्रकार का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है उस से समाज में कभी साम्प्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। आज हम कहीं भी जब जाते हैं, अलग से बात करते हैं तो हर एक हिन्दू एक बात कहेगा कि हम चाहे कुछ भी करें यह मुसलमान हमारे नहीं हो सकते। इस प्रकार की भावना इस देश में पैदा कर दी गयी है, हिन्दू के मन में यह बात बैठ गयी है कि जब पाकिस्तान बन गया, देश का विभाजन हो गया फिर यह मुसलमान हम से क्या मांगते हैं। यह दो तरह के विचार इस देश के भीतर चल रहे हैं। गुलाल फैंकना, ताजिये पर झगड़े हो जाना, यह तो इसके बाहरी संकेत मात्र हैं, लेकिन रोग बहुत गहरा है। गहरे रोग का जब तक हम इलाज नहीं करेंगे तब तक हम साम्प्रदायिकता का मुकाबला नहीं कर सकते।

मुझे इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना है। इतिहास में जो कुछ लिखा गया है वह चाहे अंग्रेजों की मार्फत लिखा गया हो या हम पश्चिमी दृष्टि से देखने के आदी हो गये हों, लेकिन इतिहास को हमें सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए और सही दृष्टिकोण को समाज में रखना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि मुसलमान हमारे नहीं हो सकते, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि मुझे इतिहास में एक उदाहरण तो ऐसा बता दें जब इतिहास में मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया हो। अगर अंग्रेज से हम लड़े थे तो रजिया बेगम नहीं थीं क्या अंग्रेजों से लड़ने वाली? क्या टीपू सुल्तान नहीं थे अंग्रेजों से लड़ने वाले? अगर हम लक्ष्मी बाई की पूजा करेंगे तो फिर हमें टीपू सुल्तान को भी याद करना पड़ेगा। अगर हम तांत्या टोपे के बलिदान को याद करेंगे तो फिर हमें रजिया बेगम को भी याद करना पड़ेगा। जब तक हिन्दुस्तान का मुसलमान इस दृष्टि से नहीं सोचेगा तब तक इस रोग का इलाज नहीं हो सकता। मैं राष्ट्रीय आन्दोलन की बात करना चाहता हूं। अंग्रेजों के टाइम में भगतसिंह ने फांसी खायी तो अशफाक उल्लाखां को याद करना क्या हम भूल जायेंगे? जो लोग यह प्रचार करते हैं कि मुसलमान हमारे नहीं हो सकते, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास को सही ढंग से समझें, सही ढंग से समझने की कोशिश करें। हिन्दुस्तान पर जब संकट

(श्री रामकिशन)

आया है, हिन्दुस्तान को जब जरूरत हुई है तब यहां के हिन्दू ने साथ दिया है तो मुसलमान ने भी साथ दिया है। राष्ट्रीय आन्दोलन में अगर महात्मा गांधी का योगदान था तो क्या खान अब्दुल गफ्फार खां को हम भूल जायेंगे? अगर जवाहर लाल नेहरू ने कोई त्याग किया था तो अब्दुलकलाम आजाद और रफी अहमद किदवई की कुर्बानियों को हम भूल जायेंगे। चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो या राजनीति हो, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने मुसलमान ने निश्चित तौर पर उसमें बराबरी का हिस्सा लिया। आज अगर हम तुलसीदास को याद करते हैं, आज अगर हम सूरदास को याद करते हैं तो रहीम और रसखान को क्या भूल जायेगा हिन्दुस्तान? और जब रहीम और रसखान को याद करेंगे तो मुसलमान का योगदान निश्चित तौर पर उसके दिमाग में आयेगा। साम्प्रदायिकता की लड़ाई लड़ने के लिए हमें कुछ इतिहास को दुरूस्त करना पड़ेगा और इन घटनाओं को समझाना पड़ेगा। लेकिन हिन्दुस्तान के मुसलमानों को भी एक बात समझनी पड़ेगी। वह निरन्तर दिमाग में इस बात को लेकर बैठा है, हमेशा यह कहता है कि हम नम्बर दो के नागरिक हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। जरा बताओ तो सही, कहां अपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जितने उच्च पद हैं उनमें आपको स्थान दिया जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से आप पढ़ाई–लिखाई में पीछे रह गये तो उसके दोषी हम नहीं, आपके अपने धार्मिक विश्वास, आपका अपना सोचने का तरीका है जिसने आपको समाज में पीछे रखा है। मैं हिन्दू और मुसलमान दोनों से चाहूंगा कि इस मामले पर नये ढंग से सोचें। प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो हो जायेंगी, कुछ मुआवजे भी मिल जायेंगे, आग लगाने वाले उद्दण्ड भी मिल जायेंगे, लेकिन हमारे दिलों में जो जहर पैदा हुआ है, जो जहर बैठा हुआ है इसको तब तक दुरुस्त नहीं किया जा सकता जब तक इतिहास को दुरुस्त नहीं किया जायेगा। हम यह चाहेंगे मुसलमानों से कि वह बाबर को आक्रमणकारी स्वीकार करें। अकबर देशी था पर बाबर विदेशी था। जब तक इसको नहीं समझेंगे हम तब तक हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमानों के रिश्ते दुरुस्त नहीं हो सकते। इस सब में मुझे इतनी-सी बात कहनी है। यहां इतना मौका नहीं है कि इस मामले पर मैं और दूसरे ढंग से विस्तार से चर्चा कर सकूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि सबसे पहला राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का कार्य यह होना चाहिए इतिहास की पुस्तकों में घटनाओं को चाहे वह नहीं हटावें लेकिन उनके विश्लेषण को हम निश्चित तौर पर साफ करें जिस से हिन्दू और मुसलमान की एकता बनी रहे, अन्यथा कभी ताजिये पर, कभी होली पर, कभी गुलाल के नाम पर और कभी नमाज के नाम पर यह झगड़े होते रहेंगे और उनमें निरीह और निर्दोष लोगों की जानें जाती रहेंगी। राज्यपाल महोदय ने साम्प्रदायिकता के लिए जो चिंता प्रकट की है, राज्य सरकार ने जो इस तरह की बात कही है वह स्वागत योग्य है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारी

(श्री रामकिशन)

दिमागी तैयारी होनी चाहिए कि इसके लिए हमें क्या काम करना है।

मुझे दूसरा निवेदन यह करना है, राज्यपाल महोदय ने बेरोजगारी का जिक्र किया पढ़े–लिखों की बेरोजगारी और बिना पढ़े–लिखों की बेरोजगारी। मैं पूछना चाहता हूं यह बेरोजगारी कैसे दूर होगी? इसका तरीका क्या है? दुनिया में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। पूंजीवादी मुल्क भी बेरोजगारी दूर नहीं कर सके और साम्यवादी मुल्क भी बेरोजगारी को दूर नहीं कर सके। हमारे पास कौनसा तरीका है बेरोजगारी को दूर करने का? एक तरफ तो कॉलेज खुल रहे हैं और एक तरफ हाई स्कूल खुल रहे हैं। पढ़े–लिखे लड़कों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठी होती चली जा रही है और हम केवल चिन्ता प्रकट कर रहे हैं कि बेरोजगारी दूर होगी। मैं इस सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे। जब तक हमारे देश में एक आदमी के पास एक पेशे का कानून नहीं बनेगा तब तक हम बेरोजगारी को नहीं मिटा सकते। आज हालत यह है कि मेरे पास जमीन भी है, मेरे चारों लड़का नौकर भी हो गये, मेरे पास दुकान भी है और मेरे पास कारखाना भी है। अगर चार काम मेरे पास होंगे तो आदिवासी के लड़के को, हरिजन के लड़के को रोजगार नहीं मिल सकता। यह सरकार क्रान्तिकारी सरकार है, परिवर्तन की सरकार है। कहा गया कि व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो मैं इस प्रस्ताव की मार्फत सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हम यह कानून बना दें कि जिन परिवारों में जमीन है और जिनके लड़के सरकारी सेवाओं में चले गये हैं, अगर उनका कोई एक लड़का सेवा में नहीं गया है तो बराबरी की हिस्सेदारी की बजाय वह जमीन उसके नाम कर दी जाय। उस से भी ज्यादा जमीन है तो भूमिहीनों को दे दी जाय। जब तक एक पेशे का कानून नहीं बनेगा तब तक बेरोजगारी नहीं मिटायी जा सकती, क्योंकि इस तरह से हम दोनों तरफ की व्यवस्था रखना चाहते हैं। एक तरफ हम पूंजीवादी व्यवस्था को भी चलायें और दूसरी तरफ सम्पत्ति का बंटवारा भी नहीं करें, तो यह सम्भव नहीं है कि किसी प्रकार बेरोजगारी मिट सके। इस सम्बन्ध में सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हमें मौका मिला है। मौका इस तरह का मिला है कि 1977 में हमें मौका मिला था लेकिन वह मौका हमारे हाथ से चला गया। अब हमें दुबारा 1990 में मौका मिला है, तो मैं चाहूंगा खास तौर पर सत्तारूढ़ दल के लोगों से, मेरे साथ वाले लोगों से, कि वह गम्भीरता से विचार करें और कुछ ऐतिहासिक काम करें। यह खाली जो हम ऊपरी बात कर देते हैं, इन से समाज का कोई बहुत बड़ा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि हम धन और धरती के बंटवारे के लिए निश्चित तौर पर जल्दी अपनी मानसिक तैयारी करें। इस बात के लिए हमने अपने दल के घोषणा पत्र में भी वायदे किये हैं। मुझे इस भाषण को पढ़ने के बाद एक चीज बहुत खटकती है। हमने यह वायदा

(श्री रामकिशन)

किया था कि जमीन सम्बन्धी मामलों को हम दुबारा खोलेंगे और गरीबों को जमीन दिलायेंगे। शायद इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। क्या सरकार इस पर विचार करने को तैयार है? शायद रह गया हो इसलिये कोई जरूरी नहीं है लेकिन सरकार को दिमाग बनाना चाहिये। हमारे घोषणा-पत्र मे जो बात हमने कहीं है उनको पूरा करने की हमें चेष्टा करनी चाहिये।

सभापति महोदया, मुझे एक बात और कहनी है इस सम्बन्ध में कि आज हम सारे लोग गांव की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, लेकिन कौनसे गांव और कौन से गरीब की? गांव दो हैं, एक गांव सामन्तों का गांव है, एक गांव धनी किसानों का है और एक गांव गरीब हरिजनों का। तो हमें सबसे पहले चुनना पड़ेगा जब गांव का कल्याण हो तो उसमें हरिजन का स्थान क्या है अगर यह हमारे दिमाग में सफाई नहीं हुयी तो ऐसा प्रयोग हमने पहले भी कई बार किये हैं और उन प्रयोगों का ज्यादा फल हमे मिलने वाला नहीं है।

मैं इन शब्दों के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आज असंगठित मजदूरों की हालत क्या है? आज उनकी तरफ कोई देखता है? मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा इस सदन के मार्फत खास तौर पर निर्माण कार्य में लगे हुए जो कारीगर हैं उनके बारे में हम कुछ सोचें और जिस तरह से केरल की सरकार ने और पश्चिम बंगाल की सरकार ने कुछ कानून बनाये हैं उनके संरक्षण के लिये में चाहूंगा सदन मैं उन पर विचार करें और उस तरीके से हम संरक्षण दें उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिये राजकोष से कुछ पैसा खर्च किया जाय, उनके वेतन में से कुछ काटा जाय और एक कोष बनाकर उनके बुढ़ापे की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं इन शब्दों के साथ इस सरकार ने कुछ अच्छे इरादे प्रगट किये हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही है और भ्रष्टाचार मिटाने में एक बात जो अभिनन्दनीय है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिये उसमें यह कहा है कि श्री भैरोंसिह जी के सुझाव पर मुख्य मंत्री को भी लोकायुक्त कानून के दायरे में ले लिया गया है। वैसे में चाहता था कि यह सरकार का इरादा होता यह भैरोंसिहजी का इरादा नहीं होना चाहिये था। कारण यह है कि हम व्यक्ति पूजा के खिलाफ हैं इस व्यक्ति पूजा ने स्टालिन से लेकर माओ तक जो कुछ जुल्म ढाये हैं उन जुल्मों को खतम कर देना चाहिये। लेकिन कांग्रेस के लोगों का मुझे रूख देकर बड़ा दर्द पैदा हुआ। उन्हें तो बहादुरी के साथ आना चाहिये था और यह कहना चाहिये था भैरोंसिह जी आपने अपने आपको इस दायरे में दाखिल कर लिया लेकिन आप जगन्नाथजी पहाड़िया, हरिदेवजी जोशी, हीरालालजी देवपुरा और चन्दनमलजी बैद को भी इसमें शामिल कर लें तो मैं समझता हूं कि इससे हम समाज में एक नयी हवा पैदा करने की कोशिश करते लेकिन आप एक तरफा बात कह कर दूसरी बातों को दबा जाते हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के इरादे बहुत ज्यादा साफ नहीं हैं। हम लोग निश्चित तौर पर

(श्री रामकिशन)

व्यक्ति पूजा के खिलाफ हैं। हम लोग निश्चित तौर पर भाई-भतीजावाद के खिलाफ हैं लेकिन भाई–भतीजावाद की चर्चा अगर इस पैरे में नहीं करते तो हमारे लिये ज्यादा सुविधाजनक बात होती। आज हिन्दुस्तान की राजनीति जिस तरह से भाई–भतीजावाद से घिर गयी है उस पर इस तरह का पैरा डालने के बाद क्या हम इन बातों को निभा पायेंगे। यह आरोप था। स्टालिन बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर लेकिन उसकी पुत्री स्वेतलाना कभी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्या भी नहीं बन पायी स्टालिन के जीवन काल में। इटली बहुत ताकतवर था, बड़ा प्रधान मंत्री था, बहुत बड़ी ताकत का प्रधान मंत्री था लेकिन उनकी पत्नी उनके जीवन काल में केवल टीचर रहीं, कभी कुछ नहीं बनी। बल्कि मैं तो हिटलर की मिसाल देना चाहता हूं, मैं हिटलर की प्रशंसा नहीं करता मैं तो उसकी निन्दा करता हूं लेकिन एक काम के लिये उसकी प्रशंसा करता हूं। हिटलर डिक्टेटर था लेकिन उसका भाई उसके जीवन काल में होटल चलाता रहा और उसकी प्रेमिका जब मरी तो उसने उसको नाजी दल की सदस्यता नहीं दी थी। लेकिन आज हमारे देश का हाल यह है कि हम भाई–भतीजेवाद का विरोध करते हैं और जब हम चारों तरफ देखते हैं तो कल्याण के लिये भाई-भतीजे ही नजर आते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा पैरा डालने से पहले हमें बहुत सतर्क रहना चाहिये। कल यह बबाल हमारी जान को आगे लगेगा, लोग हमसे पूछेंगे, आपसे यह अपेक्षा और यह व्यवहार आपकी सरकार कर रही है।

माननीय सभापति महोदया, मुझे एक बात और कहनी है इस सवाल पर सब तरफ से सफाई दी गई है। यह विचार महिलाओं के कल्याण का है। महिलाओं का कल्याण करेंगे, उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार पर सोचेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कम से कम हम बतायें तो सही कि, महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है, हमें पता तो लगे कि उनकी राजनीतिक आकांक्षा क्या है? अगर हिन्दुस्तान की महिलायें अपने आपको एक उस नारी मुक्ति आन्दोलन से जोड़ेंगी तो मैं समझता हूं कि बड़ा नुकसान पायेंगी, बड़ा कष्ट पायेंगी। मैं समझता हूं कि वह हमारा लक्ष्य नहीं है। उनको सम्मान समाज दे, उनके लिये बेहतर स्थिति पैदा करें, आर्थिक दृष्टि से उनको मजबूत करे। उसके लिये तो हम लागों को साफ दिमाग बना लेना चाहिये लेकिन जब हम गोलमाल शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं तो मुझे कुछ डर लगता है। जिस तरह से यूरोप और अमेरिका में यह नारी मुक्ति आन्दोलन चला और उसके जो परिणाम सामने आये हैं उसके लिये मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की नारी, राजस्थान की नारी को सोचना चाहिये कि वह किस तरह से समाज को बनाना चाहती हैं। हां, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि शादी की संस्थायें रहेंगी या नहीं रहेंगी। अगर शादी की संस्था रहेगी तो नर-नारी के सम्बन्ध

(श्री रामकिशन)

क्या रहेंगे, उसमें सम्बन्ध बराबरी का होगा या दास-दासी का। इस पर हम विचार कर सकते हैं, इसके लिये कानून बना सकते हैं लेकिन जब हम गोल-माल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नुकसान होने का डर ज्यादा रहता है। हम नारी मुक्ति आन्दोलन के लोगों से भी मिलते रहते हैं। मुझे एक बात याद आती है। कोरिया की बहुत अच्छी एक लड़की थी, सुन्दर थी, स्वस्थ थी, प्रसन्न थी, आनन्दमयी थी, आकर्षक भी थी लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हारे दुःख का कारण क्या है? तो उसने कहा कि यह मेरा पांचवा तलाक है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की नारियों के लिये हम क्या करना चाहते हैं, राजस्थान की नारियों के लिये क्या करना चाहते हैं? आज जरूरत इस बात की है कि आप गांवों में चले जायं और कस्बों में चले जायं औरतों के लिये शौचालय नहीं हैं, कहीं भी शौचालय नहीं हैं। वह सड़कों के सहारे बैठती हैं या रात में जाती हैं या सुबह जल्दी जाती हैं। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार सबसे पहले एक काम हाथ में ले नारी के लिये, उसके सम्मान के लिये, उसकी सुविधा के लिये कि गांव में और कस्बे में जहां इस तरह के शौचालय नहीं हैं वहा सबसे पहले शौचालय बनायें। इस प्रकार के कार्यक्रम हम नारियों के कल्याण के लिये ले सकते हैं। उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़े इसमें तो कहीं बहस नहीं है। हिन्दुस्तान में तो नारियों का सम्मान लोग करते रहे हैं। बीच का युग जो आया था उसमें नारी को जब दबाया गया तो राष्ट्रीय आन्दोलन में उनको सम्मान का मौका दिया गया और मौका देकर नारी बराबर में आ रही है लेकिन इन सवालों पर हर ओर से राजनीतिक दृष्टि से सोचना चाहिये।

यहां पर भ्रष्टाचार का सवाल आया, यह समाज में क्यों पनप रहा है? कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि यह भ्रष्टाचार पनपे, हम भी नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार पनपे लेकिन कुछ कानून इस प्रकार के हमारे हैं जिनसे भ्रष्टाचार पनपता है तो इसमें सफाई दी गयी है, साफ कहा गया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन : मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : नहीं, आप कम्पलीट कर लें।

श्री रामकिशन : नहीं मैं समाप्त करता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बड़ी गम्भीर और शानदार बातें हो रही हैं आप इन्हें बोलने दीजिये।

श्री सभापति : समय सीमा भी तो होती है। पंडित जी आप कम्पलीट कर लें। आप चाहें तो कम्प्लीट कर लें।

श्री रामकिशन : तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। आखिर यह भ्रष्टाचार का रोग, हिन्दुस्तान के समाज का रोग है, न कांग्रेस का रोग है और न यह विरोधी दलों का रोग है। हो

(श्री रामकिशन)

सकता है कि इसमें कांग्रेस की ज्यादा हिस्सेदारी हो, क्योंकि वह लम्बे समय तक सत्ता में रही है इसलिये निश्चित तौर से उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन इस भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश क्या हम सम्पत्ति की सीमा को खुली कर करेंगे? अगर सम्पत्ति की सीमा खुली रहती है तो भ्रष्टाचार पनपेगा। जब मुझे 5 मकान बनाने का अधिकार होगा, जब मुझे ज्यादा जमीन खरीदने का अधिकार होगा, जब मुझे 10 मोटर गाड़ियां रखने का अधिकार होगा तो बिना भ्रष्ट तरीके से इतनी सम्पत्ति इकट्ठी नहीं हो सकती। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि अगर भ्रष्टाचार को हमें मिटाना है तो सम्पत्ति की सीमा बांधने के मामले पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये। उस सीमा का अगर कहीं उल्लंघन होता है तो हमें चाहे सख्ती बरतनी पड़े, चाहे कुछ नुकसान उठाना पड़े बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अगर कुछ लोगों को फांसी लगानी पड़ें तो भी फांसी लगा देनी चाहिये तब तो समानता का राज ला सकते हैं अन्यथा सद्भाव से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। यदि सद्भाव से भ्रष्टाचार दूर हुआ होता तो हमारे ग्रन्थों में बहुत लिखा हुआ है कि हम बुरे काम नहीं करें, हम गलत काम नहीं करें लेकिन हम निरन्तर गलत काम करते रहते हैं।

सभापति महोदया, इसी प्रकार से और सवाल हैं। आज जयपुर में लोग चक्कर क्यों लगाते हैं? क्यों आते हैं जयपुर में लोग? कलक्टर काम क्यों नहीं करता? एस. डी. ओ. की बजाय कलक्टर के पास क्यों पहुंचते हैं? जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, जब तक राज्य का स्वरूप नहीं बदलेगा। हम इस तरह की व्यवस्थायें पैदा नहीं करेंगे कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण इस तरह से कर दिया जाय कि किसी को जयपुर आने की जरुरत नहीं रहे, किसी को भरतपुर आने की जरुरत नहीं रहे तब तो हम इन सब बातों को कर सकते हैं।

आज हमारे गांव और शहर एक प्रकार से सड़ रहे हैं। हमने गांवों का थोड़ा-सा जिक्र किया है लेकिन, सभापति महोदया, बीच के शहरों, जिनको लाख-दो लाख की आबादी है, उनके बारे में हमारा कोई साफ चिन्तन नहीं है। दरअसल स्थिति क्या है कि नगरपालिकाओं के पास आमदनी नहीं है, नया शहरीकरण हो रहा है, लोग बड़ी तादाद में शहरों में आ रहे हैं। आज गन्दी कच्ची बस्तियां ढेर के रुप में बदली जा रही हैं। शहरों और कस्बों में तो हम चाहेंगे कि इसके सम्बन्ध में सरकार की कोई स्पष्टनीति हो। इसमें कुछ अच्छे कदमों की चर्चा की की गयी है। संस्थाओं में, पंचायत समितियों में चुनावों और दूसरी संस्थाओं का जिक्र किया गया है। उनके चुनाव हो जायं, महिलाओं को अधिकार देने की बात कही गयी है, संरक्षण देने की बात कही गयी है मैं इस बात का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि पंचायत समितियों में, परिषदों में, नगर पालिकाओं में हरिजनों और महिलाओं के लिये आरक्षण होना चाहिये, निश्चित तौर पर आरक्षण होना चाहिये, बड़ी तादाद में आरक्षण होना चाहिये।

136

(श्री रामकिशन)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट के मामले में हमारे दल को निश्चित विचार करना चाहिये और इसलिए विचार करना चाहिये कि आज सत्ता जिस तरह सवर्णों से मध्यम जातियों के पास आयी है उसे बहुत नीचे तक ले जाया जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस देश में सड़ान पैदा हो जायेगी, जातीय संघर्ष पैदा हो जायेंगे इस पर विशेष रूप से हमें सोचना चाहिये।

राज्य सरकार ने अभिभाषण के मार्फत जो सद्इच्छा प्रगट की हैं उन सब के लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि राज्य सरकार इन इरादों पर टिकेगी और काम पूरा करने के लिये पूरी कोशिश करेगी लेकिन पानी का सवाल है, इन सवालों पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे सामने दिक्कत यह आ रही है, जब हम राजस्थान की बात करते है तो राजस्व तो आता है। पूर्वी राजस्थान से और खर्च हो जाता है दूसरे इलाकों में। नतीजा यह हो रहा है कि पूर्वी राजस्थान तो अपने विकास का काम पूरा नहीं कर पा रहा है और पश्चिमी राजस्थान के लिए जितनी रकम चाहिए वह रकम मिल नहीं रही है इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि हम केन्द्रीय सरकार के पास इस नये ढंग से जायें और खासतौर पर रेगिस्तान का विकास, पहाड़ी क्षेत्रों का विकास, उसके लिए हम कोई नया प्रावधान करावें अन्यथा पूर्वी राजस्थान की सारी सम्पत्ति, पूर्वी राजस्थान के सारे रिसोर्सेज पश्चिमी राजस्थान में खर्च होते रहेंगे, वहां कोई नतीजा निकलने वाला नहीं हैं और हमारा इलाका रेगिस्तान में बदल जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का पुनः समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय ने, इस सदन में नवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में जो अभिभाषण दिया, उसका मैं समर्थन नहीं विरोध करूंगा। पर कुछ ऐसे मुद्दे बहुत जरूरी है। जैसे सबसे ज्यादा मार इसमें भ्रष्टाचार पर की गयी है, और यह भ्रष्टाचार का कीड़ा कैन्सर का रोग बन गया है। चाहे वह सरकार रहे, चाहे इधर की सरकार रहे, इसको मिटाना बहुत ही कड़ा कदम है और बहुत ही मुश्किल है। जैसे कैन्सर का इलाज यहां हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता वैसे भ्रष्टाचार का इलाज चाहे यह कितने ही भाषण दो, चाहे इधर के लोग भाषण दें या मैं दे दूं, पर इस भ्रष्टाचार का जैसे कैन्सर का इलाज हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता वैसे इसका इलाज भी होने वाला नहीं है। क्योंकि इसके पीछे एक कीड़ा लगा हुआ है और वह है सत्ता के दलाल। सत्ता के दलाल, हमारा राज तो हमारे पास था आज हम इधर आ गये तो उधर के उधर रह गये। इसलिए मैं यह कहता हूं कि भ्रष्टाचार पर जो चिन्ता व्यक्त की गई है, 1977 में भी इनकी सरकार बनी थी

137

(श्री परसादीलाल मीणा)

और भैरोंसिंह जी रोज यह भाषण देते थे कि अबकी बार राजस्थान से भ्रष्टाचार मिटा। पर भ्रष्टाचार विदा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा। भैरोंसिंह जी विदा हो गये। और भ्रष्टाचार फिर हमारे हाथ में आया, यह कोड़ा निरन्तर बढ़ता रहा। हम ही विदा हो गये पर भ्रष्टाचार विदा नहीं हुआ। मैं यह कहता हूं, कि आज किसी भी दफ्तर में चले जाओ यह जो आई. आर. डी. पी. और डी. आर. डी. ए. की योजना है, आप प्रत्यक्ष में देख लीजिए। आप भी गांव से आती है और मैं भी गांव से आता हूं। आप पंचायत समिति में जाकर देख लो, जिला परिषदों में जाकर देख लो कोई अध्यापक यह भी कहता है क्या कि मेरा बिना पैसे सैलेक्शन हो गया। कोई नहीं कहता। कोई यह नहीं कहेगा एक गाय, भैंस या गाड़ी खरीदने वाला कि मुझे जो सरकार का अनुदान मिला है, वह बिना पैसे खर्च किये मिल गया, कभी नहीं कहेगा। आप जाकर देख लीजिए कि भ्रष्टाचार का कोड़ा इतना व्यापक हो गया मेरी पंचायत समिति की कहता हूं, सरकार सुन लें और जांच करालें। जितने भी कुएं मंजूर हुये है उनमें से 80 प्रतिशत कुओं का बिना निर्माण एम. डी. भरी गयी हैं। और निर्माण उनका फर्जी भुगतान हुआ है। विकास अधिकारी, प्रधान और कम से कम 42 में से 30-32 सरपंच उसमें शामिल हैं। मैंने मेरी सरकार से भी कहा था और इसी बात पर मेरी सरकार के तत्कालीन पंचायत मंत्री से विवाद था कि आप ऐसे लोगों को मत पनपाओ आप जावोगे और इस सरकार को भी ले जावोगे मैं बिलकुल स्पष्ट बात कहता हूं चाहे इधर के लोग बुरा माने या उधर के माने। जब तक इन व्यवस्थाओं को हम नहीं रोकेंगे। जब तक इनके लिए कारगर कदम नहीं उठायेंगे, क्योंकि इसके पीछे सत्ता के दलाल रहते हैं आज वहीं दलाल लोग, जब चुनाव का वक्त आया, सरकार बदल गई और वहीं लोग उधर से इधर आ गये। और उधर मजे कर रहे हैं पंचायत मंत्री जी पहले कौन थे, भारद्वाज जी, आज कौन हो गये, खर्रा साहब। अपने खास आदमी है कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं वयवस्थाओं को समाज में बदलना होगा और यह भ्रष्टाचार का जो कीड़ा है, पटवारी से लेकर आगे तक चले जाइये। ज्यूडिशियल में भी आज बिना रिश्वत के फैसले नहीं होते। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं तो यही कहूंगा यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ, ज्यादातर नये लोग है पुराने सीनियर लोग भी है, अगर सब लोग यह विचार लें क्योंकि एम. एल. ए. की पंचायत समिति में नहीं चलती, चाहे उधर के एम. एल. ए. हो चाहे इधर के हों, जो चाहे प्रधान करें, जिला प्रमुख करें, कुछ भी करें। सारा दोष किस पर आयेगा एसेम्बली पर। उधर सरकार रहेगी तो उन पर आयेगा कि यह खा गये। जबकि खाने का महकमा न उनके पास न इनके पास। हैंड पम्प लगाया जाता है, उसकी कोस्ट 15 हजार होती है। उसी हैंड पम्प को यदि हम घरेलू तौर पर लगाये तो 6 हजार रुपये में लगाया जाता है। यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। यह कहते हैं कि कमीशन तो बहुत अच्छी चीज है। आज 6 हजार रुपये

(श्री परसादीलाल मीणा)

में हम घर पर हैंडपम्प लगा सकते है। इसी को सरकार के द्वारा सरकार के इन्जीनीयर 15 हजार की कोस्ट देते है। भ्रष्टाचार तो ओपन है। भ्रष्टाचार को रोको आप 6 हजार में हैंड पम्प लगावों तो हम मानेंगे, कि आपने भ्रष्टाचार को रोका। आप इन बातों को रोज-रोज कह कर कब तक टालते जावोगे, पिछली सरकार घर गयी। यह कहे गये हम तो उधर ही छोड़ आये भ्रष्टाचार को। वही लोग आपके पास थे वही लोग हमारे पास है। उनमें बदलाव नहीं आया है, हम तो आपको जब मानेंगे कि हमारे जमाने मैं तो जो काम दस रुपये में होता था आपके जमाने में पांच रुपये में हों। किसी भी चीज की लागत, चाहे भवन की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे हैंडपम्प की हो, तो हम मानेंगे कि आपने भ्रष्टाचार को कम किया है मेरा एक सुझाव है कि भ्रष्टाचार का जो यह कीड़ा लग गया है, उसको खत्म करने के लिए जनजाग्रति होनी चाहिए, एक बहुत ही बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा। यह नहीं कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो यह चलने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि साम्प्रदायिकता राजनैतिक कारणों से की जाती है, अपने देश की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार हो। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैंने पढ़ा, कहीं भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई लेखा-जोखा ही नहीं है। पता नहीं इस सरकार को चुनाव की जो-जो बातें याद रह गयी, उन्हीं बातों का इसमें उल्लेख किया गया। पर मैं यह कहता हूं आज सर्विसेज में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों का बैंक लॉग हैं उसको बिलकुल नहीं भरा जाता। पिछले टाइम में इन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को पास ही नहीं किया जाता या उनको इन्टरव्यू में नम्बर ही नहीं दिया जाता तो पिछली सरकार का दायित्व है। हालांकि पिछली सरकार गलतियां कर गयी, पर आपका तो कम से कम यह दायित्व है कि आप सही समय पर और जल्दी से जल्दी नीतियां दे। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, मीडिल स्कूलों में नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि यह सारी व्यवस्था पंचायत राज को देने से गड़बडा गयी है। हमारे यहां जिला परिषद की मैं कहता हूं कि उन्होंने वहां के सी. ई. ओ. की एक मैरिट लिस्ट बनाई और जिन लोगों के एक तारीख को अपोइन्टमेंट होने वाले थे जिनके आज तक नहीं हुए। कहा हम तो मेरिट के आधार पर नहीं करेंगे इस प्रकार करेंगे। नई सरकार को मेरा सुझाव है कि जो स्कूलें खाली पड़ी है एक-एक अध्यापक से मीडिल स्कूलें चल रही हैं। दो-दो अध्यापकों से माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं उन स्कूलों की तरफ ध्यान दें और कितनी जल्दी आप परीक्षाओं के पहले इनकी नियुक्ति करते हैं, यह आपकी परीक्षा की घड़ी है। आप यह कहते हैं कि आपने नहीं लगाया हमने नहीं लगाया इस बात से कोई काम चलने वाला नहीं है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आज राजस्थान में सबसे भयंकर पीने के पानी

(श्री परसादीलाल मीणा)

की समस्या है और इस पानी की समस्या के लिए अब दुबारा अपन गर्मियों के बाद मिलेंगे। एक सब कमेटी आपने बना दी पांच सात दस मैम्बर उसमें ले लिए। यह तो ठीक है वह कमेटी कब तक क्या करेगी। जो हैंडपम्प एक-एक साल से छह महिने से या दो-दो महीने से खराब है, जिन हैंडपम्पों का पानी सूख गया है उनको सरकार रीबोर करा सकती है और बहुत ही कम खर्चे में, उनको चालू किया जा सकता है तो जो पीने के पानी की समस्या यहां आने वाली है उसकी और सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए जब तक अपन दुबारा मिलेंगे तब तक शायद बारिश हो जाय और इस तीन-चार महिने के पीरियड में लोग हमको देखते ही रह जाय। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की बात कही है कि हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। पिछली सरकार ने हड़बड़ी में जो कुछ ऐसा कहा है कि जनहित में फैसले नहीं करके और अपने हित में या दल हित में किये है, क्या मिनीमम चार्जेज का फैसला जनहित में नहीं है? आप भी आज यहीं फैसला कर रहें है। जो हमारी सरकार ने किया था। जरूरत इस बात की है कि इसका इम्पीलीमेन्टेशन हुआ या नहीं हुआ। आज भी किसानों के कनेक्शन धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। मिनिमम चार्जेज की वसूली की जा रही है। आप इसको बिलकुल लागू करना चाहते हो। इसको रखना चाहते हैं इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहते। और पिछली सरकार द्वारा जो जनहित में निर्णय लिये गये थे उनको लागू करना चाहते होंगे। तो आपको आदेश निकालना चाहिए कि जो अधिकारी मिनिमम चार्जेज के खातिर, यदि कनेक्शन काटेंगे उसको दंडित किया जायेगा। आज तक भी कनेक्शन कटे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: आज आपने सुना नहीं यह कर दिया, मिनिमम चार्जेज की वजह से कोई कनेक्शन नहीं काटा जायेगा। यह घोषणा कर दी है।

श्री परसादीलाल मीणा: आज कुओं में पानी नहीं है। मोटर नहीं है। मोटर नहीं चलती है जैसा उन्होंने कहा ठीक कहा था। कुओं में अगर पानी नहीं है और कनेक्शन काटा जाता है तो दस साल में भी उसका नम्बर नहीं आता है मैं इस बात को मानता हूं कि आज कनेक्शन देने में व्यापक भ्रष्टाचार है। विशेषकर वन फैस का जो कनेक्शन होता है उसमें तो बिलकुल भ्रष्टाचार का मामला है। विद्युत बोर्ड की व्यवस्था है जो आदमी पैसा देगा उसका एस्टीमेट बना दिया जायेगा। तुम्हारा इस पोल से कनेक्शन हो जायेगा उसको कभी कोई तरजीह नहीं दी जाती। सरकार की तरफ से निर्देश होना चाहिये कि जो भी आवेदन फार्म वहां पर आये उसका एस्टीमेट 15 दिन में 10 दिन में बनकर वहां पर रहना चाहिये जिससे कम से कम यह तो पता रहे कि फलां फाइल का एक पोल से हो सकता है, फलां का दो पोल से हो सकता है। एक बात और कही, मंत्री महोदया बिल्कुल ऐसे कह गई गोल मोल उस बात को कि हम ट्रांसफर्मर के पैसे नहीं लेंगे तो इनको एक और स्पष्ट करनी

(श्री परसादीलाल मीणा)

चाहिये थी उस वक्त कि क्या वन पोल से ट्रांसफार्मर ग्रोवर लोड होगा उसके बाद भी नया ट्रांसफार्मर या उससे बड़ी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर रखकर भी वन पोल के कनेक्शन दिये जायेंगे। जब सरकार जवाब दे, तो किसानों के हित में यह बात जरूर स्पष्ट करनी चाहिये, डाक्टर साहब बैठे हैं, दिग्विजय सिंहजी बैठे हैं किसानों के बहुत हितैषी हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्रौर मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रापने किसानों के ग्रहित का सबसे बड़ा जो ग्रापकी सरकार केन्द्र मैं बैठी है वह काम किया है डीजल का पैसा बढ़ाकर गांव मैं ग्राप जायेंगे डाक्टर साहब सुन लेना, दिग्विजयसिंह जी ग्राप भी सुन लो कि गांव मैं ग्राप को लोग घुसने नहीं देगें यदि ग्रापने डीजल की कीमत कम नहीं करवाई तो। ग्राज किसान को 4 रुपये लीटर मैं डीजल मिलता है ग्राप जानते हैं, आपके खेती होती है, ग्रापको क्या बचता है ? कुछ नहीं बचता। उसके ऊपर 55 पैसे ग्रौर बढ़ा दिये। ऐसा ग्रन्याय ग्रापने पहली बार यहां पर किया है इस ग्रन्याय को यदि ग्रापने ठीक नहीं किया तो जनता ग्रापको ग्रागे बख्शेगी नहीं, शायद इधर भी ग्रापको जगह नहीं मिले, ग्रापको बाहर ही जगह मिले। इस बात को ग्रापको विशेष ध्यान रखना चाहिये।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : किसानों के लिये राज्यपाल महोदय ने कहीं भी कोई भी बात नहीं कही कि हम कृषि मण्डियों का विस्तार करेंगे। जो कृषि मण्डियां ग्रधूरी पड़ी हैं उनमें किसानों के लिये सुधार करेंगे। कहीं भी मुझे कुछ भी मिला नहीं। ग्रापको चाहिये कि कृषि मण्डियों का जो काम ग्रधूरा पड़ा है कहीं भी हों, उनको शीघ्र पूरा करवाया जाना चाहिये। चिकित्सा के संबंध मैं सरकार ने यह नहीं कहा....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : कि नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या कहीं भी कोई डिस्पेन्सरी वगैरा खोली है उनमें स्टाफ हम कब तक लगा देंगे। ग्राप देखते हैं पी. एच. सी. खोल दी ठीक है। जितनी खोली जन हित मैं खोली हैं किसी भी गांव मैं खोली हैं ग्रापके कहने से भी खोली होगी, हमारे कहने से भी खोली होगी पर वहां पर ग्रापको ग्रब डाक्टर ग्रौर स्टाफ जल्दी से जल्दी लगाना चाहिये जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, सभापति महोदया, ग्रापने जो टाइम दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल ग्रार्य।

श्री हीरालाल ग्रार्य (पीपल्दा) : सभापति महोदया....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ग्रोम प्रकाश गुप्ता : सभापति महोदया,

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

मैं सदन की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं। कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : सदन की सहमति से सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 16 मार्च को जो अपना अभिभाषण यहां पर पढ़ा और नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया और बांरा से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका समर्थन किया, मैं भी उस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात यहां पर रख रहा हूं।

आजादी के 42 साल तक केवल 2।। साल को छोड़कर, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने राज किया है। और कांग्रेस के ही लोगों की जिस प्रकार की रीति-नीति काम करने की उससे प्रांत की जनता को कुछ व्यवस्था मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिलकर अव्यवस्था मिली। प्रांत में प्रगति में अवरोध पैदा हुआ और विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो प्रांत में थीं वह घटने की बजायें बढ़ी हैं। प्रांत में गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और अशिक्षा बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, विकास के काम अवरूद्ध हुए। और प्रशासन का जिस प्रकार का काम करने का तौर तरीका था, प्रशासन ने निरंकुश होकर जो काम किया, जनता उससे त्राहि-त्राहि कर चुकी। छोटे-छोटे काम के लिये जनता को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन बिना भ्रष्टाचार के उनके काम नहीं होते थे। दुखी होकर प्रान्त की जनता ने और जो जनादेश पिछली बार दिया वह सबके सामने है। राज्यपाल महोदय ने स्वयं अपने अभिभाषण में यह बात स्वीकार की है कि किसी भी राजनैतिक दल का लम्बे समय तक सत्ता में यदि एकाधिकार बना रहता है तो उससे प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ता है। जनहित के प्रति उदासीनता, भाई: भतीजावाद फैलता है और पिछले दस वर्षों में प्रदेश के प्रशासन में गिरावट आई भ्रष्टाचार बढ़ा, फिजूल खर्ची और वित्तीय साधनों के अपव्यय के कारण अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में विकास का जो नियोजन था वह बहुत घटा। जिसके फलस्वरूप विकास की गति धीमी हुई और प्रशासन की जनता के प्रति कोई जवाबदेही थी वह करीब-करीब समाप्त हो गई। राजस्थान को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हैं लेकिन प्रकृति के द्वारा बहुत कुछ दिया जाने के बावजूद भी जिस प्रकार का सरकार का काम करने का तौर तरीका था उससे और यहां का विकास अवरूद्ध हुआ। यद्यपि प्रकृति ने राजस्थान में विस्तृत भू-भाग दिया है जिस पर अच्छी खेती की जा सकती है उन्नत पशुधन, विपुल खनिज सम्पदा उपज अन्न पूर्णा धरती प्राकृतिक विविधताएं मनमोहक हस्त कलाएं हमारे विकास के लिये बहुत कुछ आधार हैं लेकिन यह राजस्थान का जनता का दुखद पहलू है कि राजस्थान हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली उद्योग सड़कें

142

(श्री हीरालाल आर्य)

सिंचाई कृषि क्षेत्रों में हमारी गिनती प्रदेश में जो प्रान्त है उनमें पीछे से नम्बर चार पर आती रही है। यह राजस्थान की जनता के लिये बहुत दुखदायी बात है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी राजस्थान 70-71 की आय की दृष्टि के आधार पर नीचे से छटा स्थान था, लेकिन पिछली सरकार ने जिस प्रकार का काम किया उससे राजस्थान का दसवां स्थान रहा। उससे दुखी होकर जनता ने पिछली बार जो जनादेश दिया, पहले लोकसभा में दिल्ली की सरकार को बदलकर और पिछले दिनों अपने यहां राजस्थान की सरकार बदलकर लेकिन जनता ने जनादेश दिया मैं वह नई दिशा का और नये परिवर्तन का जनादेश है। जनता ने जो जनादेश दिया है उससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं और वहीं जिसमें विश्वास और आकांक्षा से सरकार को जनादेश दिया है उससे सरकार का भी उत्तरदायित्व बन जाता है....कि वह अपना काम कर के बतायेगी। इस प्रकार की मिसाल कायम कर के बतायेगी। जनता ने जो आशा विश्वास व्यक्त किया गया है उसकी परिणिति यह नई सरकार करेगी। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में अपना. यह प्रान्त दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। पिछली सरकार का जो सब से बड़ा कमजोरी का मुद्दा रहा वह भ्रष्टाचार का था। हालत यह हो गयी कि बड़े दफ्तरों की बड़े लोगों की बात छोड़े, छोटे-कामों के लिये, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे प्रमाण पत्र लेने का काम हो, चाहे जमीन की नकल लेना हो, छोटे-छोटे कामों के लिये रिश्वत दिये बिना काम नहीं चलता था पिछले दिनों भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजस्थान पधारे थे। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया था कि सरकार खजाने का 85 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार में जाता था केवल 15 प्रतिशत पैसा विकास के काम में लगता था। जनता ने भ्रष्टाचार से दुखी होकर यह जनादेश दिया है। नई सरकार ने, हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिह शेखावत के आग्रह से मुख्य मंत्री को भी लोकायुक्त कानून के तहत रखने की व्यवस्था की है। इसके लिये कानून बनाने की भी घोषणा की है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लियेजो सड़ी गली व्यवस्था कांग्रेस ने केवल नाम मात्र की बना कर रखी थी उनका पुनः अध्ययन करके इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि वह एजेन्सी सक्रिय होकर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये प्रयास करे और सरकार का पैसा गांवों, गरीबों और किसानों के हितों में खर्च किया जाये।

सभापति महोदया, पिछली सरकार गरीबी दूर करने के लिये नारा देते-देते चली गयी लेकिन गरीबी हटने के बजाय बढ़ती गई। केन्द्रीय सरकार के 1978-79 के आंकड़ों के अनुसार गरीबी 33.76 प्रतिशत थी और 1983-84 के अनुसार वह गरीबी बढ़कर 34.39 प्रतिशत हो गई। मतलब गरीबी घटने के बजाय बढ़ गई। प्रान्त का जो प्रतिशत 56 था वह बढ़कर 61/62 प्रतिशत हो गया है। अब मैं उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने गरीबी दूर करने के लिये जो कार्यक्रम आयोजित किये थे लेकिन उनके

(श्री हीरालाल आर्य)

स्वयं के आंकड़ों के अनुसार गरीबी घटने के बजाय गरीबी बढ़ गई। कारण स्पष्ट है। गरीबी दूर करने के लिये जो पैसा खर्च किया गया वह गरीबों के पास नहीं जाकर केवल बिचोलियों के पास पहुंचा। इसका लाभ बिचोलियों को हुआ। गरीब-गरीब बनता गया। अमीर-अमीर बनता गया। बिचोलिया उस पैसा का लाभ उठाकर अपने वैभव के लिये प्रयत्न करता रहा। गरीब गरीबी के आलम में अपना दुखमय जीवन व्यतीत करने को मजबूर हुआ। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि सरकार का खजाना, गांव, गरीब, किसान को केन्द्र बना कर इस प्रकार से उपयोग किया जायेगा कि उसका सीधा-सीधा लाभ गरीबों को मिले। अन्त्योदय योजना जो जनता राज में 1977 में माननीय भैरोंसिह शेखावत ने प्रारम्भ की थी, जिसकी सारे देश ने सराहना की थी, गरीबों को भी उस से राहत मिली थी, उस अन्त्योदय को वापिस शुरू कर करके गरीबों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा। सरकार की विभिन्न प्रकार की जो विकास योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों के लिये हैं जैसे विद्युत, चिकित्सा, शिक्षा, पी. डब्ल्यू डी. आदि हैं उसमें खर्चा इस प्रकार से किया जायेगा कि उस से गरीबों को लाभ मिले। गांव का उद्धार हो, किसान को लाभ मिले।

सभापति महोदया, हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। गांव के लोग खेती करते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से कृषि का उत्पादन बढ़ने के बजाय घटा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका सीधा-सीधा अर्थ यह है कि किसानों को न समय पर खाद, बीज मिलता है, न सिंचाई की समुचित व्यवस्था पिछली सरकार ने है, न बिजली की समुचित व्यवस्था है। किसानों के हितों की कोई चिन्ता नहीं की है। यही कारण था कि कृषि उत्पादन में जो बढ़ोतरी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। कृषि को उन्नत करने का प्रयास नहीं किया गया। कृषि भूमि का कटाव होता जा रहा है। इसकी वजह से उत्पादन शक्ति, उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। इस उर्वरा शक्ति के क्षय को रोकने के लिये भूमि के कटाव को रोकने के लिये संरक्षण विभाग काम कर रहा है, लेकिन उस के काम करने की पद्धति में भ्रष्टाचार है। भू-संरक्षण विभाग को इस कटाव को रोकने के लिये काम करना चाहिये था परन्तु वह काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार में पैसा बर्बाद हो रहा है। भूतपूर्व राजा महाराजाओं ने चैक डेम बना कर कटाव को रोकने का प्रयत्न किया था। वह चैक डेम भी स्थान-स्थान पर टूट गये हैं। उनकी मरम्मत की व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैं चाहूंगा कि नई सरकार भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाने के लिये, कटाव से जो खेत खराब हो रहे हैं उनको रोकने के लिये प्रयास करें।

सभापति महोदया, किसानों को प्राण देने वाली कृषि है और कृषि का आधार सिंचाई है। खेत में सिंचाई नहीं होगी तो किसान को मेहनत पूरी नहीं मिलेगी। सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये देश में बड़ी-बड़ी योजनाएं चल रही है लेकिन कई परियोजनाएं ऐसी है जिनका काम पिछली सरकार ने अवरुद्ध कर दिया। उदाहरण

(144)

(श्री हीरालाल आर्य)

के तौर पर चम्बल सिंचाई परियोजना है। यह हाड़ौती क्षेत्रों की महत्वपूर्ण योजना है इससे हाड़ौती का विकास हुआ है। पिछली सरकार ने चम्बल सिंचित क्षेत्र का विकास करने के लिये जो चम्बल क्षेत्रीय विकास आयुक्त की स्थापना की थी, उस के तहत सिंचाई की, ड्रेनेज की, सड़कों की, बनों की, आदि की व्यवस्था होती थी। उस क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत इस काम को दो फेज में किया जा रहा था। प्रथम फेज का काम पूरा हो गया जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। इसके साथ ही सिंचाई की वजह से जो खेत में वाटर लागिंग हुआ था, खेत जो ऊसर हुए थे, खेतों का इससे ऊसर समाप्त हुआ था लेकिन प्रथम फेज के बाद दूसरे फेज का काम ज्योंही प्रारंभ होने वाला था पिछली सरकार ने सी. ए. डी. के दूसरे फेज को समाप्त कर दिया। बड़े-बड़े अधिकारियों को कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को तो रखा गया लेकिन छोटे-छोटे मजदूर जो नहर का रख रखाव करते थे, नहर की व्यवस्था करते थे उनको हटा दिया। आज चम्बल का सारा सिस्टम गडबड़ा गया है। नहर की मरम्मत नहीं होती है न ही कोई नहर की देख रेख करने वाला है। पानी कब-कब छोड़ेंगे, इसकी भी कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। वहां सी. ए. डी. न तो जिन्दा हैं और न मरी है वह अन्तिम सांसें ले रही है। मैं इस सरकार से चाहूंगा कि सी. ए. डी. क्षेत्र में जो विकास हुआ था उसको राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सीज ने देखा था, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी, उस सी. ए. डी. के सैकिन्ड फेज को पुनः प्रारंभ किया जाये। इस सैकिन्ड फेज के काम को प्रारंभ करने के बजाय पिछली सरकार ने केचमेन्ट को कम करके किसानों के ऊपर तलवार लटका दी है खालें बना कर, जिससे किसानों के ऊपर इतना ऋण बढ़ गया है कि किसान जिन्दगी भर इस ऋण को चुकाता रहे। लेकिन उस ऋण को वह चुका नहीं पायेंगे। मैं चाहूंगा पिछली सरकार से हम संघर्ष करते आये हैं कि कैचमेंट के किसानों को कर्जे से राहत दी जाय, इस सरकार से आशा करूंगा कि वह किसानों के कैचमेंट के पैसे को माफ करेगी।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : हमारे क्षेत्र में चम्बल सिंचाई क्षेत्र से लिफ्ट की कई स्कीम बन कर सी. डब्ल्यू. सी. में पड़ी हैं। गणेशगंज लिफ्ट और काचरी लिफ्ट की स्कीम बनी पड़ी है लेकिन अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाई। मैं सरकार से चाहूंगा कि जो लिफ्ट स्कीम बन कर तैयार हो गई हैं उनको अविलम्ब आरम्भ किया जाय। जो स्कीम सी. डब्ल्यू. सी के पास पड़ी हैं दिल्ली में, उनको वापस लाकर लिफ्ट सिंचाई योजनाएं प्रारम्भ की जायं। राजस्थान में सिंचाई के लिये पानी की कमी की लोग चर्चा करते हैं लेकिन हमारा इलाका ऐसा है, मैं कहा करता हूं, मेरा इलाका एक छोटा पंजाब है। छोटा पंजाब इसलिए नहीं कि वहां कोई आतंकवाद है। वहां पर पांच नदियां हैं जो बारह महीने बहती हैं। उन नदियों में अतिरिक्त पानी

(श्री हीरालाल आर्य)

है, सरप्लस वाटर है। जिसको लिफ्ट किया जाकर जहां पर नहरें नहीं हैं पर सिंचाई की सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि और जगह भले ही पानी नहीं है लेकिन हमारे यहां पानी है। नदियों का पानी लिफ्ट करके लिफ्ट सिंचाई योजनाएं प्रारम्भ की जाये।

बिजली की हमारे यहां शार्टेज है। लघु पन विद्युत गृह योजनाएं बना कर वहां पर बिजली पैदा की जा सकती है। जैसे मांगरोल में 6 मेगावाट का बिजली का एक प्लांट चल रहा है। इटावा में स्वीकृत है, नूनेरा में, इरोदा में पानी लिफ्ट करके पन विद्युत गृह सिंचाई योजनाएं लागू की जा सकती हैं, उस पानी का उपयोग करें।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : अशिक्षा को पिछड़ेपन के कारण मानता हूं। शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान समूचे देश में पीछे के नम्बर पर है मतलब 29-वां स्थान है। राजस्थान का। कहने को यह सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और जाने क्या क्या प्रोग्राम चला था। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात करते-करते यह सरकार चली गई। लेकिन जो भी व्यवस्था शिक्षा की दृष्टि से है, बच्चों को, नागरिकों को अनिवार्य शिक्षा मिले, बौद्धिक शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। बालकों को अनिवार्य और बौद्धिक शिक्षा मिले इस प्रकार की व्यवस्था हो। शिक्षा में जो अनावश्यक रूप से योजनाएं चल रही हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है उनको बंद किया जाय। उस पैसे से स्कूल खोल कर अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाय, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

बेरोजगारी राजस्थान में मुंह बांये खड़ी है। राजस्थान में करीब 8 लाख बेरोजगार हैं। पिछली सरकार ने पिछले कई सालों से, 7-8 वर्षों से नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा रखा था। कई अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को झांसे देकर कि दो तीन महीने में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिये जो भी रिक्त स्थान है उन पर हम प्राथमिकता से नियुक्तियां देंगे, लेकिन एक भी अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी। मैं इस सरकार से आशा करता हूं कि और तो और अनुसूचित जाति, जनजाति की जो आरक्षण की व्यवस्था है नौकरियों में, उस कोटे को पूरा करेगी प्राथमिकता से। हजारों पद ऐसे पड़े हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं। उस पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे। इस सरकार ने घोषणा की है, हम शिक्षित बेरोजगारों के लिये प्रशिक्षण की इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ताकि वह स्वयं प्रशिक्षित होकर काम कर सके। मुझे विश्वास है कि नई सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिये कारगर उपाय करेगी। पिछली सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को यह कह

(श्री हीरालाल आर्य)

कर अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों को यह कह कर कि यदि जनसंघ का राज आया या दूसरी राज आया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा सेल्फ रेस्ट्रिक्ट ही जायं।

श्री हीरालाल आर्य : अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को यह कह कर कि आपसे बेगार करवायेंगे, अल्पसंख्यकों को यह कर कि आपके साथ जुल्म होगा, होगा आपको यहां से भगाया जा सकता है, झांसे देकर 42 साथ तक राज करते रहे। लेकिन आज अनुसूचित जाति, जनजाति के भाइयों ने भी इस बात को समझा कि यह सरकार झूठे झांसे देती है। बल्कि कांग्रेस के राज में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों पर जो जुल्म और ज्यादती हुई, इनके साथ जो कुछ हुआ उससे अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति बड़े दुखी थे। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। अब तक उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिये बहुत कुछ किया जाना शेष था। लेकिन सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों के लिये कोई काम नहीं किया। वह भी अब समझे हैं लेकिन नई सरकार से मैं आशा करता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के व्यक्तियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये काम करेगी।

श्री सभापति : देट शुड बी एनफ।

श्री हीरालाल आर्य : जो नगरपालिका, पंचायतें, दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनमे भी सही प्रतिनिधित्व मिले इसके लिये अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं चाहता हूं कि पिछली सरकार ने साम्प्रदायिकता का हौवा खड़ा किया था लेकिन ढाई साल में हमने देखा है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : बस समाप्त कर रहा हूं, साहब।

जहां पर जनसंघ के मुख्य मंत्री थे एक भी साम्प्रदायिक दंगा ढाई साल के राज में नहीं हुआ था। हमारी सरकार ने आते ही हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को आश्वस्त भी किया है कि हम सबको न्याय देंगे, सब धर्मों का आदर करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। उनका डर दूर हुआ है। निश्चित से उनके विकास के लिये हमारी नई सरकार करेगी। मैं आशा करता हूं कि प्रांत का समुचित विकास होगा, बेरोजगारी समाप्त होगी, विकास के जो काम अवरुद्ध पड़ें हैं, विकास होगा और यह प्रान्त सर्वांगीण विकास करके नई सरकार एक कीर्तिमान और आदर्श उपस्थित करेगी।

इसी आशा और विश्वास के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जो समर्थन किया है, उसका मैं भी समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा। उनकी पार्टी राजस्थान विधान सभा में बहुमत में है। आदिवासियों, हरिजनों का कोटा यहां सचिवालय में ही पूरा नहीं है....

श्री सभापति : आप ऐसे कैसे बीच में उठ गये। इससे रेलेवेन्सी क्या है। कृपया समाप्त करें। श्री अमीन खां। प्लीज स्टाप इट, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : आप लोग तो कुछ कर नहीं पाये, अब तो हमको कुछ कर नहीं पाये, अब तो हमको कुछ करना है। ढाई साल में कम थोड़े किया है हमने।

श्री सभापति : बोलने दीजिये। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन नहीं करूंगा लेकिन रामनारायण जी विश्नोई और पंडितजी की बात का समर्थन करूंगा।

हकीकत यह है कि विधान सभा में हम तो एक ग्रामीण अनपढ़, पशुपालक आदमी हैं लेकिन कई विद्वान लोग भी बैठे हैं। हर आदमी कहता है कि हम भ्रष्टाचार को खतम करेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और हर आदमी यह अच्छी तरह से समझता भी है कि भ्रष्टाचार न तो खतम था, न आज खतम है, न कल किसी से खतम होगा। भ्रष्टाचार तो खतम होगा जब हर नागरिक अपने ईमान पर चलने के लिये जिम्मेदार समझेगा और अपनी सुविधाएं कम से कम काम में लेने की सोचेगा। आलीशन बंगले, आलीशान कारें, आलीशान खाने पीने की आदतों से दूर रहेगा उस दिन भ्रष्टाचार खतम होगा। हम हमारे पक्ष के लोगों को भी कहते हैं, उधर सत्ता पक्ष के भी कहते हैं कि क्या कभी किसी मंत्री की कार में आम रोड़ पर किसी गरीब बीमार आदमी को उठाकर किसी अस्पताल में भर्ती कराया है। हमने हमारी आंखों से देखा है, कई कुत्ते ऐसे हैं जो दो दो, तीन तीन लाख की कारोंमें घूमते हुए हास्पिटल में इलाज करने जाते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार बातों से खतम तो नहीं होगा। ईमान जिस दिन इंसान में आयेगा उस दिन भ्रष्टाचार अपने आप खतम होगा, किसी के कहने से और ताकित से खतम होगा वाला नहीं है।

रहा सवाल पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सत्ता में आया। आम जनता के सामने चार बातें बहुत लोगों के हितों की कही गई। पहली बात कही कि हर आदमी का दस हजार रुपया कर्जा माफ कर देंगे दूसरी बात कही गई, प्रत्येक 60 वर्ष के नर और नारी को घर बैठे सौ रुपया मनी आर्डर से पेंशन आयेगी। तीसरी बात कही गई कि कम से कम हर परिवार में से एक सरकारी नौकर बनाया जाएगा और चौथी बात कही कि ढाई रुपये किलो शक्कर बिकवाएंगे। तो इस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण में इन चारों बातों का कोई जिक्र नहीं आया

(श्री अमीन खां)

है। अखबारों में देश के नेताओं के यह स्टेटमेंट जरूर होते हैं कि आई. आर. डी. में चयनित परिवारों के ऋण माफ करने की सूचियां तैयार की जा रही हैं और उनमें भी कई आदमी ऐसे हैं जो जानबूझ कर कर्जा नहीं भरते हैं उनसे तो वसूल किया जायगा और गरीब आदमी को माफ कर दिया जाएगा।

सभापति महोदय, माफ करना, यह सूचियां जानबूझ कर नहीं भरते हैं या हकीकत में नहीं भर सकते। यह सूची कौन बनाएगा? क्या कोई मंत्री बनाएगा या सत्ताधारी दल का एम. एल. ए. बनाएगा या कोई सरकारी मशीनरी बनाएगी। आखिर तो वहीं आकर खतम होगा कि गरीब आदमी को तो नौकरशाही का गुलाम बनना पड़ेगा और उसके सामने अपना भी सूची में नाम लिखाना पड़ेगा कि मैं साधनहीन आदमी हूं। अगर एक सरकारी अफसर नहीं मानेगा कि तुम साधनहीन नहीं हो तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं मेरे ख्याल में कि वह साधनहीन या है साधनवान है इसलिए यह कर्जे उन्हीं को ही माफ होंगे जिनके पक्ष में सरकारी अफसर है और विशेषकर कर्जा जो बकाया आज तक रहे हैं उनका भी कोई ईमानदारी से देखे तो उन्हीं लोगों में बकाया है जो जानबूझ करके नादिरशाही करते हैं चाहे किसी भी वर्ग के गांवों में प्रभावशाली लोग हैं, कर्जे बकाया रहे भी तो उन्हीं में है और माफ भी उन्हीं को होंगे। गरीब आदमी से न तो कर्जा पहले बकाया छोड़ा है और न आज तक छोड़ेंगे।

रहा सवाल राज्यपाल के अभिभाषण में उर्दू की तरक्की के लिए, इस पूरे पोथे में एक शब्द का भी कहीं जिक्र नहीं है। न उर्दू पढ़ने वालों को वजीफे के लिए एक नये पैसे का भी कोई जिक्र है। इसलिए अल्पसंख्यक या उर्दू पढ़ने वाले लोगों के हित की बात अगर सरकार करती है तो इसमें एक पैरा जोड़ दें।

माननीय रामनारायणजी विश्नोई ने एक बात कही कि हकीकत में किसान कहा जाने वाला आदमी के राजस्व कैसेज जो अदालतों में रहते हैं, किसान अपने हक्कों के लिए वहीं बरबाद हो जाता है और सारे अधिकारी 10–10 साल से हकीकत में अपना प्रभाव जमाये बैठे रहते हैं और हजारों रुपये बिना कोई गरीब का न्याय रेवेन्यु कोर्ट्स में नहीं होता जैसे मैं एक सीमावर्ती इलाके का रहने वाला हूं। कानून को मैं इतना नहीं जानता हूं लेकिन एक धारा से हम गरीब बहुत मजबूर हो गये हैं। राजस्व मंत्री महोदय सदन में नहीं हैं, टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 की उपधारा (ए) (8) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी आदमी स्वेच्छा से विदेश चला जाएगा तो उसकी खातेदारी खतम कर दी जाएगी। इससे कई मामले ऐसे हुए हैं कि अगर पटवारी किसी से रंजिश रखता है और अपनी घटना बही में यह रिपोर्ट दर्ज कर देता है तो उसकी खातेदारी बहाल करने कानून में कोई इंतजाम नहीं है और सबूत पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह बातें हैं जो हर जगह लागू नहीं होती हैं, बहुत कम जगह लागू होती हैं एक बात कहते हैं तो उसको लोग ज्यादातर असत्य मानते हैं।

(श्री अमीन खां)

दूसरा सवाल यह है कि जहां तक अकाल घोषित हुए को हजारों गांवों को 4 महीने हो गये हैं अभी तक यह पहला साल है मेरे ख्याल में कि टेस्ट वर्क भी किसी भी जिले एक भी मजदूर अकाल राहत कार्य के तहत नहीं लगाया गया है। यह गरीब लोगों के साथ बड़ी ज्यादती है। यानि कई गांव जहां लगातार 7 साल से अकाल है, कई गांव जहां लगातार 5 साल से अकाल है और कई गांव ऐसे गांव ऐसे हैं जहां लगातार तीसरा अकाल है। पहला अकाल जहां पर है उनकी हालत तो फिर भी इतनी नाजुक नहीं मानता हूं लेकिन जहां 10 साल, 7 साल, 5 साल से लगातार अकाल है उनमें अभी तक लोकप्रिय कहलाने वाली सरकार के लिए यह बड़ा गम्भीर मामला है और सोचने की बात है कि वहां कम से कम टेस्ट वर्क चालू होने चाहिए और उनको पापुलेशन के आधार पर सीलिंग तय कर देनी चाहिए और उनको राहत देनी चाहिए।

जहां तक पीने के पानी का सवाल आता है भू-जल विभाग राजस्थान में पी. एच. ई. डी. विभाग को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है जिससे कई योजनाएं फैल हो गई है। एक भारत सरकार का ई. टी. ओ. कोई कहते हैं वह 20 साल से नल कूप बना रहा है रेगिस्तान में पेयजल योजना में बनाये गये हैं उसी गांव में 10 हजार गैलन प्रति घंटा पानी का डिस्चार्ज ट्यूब वैल दे रहे हैं और वह आज तक खराब नहीं हुए और राजस्थान का जी. डब्ल्यू. डी. ने जो ट्यूब वेल बनाये उतनी की उतनी लागत से कोई तो 6 महीने में फैल हो गया, कोई 12 महीने में फैल हो गया कोई 3 साल में फैल हो गया और किसी में तो चार दिन में रेती आ गई और उसके लिए सरकार ने आज तक कोई उस विभाग की जवाबदारी या विभाग की एजेन्सी को जवाबदार नहीं ठहराया। जब लाखों करोड़ों रुपये एजेंसी पर खर्च कर दिये ऐसे गांवों में जो ट्यूब वैल दूसरी एजेंसी ने बनाये वह तो 10 हजार गैलन प्रति घंटा पानी का डिस्चार्ज कर रहे हैं और 30 साल से काम कर रहे हैं और एक ट्यूब वैल का आप बताते हो कि इसमें जमीन का अण्डर ग्राउण्ड वाटर सोर्स कम हो गया तो राजस्थान का जी. डब्लू. डी. के ट्यूब वैल जितने भी हैं उनको कहीं भी आप देख लें तो डिस्चार्ज उनका तो चौथाई हिस्से का भी नहीं और जो ई. टी. ओ. के ट्यूब वैल हैं उनको 10 हजार गैलन प्रति घंटे पानी आता है और 30–30 साल से काम कर रहे हैं। तो इस तरह यह करड़ों रुपये का घपला सरकार और जनता के साथ धोखा हुआ है जिसकी किसी को चिन्ता नहीं।

पश्चिमी राजस्थान का इलाका जहां खरीफ की खेती किसानों का धन्धा है, भेड़-बकरी, ऊन, ऊंट और गाय का धन्धा है। इस राज्यपाल के अभिभाषण में जहां किसानों के हित की बात करते हैं कि बहुत हित कर रहे हैं वहां उनका कोई जिक्र नहीं है।

राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर की भेड़ की नस्ल जो इतनी बढ़िया

(श्री अमीन खां)

उतनी राजस्थान में और कहीं नहीं है। उन भेड़ों के लिए ऊन मिल का भी जिक्र होना चाहिए ताकि यहां के लोगों को, पशु-पालकों को रोजगार मिल सके। उसका कोई जिक्र नहीं है।

पश्चिमी राजस्थान में इलाज का सवाल है। 20-20 कि. मी. में धोरों के इलाके में, ढ़ाणियों में लोग रहते हैं। वहां बच्चे, औरतें बीमार हो जाते हैं। वहां सब सेंटर सभी खाली पड़े हैं। दोष इधर का भी है। आज भी कोई डाक्टर रेगिस्तान में नहीं लगाते हैं। आज भी सरकार आर्डर करके आजमाइश कर ले। कल उस मिनिस्टर के पास 20 आदमी पहुंच जावेंगे। उनके कार्यकर्ता हैं चाहे नहीं हैं लेकिन उनको यकीन दिला देंगे कि हम आपके पक्के कार्यकर्ता हैं आप आर्डर कैंसिल करें। और आर्डर कैंसिल हो जाते हैं और वहां बीमार लोग मरते हैं।

इसी प्रकार यातायात का मामला है जिसमें सीमावर्ती इलाके में कई सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं जिन पर रद्दी, खटारे जैसी बसें ट्रांसपोर्ट विभाग बेकार चलाता है जिनको कोई अगर चैक करे तो एक दिन भी बस नहीं चलेगी वहां 10–10 साल से बसें चल रही है। इन सड़कों का का शीघ्र राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और उन गरीबों को सुविधा मिले और विभाग को आमदनी हो। इस बारे में हम शिकायत कर-कर के थक गये लेकिन कांट्रेक्टर अपनी कहीं न कहीं मुलाकात करके वह रूट राष्ट्रीयकरण नहीं होने देते है। अपना हित बचा लेते है और लोगों का उसमें अहित करते हैं और निगम का अहित होता है।

अन्त में मैं सभापति महोदय, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा इतना ही कहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के पशुपालक और लोग अशिक्षित हैं। सारे हिन्दुस्तान का आप अगर आंकड़ा देखलें और हकीकत देख लें तो शिक्षा का स्तर नीचे सबसे ज्यादा बाड़मेर और जैसलमेर में है। वहां पहले कोई टीचर नहीं था। अलवर, भरतपुर जयपुर, सीकर, झुंझनूं से मास्टर लोग वहां जाते थे वह मास्टर अपना ट्रांसफर करा लेते हैं। स्कूलें खुली हुई पड़ी हैं लेकिन मिडिल स्कूल में भी एक दो ही मास्टर हैं.... सैकण्डरी में दो या तीन, प्राइमरी के दो स्थान हैं उस जगह पर एक ही है। एक मैं और विशेष निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, सरकार को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले की धोरीमणा पंचायत समिति में सीमा विकास प्रोग्राम के तहत 93 लाख रुपये स्वीकृत हुए वह प्राइमरी स्कूलों के भवन बनाने और शौचालय बनाने के लिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने उन निर्माण कार्यों की स्वीकृति पर रोक लगा दी और जो रिक्त पद अध्यापकों के थे भरती करने के उन पर भी रोक लगा दी जिसके कारण भूतपूर्व सदस्य गुढ़ामालानी श्री हेमाराम चौधरी ने वहां आमरण अनशन कर दिया है। सरकार को मैं यह गुजारिश करूंगा कि यह मामला पक्ष और विपक्ष का नहीं है, जायज और जनता के हित का मामला है और

(श्री अमीन खां)

भारत सरकार के पैसे हैं। अधिकारियों ने कोई फण्ड इधर उधर करके मोनोपोली से ऐसा किया है तो तत्काल इसका जन हित में इन्तजाम किया जाना चाहिये और उसका आमरण अनशन तुड़वाया जाया चाहिये। आखिर में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि बातें सभी लोग अच्छी-अच्छी कहते हैं। इस अभिभाषण का तो मैं विरोध करता हूं और अभिभाषण पर जो पण्तिजी और विश्नोई साहब ने बातें कहीं हैं उनके साथ मैं भी समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : 5-7 मिनट बाकी हैं, कोई बोलना चाहे माननीय सदस्य ?

कोई बोलना नहीं चाहते ?

सदन की सहमति से सदन की कार्यवाही कल दिनांक 22 मार्च, 1990 के म. पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 6:23 बजे दिनांक 22 मार्च, 1990 के म. पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 15 का विवरण

शहरी क्षेत्र:—

टोंक जिले के 6 शहरों में आने वाली गर्मियों में पानी का उत्पादन बढ़ाने के लिये भारत सरकार को सूखा राहत कार्यो के अन्तर्गत रुपये 21.65 के प्रस्ताव भेजे गये हैं। राज्य सरकार ने तात्कालिक समाधान हेतु 20 हैंण्ड पम्प स्वीकृत किये हैं कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

निवाई शहर हेतु मांसी बांध से पानी लाने की योजना रुपये 73.17 लाख की स्वीकृत है, इसका कार्य शीघ्र प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्र:—

टोंक जिले में कुल 1017 आबाद ग्रामों में से 921 ग्राम पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किये जा चुके हैं शेष 96 ग्रामों को वर्ष 90–91 में लाभान्वित करना प्रस्तावित है। लाभान्वित ग्रामों क्षेत्रीय योजनाओं के अन्तिम छोर के 13 ग्रामों में पानी कम पहुंच रहा है। इसमें समस्या के समाधान हेतु 22.00 लाख रुपये की योजनायें विचाराधीन हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं:—

क्र. सं.	योजना का नाम	गांव का नाम जहां पर पानी कम पहुंच रहा है	तहसील
	1	2	3
1.	गेलोड-बिलायतीपुरा	बिलायतीपुरा	टोंक
2.	हाड़ीकला-ढाडीखुर्द	हाडीखुर्द	,,
3.	झिराना-मुमाना	मुमाना	,,
4.	मुंडिया-डोडावाडी	डोडावाडी	,,
5.	लावा-जहूरपुरा	जहूरपुरा	,,

1	2	3
6. सोड़ा-सीतारामपुरा	सीतारामपुरा	मालपुरा
7. टोरडी-अम्बापुरा	केरवालिया	,,
8. रामपुरावास-गनवर	गवनर	,,
9. चोरपुरा-खण्डेदेवत	खण्देवत	निवाई
10. नागल नाहर करेड़ा बुजुर्ग	नागल नाहर	,,
11. वनस्थली-श्री दौलतपुरा	दोलतपुरा	,,
12. खेडली-बालापुरा	बालापुरा	उनियारा
13. हासोलाई-श्योराजपुरा	श्योराजपुरा	,,

जल समस्या वाले ग्रामों में तात्कालीन समाधान के अन्तर्गत 20 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं।

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में उपकेन्द्रों में रिक्त पदों की सूची

जिला बाड़मेर

क्र. सं.	उपकेन्द्र का नाम जहां पद रिक्त है।	क्र. सं.	उपकेन्द्र का नाम जहां पद रिक्त है।
1	2	1	2
1.	देवसर	16.	हीरे की ढाणी
2.	बिजराड	17.	हुडो की ढाणी
3.	धनेऊ	18.	गीड़ा
4.	नेत्रराव	19.	परेऊ
5.	बडला	20.	झारा
6.	फगलिया	21.	कोलू
7.	साता	22.	अकड़दा
8.	लकाऊ	23.	चोपला
9.	गोलियार	24.	शहर
10.	इसरोल	25.	कुपालिया
11.	बावडीकला	26.	भूराटिया
12.	मिठाऊ	27.	रतेऊ
13.	जेसार	28.	कोसरिया
14.	नवातला जेतामालजाम	29.	सरली
15.	सामलोर	30.	बावला

1	2
31.	डूण्डू
32.	हरसनी
33.	गिराव
34.	देवीका
35.	गड़रारोड़
36.	कोठड़ा
37.	रतेडन
38.	मेदूसर
39.	कोटरी
40.	खाण्डप
41.	पादरू
42.	राखी
43.	करमावास
44.	मोलासर
45.	नाली
46.	गंगासर
47.	बागवा
48.	कोजा
49.	मिठोड़ा
50.	वाटा
51.	नसरी
52.	पुरानी कोठडी
53.	भापना
54.	मिठोड़ा
55.	काठाडी
56.	करना
57.	कुण्डल
58.	धारणा
59.	जासोल
60.	पालेवा
61.	कल्याणपुरा
62.	टापरा
63.	कोरना
64.	किननोद
65.	बुडीवाड़ा
66.	दुधवा
67.	गोदाड़ा
68.	बलाऊ
69.	बडनावा
70.	ऊपरलाई
71.	भीमरलाई
72.	खारडी
73.	करोडी
74.	मोहनपुरा
75.	चन्देसरा
76.	तिलवाड़ा
77.	पीडारन
78.	पातासर
79.	भीपडी
80	बिसारनिया
81.	मनिया
82	भोगाला

1	2	1	2
83.	पीपराली	109.	सदावरी
84.	भाकरपुरा	110.	कोलीवाना
85.	उदासर	111.	गोलिया का मरवा
86.	करल	112.	पारदली
87.	दुदु	113.	अमरसरिया
88.	खुमेकीबेठी	114.	डारो की मेरीपूल
89.	बोर	115.	डबाई
90.	सारी	116.	रामजी का गोल
91.	नेडीनाली	117.	आलपुरा
92.	कतराना	118.	सियानी
93.	नेहरो कीनाडी	119.	मनावड़ा
94.	काटिया	120.	रानीवाव
95.	कितनरोमा	121.	लीलासर
96.	बामपला	122.	खुडन
97.	कोजाबेरी	123.	विरन्द का पार
98.	अरनियाली	124.	मालवा
99.	बावरला	125.	रामदेरिया
100.	मलीसर	126.	सोडियार
101.	मानकी	127.	पावरियो का तला
102.	भेडाना	128.	तारातरामट
103.	सोमला	129.	भदेरवा
104.	रतपुरा	130.	बगोरिया
105.	काबूली	131.	बलेरा
106.	मोरिया	132.	गंगाला
107.	मीलीखाल	133.	आन्टी
108.	बारासन	134.	पारासर

1	2	1	2
135.	सुराचारनान	153.	कानोड़ा
136.	कुठ जेतमाल	154.	छोटू
137.	बरूड़ा	155.	मिठडाखुर्द
138.	जाखोड़ा की ढाणी	156.	नोसर
139.	राठेडो की बस्ती	157.	कोपलू
140.	घाड़वा तख्तवाद	158.	मोजासर
141.	करन का पार	159.	सोमला जेतराम
142.	बख्ते की बेडी	160.	मेहूली
143.	चोदकी पार	161.	सड़ा
144	सोनडी	162.	बोडवा
145.	खारिया कला	163.	खारा मेहचा
146.	सुवाड़ा	164.	मालपुरा
147.	नोखा	165.	जोसर
148.	पायलकला	166.	सडेचा
149.	दाखा		**जिला जैसलमेर**
150.	सारनू मीमली	1.	बईया
151.	चाडो की ढाणी	2.	लखा
152.	निम्बल कोट	3.	पोचीना

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

रामगढ़ (अलवर) क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

19. **श्री जुबेर खां** (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के किन किन ग्राम में किस-किस प्रकार की पेयजल सुविधा उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम पेयजल समस्या ग्रस्त हैं और इनमें पेयजल की कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार उक्त क्षेत्र के 197 ग्राम समस्याग्रस्त श्रेणी के हैं। इनकी सूची परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से 189 ग्रामों को पेयजल योजना से लाभान्वित किये जा चुके हैं। शेष 8 ग्रामों को वर्ष 1990–91 में लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

चारा डिपो का भुगतान

20. **श्री इन्द्र सिंह पूनियां** (सादूलपुर) :

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में वर्ष 1987-88 1988-89 में पंचायतों द्वारा कितने चारा डिपो चलाये ? क्या सभी का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील राजगढ़ (चूरू) की ग्राम पंचायत साखू फोर्ट के उक्त समय के चारा डिपो की कोई शिकायत सरकार के विचाराधीन है ? क्या उस शिकायत की जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष रहा ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में पंचायतों द्वारा वर्ष 1987–88 में 102 एवं 1988–89 में 131 चारा डिपो चलाये गये। जी नहीं, 18 चारा डिपो का भुगतान नहीं किया गया है। 5 चारा डिपों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने से एवं 13 चारा डिपो के पूर्ण कागजात प्राप्त नहीं होने के कारण अभी भुगतान नहीं किया जा सका है।

(अकाल राहत मंत्री)

जांच कार्य पूर्ण होने पर एवं सम्बन्धित कागजात प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जावेगा। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। तहसील राजगढ़ (चूरू) की ग्राम पंचायत सांखू फोर्ट के चारा डिपो की संवत् 2043-44 की जांच विचाराधीन है। जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर से करवाई जा रही है। जांच अभी पूर्ण नहीं होने के कारण जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट "अ"

सूची चारा परिवहन से सम्बन्धित शिकायतों की जांच सं. 2043-44

क्र. सं.	नाम संस्था जिसके विरूद्ध शिकायत	जिला स्तर पर की गई कार्यवाही
1.	ग्राम पंचायत खासोली	एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है।
2.	ग्राम पंचायत जासासर	कोषाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।
3.	ग्राम पंचायत चांदगोठी	सहायक लेखाधिकारी डी. आर. डी. ए. से जांच की जा रही है।
4.	ग्राम पंचायत मैलूसर	एस. डी. एम. रतनगढ में जांच चल रही है।
5.	ग्राम पंचायत सांखू	पुनः ए. डी. एम. से जांच करवाई जा रही है।

जिला कलक्टर (सहायता)
चूरू।

परिशिष्ट "ब"

बकाया बिल चारा परिवहन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वि. वि.
1.	पिचकराई ताल	आवश्यक दस्तावेज के अभाव में
2.	भोजूसर उपाधियान	,, ,,
3.	भानूदा	,, ,,
4.	सोमसीसर	,, ,,
5.	राजपुरा	,, ,,
6.	चैनपुरा छोटा	,, ,,
7.	पहाड़सर	,, ,,
8.	खण्डवा	,, ,,
9.	सिरसला	,, ,,
10.	ढाढर	,, ,,
11.	देपालसर	,, ,,
12.	जोड़ी	,, ,,
13.	जसरासर	,, ,,

जिला कलक्टर (सहायता),
चूरू ।

सोजत क्षेत्र के गांवों में मीठा पेयजल

21. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र सोजत के किन-किन गांवों में जनता को पीने हेतु खारा पानी ही उपलब्ध हो रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या, यह सही है कि उक्त गांवों में खारा पेयजल पीने से कुबड़ापन, क्षय रोग इत्यादि बीमारियां फैलती हैं ?

(3) क्या जवाई बांध द्वारा सोजत नगर व विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्रामों में मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार उपरोक्त क्षेत्र में मीठा पानी कब तक उपलब्ध करा देगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "अ" रख दी गई है।

(2) खारा पानी पीने से कुबड़ापन एवं क्षय रोग की बीमारियां तो नहीं होती हैं, परन्तु स्वाद के खराब होने के साथ-साथ पेट एवं आँतों में जलन की सम्भावना हो सकती है।

(3) मात्र सोजत शहर की योजना जवाई बांध से स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है। विधान सभा क्षेत्र के अन्य खारे पानी के गांवों को अलग से योजना बनाई जा रही है। वित्तीय प्रावधान होने पर कार्य सम्भव होगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र सोजत में खारा पानी उपलब्ध हो रहे गांवों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड सं.	जनसंख्या 1981	तहसील	टी. डी. एस.
1.	गागुडा	36	1026	सोजत	5340
2.	बीरावास	38	249	,,	5340
3.	डिगावास	46	599	,,	5340
4.	बासनी सुरायता	33	81	,,	5870

दुगोली (नागौर) ग्राम पंचायत के गांवों में पेयजल योजना

22. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दुगोली, तहसील जायल, जिला नागौर के बासडारों की ढाणी व बटवाड़ी नाड़ी में पाइप लाइन की योजना सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जायल द्वारा बनाकर नागौर अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पास होकर मुख्य अभियन्ता जोधपुर के पास भिजवा दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कब तक पाइप लाइन डाल दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अत्यधिक विलम्ब के उपरान्त भी उक्त कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । उक्त योजना मुख्य अभियन्ता जोधपुर के द्वारा वापिस अधीक्षण अभियन्ता नागौर को आक्षेपों के साथ लौटा दी गई थी । दुगोली में पानी की आवक कम होने के कारण वर्तमान में उक्त पाइप लाइन डालना उपयुक्त नहीं है ।

(2) उपरोक्तानुसार ।

163

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची

सोजत विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं. 1971 जनगणना पुस्तिकानुसार	कोड नं. 1981 जनगणना पुस्तिकानुसार	विद्युती करण की तिथि
1	2	3	4	5
1.	बीलावास	15/2/44	45	1/12/65
2.	धीनाबास	49	50	1/12/65
3.	अजीतपुरा	46	47	15/12/65
4.	धाकड़ी	47	48	1/12/65
5.	बागावास	48	49	12/12/65
6.	खारिया नींव	41	41	31/9/71
7.	चामडियाक	42	42	24/12/65
8.	रामसणीवाला	70	71	20/2/65
9.	भैसाणा	58	59	15/12/78
10.	सीसरवाड़ा	59	60	22/3/75
11.	मण्डला	71	72	18/10/65
12.	धन्देड़ी	69	70	18/10/65
13.	सरदारपुरा	68	69	18/10/65
14.	खारिया सोड़ा	56	57	15/12/72
15.	मामावास	53	54	30/11/72

1	2	3	4	5
16.	बासनी नरसिंह	52	53	22/3/75
17.	खारिया स्वामिया	55	56	15/12/72
18.	बासनी जोधराज	50	51	23/11/72
19.	बासनी भदावतान	51	52	30/11/72
20.	बिजलियावास	54	55	15/12/72
21.	आलावास	60	61	2/9/70
22.	बासणी तिवाडियान	62	63	15/12/72
23.	बासणी मूथा	61	62	21/3/75
24.	रेन्दड़ी	57	58	31/3/71
25.	मेव	23	23	30/9/71
26.	थरासणी	22	22	मई 79
27.	बूटेलाव	40	40	30/9/71
28.	लूण्डावास	43	43	15/12/65
29.	सुरामता	35	35	19/1/66
30.	बासनी सुरायता	33	33	31/1/75
31.	बासनी अनन्त	34	34	15/3/75
32.	मालपुरिया कलां	32	32	31/1/75
33.	मालपुरिया खुर्द	30	30	31/1/75
34.	कानावास	31	31	31/1/75
35.	रूपावास	39	39	17/4/70
36.	बरियाला	15/2/25	25	17/3/78
37.	गोदेलाव	24	24	31/3/79
38.	हींगावास	45	46	31/3/70
39.	सण्डरडा	37	37	22/3/75
40.	गागुडा	36	36	7/4/70

1	2	3	4	5
41.	बीरावास	38	38	15/12/72
42.	रेपड़ावास	19	19	31/3/79
43.	हापत	20	20	31/3/79
44.	रामासनी सन्दवान	21	21	मई 79
45.	धांगडवास	18	18	28/2/78
46.	चाडवास	17	17	10/2/78
47.	झुपेलाव	26	26	20/2/78
48.	पाँचवा कलां	16	16	28/3/78
49.	शिवपुरा	13	13	3/1/78
50	बीजपुर	28	28	15/3/78
51.	मोडावास	27	27	31/3/75
52.	खामेल	29	29	31/1/75
53.	चोपड़ा	6	6	28/2/78
54.	ढाणी अबकाई	4	4	30/3/78
55.	नयागांव	5	5	25/2/78
56.	चान्दासनी	15	15	15/3/78
57.	पाँचबा खुर्द	14	14	30/3/78
58.	राजोला कलां	1	1	"
59.	भाणीया	2	2	"
60.	नापावास	7	7	"
61.	लाणेरा	3	3	"
62.	पोटलिया	8	8	"
63.	धुरासनी	9	9	"
64.	चुन्दलाई	10	10	"
65.	सोबडावास	11	11	"
66.	सरदार समन्द	12	12	"
67.	खोखारा	67	68	15/12/72
68.	पाँचुनडा कलां	64	65	30/3/69
69.	पाचुनडा खुर्द	65	66	"

1	2	3	4	5
70.	बगडी	66	67	15/12/64
71.	हरिया माली	95	96	31/3/76
72.	केरखेड़ा	96	97	31/3/76
73.	सारंगवास	93	94	,,
74.	गुढा मढाबतान	98	98	,,
75.	गुढा कलां	100	101	,,
76.	ढूंढा लाम्बोडी	92	93	21/10/76
77.	गुढा चतुरा	15/2/94	95	31/3/76
78.	खेड़ा नाबरा	99	100	31/1/77
79.	गुढा शामा	97	97	31/3/76
80.	गुढा रामसिंह	101	102	,,
81.	हीरावास	102	103	31/10/76
82.	दादी	103	104	31/3/77
83.	सिचात	63	64	26/2/63
84.	सोजत रोड़	II	IV	28/1/62
85.	दुदोड़	10	10	28/3/77
86.	जोड दुदोड	9	9	8/2/79
87.	माण्डा	31	31	28/2/78
88.	बाली	32	32	31/3/78
89.	संवराड	34	31	,,
90.	रिसानिया	33	33	,,
91.	कंटालिया	47	47	,,
92.	बोपारी	53	53	25/12/77
93.	मेलाप	46	46	27/3/78
94.	भोजावास	54	54	27/5/77
95.	शेखावास	45	45	27/3/78
96.	हमीरवास	44	44	8/3/79
97.	राजोला खुर्द	43	43	27/3/78

(167)

1	2	3	4	5
98.	बोरनड़ी	41	41	30/3/79
99.	गुंडागढी	40	40	31/3/79
100.	भींवली	42	42	31/3/78
101.	सेवाज	39	39	31/3/79
102.	दाडिया	38	38	31/3/78
103.	मेलावास	36	36	30/3/79
104.	मुसालिया	35	35	31/3/78
105.	धुंधला	37	37	31/3/71
106.	चिरपटिया	27	27	27/9/77
107.	कुशालपुरा	28	28	8/3/77
108.	गोपावास	29	29	,,
109.	बड़ी	57	57	27/9/77
110.	फूलिया	30	30	27/9/77
111.	कारोलिया	26	26	8/3/79
112.	नरसिंहपुरा	23	27	31/3/77
113.	हेमलियावास खुर्द	24	24	24/3/77
114.	रेवडिया	25	25	8/3/79
115.	सोजत रुरल	43ए	44	15/8/60

सूची–1 (अ)

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची

(अ) 1500 से अधिक की आबादी वाले

31–3–89 तक जुड़े हुए गांवों की सूची (जिला–टोंक)

क्र० सं.	गांव का नाम	जन संख्या	क्र०	गांव का नाम	जन संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	लावा	4800	19.	पाडलों	1661
2.	दूनी	4644	20.	कांटोलो	1768
3.	बनैठा	4113	21.	झाड़ली	1753
4.	टोरडी	3587	22.	निवाई रूरल	2041
5.	वनस्थली	3240	23.	नटवाड़ा	2136
6.	झिलाई	3697	24.	मूण्डियां	1715
7.	पीपलू	3560	25.	दतवास	1913
8.	नासिरदा	3762	26.	जानडोली	1553
9.	राजमहल	3888	27.	हमीरपुर	2429
10.	अलीगढ़	3779	28.	बावडी	2443
11.	लाम्बा हरिसिंह	3929	29.	संवारिया	1613
12.	चान्दसेन	2936	30.	उनियारा खुर्द	1820
13.	क्वालियां	2565	31.	दतोव	1690
14.	भांसू	2514	32.	मोर	1729
15.	नगर	2745	33.	रनोली	2145
16.	मोरला	2346	34.	भिराना	2447
17.	सोडा	2346	35.	मेन्दवावास	2146
18.	बुढादेवल	2055	36.	पराना	1688

(169)

1	2	3	1	2	3
37.	थांवला	2153	45.	शोप	2320
38.	देवली गांव	2488	46.	ककोड	1878
39.	आवां	2393	47.	चोरु	1977
40.	घाड़	2157	48.	बचाला	1764
41.	सांवतगढ़	1645	49.	बचेवर	5487
42.	पनवाड़	1875	50.	डिग्गी	5159
43.	निवारिया	1539	51.	नगर	2098
44.	धुवाकला	1551			

1000 से 1500 की आबादी वाले जुड़े हुए गांवों की सूची (जिला–टोंक)

सूची–(ब)

क्र० सं०	गांव का नाम	जन संख्या	क्र० सं०	गांव का नाम	जन संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	बोरखण्डी कला	1358	10.	बनवाड़ा	1090
2.	लोहरवाड़ा	1130	11.	अरनियामाल	1041
3.	जोला	1160	12.	आवडा	1194
4.	सोहेला	1261	13.	गनवर	1159
5.	डारडातुर्की	1412	14.	सिन्दोलियां	1029
6.	छान	1124	15.	बडीला	1385
7.	दाखियां	1028	16.	कलमण्डा	1348
8.	सोनवा	1498	17.	राजपुरा	1360
9.	सांखना	1101	18.	तिलान्जू	1294

1	2	3	1	2	3
19.	कूकड	1895	27.	देवली	1219
20.	लाम्बाकलां	1285	28.	बीसलपुर	1424
21.	मान्दोलाई	1101	29.	डॉबरकलां	1288
22.	पथराजकलां	1169	30.	गांवडी	1142
23.	बासेड़ा	1142	31.	बनथली	1448
24.	सूथाड़ा	1474	32.	गुराई	1408
25.	फूलेता	1472	33.	कुरेडा बुजुर्ग	1249
26.	पलाई	1298	34.	रजवास	1320

सूची–2

1500 से अधिक की आबादी वाले बिना जुड़े गांव (जिला–टोंक)

क्र० सं०	गांव का नाम	जन संख्या	क्र० सं०	गांव का नाम	जन संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	सिरस	2507	9.	बगडी	2025
2.	राहोली	2139	10.	कठमाणा	1703
3.	डांगरथल	2081	11.	डारड़ा हिन्द	1679
4.	सोथडा	1747	12.	मण्डावर	1861
5.	सिरोही	1773	13.	बम्बौर	1943
6.	बहड	1810	14.	बोधवाड़	1555
7.	मेहरू	1825	15.	पॉवली	1775
8.	खरेडा	1896	16.	सुरेली	1776

1000–1500 वाले शेष बिना जुड़े हुये गांव जिला (टोंक)

सूची–3

क्र० सं०	प० स०	गांव का नाम	जन संख्या
1.	टोंक	सद्रेड़ा	1376
2.	,,	हथोना	1446
3.	,,	अरनियां केदार	1048
4.	,,	डोडवाडी	1207
5.	,,	नानेर	1347
6.	,,	सोड़ा बावड़ी	1344
7.	,,	अरनियां माल	1041
8.	मालपुरा	भीपुर	1044
9.	,,	डूंगरी कलां	1225
10.	टोडा	कुहारकलां	1259
11.	,,	मूण्डियां	1076
12.	,,	चन्द्राहेड़ा	1036
13.	,,	अलियारी	1141
14.	,,	गेदिया	1180
15.	,,	बोटून्दा	1276
16.	उनियारा	कण्डेर	1040
17.	देवली	कासीर	1277
18.	,,	जूनियां	1076
19.	,,	देवड़ा वास	1451
20.	,,	गेरोली	1139
21.	,,	कंवरा	1146
22.	,,	ललवाड़ी	1038
23.		टिल्लोली बड़गाव	1049

सूची–4

जिन गांवों की सड़कों के कार्य स्वीकृति के आधार पर प्रगति पर है ।

(जिला टोंक)

(जन संख्या 1500 से अधिक)

क्रमांक	गांव का नाम	जन संख्या
1.	सिरस	2507
2.	मण्डावर	1861
3.	सुरेली	1776
4.	बगडी	2025
5.	डांगरथल	2081

सूची–5

क्र० संख्या	कार्य का नाम	85–86	86–87	87–88	88–89 संभावित	89–90	योग	योजना वार खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	केन्द्रीय मद की सड़के							
1.	3054–सड़के एवं पुल 04–जिला सड़के एवं अन्य सड़के 4–केन्द्रीय मद सड़के की सड़के (सी॰ आर॰ एफ॰)	—	—	—	—	6.00	6.00	6.00
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम							
2.	5054–सड़को एवं पुलो पर पूंजी परि॰ 04–जिला सड़के 010–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ii) जिला सड़के एवं ग्रामीण सड़के	9.56	15.70	19.08	18.01	50.00	112.35	112.35

(173)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना					
3.	8443–सिविल जमा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज. गारंटी कार्यक्रम (i)	0. 84	—	0.40	0.40	—	1.59	
4.	8443–सिविल जमा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज. गारंटी कार्यक्रम (ii)	—	6.23	3.64 परिवर्तित	22.42 परिवर्तित	0.13 परिवर्तित	32.42	
			आर० एल० ई० जी० पी०					
5.	8443–सिविल जमा राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	13.17	15.40	29.63	17.43	0.10	75.73	75.73
			अकाल राहत					
6.	8443–सिविल जमा अकाल राहत कार्य	—	—	42.00	112.05	8.61	162.66	162.66
			जवाहर योजना					
7.	8443–सिविल जमा जवाहर रोजगार योजना।	—	—	—	—	0.48	0.48	0.48
	योग	23.57	37.33	94.70	170.31	65.32	391.23	391.23

शुद्धि–पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति में	अशुद्ध	शुद्ध
1.	6	5	श्री बुलाकदास कल्ला	श्री बुलाकीदास कल्ला
2.	108	28	श्रीमती सुमित्र सिंह	श्रीमती सुमित्रासिंह
3.	230	फुट नोट	नहीं किया गया	किया गया
4.	248	3	श्री जोगेवश्र गर्ग	श्री जोगेश्वर गर्ग